क्रम माला, खंड 9, अंक 14

गुरुवार, 12 मार्च, 1992
22 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कायवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 14, गुरुवार, 12 मार्च, 1992/22 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न उत्तर : 225 से 229 और 231	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—200
तारांकित प्रश्न संख्या : 230 और 232 से 244	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2569 से 2614, 2616 से 2647, 2646 से 2673, 2675 से 2689, 2691 से 2715, 2718 से 2744 और 2746 से 2778	
पंजाब में गैर-पंजाबियों की हत्या के बारे में	200—206
गेहूं के आयात-निर्यात के बारे में	206—224
सभा पटल पर रखे गए पत्र	224—226
चयन समिति	226
विवरण सभा पटल रखा गया।	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	226
तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
समिति के लिए निर्वाचन	227—228
राज्यभाषा समिति	
कार्य-मन्त्रणा समिति	228—233
बारहवें प्रतिवेदन के सहमति के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	
श्री जार्ज फर्नाण्डीज	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
रबड़ संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	233—234
नियम 377 के अधीन मामले	234—237
(एक) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता।	
श्री शरत चन्द्र पटनायक	234
(दो) बोड्डार जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की आवश्यकता।	
श्री अनन्त वेंकट रेड्डी	234
(तीन) देश में विशेषकर उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर पर नियन्त्रण करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।	
श्री गोपीनाथ गजपति	235
(चार) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पडरौना स्थान पर विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने की आवश्यता।	
श्री राम नगीना मिश्र	235—236
(पांच) चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग का गठन करने के प्रस्ताव को त्याग देने की आवश्यकता	
डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे	236
(छह) उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए समेकित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता।	
श्री राम बदन	236
(सात) बक्सर और भोजपुर जिलों के समुचित विकास के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा और अधिक धनराशि देने आवश्यकता।	
श्री तेज नारायण सिंह	236—237
(आठ) केरल राज्य के किसानों को पट्टा-अधिकार देने के केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री पी० सी० थामस	237

विषय		पृष्ठ
रेल बजट, 1992-93 सामान्य चर्चा		237—777
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प		
अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92		
	श्री काशीराम राणा	238—246
	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	246—251
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	251—268
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	361—364
	श्री बसुदेव आचार्य	365—371
	श्री बी० एस विजयराघवन	371—373
	श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम	374—377

लोक-सभा

बुधवार, 12 मार्च, 1992/22 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जर्मनी के चांसलर की यात्रा

[अनुवाद]

*225. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के चांसलर की चालू वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) वर्ष 1990 का जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चांसलर कोल अक्तूबर, 1992 में भारत की यात्रा पर आएंगे। उनकी यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा करने तथा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका भी मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : माननीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी की सफल जर्मनी की यात्रा के बाद जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत के प्रधान-मन्त्री जी ने, इन दोनों देशों को करीब लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं, माननीय विदेश मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि जर्मनी चांसलर की भारत की यात्रा के बाद हमारी सरकार कौन से विशिष्ट प्रस्ताव उनके समाने रखेगी। उसके बारे में पहले ही कोई प्रस्ताव भेजे गए हैं क्या ? उसकी कोई तैयारी की है।

श्री माधवसिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष जी, जर्मनी के चांसलर जो आ रहे हैं वे प्रधानतः नेहरू अवार्ड पाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब वे यहां आयेंगे तो मौका पाकर इनके साथ बाईलेटरल चर्चाएं भी होंगी और इन्टरनेशनल सिचुएशन के बारे में भी चर्चा होगी। बहुत से विषयों पर चर्चा हो सकती है।

श्री प्रतापराव जी० भोंसले : माननीय अध्यक्ष जी, भारत विकासशील देशों के बारे में आई० एम० एफ०, वर्ल्ड बैंक और यू० एन० सिक्योरिटी कौंसिल के बारे में जो पुनर्रचना करना चाहता है तो उसके बारे में कोई प्रस्ताव रखे जाएंगे । भारत की जो आर्थिक स्थिति है और जो नयी औद्योगिक नीति है, उसके बारे में जर्मनी की तरफ से योगदान करवाने के लिए कोई प्रस्ताव रखें जायेंगे ।

श्री माधवसिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष जी, यह अभी निश्चित नहीं किया गया है कि कौन से एक विषय के बारे में चर्चा होगी । लेकिन अक्सर दो बड़े देश के दो बड़े लीडर्स जब मिलते हैं तो सब विषयों की चर्चा उसमें आ सकती है ।

श्री हरि किशोर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी जब जर्मनी गए थे तो उनकी यात्रा बहुत सफल मानी जा रही है । आज के संदर्भ में जब हिन्दुस्तान पर अमेरिका का आर्थिक दबाव पड़ रहा है तो उस दृष्टि से जर्मनी के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे हैं और उसमें हम जर्मनी से कितनी राहत की अपेक्षा रखते हैं ।

श्री माधवसिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष जी, जर्मनी के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है । लेकिन दोनों जर्मनी एक होने के बाद वह रिश्ता और बढ़ा है ट्रेड और कामर्स के बारे में और खासकर यूरोपियन कम्युनिटी एक हो रही है और इसमें जर्मनी का प्रभाव सबसे ज्यादा है । ऐसे समय पर जर्मनी के साथ हमारा रिश्ता और भी बढ़ता रहे, वह ख्याल रखकर हमारे सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे देश के साथ···

[अनुवाद]

नेताओं के दौरे हो रहे हैं या विचार-विमर्श और वार्ता चल रही है ।

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : मैं जर्मनी और भारत के मध्य हुए समझौते के आर्थिक पहलू के बारे में जानना चाहूंगा । हाल ही में, सदन में उत्तर देते समय माननीय प्रधानमन्त्री जी ने बताया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की 80 प्रतिशत संरचना विदेशी निवेश से होगी । अब मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह संरचना किस प्रकार की जाएगी । दोनों देशों के बीच समझौता—यह भी प्रश्न का भाग ही है । अत: मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो समझौता हम करने जा रहे हैं उसके तहत भारत जर्मनी से किस प्रकार बुनियादी निवेश प्राप्त करेगा ।

[हिन्दी]

श्री माधवसिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष जी, इस समय यह विस्तृत प्रश्न मुनासिब नहीं है इसलिए यह उपस्थित नहीं होना चाहिए । लेकिन भारत और जर्मनी के साथ पिछले सालों में रेपिड स्ट्राइज से बढ़ रहा है । भारत ने जब से नई इकोनोमिक पालिसी को अपनाया है उसका प्रभाव जर्मनी की सरकार, बिजनेस मैन और उद्योगपतियों पर अच्छा पड़ा है ।

[हिन्दी]

जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को सामान आधार पर आर्थिक भागीदार माना है क्योंकि भारत की जनसंख्या 850 मिलियन है । इसमें से 250 मिलियन मध्यवर्गीय व्यक्ति सबसे बड़ा घरेलू बाजार प्रदान करते है ।

[हिन्दी]

आने वाले 10, 20, 30 सालों में भारत और जर्मनी का व्यापारिक रिश्ता भी बढ़ने वाला है। इसमें कई चीजों के अन्दर दोनों देशों के बीच रिश्ता बढ़ सकता है।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, पिछले एक वर्ष से जर्मनी से गड़बड़ी के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि एशियन और अफ्रीका मूल के निवासियों को परेशान किया जा रहा है, यदि परेशान नहीं किया जा रहा है तो नव-नाजी तत्वों द्वारा सुरक्षा की जा रही है। क्या सरकार को भारतीय मूल के निवासियों का ऐसी किसी घटना में हाथ होने का समाचार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी जर्मनी के चांसलर के साथ इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री माधवसिंह सोलंकी : महोदय, जब कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमारा मिशन उन पर ध्यान देता है और स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करता है। यदि ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है तो जब कभी भी चांसलर यहां आते हैं तो हम उनसे विचार-विमर्श करेंगे।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : क्या आपको ऐसी किसी घटना की जानकारी है ?

श्री माधव सिंह सोलंकी : ऐसे समाचार मिले हैं और वहां हमारे मिशन ने उस पर ध्यान दिया है।

श्री तारा सिंह : महोदय, बहुत से भारतीय जर्मनी में बस गए हैं। कई अवसरों पर वे भारत आना चाहते है तो उन्हें वीसा प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या वे चांसलर के भारत दौरे के समय इस समस्या के बारे में विचार-विमर्श करेंगे ताकि वे अनावश्यक कठिनाईयों से बच सकें और लोग भारत बेरोक-टोक आ सकें।

श्री माधवसिंह सोलंकी : जी हां, महोदय।

कच्चे तेल का उत्पादन

*226. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए कच्चे तेल और रसोई गैस के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक कच्चे तेल, पेट्रोल और रसोई गैस के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) सदन पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) 1990-91 के लिए कच्चे तेल और एल० पी० जी० के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 35.09 मी० मी० ट० और 1.959 टी० एम० टी० था और 1991-92 के लिए ये क्रमश: 31.8 मी० मी० ट० और 2.106 टी० एम० टी० था।

(ख) से (ग) वर्ष 1990-91 के लिए एल० पी० जी० के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था। कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। 1991-92 के लिए यद्यपि एल० पी० जी० का लक्ष्य सम्भवत: प्राप्त हो जाए, लेकिन कच्चे तेल के उत्पादन में सम्भवत: कुछ कमी रह जाए। कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के विभिन्न कारण हैं यथा भण्डार सम्बन्धी बाध्यताएं, परियोजनाओं में स्लिपेज, हड़ताल इत्यादि।

(घ) से (ङ) उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आठवीं योजना अवधि के अन्त तक कच्चे तेल का देशी उत्पादन लगभग 47 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपने 1990-91 का लक्ष्य 35.09 मिलियन मीट्रिक टन बताया है, लेकिन 1991-92 में आपने स्वयं ही लक्ष्य घटा दिया, अर्थात 31.8 मिलियन मीट्रिक टन लक्ष्य रख दिया। मेरा निवेदन करना यह है कि आज ही के एक प्रश्न में जो श्री चोक्का राव जी का है उसमें आपने बताया है कि व्यय बराबर बढ़ रहा है खोज के लिए, आपने परियोजनाओं के जो लक्ष्य व्यय के तय किये हैं, इण्डियन आयल लिमिटेड ने जो खर्च किया है वह बताया है 1989-90 में 1378 करोड़ और 1990-91 में 1084.64 करोड़। इस तरह से देखा जाये तो खर्च लगातार हो रहा है और उत्पादन का लक्ष्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसलिए आपने ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। आपने इसके लिए कारण बताएं हैं हड़ताल और सीपेज। जबकि आप लगातार खर्च करते जा रहे हैं और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों हैं?

अध्यक्ष महोदय : लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह सच है कि 1990-91 के लिए कच्चे तेल क उत्पादन का मूल लक्ष्य 35.90 मिलियन मीट्रिक टन था जबकि उत्पादन कम होकर 2.908 मिलियन मी० टन ही हुआ। इसका मुख्य कारण बम्बई हाई के कुछ तेल क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय को अनिवार्य करना है जिसकी आवश्यकता दीर्घावधि की दृष्टि से इन क्षेत्रों की कुल मिलाकर अच्छी स्थिति की अपेक्षा के कारण हुई। इसी तरह जैसाकि उल्लेख किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप से असम में बंद तथा कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। अत: जिन कारणों से उत्पादन में कमी आई है, उन पर तेल कम्पनियों का नियंत्रण नहीं है। 1990-91 और 1991-92 दोनों वर्षों में उत्पादन सम्बन्धी वास्तविक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिससे उत्पादन में 4.255 मिलियन टन की कमी आई, लक्ष्यों में संशोधन किया गया है। महोदय, तेल कम्पनियों के वर्ष दर वर्ष व्यय को वास्तविक उत्पादन से सीधे सम्बन्धित नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि क्यों यह लक्ष्य कम हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का जवाब आ गया है···

श्री दाऊ दयाल जोशी : मान्यवर, उत्तर नहीं आया मेरा निवेदन यह है कि जब वे कह रहे हैं कि दो हजार टन तेल का उत्पादन करते हैं और आपने बताया 47 मीट्रिक टन तो मेरा निवेदन करना यह है कि 2000 तक देश की आवश्यकता कितनी रहेगी और विदेशों से कितना तेल आयात करेंगे, अभी कितना करते हैं ? मैं इस सिलसिले में निवेदन कर रहा हूं कि आप नए स्रोतों का पता नहीं लगा रहे हैं। आपके पास हिन्दुस्तान के एक्सपर्ट श्री के० सी० राय चौधरी, जो पश्चिमी बंगाल के हैं, की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद में गैस है और इसके ऊपर आप विशेष प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जबकि हम अरबों रुपया विदेशों से तेल आयात करने में खर्च कर रहे हैं। आप स्पष्ट करें कि अब तक एक्सपर्ट्स की ओपीनियन से तेल की खोज क्यो नहीं कर रहे हैं ? राजस्थान में तेल की खोज कब तक करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, जहां तक इस प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, कच्चे तेल के केवल 29.68 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित मांग 51.6 मिलियन टन होगी। इसलिए, 21.92 मिलियन टन कच्चे तेल की कमी होगी, जिस आयात करने की आवश्यकता होगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में, अनुमानित मांग 67.7 मिलियन टन होगी···(**व्यवधान**)···अनुमानित उत्पादन 45 मिलियन टन होगा और 22.5 मिलियन टन की कमी होगी। अत: यह सही हैं कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की मांग और आपूर्ति में अन्तर होगा। हम इस अन्तर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह अन्तर बढ़ रहा है। हमारे पास त्वरित तेल की खोज का एक कार्यक्रम है···(**व्यवधान**)···सरकार ने नीलम, एल-तीन, एल-दो, मुक्ता और पन्ना जैसी प्रमुख तेल उत्पादन परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दे दी है और आर-15-ए, रावा और गन्धार परियोजनाओं को स्वीकृति देने वाली है । जब दो या तीन वर्ष में ये परियोजनाएं चालू हो जायेगी तो ये अपने भंडार समाप्त होने तक 190 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन करेंगी। यह विकास योजना तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु मुख्य स्रोत होगी। जहां तक दूसरे क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हमारे पास देश में सभी तेल बेसिनों में खोज करने के लिए नियमित योजना है जो एक चालू प्रक्रिया है।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : क्या मैं यह बात कह सकता हूं कि माननीय सदस्य जो राजस्थान से हैं, वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि राजस्थान में खोज का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। क्या मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां कहीं भी तेल उपलब्ध है हम इसका पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और राजस्थान में भी इसका पता लगाने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है।

श्री एम० कृष्णस्वामी : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने प्रस्ताव दिये हैं और क्या सरकार उन्हें लाइसेंस देने की इच्छुक है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सरकार ने हाल ही में देश में 72 संदर्शी ब्लाकों, 33 तटीय और 39 अपतटीय के लिए बोली के लिए निविदाएं रखीं हैं। बोली की अन्तिम तारीख 15 अप्रैल है और बोली के इस दौर में न केवल सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां ही बल्कि भारतीय निजी क्षेत्र की कम्पनियां तथा विदेशी कम्पनियां भी भाग ले सकती हैं। उत्तर उत्साहवर्धक है। वास्तविक परिणाम की जानकारी बोली के समाप्त होने के अन्तिम दिन के पश्चात मिलेगी। साथ ही सरकार की वर्तमान नीति, जैसाकि बजट प्रस्तावों में बल दिया गया है, भारतीय निजी क्षेत्र तथा विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज शोधन और तेल क्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों में भाग लेने की अनुमति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा और निवेश स्रोतों का दोहन करना है जो तेल क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बंगाल बेसिन में खोज गतिविधियों को बंद कर दिया गया है यद्यपि इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन है कि बंगाल बेसिन में तेल के पर्याप्त भंडार है। हाल ही में, श्री के० सी० राम चौधरी ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसका संदर्भ श्री जोशी ने भी दिया था। इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश में तेल का पर्याप्त भंडार है और यदि बंगाल और गुजरात बेसिन में तेल की खोज करें तो हमें भविष्य में, तेल आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार बंगाल बेसिन में खोज कार्य प्रारम्भ कर रही है क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि स्वयं कलकत्ता शहर के नीचे काफी तेल है।

श्री वी० शंकरानन्द : महोदय, इस विषय पर इस सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय संसद सदस्य पहली बार इस प्रश्न को नहीं उठा रहे हैं। उसने कई बार इसे उठाया है और प्रत्येक अवसर पर हमने उत्तर दिया है। महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमें तेल की आवश्यकता नहीं है? हमें तेल की आवश्यकता है। हम खोज करने के इच्छुक हैं और यदि बंगाल से हमें तेल प्राप्त होता है, तो हम इसका पता लगाने के लिए सब कुछ करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : मंत्री महोदय ने हमें तेल की कमी के कुछ कारण बताए हैं, जिनका भंडागार अड़चनें और परियोजनाओं में चूके हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार, यदि तेल की वर्तमान कीमत 20 डालर प्रतिटन मानी जाए तो देश को लगभग 200 मिलियन डालर का घाटा हुआ है। इसलिए, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि वे भंडागार अड़चने क्या हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है और ऐसी परियोजनायें कौन सी है जिनमें चूके हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप देश को 200 मिलियन डालर का घाटा हुआ है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : संगत अवधि में, मुम्बई हाई में कुछ तेल क्षेत्र उच्च गैस-तेल अनुपात और वृद्धि जल कटाव का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त दास गुप्त समिति ने उन कुओं से उत्पादन दर और उपयुक्त कुएं प्रबन्धन से सम्बन्धित मापदण्ड की जांच की थी और इसने अनेक सिफारिशें की थी समस्या यह है कि अनेक मत है। कुछ कहते हैं कि कुओं का विगत में अत्यधिक दोहन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन हुआ और भविष्य के लिए कुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुछ कहते हैं कि विगत में जो कुछ किया गया था, वह सही था। यह एक तकनीकी मामला है और दास गुप्ता समिति ने इसकी जांच की है। लेकिन सत्य यह है कि यदि आप कुओं को दीर्घ अवधि तक रखना चाहते हैं तो आपके द्वारा कतिपय सुधारात्मक उपायों के किए जाने की आवश्यकता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ऐसे सुधारात्मक उपायों की प्रक्रिया में लगा हुआ है लेकिन इसके

परिणामस्वरूप दो या तीन वर्ष की अन्तरिम अवधि में उत्पादन में घाटा होगा जिसको टाला नहीं जा सकता।

जहां तक प्रयोजनाओं में गलतियों का सम्बन्ध है हम यह उल्लेख कर सकते हैं रावा क्षेत्र को समय पर मंजूरी नहीं दी जा सकी। स्पष्टतया विदेशी मुद्रा और संसाधनों की कमी के कारण विलम्ब हुआ था। और उसके कारण उस क्षेत्र के उत्पादन को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था। इसलिए उत्पादन के घाटे के लिए वैध परिस्थितियां हैं जिन पर सरकार का उस समय कोई नियन्त्रण नहीं था।

मृदु जल में झींगा मछली पालन

*227. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मृदु जल में झींगा मछली पालन की सम्भावना क्या है;

(ख) क्या देश में किसी स्थान पर मृदु जल में झींगा मछली का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका वाणिज्यिक उत्पादन कौन-कौन से क्षेत्रों में किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) तटवर्ती राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में ताजे जल में झींगा पालन के विकास की क्षमता अच्छी है। बहरहाल, पर्याप्त मात्रा में बीज की अनुपलब्धता के कारण संगठित ढंग से वाणिज्यिक उत्पादन में अभी तेजी नहीं आई है। उपर्युक्त राज्यों में अभी डिम्ब मुख्यतः नदी के मुहानों से एकत्र किया जाता है। डिम्ब की सप्लाई में वृद्धि करने और डिम्ब उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने की दृष्टि से सरकार द्विपक्षीय सहायता से पश्चिम बंगाल में ताजे जल में झींगा की एक बड़ी हैचरी स्थापित कर रही है। निजी क्षेत्र में ताजे जल में झींगा के उत्पादन के लिए कुछ निजी हैचरियों की भी स्थापना की जा रही है। पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त शिम्प और मत्स्यपालन परियोजना में ताजे जल में झींगा की एक फसल के उत्पादन पर विचार किया गया है।

श्री भाग्ये गोवर्धन : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि ताजे जल में झींगा मछली पालन में अभी गति आनी है परन्तु मैंने ताजे जल में झींगा मछली पालन की सम्भावना के सम्बन्ध में अथवा दूसरे शब्दों में लवणहीन जल में झींगा मछली पालन की सम्भावना के बारे में प्रश्न पूछा था। मुझे लवण युक्त जल में झींगा मछली पालन के सम्बन्ध में उत्तर मिला है। फिर भी, मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या अन्य राज्यों में जहां पर विस्तृत जल साधन उपलब्ध हैं, ताजे जल में झींगा मछली पालन की सम्भावना है अथवा नहीं ? और देश में झींगा मछली पालन के लिए कुल कितने क्षेत्र में जल का फैलाव है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, मेरे साथी ने प्रश्न का बिलकुल सही उत्तर दिया है। मुझे विश्वास है कि तटवर्ती राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में ताजे जल में झींगा मछली पालन की अच्छी सम्भावना है। बात यह है कि हमें कहीं न कहीं से शुरूआत करनी ही

होगी । यदि हम शुरूआत नहीं करते हैं तो तब अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे । हमें प्राथमिक स्तर से शुरूआत करनी होगी । हमारी मुख्य समस्या डिम्ब की उपलब्धता हैं । वे नदी के मुहानों पर उपलब्ध हैं तथा वहां से वे हैचरी द्वारा लाया जाता है और उत्पादन किया जाता है ।

जैसाकि मेरे साथी ने बताया है, हम मछली पालन परियोजना पर निवेश करेंगे तथा हमें अन्य स्रोतों से भी सहायता मिलेगी । अत: ऐसा नहीं है कि इस परियोजना का अच्छा भविष्य नहीं है । हमारा मछली उत्पादन जोकि वर्ष 1951 में 7.52 लाख टन था वह अब बढ़कर 38 मिलियन टन हो गया है । यह काफी अच्छी स्थिति है । हमारा आगे का लक्ष्य यह है कि हम मछली का उत्पादन 9 मिलियन टन और बढ़ाएं ।

श्री भाग्ये गोवर्धन : माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि इस प्रश्न का लवणयुक्त पानी में मछली पालन के सम्बन्ध में उत्तर देने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । दूसरा पूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मुझे एक बात कहनी है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि झींगा मछली पालन के तीन पहलू हैं । प्रथमत: देश में उपलब्ध पानी के विस्तृत क्षेत्र का पूर्ण उपयोग किया जाए । दूसरा पहलू स्वरोजगार का है तथा तीसरे प्रोटीन की कम दर पर आपूर्ति की जाए ।

इन्होंने हैचरी तथा डिम्ब के उत्पादन के बारे में कुछ बातें कहीं हैं । मैं अपना पूरक प्रश्न डिम्ब के उत्पादन तक ही सीमित रखना चाहता हूं । महोदय, डिम्ब उत्पादन के भी तीन पहलू हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आपको जानकारी नहीं देनी है अपितु आपको जानकारी लेने के लिए कहना है ।

श्री भाग्ये गोवर्धन : ठीक है महोदय । यदि आप अनुमति नहीं देते हैं तो मैं अपना पूरक प्रश्न ही पूछूंगा ।

क्या मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या झींगा मछली, उसके डिम्ब अथवा उनके लार्वी को दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में झींगा मछली पालन के लिए ढुलाई हेतु तथा उनका बेमौसमी उपयोग तथा डिम्बों के दीर्घकालीन संरक्षण तथा कोई क्रिया संरक्षण प्रणाली तैयारी की जा रही है ? यदि नहीं तो क्या इस पहलू की ओर गहराई से विचार किया जायेगा तथा सरकार द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही है । इन्होंने ठीक समय पर यथोचित बात कही है । यह प्राथमिक आवश्यकता है तथा हम इसी पर कार्य कर रहे हैं जिसके कारण डिंब का हस्तांतरण अनिवार्य हो जाता है । यह अत्यधिक जटिल समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर काफी आशानुरूप हैं ।

श्री बलराम जाखड़ : यह सही है । हम इसे करेंगे ।

श्री मुमताज अन्सारी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या बिहार में जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है । झींगा मछली की हैचरी का विकास करने का कोई प्रस्ताव है । यह राज्य भी झींगा मछली के विकास का इच्छुक है ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस समय सरकार के पास बिहार राज्य में झींगा मछली के विकास हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल मांसाहारी सदस्यों को ही प्रश्न पूछने दिया जायेगा ।

श्री श्रीकांत जेना : यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार ताजे जल में झींगा मछली पालन हेतु प्रयास करने जा रही है ।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार द्वारा लवण युक्त जल में झींगा मछली पालन तथा मीठे जल में झींगा मछली पालन परियोजना के प्रस्तावों को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है अथवा नहीं, और नहीं तो क्या भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति देना सम्भव हो सकेगा अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उड़ीसा तक सीमित है । यदि आपके पास सूचना है तो आप उसे अब दे सकते हैं ।

श्री श्रीकांत जेना : केवल उड़ीसा में ही बेहतर झींगा मछली उपलब्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मुख्य प्रश्न सारे देश से सम्बन्धित है ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ था तथा हमारे मन्त्रालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री अन्वारासु इरा : मैं समझता हूं कि हाल ही में तूतीकोरिण तथा मद्रास के पास उप-शहरी क्षेत्र गुम्मडीपुन्डी में झींगा मछली पालन की संभावना हेतु एक सर्वेक्षण किया गया है ।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आपको जानकारी देना निषिद्ध है । आपको प्रश्न पूछने की अनुमति है । कृपया प्रश्न पर आइए ।

श्री अन्वारासु इरा : अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तूतीकोरिण और गुम्मडिपुन्डी के निकट समुद्र के आसपास काफी एकड़ क्षेत्र है, अतः क्या मंत्रालय के पास उन क्षेत्रों में झींगा मछली पालन हेतु कोई परियोजना अथवा प्रस्ताव है ?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, फिलहाल तूतीकोरिण में हैचरी खोलने का हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग अवश्य ही उसकी जांच करेंगे तथा मंत्रालय द्वारा संभावित कदम उठाए जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या—228 ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय मैं एक संशोधन करना चाहता हूं । उड़ीसा सरकार ने हमें जो प्रस्ताव भेजा था उस परियोजना को हम अभी-अभी ही स्वीकृति प्रदान की है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा । आपको आशानुरूप उत्तर मिल गया है ।

नारियल विकास बोर्ड

* 228. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ख) केरल में नारियल बागान के विकास हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में नारियल विकास बोर्ड के विकास कार्यक्रम और उपलब्धियां, इस प्रकार रहीं :

(1) क्षेत्र विस्तार	—2640 हैक्टेयर
(2) डी × डी कलमों का उत्पादन और वितरण	—1.41 लाख
(3) डी × टी संकर किस्म के लिए बीज उद्यानों की स्थापना	—200 हैक्टेयर
(4) उत्पादकता सुधार योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की कवरेज	—30,000 हैक्टेयर
(5) सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता—	
(1) पंपसेटों की संख्या	—2176
(2) ड्रिप सिंचाई यूनिटों की संख्या	—47
पिछले तीन वर्षों में केरल में नारियल विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड द्वारा किया गया खर्च	—115.25 लाख रुपए

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में नारियल विकास के लिए अनन्तिम तौर पर 350 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्र होंगे—

(1) अधिक उत्पादकता;

(2) रोगग्रस्त नारियल जोतों को फिर से ठीक करना;

(3) समेकित कृमि व रोग नियन्त्रण;

(4) अच्छी क्वालिटी की संकर कलमों का अधिक उत्पादन;

(5) प्रदर्शन एवं बीज फसलों की स्थापना;

(6) मूल्य वर्धित नारियल उत्पादों का उत्पादन और विपणन; और

(7) नारियल टेकनोलॉजी विकास केन्द्र की स्थापना।

श्री थाइल जान अंजलोस : नारियल केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। नारियल के मूल्य में हाल ही में हुई गिरावट से इसके उत्पादक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने नारियल के मूल्य में हुई इस गिरावट का हल निकालने के लिए कोई कार्यक्रम अथवा परियोजना तैयार की है?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : निःसंदेह रूप से मन्त्रालय को इसकी जानकारी है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नारियल की गिरी का मूल्य जो जनवरी 1991 में 2350 रु० था, वह नवम्बर 1991 में बढ़कर 3390 रु० हो गया। तथापि, जनवरी 1992 में नारियल की गिरी के मूल्य में गिरावट आने

से यह 3300 रु० हो गया। लेकिन फरवरी 1992 में इसके मूल्यों में पुनः वृद्धि हुई और यह 3090 रु० हो गया। लेकिन यदि फरवरी 1992 के मूल्यों को फरवरी 1991 के मूल्य से तुलना करें तो यह पता चलेगा कि इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है। जैसा भी हो मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंता का समर्थन करता हूं और मेरा मंत्रालय राज्य सरकार को सतर्क करने के लिए हर कदम उठायेगा ताकि देश भर के नारियल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

श्री थाइल जान अंजलोज : केरल में नारियल की खेती को जड़ों के शिथिल होने और अन्य बीमारियों के गम्भीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई परियोजना तैयार की है ?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : निःसंदेह रूप से जड़ों को शिथिल करने वाली बीमारी ने केरल में नारियल की खेती को प्रभावित किया है और मंत्रालय द्वारा इस बीमारी को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) पौध लगाने की अवस्था से पूर्व सभी रोगग्रस्त पौधों को बीमारी की बढ़ती स्थिति में शाखा सहित हटाना;

(2) अधिक उपज देने वाली आनुवंशिक रूप पौधों को पुनः लगाना;

(3) संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना और बेसिन में पत्ती की खाद का प्रयोग करना;

(4) गर्मी के दौरान पौधों को पानी देना और समुचित जल निकासी व्यवस्था द्वारा पानी को एकत्र न होने देना; और

(5) जैविक सामग्री के पुनः आवर्तन सहित अन्त-फसलों की हेर-फेर करके खेती करना अथवा मिश्रित कृषि करना।

रोगग्रस्त पेड़ को बीमारियों से बचाने के लिए हम 75 रु० प्रति पेड़ प्रदान करते हैं और यह राशि अब बढ़ाकर 100 रु० प्रति पेड़ कर दी है।

श्री कोड़ीकुन्नील सुरेश : केरल में लाखों नारियल के पेड़ विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित हैं और उनका कोई प्रयोग नहीं है ऐसी स्थिति में नारियल कृषकों की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपने धन की हानि हो रही है। क्या यह वक्त है कि भारत सरकार नारियल कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक मिनट रुकिए।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : हम प्रति हैक्टेयर 3000 रुपए दे रहे हैं वह विभिन्न अवस्थाओं में दिया जाता है—प्रति वर्ष पुनः पौध लगाने के लिए 1000 रु० दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, केरल में नारियल की खेती की जो चर्चा हो रही है, क्या मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी इसकी खेती की कुछ योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है ? केरल की भूमि पर जो नारियल की खेती में रोग लगते हैं, हो सकता है उत्तर प्रदेश और

बिहार की भूमि पर उस रोग की प्रतिरोध की शक्ति हो। इसलिए वहां भी सरकार नारियल की खेती के विकास के लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : इसके लिए आपको क्लाईमेट के चेंज के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

*229, **श्री अरविंद नेताम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरों में संशोधन किए गए थे;

(ख) इन संशोधित दरों के कार्यान्वयन के समय मूल्य सूचकांक कितना था और इस समय मूल्य सूचकांक कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के शुरू में वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : (क) दरें पिछली अक्तूबर, 1989 में संशोधित की गई और 1-7-1989 से लागू की गई।

(ख) 1989-90 के दौरान सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों का सूचकांक 165.7 था (आधार वर्ष 1981-82=100) दिसम्बर 1991 के दौरान वर्तमान मूल्य सूचकांक 211.3 है (आधार वर्ष 1981-82=100)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष जी, अगर आप मूल उत्तर को देखें तो पता लगेगा कि सरकार फैसला बाद में करती है और किसी भी कार्यक्रम को इम्पलीमेंट पहले करती है। इसमें लिखा है कि "दरें पिछली अक्तूबर, 1989 में संशोधित की गई और 1-7-89 से लागू की गई" यानी कि अक्तूबर में फैसला हुआ और जुलाई में इम्पलीमेंट हुआ। इसके अलावा मंत्री जी ने प्राइस इंडेक्स को मापदंड मानने से इंकार किया है। आज छात्रों और बच्चों को जो स्कालरशिप मिलता है, उससे उन्हें कठिनाई होती है। प्राइस इंडेक्स को मापदंड मानने में आखिर दिक्कत क्या है और संशोधित स्कालरशिप निर्धारण करने का मापदंड क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, यह ठीक है कि मूल्य सूचकांक के आधार पर इसका मापदंड नहीं होता है और न ही हुआ है। एक 1987 में अफसर कमेटी बनी थी। उसने निर्णय दिया था कि 400 रुपये छात्रवृत्ति दी जाए और दिन में जो लड़के पढ़ने के लिए जायें उन्हें 150 रुपए दिए जायें। तदानुसार हमारे विभाग में 1989 में प्लानिंग कमीशन और वित्त मंत्रालय के पास उसको

भेजा, मगर उन्होंने 280 और 125 रुपए का प्रबन्ध किया है। यह ठीक है कि आज की कीमतें उसका आधार हों, चाहे और जगह उसको आधार मानें या नहीं मगर अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए आधार मानें। यह बात उचित है कि उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाये। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने योजना आयोग को 400 और डेढ़ सौ रुपए का प्रस्ताव भेजा था···(व्यवधान)···जहां तक मूल्य सूचकांक का प्रश्न है, उसको आधार नहीं माना गया, यह बात ठीक है, मगर उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि होनी चाहिए, यह विभाग मानता हूं और मैं कहता हूं कि···(व्यवधान)···

श्री श्रीकान्त जैना : प्लानिंग कमीशन मानेगा या नहीं ?

श्री सीताराम केसरी : आप मेरी प्रार्थना पहले सुन लीजिए और जो उचित हो, वह कहिए··· (व्यवधान)···ऐसे में उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि मैंने इसे योजना आयोग के पास भेजा है। अब चूंकि आर्थिक संकट की बात कही जाती है और यह है भी, मगर मैं नहीं चाहता कि इस आर्थिक संकट की बात शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हित के बीच में आये। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने छात्रवृत्ति देने के लिए आय की सीमा रखी है। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आज तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी आयकर सीमा के अंदर आते हैं और इससे उनके बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। क्या आप उस सीमा को बढ़ायेंगे ? अगर बढ़ायेंगे तो कब तक बढ़ायेंगे ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, इनका सुझाव रचनात्मक है और मैं इस पर विचार करूंगा। चूंकि यह उनके हित में है और माननीय सदस्य ठीक प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इस पर विचार करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री महतो।

श्री बीरसिंह महतो : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया केवल पिछड़े वर्गों के बारे में ही प्रश्न मत पूछिए। बल्कि पिछली पंक्ति में बैठे सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह परिवर्तन वाली पंक्ति है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न को दोहराइए।

श्री बीरसिंह महतो : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रि-मैट्रिक और मेट्रिकोत्तर छात्रों के छात्रावास शुल्कों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री सीताराम केसरी : जहां तक मैट्रिकोत्तर का मामला है मैं आश्वासन देता हूं कि छात्रवृत्ति को बढ़ाने के मामले पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यो जो स्कालरशिप की योजना की गई शुरू थी, यह

शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 1943 में और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1947 में शुरू की गई और इसका फर्स्ट रिवीजन 1974 में हुआ। दूसरा रिवीजन 1980 में किया गया और तीसरा रिवीजन 1989 में किया गया और आप इसमें देखेंगे तो 5 कैटेगरीज इसमें हैं और जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जो आई०ए० की है, टैन प्लस टू प्लस टू की है, उसकी स्कालरशिप 50 रुपए से लेकर 65 रुपए तक है और आज के इस महंगाई के जमाने में इस 50 रुपए से क्या हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं इस सम्बन्ध में सदन को आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध में छात्रवृत्ति की रकम बढ़ाई जायेगी, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय ने स्वयं अपने कल्याण मन्त्रालय के बजट को नहीं देखा है। यदि आप अपने कल्याण मन्त्रालय के बजट को देखें···

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, ऐसे नहीं।

श्री राम विलास पासवान : बजट का यह डाक्यूमैंट मेरे पास है। मैं पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि कल्याण मंत्रालय ने अपने बजट में होस्टल और स्कालरशिप की रकम को घटाने का काम किया है और पेज नं० 200 पर···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं।

श्री राम विलास पासवान : क्या यह सही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए होस्टल का जो फण्ड था, जो 8 करोड़ था, उसे 8 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ किया गया है और जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स का 4 करोड़ रखा गया था, उसे घटाकर ढाई करोड़ रुपया किया गया है? क्या यह सही है कि नहीं? और यदि सही है तो कैसे आप स्कालरशिप की रकम को बढ़ाने का काम करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : बजट कम हुआ है, कैसे स्कालरशिप देने जा रहे हैं?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, हमारा प्रस्ताव योजना विभाग में गया है···(व्यवधान)···आपको मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। जब मैंने कहा है कि बढ़ोत्तरी के लिए मैं सोचूंगा और उसकी ओर बढ़ूंगा तो यह मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने यह प्रश्न है कि जब मैंने हाउस को आश्वस्त किया है, एश्योर किया है तो आगे मैं प्रयत्न करके···

श्री राम विलास पासवान : आपने तो हाउस को आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक बैकलॉग पूरा कर देंगे। आपके आश्वासन की क्या वैल्यू है?

श्री सीताराम केसरी : आपसे मैं कह रहा हूं कि 31 मार्च तक···(व्यवधान)···देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि 31 मार्च तक अगर वह नहीं होगा, जैसी मैंने हाउस में बात कही है···(व्यवधान)··· मेरी बात सुन लीजिए। मैं उस दिशा में निश्चित रूप से कदम बढ़ाऊंगा, आप जानिए। आप इसकी बात मत कीजिए और एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूं, राम विलास जी, मेरा पोलिटिकल इश्यू नहीं है, मेरा कमिटमैंट है और मैं इसे पूरा करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : आपके सामने आपके मिनिस्टर ने कहा है, हमारे क्वश्चन के उत्तर में।

श्री सीताराम केसरी : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं···(व्यवधान)···मैं जवाब देता हूं, सुनिए। इनकी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि कामयाबी होगी।

श्री राम विलास पासवान : बजट में इन्होंने रकम घटाई है और यह बढ़ोतरी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, बार-बार आप यह कहते हैं, आपकी यह बात ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

कुमारी क्रिडा तोपनो : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए विशेषकर दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे नगरों में प्रशासकीय/बैंक और अन्य केन्द्रीय सरकार सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रावधान सहित सरकार का केन्द्र द्वारा प्रायोजित छात्रावास आवास योजना बनाने का विचार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं भी···

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, क्वैश्चन आवर में साठ मिनट होते हैं और इस सदन के अन्दर 542 सदस्य हैं। जिन लोगों ने कल पूछा है, वे आज न पूछें। यदि आप पूछा है, तो कल न पूछें। सभी लोगों को टाइम नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार से कहना बेकार की बात है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

·· (व्यवधान)···

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, 542 में से मैं भी एक हूं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कह रहा हूं। आगे बैठने वाले लोगों को पीछे बैठने वाले लोगों को पूछने देना चाहिए।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-231, कुमारी उमा भारती।

जैव खाद और उर्वरक

\+

*231. **कुमारी उमा भारती** :

श्री गुमान मल लोढा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायनिक उर्वरकों पर जैव खादों की प्रधानता तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए कोई लागत लाभ अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। कार्बनिक खादों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, परन्तु वे अपने उच्च खाद मिट्टी तत्व के कारण निश्चित रूप से मृदा के भौतिक रासायनिक तथा सूक्ष्मजैविक स्थिति सुधारती हैं। अतः उनकी भूमिका प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपितु वे रासायनिक उर्वरकों के पूरक हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि आपके माध्यम से मेरा आग्रह था कि हिन्दी जानने वाले कृषि मन्त्री महोदय के द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर मिलता तो मेरे लिए ज्यादा सुविधा होती।

अध्यक्ष महोदय : ईयर-फोन से सुनिए, हिन्दी का अनुवाद हो रहा है।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले सप्लीमेंट्री प्रश्न का भाग "क" यह है हमारी कृषि योग्य भूमि के लिए हमें कुल कितनी खाद की जरूरत पड़ती है? भाग "ख"—उसमें कितना उत्पादन भारत में और कितना विदेशों से आयात हमें करना पड़ता है और भाग "ग"—यह आयात हमें किन-किन देशों से करना पड़ता है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने आर्गेनिक खाद के बारे में सवाल पूछा है, उसके आंकड़े मैं आपको दे देता हूं, मेरे पास हैं। कितना बाहर से मंगाते हैं, कितनी यहां पैदा होती है। आपने जो उर्वरक के बारे में पूछा है, तो हमारे यहां अपनी देशी खाद होती है।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर को इतना घुमा दिया, इस लिए मैंने दूसरा सवाल पूछा। मुझे लगा कि आप लोग लोग इतने हैल्पलैस हो गए हैं मेरे पहले सवाल से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरा सवाल किए देती हूं···**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, आंकड़े देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो गोबर के भी आंकड़े हैं।···**(व्यवधान)**···गोबर के आंकड़े हैं, कितना उपयोग होता है। ये मैं आपको दे देता हूं, हमारे पास आंकड़े हैं। आप कहते हैं कि तैयारी नहीं की, यह देखिए। मैं आपको आंकड़े देता हूं, हमारे भैंसें 402 लाख है, आम पशु 1326 लाख है और दूसरा यंग-स्टाक 345 लाख है। यह सारा कुल मिलाकर 2074 लाख हुआ। इनका सारा मिलाकर 8,305 लाख टन खाद पैदा होती है। इसको हम उपयोग में लाते हैं। **(व्यवधान)**

कुमारी उमाभारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहती हूं, मैंने यह सवाल ही नहीं किया।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर आने तक आप बैठ जाइए। बाद में प्रश्न कीजिएगा।

कुमारी उमाभारती : ठीक है, अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

श्री बलराम जाखड़ : आपने जो देशी खाद की बात की है तो देशी खाद के आंकड़े भी मौजूद हैं।

उसका कितना प्रतिशत हम मंगवाते हैं। उसके हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आपको भेज देता हूं।

(व्यवधान)

कुमारीउमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भाग "क" यह है, आज अमरीका के कृषि वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि कृत्रिम खादों से कृषि की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे अब सोचने लगे हैं कि अब हमें कृत्रिम खाद की जगह जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। इस दुष्टि से अमरीका के तुलनात्मक भारत, क्योंकि अमरीका के सात प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो भारत के 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और यह निर्भरता हम बहुत जल्दी नेहरू माडल या डून स्कूल के हिसाब से जल्दी नहीं समाप्त कर पायेंगे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से नहीं।

(व्यवधान)

कुमारी उमाभारती : अध्यक्ष जी, मैं अपना सवाल दूसरे तरीके से पूछ लेती हूं। इतना सा जिक्र कर देने से इनकी बहुत तकलीफ हो गई, कोई बात नहीं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं, भारत में जहां 70 प्रतिशत लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं, वहां यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश की कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत लम्बे समय तक बनी रहे। जो बात आज अमरीका के लोग सोच रहे है, क्या भारत में भी इसके बारे में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कोई सर्वेक्षण हुआ है? क्या भारत की कृषि योग्य भूमि की कृत्रिम खाद का प्रयोग करने के कारण उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है और इस सम्बन्ध में मेरे सवाल का भाग ख यह है, देखिए अध्यक्ष जी, आपने राम विलास जी को बहुत समय दिया था इसलिए मुझे भी थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि मैं भी अपना सवाल खुलकर कर सकूं तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर हम यह मानते है कि हमारी कृषि योग्य भूमि के ऊपर कृत्रिम खाद से उसकी उत्पादन क्षमता के ऊपर उर्वरा शक्ति के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो क्या पूरे भारतवर्ष में कृषि मन्त्री महोदय या केन्द्र की सरकार यह निश्चित करेगी या यह घोषणा करेगी कि अधिक से अधिक जैव खाद का उत्पादन हो सके, इसलिए गौ वंश हत्या के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। क्या इसके बारे में कृषि मन्त्री महोदय विचार करेंगे कि इस देश में गौ वंश हत्या पूरी तरह बन्द कर दी जाए।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है वह विचारणीय है। दोनों बातें करनी पड़ती हैं और दोनों हाथों से ताली बजती है। देखिए, साढ़े 86 करोड़ लोगों को भोजन भी देना है और खिला देना है तो उत्पादन भी करता पड़ेगा और उत्पादन तब होगा जब हमारी कृषि में बढ़ोत्तरी होगी, दोनों बातें करनी पड़ती हैं। आज तक तो हम वही करते रहे हैं, देसी खाद का हम इस्तेमाल करते रहे हैं और हमेशा से करते रहे, लेकिन जब बढ़ोत्तरी हुई तो अनाज की आवश्यकता पड़ी तो हमने कृत्रिम खाद का भी सहारा लिया, उस सहारे को इस सहारे से जोड़ना है। (व्यवधान) देखिए, अगर भूमि के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो यह भी बहुत आवश्यक है, हम हरेक चीज इस तरीके से नहीं करते, आपने सुना होगा कि आज भारत में तो हम पर हेक्टेयर 66.9 किलो खाद इस्तेमाल करते हैं और चीन में 264 है, पाकिस्तान में 90 है, जापान में 417 है और इसी तरीके से यू० के० में 350 है, इजीप्ट में 1004 है, हम उनके मुकाबले बिल्कुल नगण्य हैं लेकिन फिर भी हमने जो तरीका अख्तियार किया है वह लोगों को यह बताने का है कि खेती की उपज और उसकी शक्ति को पूरा रखने के लिए यह आवश्यक है

कि हम वह खाद भी इस्तेमाल करें जो हमारे पशु हमें देते हैं और साथ में नेचुरल तरीके से बायो फर्टीलाइजर की बात करते हैं, उसके लिए अनुसंधान के क्षेत्र में हमने चीजें बनाई और ऐसे अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं जहां से हम तीन सौ टन के करीब ये पैदा करते हैं, वह भी हम करना चाहते हैं क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और उसके बगैर काम नहीं चलता है। अगर आज हम कृत्रिम खाद छोड़ दे तो हम भूखे मर सकते हैं वे काम हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों कामों को बराबर करके सन्तुलित तरीके से खेती करेंगे जिससे कि हमारी उर्वरक शक्ति भी बनी रहे और अन्न का उत्पादन भी पूरा हो। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : आप गो हत्या पर प्रतिबन्ध लगवाएंगे, इसका तो आपने जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान) मेरे सवाल का जवाब तो आने दीजिए। इस पर आप प्रतिबन्ध लगवाएंगे क्योंकि आपकी सरकार और आपकी पार्टी साम्प्रदायिक चश्मे से देश की हर समस्या को देखती है। (व्यवधान) क्या गो हत्या पर आप प्रतिबन्ध लगवाएंगे, इसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर 1200 करोड़ रुपए केमिकल फर्टिलाइजर के इम्पोर्ट के लिए 1991-92 में प्रावधान किया गया और इसी प्रकार से सबसिडी का छः हजार करोड़ रुपए दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किलो गाय के गोबर से 30 किलो खाद 15 पैसे प्रति किलो बनती है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रियेन्ट, एन०, पी 2 ओ 5, के 2 ओ होते हैं जब कि एक टन केमिकल फर्टिलाइजर 2300/- कीमत आती हैं। अतः मैं कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे गाय या बैल से जो गोबर मिलता है जिससे 120 टन खाद बन सकेगा, इस हेतु वह भारत के अन्दर पूर्ण रूप से केवल प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे यहां पर लगातार कम होते जा रहे हैं, 1951 में एक हजार की जनसंख्या पर 430 थीं वह आज हमारे यहां पर 271 हो गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता का नियम है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं शार्ट में पूछ लेता हूं। मेरे प्रश्न का ग भाग यह है कि क्या यह जानते हुए कि अर्जेनटाइना में एक हजार पर 2089 कैटल और आस्ट्रेलिया में एक हजार जनसंख्या पर 1,365 कैटल और कोलम्बिया में 919 कैटल। और ब्राजील में 726 थे। कृषि मन्त्री जी, हमारे यहां पर जो फर्टिलाइजर फ्री मिलता है, जो हमारी गाय, भैंस, बैल हैं इनके द्वारा जो चलती-फिरती फर्टिलाइजर फैक्ट्रिस हैं।

क्या इनका उपयोग करने के लिए इनको पूर्णतः प्रोटेक्शन देने का प्रयास करेंगे ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि समस्त वैज्ञानिकों ने कहा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी लिखा हुआ है कि केमीकल फर्टीलाइजर्स के इस्तेमाल से नुक्सान होता है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जरूरत नहीं है, यह तो स्टेबलिश फैक्ट है।

श्री गुमान मल लोढा : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हार्ट स्पेशलिस्ट्स कान्फ्रेंस में डाक्टरों ने बताया था कि केमीकल फर्टीलाइजर द्वारा ऐसा पायजन पैदा होता है, जिससे हार्ट पेशेंट बढ़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या आप केमीकल फर्टीलाइजर के स्थान पर गोबर की खाद के इस्तेमाल को प्राथमिकता देंगे। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब सवाल से ही है। माननीय सदस्य न्यायाधीश रहे हैं, अगर मैं कोई ऐसा काम करूं, जिससे लोग भूखे मरने लगें तो आप क्या इसको न्याय कहेंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, मुझे सारे भारत को खुराक देनी है।

[अनुवाद]

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस क्षेत्र में कार्यरत एक जापानी संस्था से अवगत है—उन्होंने भारत में अपना कार्यालय भी खोल दिया है—जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा आरगेनिक और प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग से अधिक पैदावार की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इन कतिपय वैज्ञानिक विवरणों के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। ये सही तथ्य हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष ने इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या विचार है ? क्या वे इस संस्था से परामर्श करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम किसी अन्य मामले पर चर्चा करेंगे। इन सुस्थापित तथ्यों के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जानवरों से सीधे खाद प्राप्त करने का जो मामला है, इस बारे में गोहत्या पर पाबन्दी लगाने का सवाल हमेशा उठाया जाता है। मैं समझता हूं कि गोहत्या बन्द हो लेकिन सुअर जो है वह सीधे खाद देता है, यह साइंटिफिक बात है, सुअर का मल डायरेक्ट खाद का काम करता है। इसलिए मैं कृषि मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुअर का जो कत्लेआम है, क्या इसको कुछ दिन के लिए बन्द करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं यादव जी से इस मसले पर सलाह कर लूंगा।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता से बता रहा हूं, माओत्सेतुंग ने भी इस बात को माना है कि सुअर सीधे खाद की फैक्ट्री है। चीन में सबसे ज्यादा यदि किसी जानवर को प्रोटेक्ट किया जाता है तो वह सुअर है। सुअर का गोश्त और मल, दोनों सीधे खाद का काम करते हैं। क्या इसके प्रोटेक्शन और विकास के लिए काम किया जाएगा ?

श्री बलराम जाखड़ : इससे बड़ी गम्भीरता और क्या हो सकती है, मैंने कहा है कि मैं यादव साहब की राय से सारा काम करने के लिए तैयार हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमारे देश की नीति तो यह है कि किसी भी प्राणी की अनावश्यक हत्या नहीं करते हैं।

श्री अय्यूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं बताना चाहता हूं कि मुल्क की बढ़ती हुई जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए सन् 2000 तक 50 मिलियन टन अनाज की हमारे देश में जरूरत पड़ेगी। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें ज्यादा खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमीन के मुताबिक खाद प्राप्ति के लिए क्या आपके पास कोई उपकरण है या इस तरह के साधन हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में खाद का इस्तेमाल हो सके। किस प्रांत मे किस जमीन के लिए कितनी खाद की आवश्यकता होगी, क्या इस बारे में कोई सर्वे करवाया गया है ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे मित्र हैं। पहले तो मैं इनको बता दूं कि सन 2000 तक 50 मिलियन नहीं 200 मिलियन हमें चाहिए। उसके लिए सारे प्रबन्ध करके रखेंगे कितना सन्तुलन होगा, कितनी खाद चाहिए, किस प्रकार चाहिए, कितना आर्गेनिक चाहिए, कितना बायो-फर्टीलाइजर चाहिए, कितना आर्टिफिशियल फर्टीलाइजर चाहिए, सबका हिसाब कर के रखेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले 20 सवाल निकाले जाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं आता है कि 6-7 से ज्यादा सवाल आ पाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि या प्रश्न की संख्या कम करें या कम से कम 11 सवाल प्रतिदिन इस सदन की कार्यवाही में आ सके, ऐसा कोई रास्ता निकालिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने जो सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव है। मेरा भी एक सुझाव है कि जब आपको बुलाया जाए उसी वक्त आप पूछें तो इतने भी कर लेंगे। असल में होता ऐसा है कि एक प्रश्न पूछने के बाद बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं। मेरी इस सदन के अन्दर सब सदस्यों से विनती रहेगी कि किसी ने आज पूछ लिया तो कल न पूछें ताकि पीछे बैठने वाले और दूसरे भाइयों को भी समय मिले। अगर एक ही माननीय सदस्य पूछने लगे तो मुश्किल हो जाएगा।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मोटर-गाड़ियों के ईंधन के रूप में संचयित प्राकृतिक गैस का उपयोग

*230. **श्रीमती भारतम्मा चन्द्रशेखर** :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है कि कुछ चुने हुए स्थानों पर मोटर-गाड़ियों के ईंधन के रूप में संचयित प्राकृतिक गैस का उपयोग आरम्भ किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रथम चरण को परीक्षण के तौर पर अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें 220 पेट्रोल शक्ति वाली उन मोटर-गाड़ियों का परिवर्तन शामिल है जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलाया जाना है । आई० बी० पी० कम्पनी लि० इस कार्यक्रम को असम और त्रिपुरा में कार्यान्वित करेगी और गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० इसे दिल्ली, बम्बई और बड़ौदा में कार्यान्वित करेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर घुसपैठ

*232. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री श्रीकांत जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में और 1992 के दौरान अब तक त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बंगलादेश की ओर से आये कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार करके बंगलादेश सरकार को सौंपा गया है;

(ख) क्या गत कुछ महीनों के दौरान इन राज्यों की सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने घुसपैठ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मौजूदा प्रबंधों की पुनरीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सूचना नीचे दी गई है :

राज्य		कुल गिरफ्तारियां	बंगलादेश सरकार को सुपुर्द किए गए/वापिस भेजे गए
त्रिपुरा	1991	2484	593
	1992 (फरवरी, 1992 तक)	278	147
पश्चिम बंगाल	1991	58200	53102
	1992 (फरवरी, 1992 तक)	5416	4081

(ख) और (ग) इन राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ अवैध प्रवासियों के पकड़े जाने के मामलों की संख्या में पिछले कुल महीनों के दौरान कुछ बढ़ोतरी हुई है। बंगलादेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश करने के मुख्य कारण वहां की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्थिति और छिद्रक सीमा का होना है।

(घ) और (ङ) घुसपैठ रोकने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों का पता लगाने के लिए उठाए गए उपायों में, सीमा पर सतर्कता सुदृढ़ करना, सीमा के साथ-साथ सड़क का निर्माण करना और संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाना, अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए बंगलादेश सीमा के साथ लगे प्रभावित राज्यों में पुलिस बल की इकाईयां गठित करना, विदेशी अधिनियम, 1946 के उपबंधों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह देना और अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाना, सम्मिलित है।

(च) और (छ) घुसपैठ को रोकने के लिए भारत बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा पहले से ही तैनात है।

[अनुवाद]

कृषि आदानों पर राजसहायता

*233. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

डा० ए० के० पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कृषि आदानों पर सरकार द्वारा दी जा रही राजसहायता से किसानों को होने वाले वास्तविक लाभ का मूल्यांकन करने के लिए क्या सरकार ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन में क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) किसानों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (डा० बलराम जाखड़) : (क) से (ग) जी, नहीं। दी गई राजसहायता से किसानों को होने वाले वास्तविक लाभ का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी अध्ययन नहीं कराया गया है। कुछ कार्यक्रमों, जिनमें राजसहायता घटक शामिल है, के सम्बन्ध में कई अध्ययन कराए गए हैं। इन अध्ययनों में बताई गई कमियां राज्य सरकारों आदि को परिचालित की जाती हैं और इन कार्यक्रमों की कुशलता में सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं।

काजू की खेती

*234. श्री पी० सी० थामस :

श्री के० मुरलीधरन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काजू की खेती के विकास के लिए काजू विकास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) काजू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार "नाबार्ड" की सहायता से काजू आम प्रसंस्करण एकक की भी स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० बलराम जाखड़) : (क) और (ख) काजू की खेती के विकास हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव अभी आरम्भिक अवस्था में है।

(ग) जब किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री किए जाने की आशंका हो तब भारत सरकार राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर मंडी में हस्तक्षेप की योजना लागू करती है। काजू के मामले में किसी भी राज्य से ऐसा अनुरोध नहीं मिला है। केरल सरकार केरल कच्चा काजू (खरीद और वितरण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत काजू उगाने वालों से लाभकारी मूल्यों पर कच्चा काजू खरीदती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

*235. **श्री रामकृष्ण कुसमारिया :**

श्री बलराज पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एशिया विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जनवरी, 1992 में कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु एशिया बैंक द्वारा कोई धनराशि प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) 1991 में दो ऋण समझौतों पर एशियन डिवलैपमैंट बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए, एक गंधार क्षेत्र के लिए 267 मि० अमरीकी डालर और दूसरा घरेलू हाइड्रोकार्बन स्रोतों के अन्वेषण और विकास में तेजी लाने के लिए 250 मि० अमरीकी डालर का है।

जनवरी, 1992 में एशियन डिवलैपमैंट बैंक के कुछ प्रतिनिधियों के साथ सामान्य रूप से विचार-विमर्श हुआ।

संगोष्ठियों का आयोजन

*236. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1991 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित की गई संगोष्ठियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संगोष्ठियों में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और चर्चा के निष्कर्ष क्या निकले; और

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सेमिनारों के ब्यौरों के बारे में दिनांक 12-3-1992 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न सं० 236 के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम सं०	विषय	सहयोग करने वाली एजेंसी	तिथि	स्थान	अधिकतम अनमोदित व्यय (रु० में)
1.	किशोर न्याय अधिनियम के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार	गुलबर्गा विश्वविद्यालय कर्नाटक	5-7 फरवरी 1991	गुलबर्गा	10,900/-
2.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान निवारण के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार	ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, दिल्ली	8-10 फरवरी, 1991	दिल्ली	10,900/-
3.	तदैव—	होम इकोनोमिक्स एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली	18-20 फरवरी, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
4.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान निवारण के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार	होम इकोनोमिक्स एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली	6-8 मार्च, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
5.	समाज रक्षा पर सेमिनार	ग्राम नियोजन केन्द्र, गाजियाबाद	15-17 मार्च, 1991		10,900/-

1	2	3	4	5	6
6.	किशोर न्याय प्रशासन संबंधी सेमिनार	समाज रक्षा विभाग	15-17 मार्च, 1991	लखनऊ	10,000/-
7.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान की रोकथाम पर 3 दिवसीय सेमिनार	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़	15-17 मार्च, 1991	चण्डीगढ़	10,900/-
8.	परीविक्षा तथा पैरोल के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार-बदलते परिदृश्य	मद्रास स्कूल आफ सोशल वर्क मद्रास	18-20 मार्च, 1991	मद्रास	10,900/-
9.	समाज रक्षा सम्बन्धी सेमिनार	ग्राम नियोजन केन्द्र, गाजियाबाद	22-24 मार्च, 1991	चित्रकूट	10,900/-
10.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान की रोकथाम पर तीन दिवसीय सेमिनार	पंडित बचन पांडेय महिला विकास संस्थान, गोपालगंज	25-27 मार्च, 1991	गोपालगंज	10,900/-
11.	समाज रक्षा सम्बन्धी सेमिनार	ग्राम नियोजन केन्द्र, गाजियाबाद	29-13 मार्च, 1991	हजारीबाग	10,900/-
12.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान निवारण के बारे में सेमिनार	सेन्ट जान्स एम्बुलेंस, दिल्ली	24-26 अप्रैल, 1991	दिल्ली	10,900/-
13.	समाज रक्षा संबंधी सेमिनार	ग्राम नियोजन केन्द्र, गाजियाबाद	28-30 अप्रैल, 1991	गाजियाबाद	10,900/-

1	2	3	4	5	6
14.	किशोर न्याय अधिनियम के बारे में सेमिनार	भारतीय समाज कल्याण परिषद, बम्बई	28-30 अप्रैल, 1991	पूणे	10,900/-
15.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान की रोकथाम के बारे में सेमिनार	सोसायटी फॉर द प्रोमोशन आफ यूथ एण्ड मासेज, केई दिल्ली	16-18 जुलाई, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
16.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान की रोकथाम के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार	—तदैव—	8-19 अगस्त, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
17.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान की रोकथाम के बारे में सेमिनार	सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, दिल्ली	30 अगस्त से 1 सितम्बर, 1991	दिल्ली	10,900/-
18.	अपराध नियन्त्रण के बारे में सेमिनार	भारतीय विकास अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	27-29 अगस्त, 1991	हैदराबाद	10,900/-
19.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान निवारण के बारे में सेमिनार	आशीर्वाद इंदौर	28-30 अक्तूबर, 1991	इंदौर	10,900/-
20.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान की रोकथाम के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार	हल्दिया समाज कल्याण परिषद मिदनापुर	24-26 अक्तूबर, 1991	मिदनापुर	10,900/-

1	2	3	4	5	6
21.	—तदैव—	समाज कल्याण तथा अनुसंधान संगठन नई दिल्ली	25-27 अक्तूबर, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
22.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान निवारण के बारे में तीन दिवसीय सेमिनार	एस०पी०वाई०एम०, नई दिल्ली	25-27 नवम्बर, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
23.	नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मद्यपान निवारण के बारे में सेमिनार	समाज कल्याण अनुसंधान संगठन, नई दिल्ली,	22-24 नवम्बर, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
24.	—तदैव—	एन०एस०एस०,जे०एन०यू० नई दिल्ली,	20-22 सितम्बर, 1991	नई दिल्ली	10,900/-
25.	वर्तमान संदर्भ में एकीकृत सामाजिक विकास के मानवीय आयाम	भारतीय समाज कल्याण परिषद, बम्बई,	14-16 सितम्बर, 1991	भोपाल	63,400/-
26.	समाज के स्वास्थ्य का पैमाना, भारत में विकलांग बच्चों की देखभाल का स्तर	नेटवर्क फार चाइल्ड	16-17 अक्तूबर, 1991	दिल्ली	50,000/-
27.	वृद्धों के लिए कार्यक्रम तथा सेवाएं तथा वृद्धों के अधिकार	इंडियन फेडरेशन वॉन एजिंग, बम्बई	1-2 अक्तूबर, 1991	पुणे	10,000/-
28.	दृष्टि विकलांगों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास मानव शक्ति विकास तथा अनुसंधान	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	8-9 मार्च, 1991	देहरादून	99,946/-

1	2	3	4	5	6
29.	मानसिक विकलांगता के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार	मानसिक विकलांगों के लिए चेतना संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकदराबाद	21-22 दिसम्बर, 1991	भुवनेश्वर	46,500/-
30.	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार	शताब्दी सैल, कल्याण मंत्रालय	15-4-91	दिल्ली	4,79,000/-

[अनुवाद]

बीजों और पौधों का आयात

*237. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री साईमल मुरान्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को सप्लाई किए जाने के लिए अन्य देशों से आयातित पौधों तथा बीजों का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० बलराम जाखड़) : (क) और (ख) सम्बन्धित सरकार और निजी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कृषि और सहकारिता विभाग नई बीज विकास नीति, 1988 के तहत बीजों और रोपणसामग्री के आयात की सिफारिश करता है। इन कम्पनियों द्वारा किसानों को वाणिज्यिक आधार पर सामग्री सप्लाई की जाती है।

(ग) नई बीज विकास नीति के तहत फेरा और एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा आयातित बीज सामग्री का परीक्षण बहुत से स्थानों पर किया जाता है ताकि खेती के लिए इसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी आयातित बीजों और पौधों पर संगरोध की शर्त भी लागू होती है।

विशेष संघटक योजना

*238. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा "विशेष संघटक योजना" नामक योजना को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण की इस कार्यनीति के अन्तर्गत प्रदान किए गए परिव्ययों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विशेष संघटक योजना के अधीन कृषि, पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, शिक्षा, आवास आदि कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आंध्र प्रदेश	149.63	153.54	144.04
2.	असम	32.76	33.22	42.12
3.	बिहार	120.10	164.53	163.18
4.	गुजरात	34.28	40.14	40.94
5.	हरियाणा	54.40	71.12	77.83
6.	हिमाचल प्रदेश	28.60	30.65	42.50
7.	जम्मू और कश्मीर	22.11	22.59	28.23
8.	कर्नाटक	94.03	106.96	89.14
9.	केरल	34.25	63.17	59.86
10.	मध्य प्रदेश	96.65	113.26	180.34
11.	महाराष्ट्र	85.51	123.85	160.61
12.	मणिपुर	1.69	1.89	2.02
13.	उड़ीसा	71.49	144.14	193.86
14.	पंजाब	30.23	39.47	71.14
15.	राजस्थान	108.30	135.65	157.84
16.	सिक्किम	3.63	0.35	2.81 (0.40 बजट में व 2.41 नोशनल)
17.	तमिलनाडु	177.99	206.23	231.27
18.	त्रिपुरा	15.69	17.33	23.28
19.	उत्तर प्रदेश	347.17	480.81	449.00
20.	पश्चिम बंगाल	92.91	110.45	137.54
21.	चण्डीगढ़	5.32	6.28	8.50
22.	दिल्ली	28.59	31.24	69.82
23.	गोवा	1.13	1.11	1.59
24.	पांडिचेरी	8.80	10.08	10.81
	कुल	1644.56	2065.90	2377.82

तेल की खोज

*239. श्री राम विलास पासवान :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात से हुई आय की तुलना में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) एशियाई विकास बैंक की सहायता से जिन तेल क्षेत्रों में खुदाई करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है तथा इन तेल क्षेत्रों से कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु एशियाई विकास बैंक से कितनी राशि का ऋण मिलने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस कार्य में प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी पर भी विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क)

(रुपये सौ करोड़ में)

वर्ष	भारत से निर्यात	कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात
1988-89	202.3	44.21
1989-90	276.8	63.44
1990-91	325.5	107.79

(ख) और (ग) गंधार क्षेत्र विकास परियोजना के लिए एशियन डिवलैपमैंट बैंक द्वारा मंजूर किया गया ऋण 267 मि० अमरीकी डालर है। इक परियोजना से कच्चे तेल का वर्धमान (इनिक्रमैंटल) उत्पादन 16.521 मि० टन और गैस का 18.14 बिलियन क्यूबिक मीटर होने की सम्भावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को सहायता

+

*240. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता देने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ों के दौरान मारे गए अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए पहले से ही एक योजना है।

(ख) योजना में इस प्रकार के कार्मिकों के परिवारों को दी जाने वाली राशि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली बीमा राशि और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली कोई भी अनुग्रहपूर्वक अदायगी राशि सहित, 1 लाख रुपया बनती है। यह राशि उग्रवादियों द्वारा हमला किए जाने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप ड्यूटी पर मृत्यु होने के मामले में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ और सुविधाओं के अतिरिक्त हैं।

[अनुवाद]

कश्मीर में सम्पत्तियों को क्षति

*241. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी कश्मीर के लोगों की सम्पत्तियों को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें कश्मीर से अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी सम्पत्तियों को कितनी क्षति पहुंचाई गई है;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे शरणार्थियों को उनके वापस कश्मीर लौटने पर इस क्षति का मुआवजा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अनेक परिवारों ने देश के अन्य भागों में शरण लेने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ दी है। आतंकवादी, बहुत बड़ी संख्या में निजी सम्पत्तियों को नष्ट कर रहे हैं।

(ख) घाटी में अनेक क्षेत्र, और विशेषकर श्रीनगर में, प्रभावित हुए हैं।

(ग) आवासीय मकान, दुकानें तथा वाणिज्यिक परिसर, शैक्षिक संस्थान, सामुदायिक सदन, आदि क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(घ) सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव और सीमा पर चौकसी को और तेज कर दिया है। आसूचना अभियान और बढ़ा दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जम्मू व कश्मीर सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि अचल सम्पत्ति के मूल्यांकित नुकसान का 50% तक का भुगतान अनुग्रहपूर्वक सहायता के रूप में किया जाए, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक हो। उन्होंने कुछ मामलों में भुगतान कर दिया है और अन्य मामलों में क्षति-ग्रस्त सम्पत्ति का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983

+

*242. श्री मृत्युंजय नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा असम में लागू किए गए अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) क्या उसमें किन्हीं कमियों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 का पुनरीक्षण किया गया और 1988 में असम सरकार के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन किए गए । आगे और कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

मद्यनिषेध सम्बन्धी मामले

*243. श्री एन० डेनिस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो द्वारा वर्ष 1991 के लिए तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में मद्यनिषेध सम्बन्धी मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का नवीनतम उपलब्ध प्रकाशन वर्ष 1990 का है। उसमें संकलित आंकड़ों के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 1990 में मद्य निषेध के मामलों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) से (घ) उक्त बात को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता ।

तेल और गैस की खोज करने सम्बन्धी परियोजनाएं

*244. श्री जे० चोक्का राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में तेल और गैस की खोज करने सम्बन्धी परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा ऐसी कितनी परियोजनाएं शुरू की गई और क्या वे सभी परियोजनाएं सफल रही थीं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) खोज कार्य हेतु विदेशी कम्पनियों को दुर्लभ विदेशी मुद्रा के भुगतान से बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान तेल और गैस अन्वेषण पर व्यय की गई राशि इस प्रकार से है—

(करोड़ रुपये)

	1988-89	1989-90	1990-91
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग*	868.85	1003.78	1093.17
आयल इंडिया लि०	48.99	49.67	75.57

* तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के मामले में आंकड़ों में मूल्यह्रास लागत भी शामिल है।

तीसरे दौर की बोली के अन्तर्गत 9 अपतटीय ब्लाकों के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ समझौते किए गए। 9 कुओं की खुदाई की गई लेकिन वे सूखे निकले। इस अन्वेषण में विदेशी कंपनियों ने लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर व्यय किए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के जहाज पर तूफान का प्रभाव

2569. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का ड्रिलिंग जहाज "बद्रीनाथ" तूफान में फंस गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसमें हुई क्षति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ठेके पर लिया गया वेधन जहाज "बद्रीनाथ" 13 से 15 नवम्बर, 1991 तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान के प्रभाव में आ गया। 15 की शाम को वेधन जहाज पर कार्मिक को हेलीकाप्टर की सहायता से बचाया जा सका। उपर्युक्त घटना में जान और सम्पत्ति की क्षति नहीं हुई।

रसोई गैस कनेक्शन

2570. श्री भोंभेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 में संसद सदस्यों के वरीयता वाले कोटे में से स्वीकृत रसोई गैस के सारे कनेक्शन दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल कम्पनियों ने बताया है कि उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को वरीयता वाउचर जारी कर दिए हैं, जिनको संसद सदस्यों की सिफारिश पर एल० पी० जी० कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

दिल्ली में सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट

2571. डा० असीम बाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को किसी भी सहकारी समिति के लाभ को आयकर से मुक्त करने के लिए दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शक्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार अधिसूचना कब जारी करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचंद्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

भारत सरकार ने सहकारी समितियों के लाभ को, आयकर से छूट देने की कोई अधिसूचना न तो जारी की है और न ही ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई प्रस्ताव है।

दक्षिण एशियाई देशों को ऋण

2572. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दक्षिण एशिया में अन्य देशों को दी गयी ऋण-राशि का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 तक की स्थिति के अनुसार ऋण लेने वाले देशों को कुल कितनी धनराशि दी गयी तथा उन्होंने कितनी-कितनी धनराशि की अदायगी की है;

(ग) क्या यह ऋण उन देशों की किसी परियोजना से सम्बन्धित है; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) अनुबंध "क" में एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दक्षिण एशिया के देशों को दिए गए ऋण, वितरित की गई राशि और सम्बन्धित देशों द्वारा 31 दिसम्बर, 91 तक पुनर्भुगतान की गई राशि का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है

नेपाल :

वर्ष	दिया गया ऋण	वितरित की गई राशि	पुनर्भुगतान की गई राशि
1989-90	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
1990-91	39 करोड़ रुपये	39 करोड़ रुपए	39 करोड़ रुपए
1991-92 (31-12-91 तक)	55 करोड़ रुपए	55 करोड़ रुपए	55 करोड़ रुपए
कुल :	99 करोड़ रुपए	99 करोड़ रुपए	99 करोड़ रुपए

भारत और नेपाल के बीच परिक्रामी ऋण करार के अनुसार था।

श्रीलंका :

1987 के ऋण करार के अन्तर्गत श्रीलंका को 25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 31-12-91 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका को 4.46 करोड़ रुपए की वास्तविक राशि वितरित की गई थी और कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

बंगला देश

भारत से पूंजीगत वस्तुओं तथा मशीनरी के आयात के लिए 1991 के करार के द्वारा बंगलादेश को 30 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार किया गया है। यह ऋण अभी संचालित नहीं हुआ है और इस प्रकार अभी तक कोई पुनर्भुगतान नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच 13-6-1983 के करार द्वारा पहले 20 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। इस ऋण के बारे में ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—

वर्ष	वितरित	पुनर्भुगतान
1989-90	5,14,733 रु०	2,02,59,068 रु०
1990-91	शून्य	2,35,39,183 रु०
1991-92 (31-12-91 तक)	शून्य	83,30,000 रु०
कुल :	5,14,733 रु०	5,21,28,251 रु०

[हिन्दी]

लाटरी व्यापार सम्बन्धी कानून

+

2573. **श्री बारेलाल जाटव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाटरी व्यापार के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

दिल्ली में बसों में जेब कटना

+

2574. **श्रीमती दीपिका एच० डोपीवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस समय दिल्ली परिवहन निगम की ओर इसके अन्तर्गत चल रही बसों में जेब कटने की अनेक घटनाएं हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1990 और 1991 में दिल्ली परिवहन निगम और इसके तहत चलने वाली बसों में हुई जेब कटने की घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार से है :

वर्ष	दिल्ली नगर निगम की बसों में	दिल्ली परिवहन निगम के तहत चलने वाली बसों में
1990	408	226
1991	376	211

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए उपायों में, बस स्टापों और बसों में सादे कपड़ों में कर्मचारियों की तैनाती, भीड़-भाड वाले बस स्टापों पर पुलिस द्वारा पैदल और चलती फिरती गश्त, ज्ञात बदमाशों पर निगरानी और जेबकतरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाना शामिल है।

[अनुवाद]

बिक्री कर की चोरी

2575. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा** :
श्रीमती दीपिका एच० डोपीवाला :
श्रीमती कुन्देन्द्र कौर :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान दिल्ली में बिक्री कर की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) दिल्ली में ऐसी कितनी फर्में हैं जिन पर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि का बिक्री कर बकाया है; और

(ग) देय बिक्री कर की तत्काल वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर आयुक्त के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले 6 महीनों के दौरान विभाग द्वारा बिक्रीकर चोरी के 43 मामलों का पता लगाया गया ।

(ख) इस प्रकार की फर्मों की संख्या 166 है जिन पर 10 लाख या इससे अधिक कर बिक्री कर बकाया है ।

(ग) सभी वार्ड आफिसरों को अनुदेश दिए गए हैं कि बिक्रीकर की समय से वसूली सुनिश्चित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। भूमि राजस्व के बकाया के रूप में भी बकाया राशि की वसूली होनी है। चूककर्त्ता के बैंक खातों चल-अचल सम्पत्ति की कुड़की और इसकी गिरफ्तारी जैसे उपाय भी किए जाते हैं।

गैर-संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भारत की सदस्यता

2576. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसियों/संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनका भारत सदस्य है; और

(ख) ऐसे संगठनों की वित्तीय तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में क्या योगदान दिया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और इसके संकलित होते ही इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

फलदार पेड़ लगाना

2577. श्री मंगल किशोर रस्तोगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए राज्यवार कितनी राशि नियत की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : 1992-93 के दौरान देश के ग्रामीण इलाकों में फलदार वृक्षों के रोपण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि के राज्यवार आवंटन पर निर्णय, स्कीमें स्वीकृत होने के पश्चात् और 1991-92 के दौरान स्कीमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में कैदियों की मृत्यु

2578. श्री विजयपाल सिंह तोमर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में मरे कैदियों की संख्या क्या है जिन पर अभी मुकदमा चल रहा था;

(ख) उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं;

(ग) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि तिहाड़ जेल में पिछले वर्ष न्यायिक हिरासत के दौरान 34 विचारणाधीन कैदियों की मृत्यु हुई तथा चालू वर्ष में 07 मार्च तक 7 कैदियों की मृत्यु हुई।

(ख) और (ग) मृत्यु के 41 मामलों में से, दिल्ली प्रशासन को 20 मामलों मे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की जांच पड़ताल रिपोर्ट मिल चुकी है। आत्महत्या के एक मामले के अलावा, शेष 19 मामलों में मृत्यु बीमारी के कारण हुई। इनमें से किसी भी मामले में, जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी ने जेल अधिकारियों की कोई गलती नहीं बताई है।

(घ) इस समय, जेलों में ओ० पी० डी० सहित, पांच डिस्पेंसरियां कार्यरत हैं। इसके अलावा, 24 घण्टे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। कैदियों का जेल में ही इलाज करने के लिए केन्द्रीय जेल सं० 3 में एक 50 बिस्तर वाला अस्पताल भी है।

[अनुवाद]

जापान के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध

2579. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में जापान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) भारत ने उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान, जापान के साथ आर्थिक सहयोग को गति देने के माध्यम से और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पारस्परिक क्रियाकलापों के माध्यम से जापान के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करने और घनिष्ठ बनाने की कोशिश की है। मैंने जनवरी, 1992 में जापान की यात्रा की थी और जापान के विदेश मन्त्री के साथ उपयोगी तथा रचनात्मक बातचीत की थी। मैं जापान के प्रधानमंत्री और जापान के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मिला था। प्रधानमंत्री ने जापान की यात्रा करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस वर्ष भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना और स्थायी शांति और सद्भावना के सम्बन्ध में भारत-जापान सन्धि पर हस्ताक्षर होने की 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

(ख) जापानी सरकार ने कहा है कि उनकी यह इच्छा है कि भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जापान के सम्बन्ध और घनिष्ठ तथा व्यापक बने। उन्होंने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण नीतियों की सराहना की। जापान ने जनवरी, 1992 में एक उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन

भारत भेजा था ताकि भारत और जापान के बीच व्यापार निवेश बढ़ाने तथा आर्थिक सम्बन्ध मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों के बीच वास्तविक समझ-बूझ गहन करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

डबल बाटलिंग कनेक्शन

2580. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डबल बाटलिंग कनेक्शन (डी० बी० सी०) सुविधा प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : एक वर्ष में डी० बी० सी० के दिए जाने सम्बन्धी लक्ष्य उत्पाद की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

बिहार में विकलांगों के लिए संस्थान

2581. **श्री छेदी पासवान :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बिहार में विकलांगों के कल्याण के लिए कुछ और संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय, बिहार में विकलांगों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देगा, यदि वे सहायता देने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पशुपालन का विकास

2582. **श्री बी० देवराजन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पशुपालन के विकास हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने 1991-92 के दौरान राज्य में पशुपालन के विकास के लिए पशुपालन और डेरी विभाग को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है—

"अधिक जिलों को शामिल करने के लिए विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम।"

(ग) भारत सरकार द्वारा विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम की नई परियोजना मंजूर की गई है और 1991-92 के दौरान परियोजना के लिए 2.25 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है।

विदर्भ और मराठवाड़ा में बाम्बे हाई गैस संयंत्रों की स्थापना

2583. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विदर्भ और मराठवाड़ा में बाम्बे हाई गैस संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) समय-समय पर अनेक अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में अपतटीय गैस पर आधारित प्राकृतिक गैस का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

डूरूप गेहूं का निर्यात

2584. **डा० रवि मल्लू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए डुरूप गेहूं की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस दौरान कितनी मात्रा में गेहूं निर्यात किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार निर्यात और घरेलू औद्योगिक उपयोग के लिए डुरूप गेहूं की खेती को बढ़ावा देने की संभावनाओं की जांचकर रही है। कृषि मंत्रालय ने डूरूप गेहूं उत्पादक राज्यों, खाद्य मंत्रालय, नैफेड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डूरूप गेहूं, प्रजनक व कृषि तथा सहकारिता विभाग के सम्बन्धित प्रभागों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। चूंकि डूरूप गेहूं का समर्थन मूल्य वही है जोकि सामान्य गेहूं के लिए लागू है। अत: अब तक डूरूप गेहूं की अलग से प्राप्ति नहीं की गई है। डूरूप गेहूं के निर्यात का अलग से सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

गोविन्दपुरी में झुग्गी बस्ती में अग्नि कांड

+

2585. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विधि-चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला के उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिल गयी है जिन्हें गोविन्दपुरी झुग्गी बस्ती में हुए अग्निकांड के कारणों की जांच के लिए भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) हिन्दी पुलिस द्वारा इस मामले में केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए दो एल० पी० जी० सिलेण्डरों की, एक सही अवस्था में तथा एक क्षतिग्रस्त अवस्था में, जिसका ऊपरी भाग ओर से थोड़ा सा कटा हुआ था, केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला के प्राक्षेपिक प्रभाग और भौतिकी प्रभाग द्वारा जांच की गई थी। प्राक्षेपिक प्रभाग के अनुसार, क्षतिग्रस्त सिलेंडर के ऊपरी भाग में कटाव का निशान सिलैंडर के अत्याधिक गर्म होने के कारण हुआ होगा। भौतिकी प्रभाग के अनुसार, उनमें से एक सिलेण्डर की प्रयोगशाला में की गई जांच से पता चला कि सिलेण्डर के वाल्व से गैस का रिसाव था। दूसरे सिलेण्डर की गैस का रिसाव का पता लगाने की वैज्ञानिक जांच नहीं की जा सकी क्योंकि वह सिलेण्डर अतिग्रस्त फटा हुआ था।

बिहार में कृषि परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता

2586. श्री ललित उराव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विश्व बैंक की सहायता से शीतागारों, सब्जी और फल प्रोसेसिंग एककों और भांडागारों की स्थापना से सम्बन्धित परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं; और

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1991-92 के लिए बिहार हेतु इन प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ला रामचन्द्रन) : (क) इस समय विश्व बैंक की सहायता से शीतागार और फल तथा सब्जी परिसंस्करण की कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। फिर भी विश्वबैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-3 परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में सहकारी क्षेत्र में गोदाम बनाए जा रहे हैं।

(ख) चूंकि प्रस्तावों पर राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर ही विचार किया जाता है, निगम ने 1991-92 के लिए विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत बिहार राज्य की सहायता के लिए 8.21 करोड़ रुपए का एक अनन्तिम आवंटन निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में गैस का उपयोग

2587. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में उपलब्ध सारी गैस का उपयोग करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गैस की अनुमानित उपलब्धता की अवरोही उपयोगकर्त्ताओं के लिए पूर्णतः वचनबद्धता कर दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में अम्बेडकर गांवों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

2588. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अम्बेडकर गांवों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से कर्नाटक को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों से सम्बन्ध में विशेष परियोजनाएं शुरू करने के लिए तीन राज्यों नामतः केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु को 1990-91 के दौरान उनकी मांगों के आधार पर वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गई। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि	प्रयोजन के लिए मंजूर की गई
1. केरल	81.00 लाख रुपये	अनुसूचित जातियों की ग्रामीण बस्तियों का अम्बेडकर ग्राम के नाम से ज्ञात, आदर्श बस्तियों के रूप में समेकित विकास।
2. तमिलनाडु	50.00 लाख रुपये	चर्म प्रापण केन्द्रों तथा चर्म सामान और निर्माण में कार्यरत आदि-द्रविड़ों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हेतु वित्तीय सहायता स्टोन क्रशिंग हेतु सहकारी सोसायटियों के लिए स्टोन क्रशरों, पम्प सैटों तथा लारियों की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
3. कर्नाटक	50.00 लाख रुपए	देवदासियों का पुनर्वासन, अनुसूचित जातियों के लिए कौशल विकास तथा ग्रामीण माताओं के लिए आर्थिक कार्यक्रम।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आलू का उत्पादन

2589. श्री एस० डी० सिंदनाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में आलू का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी थी ?

कृषि मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान देश में आलू उत्पादन की मात्रा क्रमश: 147.7 और 152.5 लाख मीटरीटन थी।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान आलू की प्रति हैक्टेयर पैदावार निम्नवत् है :—

वर्ष	पैदावार (कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर)
1989-90	15714
1990-91	16195

संतरे के बागान

2590. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में संतरे के बागानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या संतरे के पौधों के लिए किसानों को सहायता देने हेतु कोई विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ये विस्तार केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या उड़ीसा में पल्लेहारा क्षेत्र में जलवायु की स्थिति और भूमि संतरे के बागान लगाने के लिए उपयुक्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो संतरे के पौधे लगाने के लिए इस क्षेत्र में स्थानीय किसानों को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) फलदार वृक्षों के विकास के लिए, जिसमें संतरे के वृक्ष भी शामिल हैं, भारत सरकार दो योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक तत्व बगीचों की स्थापना; और

(2) समेकित ऊष्ण कटिबंधीय और शुष्क अंचलीय फलों के विकास से सम्बन्धित केंद्रीय क्षेत्र की योजना।

इसके अलावा राज्य सरकारें संतरे सहित विभिन्न फलीय फसलों के विकास के लिए सहायता भी प्रदान करती हैं।

(ख) और (ग) केंद्र सरकार सन्तरे की फसल उगाने के लिए कृषकों को सहायता देने हेतु किसी विस्तार केंद्र की स्थापना नहीं कर रही है। लेकिन राज्य सरकारों ने विभिन्न फसलों, जिनमें, सन्तरे भी शामिल हैं के लिए विस्तार सेवाओं की व्यवस्था कर रखी है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विभागीय फार्मों और नर्सरियों में गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तैयार की जाती है। कृषकों को तकनीकी जानकारी और अन्य आदान दिए जा रहे हैं।

भूटान में सीमेंट परियोजना

2591. **श्री उद्धव वर्मन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास "सहायता भूटान कार्यक्रम" के अन्तर्गत भूटान में नाग्लम में एक सीमेंट परियोजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके किस तारीख तक पूरी होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां । भूटान की शाही सरकार के अनुरोध पर भारत भूटान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भूटान में नाग्लम में सीमेंट संयंत्र के क्रियान्वयन को अपने हाथ में लेगा ।

(ख) भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच इस परियोजना पर करार हो जाने के बाद नाग्लम सीमेंट परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाया जाएगा । सम्भावना है कि इस परियोजना को क्रियान्वयन के लिए 1993 में हाथ में लिया जाएगा और उम्मीद है कि 1997-98 तक वह पूरी हो जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की हत्या की सी०बी०आई० द्वारा जांच

2592. **श्री साईमन मरांडी** :

श्री शैलेन्द्र महतो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूतपूर्व अध्यक्ष, स्वर्गीय निर्मल मेहतो की हत्या के मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस मामले की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच पूरी की जा चुकी है तथा अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में एक चार्जशीट फाईल कर दी गई है ।

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन

2593. **श्री मदन लाल खुराना** :

डा० रवि मल्लू : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब संशोधन किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकारी सूचना तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में कुछ संशोधन करने का एक प्रस्ताव है जिसका मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित उपबन्धों को उदार बनाना है। विषय की महत्वपूर्णता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए मामले में अन्तर्ग्रस्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निश्चित मत निर्धारित करने में निश्चित रूप से समय लगेगा।

ब्रिटिश राष्ट्रिकों की गतिविधियां

2594. श्री विजय कुमार यादव :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री सुब्रेन्दु खां : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में "ब्हाट वर दि टू ब्रिटन्स डुईंग इन नार्थ ईस्ट ?" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) नवम्बर, 1991 में दो ब्रिटिश राष्ट्रिक, नामतः डेविड वार्ड तथा स्टेफेन हिलमैन ने अनधिकृत रूप से तथा बगैर आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के नागालैंड में प्रवेश किया। उन्हें नागालैंड में बैठकें आयोजित करते हुए तथा सांघातिक विघटनकारी भारत-विरोधी विद्रोही प्रचार में लिप्त पाया गया। 30 जनवरी, 1992 को हुई जवाबी गोलीबारी में सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें 13 नागाओं के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नागा मारा गया था। चीन में निर्मित कुछ एल०एम०जी० तथा राइफलें, गोला-बारूद, कैसेट सहित एक वीडियो कैमरा बरामद किया गया।

(ग) मेलुरी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच का कार्य सौंपा गया।

पश्चिम एशिया शान्ति वार्ता में भारत की सहभागिता

2595. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल की मास्को में हुई पश्चिम एशिया शांति वार्ता में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

2596. **श्री पी० जी० नारायणन्** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1991-92 के लिए सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) समझौता-ज्ञापन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया क्योंकि बम्बई हाई के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य विचाराधीन था।

महाराष्ट्र में तेल कम्पनियों के अधीन पेट्रोल पम्प

2597. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तेल कम्पनियों द्वारा सीधे चलाए जा रहे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पम्पों के संचालन में इन कम्पनियों द्वारा प्रति वर्ष हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु इन कम्पनियों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) आठ।

(ख) हाल ही में आठ में से तीन शुरू किए गए हैं और कार्य के परिणामों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। शेष पांच में से तीन लाभ कमा रहे हैं और दो घाटे में चल रहे हैं।

(ग) सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अनुदान

2598. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि का केन्द्रीय अनुदान दिया गया;

(ख) क्या लक्षद्वीप को दिए गये प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान की राशि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में कम है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को लक्षद्वीप से प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान की धनराशि में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) पांडिचेरी को छोड़कर, संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रक्षेपित आकलनों/योजनाओं और केन्द्र सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर योजना तथा योजनेतर के तहत फंड आवंटित किए जाते हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए संघ शासित क्षेत्र को क्षेत्रीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर फंड आवंटित किए जाते हैं और न कि जनसंख्या के आधार पर। पांडिचेरी को छोड़कर, संघ शासित क्षेत्रों के मामले में सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पांडिचेरी के मामले में, केन्द्र सरकार, संघ शासित क्षेत्र के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता और ऋण उपलब्ध कराती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइनों के माध्यम से गैस का वितरण

2599. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के वितरण हेतु पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के अनुमानों से इस तरह की पाइप लाइन के नेटवर्क की स्थापना नहीं की जा सकती है।

पुलिस कार्यवाही में घायल पत्रकार

2600. श्री अवध कुमार पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1991 को संसद भवन के निकट प्रदर्शन करते हुए पुलिस कार्यवाही द्वारा अनेक पत्रकार घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 24-12-1991 को संसद भवन के निकट प्रदर्शनकारी पत्रकारों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु-गैस का सहारा लेना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़ दिया था तथा रेड क्रास रोड/संसद भवन की ओर दौड़ना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से उन्होंने जानबूझकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन लागू निषेधाज्ञा भंग की। संसद मार्ग थाने में भा० दण्ड सं० की धारा 188 के अधीन उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कुल 289 प्रदर्शनकारियों को निरुद्ध किया गया। उनको उसी दिन बाद में 2 बजे (अपराह्न) छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने आगे बताया है कि कोई प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ था।

"राजीव गांधी" पर वृत्त चित्र

2601. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी फिल्म निर्माताओं ने पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पर एक फिल्म बनाने में रुचि दिखाई है और इस संबंध में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्माताओं को वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स सेन्ट्रल स्टूडियो, मास्को की फिल्म निदेशक श्रीमती वीरा फेडरचेंको ने अपने फिल्म कर्मीदल के साथ कृत्तिका की शूटिंग के लिए जनवरी, 92 में भारत की यात्रा की थी।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने इस परियोजना को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। राजीव गांधी फाउंडेशन उन्हें सभी स्थानों पर ले गया और उन्होंने ही सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ उनकी भेंटवार्ताओं का प्रबन्ध किया। विदेश मन्त्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग ने इस प्रकार के मामलों में लागू सामान्य नियमों के अनुसार श्रव्य-दृश्य साधग्री प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी, फोटो प्रभाग और फिल्म प्रभाग जैसे सरकारी संगठनों में उन्हें ले जाने का प्रबन्ध करके तकनीकी सहायता प्रदान की।

नशे की लत छुड़ाने वाले अस्पताल

2602. श्री प्रफुल पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अमरीका के बेडीफोर्ड केन्द्र की सहायता से कलकत्ता में नशे की आदत छुड़ाने वाले अस्पताल खोलने का है;

(ख) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसे अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दि इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, फाउण्डेशन, कलकत्ता का बैट्टी फोर्ड सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परामर्शी करार से कलकत्ता में एक नशीली दवा पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) अनुमानित लागत 401 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल महिला आयोग विधेयक, 1991

2603. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल महिला आयोग विधेयक, 1991 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा है;

(ख) वह कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 29-4-1991 ।

(ग) राज्य सरकार को विधेयक के कुछ उपबन्धों को स्पष्ट करने के लिए 28-1-92 को कहा गया है। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही विधेयक पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में धार्मिक स्थलों को क्षति

2604. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष धार्मिक स्थलों को की गयी क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर में 1989 में 13, 1990 में 9 तथा 1991 में 16, कुल 38 धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना, घाटी में आतंकवाद रोकने और सामान्य हालात बहाल करने के लिए किए गए सभी प्रशासनिक प्रयासों का एक भाग है। सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव तथा सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। अधिसूचना-ढांचे को गहन किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में खाद्यान्नों का उत्पादन

2605. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों का वर्ष-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 1985-86 से 1989-90 के दौरान केरल में मुख्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

("000 मिलियन मीटरी टन में)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
चावल	1173	1134	1037	1007	1073
मोटे अनाज	4	3	4	4	6
दलहन	26	20	20	19	19
कुल खाद्यान्न	1203	1157	1061	1030	1098

विदेशों में शरण मांगने वाले भारतीय

2606. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री मुमताज अंसारी :

श्री हरि किशोर सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 तथा 1991 में जर्मनी तथा अन्य पश्चिमी देशों में शरण मांगने वाले भारतीय नागरिकों की देशवार संख्या क्या थी;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा कितने-कितने लोगों को शरण दी गई; और

(ग) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में शरण मांगने हेतु सरकार द्वारा पहचाने गए प्रमुख कारक क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन भारतीय नागरिकों के पश्चिमी यूरोप के देशों में राजनैतिक शरण मांगी थी उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है—

जर्मनी	1990	1991
जर्मनी	5612	5150 (नवम्बर तक)
यू०के०	1415	1560 (जनवरी-सितम्बर)
फ्रांस	800	1000
स्विटजरलैंड	1828	886
नीदरलैंडस		3000 (संचित योग)
डेनमार्क	26	35
बेल्जियम	1026	1283
आस्ट्रिया	128	356
स्पेन	शून्य	70

पश्चिम यूरोप के किसी अन्य देश में किसी भारतीय द्वारा राजनैतिक शरण मांगने का कोई मामला नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) जिन भारतीयों को राजनैतिक शरण दी गई है उनका देश-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है—

फ्रांस	5
बेल्जियम	1
जर्मनी	5
डेनमार्क	1
पश्चिम यूरोप के अन्य देश	शून्य

(ग) यूरोप में राजनैतिक शरण मांगने वाले भारतीयों के मुख्य प्रयोजन आर्थिक सुधार की प्रत्याशा, उत्प्रवास की इच्छा या अपने ठहरने की अवधि को बढ़ाना है, हालांकी शरण मांगने वालों द्वारा जानबूझकर दिया गया प्रत्यक्ष कारण राजनैतिक और पुलिस उत्पीड़न होता है।

रसोई गैस के कनेक्शन

2607. **श्री पवन कुमार बंसल :**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस उपभोक्ताओं की 31 दिसम्बर, 1991 तक की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) आगामी दो वर्षों में नए रसोई गैस कनेक्शनों के नए आबंटन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) एल०पी०जी० कनेक्शनों के लिए वार्षिक पंजीयन योजना देशी स्रोतों के साथ-साथ आयात से एल०पी०जी० की सम्भावित उपलब्धता के आधार पर तैयार की गई है।

विवरण

31-12-91 तक (आंकड़े लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	14.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.14
3.	आसाम	2.65
4.	बिहार	5.19
5.	गोवा	1.19
6.	गुजरात	16.57
7.	हरियाणा	5.17
8.	हिमाचल प्रदेश	1.15
9.	जम्मू और कश्मीर	1.67
10.	कर्नाटक	8.87
11.	केरल	5.68
12.	मध्य प्रदेश	9.71
13.	महाराष्ट्र	31.25
14.	मणीपुर	0.34

1	2	3
15.	मेघालय	0.24
16.	मिजोरम	0.17
17.	नागालैंड	0.21
18.	उड़ीसा	2.23
19.	पंजाब	6.53
20.	राजस्थान	6.21
21.	सिक्किम	0.05
22.	तामिलनाडु	14.54
23.	त्रिपुरा	0.24
24.	उत्तर प्रदेश	19.29
25.	पश्चिमी बंगाल	8.86
	राज्य संघ क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार	0.05
2.	चण्डीगढ़	1.20
3.	दादर और नागर हवेली	0.04
4.	दिल्ली	12.57
5.	दमण	0.07
6.	लक्ष्यद्वीप	0.01
7.	पांडीचेरी	0.29
8.	सिल्वासिया	0.00
9.	द्विव	0.00

सूरजमुखी की खेती

2608. श्री वी० कृष्ण राव :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, कुल कितने क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं शुरू करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान सूर्यमुखी के तहत क्षेत्र का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:—

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1. आन्ध्र प्रदेश	1.60
2. हरियाणा	0.18
3. कर्नाटक	8.86
4. मध्य प्रदेश	0.28
5. महाराष्ट्र	4.97
6. पंजाब	0.14
7. तमिल नाडु	0.19
अखिल भारत	16.42

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) देश में सूर्यमुखी सहित तिलहनों के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बीजों के उत्पादन व वितरण, पौध रक्षण उपाय, बीज मिनिकिट, जिप्सम व पाइराइट का वितरण, राइजोबियल कल्चर, छिड़काव यन्त्रों, समुन्नत फार्म उपकरणों और मुख्य व सामान्य प्रदर्शनों आदि के लिए सहायता दी जा रही है। आठवीं योजना के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

कुवैत के उच्च स्तरीय दल की यात्रा

2609. **श्री घमंण्णा मोंडय्या शादुल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से एक उच्च स्तरीय अधिकारिक दल शीघ्र ही भारत का दौरा करने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से एक बहु-विधा वाले कुवैती विशेषज्ञ दल के निकट भविष्य में भारत आने का कार्यक्रम है।

सिलिंडरों से गैस का लीक होना

2610. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री एल०पी०जी० सिलिंडरों के लीक होने के बारे में 10 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6349 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि इंडियन आयल कारपोरेशन ने कुछ जानकारी प्रस्तुत की है, लेकिन संपूर्ण जानकारी की पुष्टि की जा रही है।

पासपोर्ट जारी करने के लिए समय सीमा

2611. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पासपोर्ट कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की तारीख से 5 हफ्ते में पासपोर्ट जारी कर दें। किन्तु पुलिस रिपोर्टें देर से मिलने, प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या में वृद्धि होने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण वे सभी मामलों में इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते।

तथापि, पासपोर्ट सेवाएं शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पासपोर्ट प्रक्रियाओं का सरलीकरण

1. निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों के मामले में यह छूट दी गई है कि पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पुलिस और सी०आई०डी० की सत्यापन रिपोर्ट की अपेक्षा से उन्हें मुक्त रखा जाए।

(क) सभी सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो अपने आवेदनों के साथ सरकारी स्टेशनरी पर अपने विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(ख) सेवा-निवृत्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।

(ग) संघ संसद (राज्य सभा और लोक सभा) और राज्य विधानमण्डलों (विधान सभा और विधान परिषद) के भूतपूर्व सदस्य।

(घ) वर्तमान संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य यदि सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो उन्हें पुलिस सत्यापन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया है।

(ङ) जब कोई आवेदन के साथ निम्नलिखित में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :—

(i) भारत सरकार का उप सचिव या ऊपर का अधिकारी;

(ii) राज्य सरकार का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर का अधिकारी;

(iii) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर का कोई अधिकारी; और

(iv) जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर का अधिकारी ।

2. जिन मामलों में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी आवेदक की सचाई के संबंध में अन्यथा सन्तुष्ट हों और पुलिस तथा सी०आई०डी० से उन्हें व्यक्तिगत विवरण भेजने के चार सप्ताह के बाद भी उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो आवेदक को पासपोर्ट दिया जा सकता है।

3. पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना पासपोर्ट दिया जा सकता है।

4. जिन व्यक्तियों के पास सामान्य पासपोर्ट हैं उन्हें उसकी 10 वर्ष की वैधता समाप्त हो जाने के बाद पुलिस/सी०आई०डी० की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना नया पासपोर्ट दिया जा सकता है।

5. 16-8-1990 से भारतीय सामान्य पासपोर्ट को जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की लगातार अवधि के लिए वैध बना दिया गया है।

6. पासपोर्ट कार्यालयों से सम्बद्ध ट्रैवल एजेन्टों को मान्य करने की प्रक्रिया भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरल बनाई गई है।

7. पासपोर्ट कार्यालयों में विलम्बन बढ़ने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

8. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आवेदकों को फोटो सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है।

9. सभी दृष्टि से भरे हुए आवेदन-पत्र पासपोर्ट कार्यालयों के काउण्टरों पर आवेदकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी स्वीकार किए जाएंगे।

10. पासपोर्ट अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे पासपोर्ट कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर आवेदक के रहने के प्रमाण के लिए प्रतिष्ठित नियोजकों से रोजगार पत्र की प्रति लें।

11. पासपोर्ट आवेदन-पत्र संशोधित किए गए हैं और सभी संगत सूचनाएं संकलित की गई हैं तथा उन्हें प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ लगा दिया गया है ताकि आवेदक आवेदन-पत्र ठीक से भर सकें।

12. खाड़ी-निष्क्रान्तों के मामले में संबद्ध जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्हें पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय किया गया है।

13. 10 दिसम्बर, 1991 से दक्षिण अफ्रीका जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

सहयोगी संगठन

2612. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री के० डी० सुल्तानपुरी :
श्री के० मुरलीधरन :
डा० खुशीराम मुंगरोमल जेसवानी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता मिल रही है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें में प्रत्येक संगठन को प्राप्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन योजनाओं को वरीयता दी गई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 की प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, नशीली दवाओं के व्यसनियों और देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों आदि के कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती रही है। यह योजनाएं वर्ष 1992-93 में भी जारी रखी जाएंगी।

विवरण

क्रम सं०	स्वयंसेवी संस्था का नाम	आबंटित राशि		
		1988-80	1989-90	1990-91
आंध्र प्रदेश				
1.	रायल सीमा सेवा समिति, तिरुपति,	1,00,000	—	99,000
2.	ए० पी० विकलांग कौपरेटिव कारपोरेशन, हैदराबाद	20,50,000	7,30,000	7,30,000
3.	विमुक्ति लैप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन, चिल्ड्रन होम, काकिण्डा	50,000	50,000	—
4.	महा लक्ष्मी वैलफेयर सोसायटी, विजयनगरम	91,000	—	—
5.	आर्टिफिसियल लिम्ब फिटिंग सैन्टर, तिरुपति	—	1,13,000	—
6.	श्रीमती मिरलारमण मैमो० ट्रस्ट, कृष्णा जिला	—	96,660	1,94,295
7.	ठाकुर हरिप्रसाद इस्टीट्यूट आफ मैन्टली हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रन, हैदराबाद	20,25,710	24,64,017	30,23,559
8.	हैदराबाद स्पेशल स्कूल, सिकन्दराबाद	4,84,326	6,15,333	4,46,867

1	2	3	4	4
9.	आंध्र महिला सभा ट्रस्ट, हैदराबाद	60,935	1,73,204	1,18,041
10.	ए० पी० फैडरेशन आफ दि ब्लाइण्ड, हैदराबाद	80,307	84,558	67,365
11.	ओमन वैलफेयर सैन्ट, विजयन नगरम	2,00,000	2,00,000	—
12.	शिवानन्द रिहैब्लिटेशन होम, हैदराबाद	1,53,000	76,500	—
13.	लेखनशिल्पी स्पेशल स्कूल फार मैन्टरी हैंडिकैप्ड, विशाखापट्टनम	—	56,610	1,26,792
14.	पैननकैप सैंटर, सिकन्दराबाद	—	62,738	1,41,430
15.	चाइल्ड गाइडैन्स सैन्टर, हैदराबाद	—	44,810	2,17,484
16	नेचुर टैक्नीकल ट्रैनिंग फाउंडेशन, बंगलौर	—	1,00,000	—
17.	शांतिनिकेतन इंस्टीट्यूट फार मैंटली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन, हैदराबाद	—	—	17,415
18.	सैंटफ्रांसिस एजुकेशन सोसायटी, नेल्लौर	—	—	82,890
19.	मानसिक विकास केन्द्र, विजयवाड़ा	—	—	1,96,995
20.	ओल्ड एज सैंटर, हैदराबाद	87,750	91,800	91,800
21.	एस० सी०/एस० टी० एण्ड चिल्ड्रन वैलफेयर सोसायटी, गुन्टूर	—	—	5,385
22.	इन्दिरा मैमोरियल विकर मैक० डेव० सोसायटी, गुन्टूर	—	—	54,293
23.	आंध्र महिला सभा, हैदराबाद	—	25,000	—
24.	ए० पी० फैडरेशन आफ ब्लाइण्ड, हैदराबाद	—	29,528	—
25.	हैल्प दि वीवर, काकिण्डा	—	40,570	50,000
26.	इण्डियन काउनसिल आफ सोशल वैलफेयर, हैदराबाद	—	40,166	50,000

1	2	3	4	5
27.	कवारा चैरिटेबल ट्रस्ट, कृष्णा जिला	5,39,840	4,65,240	1,36,740
28.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल ऐक्शन, हैदराबाद	—	—	1,57,500
29.	मार्ग एजूकेशन डेव, सोसायटी, चित्तूर जिला	—	—	1,45,845
30.	चाइल्ड फाउण्डेशन आफ इण्डिया, विशाखापट्टनम	—	—	2,95,560
31.	ऐक्शन फार सोशल हेल्थ इन इण्डिया, हैदराबाद	—	84,700	2,02,400
32.	पी० जी० कालेज आफ सोशल वर्क, हैदराबाद	—	2,75,000	—
अरुणाचल प्रदेश				
1.	आर० के० मिशन स्कूल, एलौंग	5,58,462	4,46,618	12,82,378
2.	आर० के० मिशन, नरोत्तमनागर	41,853	41,424	6,08,603
3.	आर० के० मिशन होस्पीटल, हानागर	—	—	6,90,000
असम				
1.	गढ़मोड़ा माडल सत्राहिल्स व रेम कल्ट०, इंस्टीट्यूट, असम	1,90,233	2,11,179	2,53,565
2.	प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, असम	2,82,770	3,60,957	6,54,562
3.	आर० के० मिशन आश्रम, गुवाहटी	1,58,520	1,95,755	12,46,861
4.	आर० के० मिशन सेवाश्रम, सिलचर	2,89,664	3,07,360	3,64,244
5.	गुवाहटी मेंटल वैलफेयर सोसायटी, गुवाहाटी	1,00,000	—	1,27,350

1	2	3	4	5
6.	वोमन सैल्फ एम्पलाइज (स्कीम) एसोसिएशन कछार, असम	—	1,00,044	—
7.	शिशु सरोती स्पास्टिक सोसायटी, गुवाहाटी	—	30,073	36,360
8.	असम सेवा समिति, गुवाहाटी	21,104	4,207	—
9.	श्री माता शंकर मिशन, नागौन	--	46,766	44,516
10.	दयानन्द सेवाश्रम संघ, कार्बी अंगलून्ग	—	34,234	34,844
11.	एसोसिएशन फार हैल्थ इन इण्डिया, नई दिल्ली	—	87,525	1,24,301
बिहार				
1.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, बिहार	6,00,000	6,00,000	—
2.	बिहार रिहैब्लिटेशन एण्ड वैलफेयर इंस्टीट्यूट, पटना	2,50,000	5,00,000	8,24,560
3.	होम फार मैंटल रिटारडेड साइक्लाजिकल सफरर्स, पटना	48,150	7,80,240	14,56,030
4.	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, जिला सीतागढ़ी	—	—	1,00,000
5.	गिरिजा शंकर दृष्टिहीन बालिका विद्यालय, भागलपुर	1,38,501	1,38,262	1,41,399
6.	होम फार मैंटल रिटारडेशन, पटना	3,34,665	3,51,810	4,00,907
7.	संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल, वैद्यनाथ	2,40,591	—	4,02,146
8.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम, नालन्दा	1,50,336	1,57,842	78,921
9.	बिहार रिहैब्लिटेशन एण्ड वैलफेयर इंस्टीट्यूट, पटना	—	17,710	2,72,808
10.	गया नेत्रहीन विद्यालय, गया	—	—	1,72,459
11.	जन विकास केन्द्र, रांची	—	—	13,995

1	2	3	4	5
12.	आर० के० मिशन विवेकानन्द सोसायटी, जमशेदपुर	2,41,882	4,37,036	4,02,786
13.	आर०के० मिशन ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम, रांची	1,00,121	1,35,933	2,05,560
14	सोसायटी फार सरल इंडस्ट्रीलाइजेशन, रांची	—	—	3,84,750
15.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर	—	—	70,200
16.	आर०के० मिशन आश्रम, रांची	6,08,915	6,15,596	6,89,536
17.	यूथ मोबिलाइजेशन फार नेशनल प्रभायन, पटना	48,150	2,32.560	2,53,800
18.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, पटना	—	4,10,399	2,01,400
19.	पंडित बच्चन महिला विकास संस्थान, गोपालगंज	—	1,47,600	2,52,312
	गोवा			
1.	इंस्टीट्यूट फार पब्लिक असिस्टैन्स, गोवा	—	18,000	—
2.	कारिटाज, गोवा	20,000	1,16,213	3,39,453
3.	लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल, गोवा इंडिया, गोवा	—	—	82,230
4.	एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन	—	73,399	1,29,600
5.	सेवाधन आवलन, बांद्रा	—	2,22,475	—
6.	आंध्र फारिया मेमो० फार मापूसा, गोवा	—	—	77,233
7.	आशा भवन, गोवा	—	—	2,22,724
	गुजरात			
1.	मानव कल्याण मंडल ट्रस्ट, गुजरात	1,35,900	—	—
2.	अपंग मानव मंडल, अहमदाबाद	1,38,430	—	—
3.	स्पेशल स्कूल फार मैन्टल रिटारडेशन चिल्ड्रन, पोरबन्दर	28,452	—	—

1	2	3	4	5
4.	रतन सर्विस सैन्टर, आनन्द	1,95,840	—	—
5.	सोसायटी फार दि मैन्टली रिटारडेड, राजकोट	—	92,560	72,429
6.	श्री के०एल० इंस्टी० फार दि डैफ, भावनगर	1,50,000	2,02,415	2,13,299
7.	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइण्ड, दाउद	—	1,00,000	—
8.	ब्लाइण्ड मैन्स एसोसिएशन, अहमदाबाद	13,49,759	14,37,048	18,81,988
9.	मैडिकल केयर सैन्टर ट्रस्ट, बड़ोदरा	2,50,000	3,09,108	3,37,264
10.	अंध जन विविध लक्ष्मी तालीम केन्द्र, जामनगर	3,50,721	3,98,227	3,35,793
11.	श्री डी०एस० प्रकाश डैफ डम्ब स्कूल, सुरेन्द्रनगर	—	16,884	—
12.	शारदा चेरिटेबल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, अहमदाबाद	1,50,000	1,30,000	—
13.	अंध कन्या प्रकाश गृह ट्रस्ट, अहमदाबाद	1,18,154	2,16,270	1,33,192
14.	माता लक्ष्मी रोटेरी चैरिटेबल सोसायटी, आबिपुर	99,324	49,662	—
15.	श्री बी०एच० गांधी डैफ एण्ड डम्ब स्कूल, मोडासा	—	1,50,000	—
16.	बी०एम० इंस्टी० आफ मैन्टल हेल्थ, अहमदाबाद	4,12,554	1,55,440	7,08,365
17.	शिशु सेवा कल्याण मण्डल, हिम्मतनगर	40,000	10,000	—
18.	अंध कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद	79,695	—	47,963
19.	गुजरात कल्याणी ट्रस्ट, अहमदाबाद	3,67,830	9,45,870	9,70,972
20.	श्री काठियावाड़ निराश्रित बाल आश्रम, राजकोट	—	—	19,000
21.	भारत सेवाश्रम संघ, अहमदाबाद	—	—	2,13,552
22.	बलराम सचन क्षेत्र समिति, गुजरात	20,568	20,484	28,614
23.	गुजरात स्टेट क्राइम ट्रस्ट अहमदाबाद	—	40,276	43,112
24.	रचना सेवा संघ, बड़ोदा	—	30,844	30,096

1	2	3	4	5
25.	इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल वेलफेयर, अहमदाबाद	69,300	4,74,254	3,13,134
26.	विकास विद्यालय, गुजरात	—	45,802	31,670
27.	श्री कस्तुरबाई स्त्री विकास गृह, जामनगर	—	50,000	50,000
28.	ज्योति संघ, अहमदाबाद	—	15,028	39,570
29.	विकास गृह, अहमदाबाद	—	24,953	32,286
30.	गांधीनगर जिला समाज कल्याण संघ, गांधी नगर	—	6,597	—
31.	ताप्ती बाई रछोदास गांधी विकास गृह, भावनगर	—	26,988	26,890
32.	जामनगर जिला समाज कल्याण संस्थान जामनगर	—	47,904	49,452
33.	बड़ोदा सिटिजनस काउनसिल, बड़ोदा	—	—	47,412
34.	अखण्ड ज्योति फाउण्डेशन, अहमदाबाद	—	—	43,868
35.	अंध सर्वोदय मण्डल, अहमदाबाद	25,000	—	—
36.	वी-वन सोसायटी, बड़ोदा	2,00,000	2,00,000	2,60,000
37.	चमन लाल भगत चैरिटेबल, अहमदाबाद	25,000	50,000	50,000
38.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी अहमदाबाद	—	50,000	—
39.	सर्वोदय मण्डल, राजकोट	—	—	50,000
40.	कामोली डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, वल्सार	2,07,332	—	—
41.	नशाबन्दी मण्डल, गुजरात	4,72,983	13,76,564	8,08,900
42.	रचनात्मक अभिनय ट्रस्ट, अहमदाबाद	—	64,800	2,18,732
43.	एस०सी० पटेल इंस्टी० कैंसर रिसर्च इंस्टी० एण्ड डी० ऐडिक्सन सैंटर, बड़ोदा	—	2,22,768	5,37,260

1	2	3	4	5
हरियाणा				
1.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, चण्डीगढ़	5,00,000/-	5,00,000/-	5,42,000/-
2.	नेश० एसो० फार द ब्लाइंड, फरीदाबाद	4,00,000/-	1,25,316/-	44,900/-
3.	जिला रेड क्रास सोसाइटी, अम्बाला	50,335/-	1,17,337/-	1,50,000/-
4.	हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फार द हियरिंग ब स्पीच हैण्डीकैप्ड, चण्डीगढ़	80,724/-	—	—
5.	जिला रेड क्रास सोसाइटी, रोहतक	1,98,604/-	3,75,870/-	7,95,060/-
6.	हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फार द डेफ, चण्डीगढ़	—	4,04,579/-	—
7.	सीनियर सिटिजन काउन्सिल, हरियाणा	—	—	27,900/-
8.	आर०एम० एजु० एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, फरीदाबाद	—	—	22,231/-
9.	हरियाणा स्टेट काउन्सिल आफ चाइल्ड वेलफेयर, चण्डीगढ़	6,84,000/-	20,09,121/-	18,61,059/-
10.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, फरीदाबाद	2,14,920/-	6,03,760/-	7,07,411/-
11.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, हिसार	69,300/-	4,39,449/-	2,36,807/-
12.	आई०आर०सी०, करनाल	69,300/-	4,22,280/-	1,58,409/-
13.	एसो० फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया चण्डीगढ़	—	1,56,165/-	1,23,949/-
14.	आई०आर०सी०, पानीपत	—	—	48,150/-
हिमाचल प्रदेश				
1.	हि०प्र० स्टेट काउन्सिल फार चाइल्ड वेलफेयर, शिमला	8,83,491/-	11,73,147/-	3,40,335/-
2.	महिला कल्याण परिषद, हि०प्र०	67,500/-	—	—

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर				
1.	रोटरी इनरव्हील होम फार एम०आर० चिल्ड्रन, जम्मू	94,200/-	84,479/-	66,774/-
2.	जम्मू रेड क्रास होम फार द हैन्डीकैप्ड, जम्मू	—	3,67,768/-	—
3.	आल इण्डिया सैन्टर फार अर्बन एण्ड रुरल-1 डेवलैपमैंट, जम्मू	—	—	3,03,765/-
4.	सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ यूथ एण्ड मेन्स कटरा, दिल्ली	—	1,32,750/-	1,82,619/-
कर्नाटक				
1.	रोटरी 75वीं एनीवर्सरी ट्रस्ट कर्नाटक	1,25,000/-	1,00,000/-	—
2.	एसो० फार द फिजिकली हैण्डिकैप्ड, बैंगलूर	—	2,32,527/-	2,04,332/-
3.	बापूजी अंगीविकाला सेवा, चित्रदुर्गा	2,18,320/-	4,09,225/-	7,02,408/-
4.	श्री उत्सवम्ब विद्या संघ, कर्नाटक	4,38,040/-	2,19,020/-	1,47,630/-
5.	एसोसिएशन आफ द डेफ, कर्नाटक	1,10,718/-	43,209/-	—
6.	बेलगांव जिला एसो० फार द ब्लाइण्ड, कर्नाटक	1,50,000/-	1,50,000/-	1,50,000/-
7.	उत्तर कनाडा जिला डिसैब्लड वेलफेयर एसो०, कर्नाटक	13,790/-	77,446/-	2,12,644/-
8.	इस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, बंगलूर	4,88,117/-	4,02,830/-	7,78,046/-
9.	श्री रमण महर्षि अकादमी फार द ब्लाइंड, कर्नाटक	8,42,716/-	11,33,069/-	12,39,548/-
10.	नेश०एसो० फार द ब्लाइंड, कर्नाटक	2,63,425/-	1,52,178/-	92,186/-

1	2	3	4	5
11.	डा० स्टेनिरी इंस्टीट्यूट फार एम०आर० चिल्ड्रन, कर्नाटक	1,50,000/-	—	—
12.	आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, कर्नाटक	6,53,227/-	10,25,000/-	5,25,000/-
13.	पेरन्ट्स एसोसिएशन आफ द डेफ, सरस्वतीपुरम	22,860/-	23,814/-	—
14.	निवेदिता मनोविकास केन्द्र, बंगलूर	18,450/-	36,900/-	—
15.	मातृमण्डली, मैसूर	26,401/-	—	—
16.	अपोस्टलिक कारमल एजु० सोसाइटी, मैंगलूर	20,000/-	—	—
17.	विश्वधर्मा महिला मुल्तु माकाल शिक्षण सेवा आश्रम समिति, कर्नाटक	2,72,861/-	2,85,754/-	3,15,427/-
18.	सरस्वती महिला समाज, कर्नाटक	26,518/-	96,456/-	74,519/-
19.	नवज्योति ट्रस्ट, बंगलूर	29,605/-	1,24,076/-	40,740/-
20.	बीजापुर जिला फिजि०, हैण्डिकैप्ड वेलफेयर एसो-सिएशन बीजापुर	—	3,63,436/-	3,20,394/-
21.	कर्नाटक हैण्डिकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन, बैंगलूर	—	4,01,896/-	4,62,289/-
22.	एसो० आफ द मैंटली हैण्डिकैप्ड, कर्नाटक	—	37,087/-	63,346/-
23.	कर्नाटक फैडरेशन आफ द ब्लाइण्ड, हानन	—	24,900/-	1,95,730/-
24.	कर्नाटक वेलफेयर एसोसिएशन फार द ब्लाइण्ड, कर्नाटक	—	10,000/-	—
25.	होनम्मा एजु० सोसाइटी, कर्नाटक	—	—	37,255/-

1	2	3	4	5
26.	कस्तूरबा हास्पिटल, कर्नाटक	2,00,000/-	1,00,000/-	2,00,000/-
27.	बोकेशनल रिहैब्लिटेशन सैंटर फार द हैण्डिकैप्ड, बैंगलूर	85,000/-	—	—
28.	द नेशनल फैडरेशन आप द ब्लाइंड, बैंगलूर	—	—	50,000/-
29.	कर्नाटक दलित प्रोग्रेसिव, बैंगलूर	—	—	3,03,975/-
30.	जन कल्याण ट्रस्ट, बैंगलूर	—	—	91,125/-
31.	बोलेन्ट्री कोर्डिनेटिंग ऐजन्सी, बैंगलूर	—	81,000/-	—
32.	काम फाउन्डेशन, बैंगलूर	9,81,700/-	4,44,474/-	4,06,620/-
33.	क्रेस्ट, बैंगलूर	86,850/-	2,38,030/-	1,96,510/-
34.	नेश० इन्स्टी० फार मैन्टल हैल्थ, बैंगलूर	—	2,75,000/-	—
केरल				
1.	केरल फैडरेशन आफ द ब्लाइंड, त्रिवेन्द्रम	9,11,577-/	8,00,044/-	7,80,645/-
	वोल० कोर्डिनेटिंग ऐजन्सी, केरल	—	—	45,000/-
2.	सोसाइटी फार द रिहैब्लिटेशन आफ मैंटली डेफिसैन्ट चिल्ड्रन, कन्नानूर	3,00,000/-	1,46,335/-	44,653/-
3.	आशा भवन सोशल सैन्टर, त्रिचूर	48,514/-	—	—
4.	एसो० फार द वेलफेयर आप हैण्डि०, कालिकट	2,20,000/-	65,668/-	2,94,202/-
5.	रोटरी इन्स्टीट्यूट फार चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पेशल केयर, त्रिवेन्द्रम	1,47,018/-	1,72,795/-	—

1	2	3	4	5
6.	भारत भवन सोशल सैन्टर, केरल	1,14,732/-	1,25,185/-	2,04,402/-
7.	यंग वोमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्वीलोन	30,665/-	27,039/-	31,875/-
8.	कार्तिक नायर स्मारक समिति, बम्बई	1,06,662/-	94,244/-	1,03,359/-
9.	मवन्ना चैरिटेबल सोसाइटी, केरल	17,933/-	49,661/-	1,13,949/-
10.	सुच्चा भवन, केरल	1,31,914/-	1,46,806/-	1,59,779/-
11.	चेरुपुष्पम इण्डस्ट्रियल इंस्टीटयूट, त्रिवेन्द्रम	30,700/-	65,012/-	83,195/-
12.	सोशल वेलफेयर सैन्टर, त्रिवेन्द्रम	88,981/-	3,61,107/-	5,96,929/-
13.	रक्षा सोसाइटी फार केयर आफ चिल्ड्रन, कोचीन	60,080/-	1,10,332/-	1,30,160/-
14.	बाल विकास सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम	39,160/-	44,992/-	70,084/-
15.	विमाला महिला समाजम, केरल	1,00,095/-	1,03,878/-	1,37,542/-
16.	प्रतीक्षा ट्रेनिंग सैन्टर, त्रिचूर	—	33,783/-	1,13,238/-
17.	कोट्टायम सोशल सर्विस, कोट्टयम	—	66,687/-	34,848/-
18.	जयश्री सोसाइटी, केरल	—	11,484/-	—
19.	डायरेक्ट्रेट आफ सोशल एक्शन पालघाट	—	—	51,574/-
20.	केरल स्टेट हैण्डी० पर्सन्स वेलफेयर कारपो० लि०, त्रिवेन्द्रम	—	—	12,00,000/-
21.	आशा नालाजम, कोट्टायम	—	9,855/-	66,213/-

1	2	3	4	5
22.	संथीगिरी आश्रम, त्रिवेन्द्रम	50,000/-	49,642/-	47,932/-
23.	कोराएकज इलाइस सर्विस सोसाइटी, त्रिचूर	—	48,439/-	—
24.	सैन्टर फार सोशल रिसर्च, त्रिवेन्द्रम	—	—	47,676/-
25.	हरिजन सेवक संघ, त्रिवेन्द्रम	—	1,10,669/-	2,05,704/-
26.	आर० के० अर्द्वत आश्रम, केरल	3,82,033/-	3,26,383/-	5,00,651/-
27.	विनोबा निकेतन, केरल	—	3,11,940/-	6,38,095/-
28.	सैन्ट जोसफ दया भवन, कोट्टायम	3,00,000/-	—	69,480/-
29.	एम० जी० एम० अभय भवन, कोट्टयम	—	67,000/-	—
30.	ओजनम सोसाइटी, कोट्टायम	—	2,00,000/-	96,000/-
31.	अभय, त्रिवेन्द्रम	7,82,460/-	5,07,362/-	7,03,946/-
32.	सैन्टर फार ट्रीटमैंट रिहै० एण्ड रिसै०, केरल	—	74,250/-	—
33.	इंस्टी० सैन्टर फार स्टडी एण्ड डेव०, क्वीलोन	—	47,250/-	2,21,236/-
34.	के० वेल्युथम मेमो० ट्रस्ट, केरल	—	1,14,749/-	4,72,888/-
35.	मैसर्स कम्प्युटर लेसर ग्राफिक्स, त्रिवेन्द्रम	—	—	66,862/-
36.	टोटल रेसपोन्स टू अलकोहल एण्ड ड्रग अब्यूज मंगम, कोट्टायम	—	—	2,12,842/-
37.	मुआहिद एजु० ट्रस्ट, कालिकट	—	—	79,650/-
	मध्य प्रदेश			
1.	एम० पी० वैलफेयर एसो० फार द ब्लाइण्ड, इन्दौर	2,12,900/-	1,75,000/-	1,75,000/-

1	2	3	4	5
2.	वेलफेयर एसो० फार द डिसैब्लड, इंदौर	1,64,191/-	1,50,000/-	1,25,235/-
3.	एम० आर० वेलफेयर एसो० फार द ब्लाइण्ड, देवास	1,00,000/-	—	—
4.	आशा निकेतन, भोपाल	—	—	1,50,000/-
5.	कृतिम अंग केन्द्र, इन्दौर	1,50,000/-	1,50,000/-	2,78,000/-
6.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमो० ट्रस्ट, इन्दौर	—	50,000/-	—
7.	नेशनल एसो० फार द ब्लाइण्ड, इन्दौर	—	36,680/-	8,294/-
8.	प्रमोद वन आनन्द धाम, सतना	1,31,731/-	1,34,961/-	31,410/-
9.	आई० सी० एस० डब्ल्यू०, भोपाल	—	93,600/-	37,800/-
10.	डा० बी० आर० अम्बेडकर नेश० इंस्टी० फार सोशल सर्विसेज, इन्दौर	—	1,78,600/-	5,75,775/-
11.	गायत्री शक्ति शिक्षा समिति, जबलपुर	—	—	1,50,825/-
12.	आर० के० मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर	2,06,760/-	3,04,145/-	1,96,400/-
13.	अखिल भारतीय रचनात्मक समाज, भोपाल	69,300/-	2,53,800/-	2,25,303/-
14.	गांधी भवन ट्रस्ट, भोपाल	2,14,920/-	5,26,986/-	10,22,226/-
15.	म्यूनिसिपल कारपोरेशन, भोपाल	3,18,077/-	—	4,00,000/-
16.	सैनिक शिक्षा एवं कल्याण समिति, भोपाल	69,300/-	1,26,900/-	—
17.	म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ग्वालियर	3,00,000/-	—	—
18.	ग्वालियर समाज नशाबंदी परिषद	69,300/-	92,250/-	—
19.	आई० आर० सी० इन्दौर	2,14,920/-	2,49,840/-	6,82,012/-
20.	आर० एस० यूनिवर्सिटी, रायपुर	60,000/-	—	—
21.	म्यूनिसिपल कारपोरेशन, उज्जैन	5,90,000/-	—	—

1	2	3	4	5
22.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, ग्वालियर	—	1,15,207/-	1,24,345/-
23.	बेरोजगार महिला सेवा समिति म० प्र०		—	46,350/-
महाराष्ट्र				
1.	अहमदनगर अपंग कल्याणकारी मण्डल, अहमदनगर	47,460/-	—	—
2.	सुर मण्डल, पुणे	20,000/-	1,04,118/-	1,07,144/-
3.	स्पास्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, बम्बई	16,66,999/-	15,90,170/-	21,66,173/-
4.	थाना जिला स्त्री शक्ति जागृति समिति थाणे	10,000/-	—	—
5.	रोटरी वेलफेयर ट्रस्ट, महाराष्ट्र	2,00,000/-	—	10,000/-
6.	सोसाइटी फार द ब्लैफ०, रिटार्डेड, बम्बई	38,904/-	40,021/-	44,642/-
7.	मातृ सेवा संघ, नागपुर	2,44,896/-	1,94,848/-	1,21,756/-
8.	हेलन केलर इन्स्टीट्यूट फार द डेफ व ब्लैंड, बम्बई	2,18,574/-	—	3,36,528/-
9.	इंडियन कैंसर सोसाइटी, बम्बई	1,57,012/-	—	2,71,418/-
10.	नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइण्ड, बम्बई	10,75,524/-	7,26,559/-	7,60,466/-
11.	अपंग कल्याण व पुनर्वास समिति, महाराष्ट्र	40,964/-	1,50,000/-	—
12.	फेलोशिप फार द पी०एच० बम्बई	30,000/-	41,028/-	75,215/-
13.	श्री वसंत नायक एजु० सोसाइटी, महाराष्ट्र	2,00,000/-	—	—
14.	सी० ए० एस० पी०, बम्बई	6,04,704/-	4,37,956/-	3,39,451/-
15.	द म्यू एजु० सोसाइटी, बम्बई	80,000/-	—	—
16.	रिजर्वड सोसाइटी, बम्बई	2,99,340/-	50,000/-	4,56,524/-

1	2	3	4	5
17.	एजुकेशन आडियोलाजी एवं रिसर्च सोसाइटी, बम्बई	81,251/-	—	95,601/-
18.	कामायनी उद्योग, पूना	33,619/-	—	—
19.	नेशनल सोसाइटी, बम्बई	1,19,036/-	1,82,864/-	50,000/
20.	जानकी बाई शिक्षण संस्था, बम्बई	52,245/-	57,470/-	—
21.	श्री भैरो सेवा समिति, भिवण्डी	40,462/-	—	—
22.	सोसाइटी फार एजुकेशन आफ फिल्ड चाइल्ड, एण्ड एडल्ट बम्बई	8,910/-	—	—
23.	सोसाइटी फार रिहै० आफ फिल्ड चिल्ड्रन, बम्बई	2,84,399/-	—	—
24.	श्री ट्रस्ट, महाराष्ट्र	2,49,529/-	5,59,190/-	6,32,501/-
25.	अस्तित्व, बम्बई	—	1,00,000/-	—
26.	इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी शोलापुर	—	1,23,108/-	—
27.	ब्लाइंड रिलीफ एस० नागपुर	—	1,50,000/	—
28.	लायन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल, नागपुर	—	1,50,000/-	1,50,000/-
29.	ए० एम० एच०, बम्बई	—	56,439/-	94,878/-
30.	के० ई० एम० होस्टीटल, पुणे	—	1,52,547/-	2,03,116/-
31.	पूना सेवा सदन सोसाइटी, पुणे	—	16,200/-	—
32.	सोसाइटी फार रिहैब्लिटेशन आफ पैराप्लीजिया, बम्बई	—	92,500/-	—
33.	महाराष्ट्र शिक्षण, संस्थान, प्रतिष्ठान, पुणे	—	86,535/-	—
34.	महाराष्ट्र अपंग एजु० सोसाइटी, महाराष्ट्र	—	95,475/-	—
35.	नेशनल सोसाइटी फार द इक्वल अपोरचुनिटीज फार द हैंडिकैप्ड, महाराष्ट्र	5,00,000/	5,00,000/-	9,78,010/-

1	2	3	4	5
36.	एन० एस० डी० इण्ड० होम फार द ब्लाइण्ड, बम्बई	—	—	1,03,942/-
37.	श्री राम एजु० सोसाइटी, महाराष्ट्र	—	—	1,50,000/-
38.	मूक बधिर विद्यालय, महाराष्ट्र	—	—	60,911/-
39.	विकलांग विकास संस्थान, महाराष्ट्र	—	—	1,25,909/-
40.	सोसाइटी फार द वेलफेयर आफ फिजिकली हैण्डीकैप्ड, पुणे	—	—	1,50,000/-
41.	विजय मर्चेन्ट रिहैब्लिटेशन सेन्टर फार द डिसैबल्ड, बम्बई	—	—	64,080/-
42.	आर्टिफिशियल लिम्ब सैन्टर, पुणे	25,000/-	50,000/-	—
43.	अपंग मैत्री, थाणे	—	—	1,00,000/-
44.	ब्लाइण्ड वेलफेयर एसो०, अमरावती	—	—	1,13,900/-
45.	विकलांग विकास संस्था-साइलैंड लव, महाराष्ट्र	—	—	1,54,425/-
46.	अंध विद्यालय, महाराष्ट्र	—	—	1,78,098/-
47.	विद्यालय भवन एजु०, महाराष्ट्र	—	—	2,42,860/-
48.	पराइड इण्डिया, बम्बई	—	—	42,926/-
49.	प्रगति प्रतिष्ठान, थाणे	—	—	1,50,000/-
50.	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे	—	15,000/-	45,000/-
51.	अली यावरजंग रा० श्र० वि० सं० बम्बई	6,00,000/-	7,00,000/-	3,50,000/-
52.	इम्पैक्ट इण्डिया फाउन्डेशन, बम्बई	—	—	28,000/-
53.	इण्डियन काऊंसिल आफ सोशल वेलफेयर बम्बई	19,514/-	4,38,242/-	3,14,700/-
54.	चिल्ड्रनस ऐड सोसाइटी, बम्बई	—	50,000/-	50,000/-

1	2	3	4	5
55.	कम्युनिटी ऐड एण्ड स्पान्सरशिप प्रोग०, बम्बई	—	50,000/-	50,000/-
56.	बालग्राम एस० ओ० एस० चिल्ड्रन विलेजेज, पुणे	—	41,688/-	45,404/-
57.	सैन्दर फार द रिस० डेव०, बम्बई	—	6,596/-	19,475/-
58.	नेशनल फाउंडेशन आफ द ब्लाइण्ड, बम्बई	—	35,090/-	42,930/-
59.	इण्डियन ऐसो० आफ रिटार्डेड पर्सन्स, बम्बई	16,218/-	22,500/-	18,000/-
60.	जेष्ठ नागरिक संघ, महाराष्ट्र	—	48,350/-	—
61.	इण्डियन एसो० फार प्रोमोशन आफ आडापशन, बम्बई	—	81,000/-	—
62.	जानकीबाई ट्रस्ट, बम्बई	—	—	27,900/-
63.	बम्बई सबअर्बन सीनियर सिटिजन्स एसो०, बम्बई	—	—	18,450/-
64.	श्री मानव सेवा संघ, बम्बई	—	—	19,800/-
65.	सी० के० पी० सदन, दादर	—	—	3,75,000/-
66.	सर्वेंटस सोसाइटी, पूना	16,99,330/-	21,62,415/-	23,48,153/-
67.	भारतीय समाज क्रान्ति मण्डल, थाने	3,56,144/-	2,48,452/-	4,29,660/-
68.	भारतीय एग्रो इण्डियन फाउंडेशन, पूणे	2,15,000/-	4,25,000/-	3,20,000/-
69.	अपनालय, बम्बई	1,20,285/-	71,751/-	1,13,003/-
70.	भारतीय विकास मण्डल, नागपुर	17,482/-	—	—
71.	लायन्स क्लब आफ अन्धेरी, बम्बई	34,650/-	—	—
72.	लायन्स क्लब, बम्बई (I)	21,375/-	—	—
73.	लायन्स क्लब, बम्बई (II)	42,750/-	—	—
74.	महात्मा ज्योतिराव फूले समिति	7,01,100/-	—	—
75.	मुक्तानन्द मित्र कृष्णा, पत्रकार नगर, पुणे	1,79,100/-	9,76,825/-	8,83,192/-

1	2	3	4	5
76.	नासिक म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नासिक	9,00,000/-	—	—
77.	सेवाधन आवंटन, बम्बई	4,27,460/-	8,80,655/-	8,34,455/-
78.	सुका शान्ति प्रतिष्ठान, बम्बई	1,50,750/-	5,33,641/-	3,51,000/-
79.	ड्रग अब्यूज इनफरेज सेन्टर, बम्बई	—	1,60,200/-	1,05,385/-
80.	फारूक अगेनस्ट ड्रग, बम्बई	—	90,000/-	—
81.	ड्रग रिहैबिलटेशन सेंटर, बम्बई	—	4,01,040/-	7,09,651/-
82.	एम० एस० एस० इंस्टीचयूट आफ सोशियल वर्क, नागपुर	—	1,57,500/-	65,370/-
83.	संदीय शिक्षण संस्थान, नागपुर	—	12,150/-	—
84.	आशा निकेतन, बम्बई	—	—	64,800/-
85.	आइडियल सोसायटी नया बाजार, नागपुर	—	—	13,706/-
मणिपुर				
1.	सैन्टर फार मैंटल हाइजीन, इम्फाल	3,27,280/-	10,33,224/-	11,33,791/-
2.	मणिपुर डेक एण्ड म्यूट एसोसियशन, इम्फाल	—	80,000/-	—
3.	मणिपुर चक्स सर्विस मैनस लीग,	75,000/-	1,00,000/-	—
4.	मिती फुरूरू, इम्फाल	—	20,882/-	—
5.	एसोसियशन आफ प्रो० सोशल वर्कर, इम्फाल	—	13,500/-	2,65,320/-
6.	सैंटर फार सोशल सर्विस, इम्फाल	—	—	1,23,435/-
7.	ट्राइबल सेवक समिति, इम्फाल	45,000/-	—	1,99,385/-
8.	मणिपुर टी० डी० सोसायटी, इम्फाल	—	—	2,33,199/-
9.	मणिपुर रूरल इस्टिट्यूट, इम्फाल	2,91,607/-	2,59,348/-	2,77,560/-
10.	ऐवनजीकल कंवे० चर्च, मणिपुर	—	—	88,350/-
11.	आर० आई० आर० डी० अथारिटी, इम्फाल	—	—	14,886/-

1 2	3	4	5
12. सर्विस एण्ड एजूकेशन फार वेलफेयर एक्शन, इम्फाल	—	—	48,420/-
मेघालय			
1. बेथनी सोसायटी मंडल, मेघालय	—	1,80,045/-	85,748/-
2. लेडिज एण्ड चिल्ड्रन सैंटर, शिलांग	—	—	26,775/-
3. आर० के० मिशन आश्रम, मेघालय	18,23,708/-	20,00,000/-	23,05,846/-
4. आर० के० मिशन, शिलांग, मेघालय	2,13,327/-	3,47,630/-	2,55,775/-
5. काउन्सल आफ चाइल्ड वेलफेयर, शिलांग	—	—	48,150/-
मिजोरम			
1. फेथ होम, ऐजल	3,57,120/-	7,31,320/-	6,45,120/-
2. मिजोरम सिनोद सोशल फंट, ऐजल	3,46,590/-	65,450/-	3,21,230/-
3. सोशल गाइडेन्स एजेंसी, ऐजल	4,26,160/-	9,17,038/-	6,34,776/-
नागालैंड			
1. नागालैंड गांधी आश्रम, नागालैंड	82,249/-	98,821/-	74,129/-
2. बथेडा यूथ वेलफेयर सैंटर, दिमपुर	6,03,350/-	3,64,542/-	4,92,590/-
3. नागा मदर एसोसियशन, कोहिमा	—	—	21,420/-
4. यूथ मिशन, कोहिमा	—	—	94,500/-
5. इवनजीलीकल यूथ फैलोशिप, नागालैंड	—	42,750/-	—
उड़ीसा			
1. विकलांग कल्याण संघ, बालासोर	26,514/-	2,10,743/-	—

1	2	3	4	5
2.	उड़ीसा दृष्टिहीन संघ, भुवनेश्वर	80,000/-	41,150/-	13,000/-
3.	रेड क्रास संघ विद्यालय, बरहामपुर	3,88,283/-	5,07,493/-	—
4.	शांता स्मारक पुनर्वास केन्द्र	—	1,40,359/-	—
5.	नेहरू सेवा संघ, उड़ीसा	—	2,90,134/-	—
6.	एन० आई० आर० डी० आर०, कटक	25,00,000/-	—	—
7.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर	—	5,00,000/-	—
8.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, कालाहंडी	75,000/-	—	—
9.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, फूलबनी	50,000/-	—	—
10.	उड़ीसा बधिर संघ, भुवनेश्वर	—	13,417/-	9,110/-
11.	नीलांचल सेवा प्रविष्ठान, उड़ीसा	—	—	1,06,475/-
12.	ग्राम सेवा मंडल, उड़ीसा	78,975/-	2,22,232/-	3,15,900/-
13.	आशा नाकाम संघ, कटक	22,635/-	—	50,000/-
14.	लोकनायक क्लब, कटक	23,400/-	2,00,000/-	41,175/-
15.	शहीद रवि महापात्र धर्मार्थ न्यास, गंजाम	—	58,347/-	—
16.	वसुन्धरा, कटक	—	18,540/-	19,800/-
17.	सुभद्रा महताब सेवा सदन, फूलबनी	—	73,800/-	1,29,105/-
18.	वनवासी सेवा समिति	—	40,500/-	1,29,105/-
19.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	—	—	1,89,292/-

1	2	3	4	5
20.	ज्योतिर्मयी महिला समिति, कटक	—	—	49,095/-
21.	सिमलाय क्लब, कटक	—	—	16,875/-
22.	कोणार्क कला तथा संस्कृत संघ, कटक	—	—	86,940/-
23.	स्वास्थ्य शिक्षा सोसायटी, भुवनेश्वर	—	—	27,630/-
24.	राष्ट्रीय समाज कार्य संस्थान, भुवनेश्वरी	—	—	1,25,100/-
25.	वनवासी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक	—	—	23,006/-
26.	राम कृष्ण मिशन, भुवनेश्वर	—	—	72,540/-
27.	सोसायटी फार मोरल गाइड एण्ड सर्विस टू पुअर, भुवनेश्वर	1,23,750/-	4,47,370/-	5,90,388/-
28.	सेंटर फार यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर	3,87,900/-	1,62,557/-	2,46,210/-
29.	क्षेत्रीय नशीली दवा निवारण तथा पुनर्वास केन्द्र, राउरकेला	45,000/-	—	—
30.	गोपीनाथ युवा संघ, पुरी	—	14,544/-	—
31.	प्रोजेक्ट स्वराज्य बोरिया साही, कटक	—	28,350/-	—
32.	सिटिजन, कटक	—	—	20,520/-
33.	गवर्नमेंट कालेज, कटक	—	—	18,340/-
पंजाब				
1.	डा० सत्यपाल खालसा [illegible] स्मारक न्यास, [illegible]	5,11,000/-	5,32,453/-	1,00,000/-
2.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, गुरदासपुर	40,320/-	19,440/-	87,750/-

1	2	3	4	5
3.	दृष्टिहीनों के लिए स्वयंसेवी पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना	—	99,777	50,000
4.	निदेशक प्रोस्थेटिक केन्द्र, चण्डीगढ़	15,00,000	14,90,000	20,00,000
5.	नुहकर्म सेवा आश्रम, लुधियाना	1,37,000	2,01,000	1,12,590
6.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, भटिंडा	—	1,50,000	2,71,980
7.	चीफ खालसा दीवान, अमृतसर	—	—	1,57,300/-
8.	नवजीवनी गाइडेंस सेंटर, पटियाला	3,89,209	2,20,989	2,22,769
9.	वाइल्ड वैल्फेयर बोर्ड सिक्किम, चण्डीगढ़	—	1,10,250	1,13,997
10.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, मोहाली	—	—	3,59,730
11.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी जालंधर सिविलियन	—	—	87,750
12.	भारत समाज स्वास्थ्य संघ, गंगटोक	—	1,39,665	1,10,700
राजस्थान				
1.	एल०के०सी० श्री जमदंबा अंध विद्यालय समिति, श्रीगंगानगर	9,17,703	3,29,548	7,41,896
2.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, जयपुर	1,42,169	1,75,068	3,38,239
3.	विद्योसाफिकल सोसायटी, उदयपुर	1,00,000	—	—
4.	बधिर बाल विकास समिति, अजमेर	50,000	38,480	—
5.	बधिर बाल विकास समिति, अजमेर	50,000	—	3,95,874
6.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति, अजमेर	2,00,000	99,918	80,446

1	2	3	4	5
7.	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, भीलवाड़ा	1,04,679	2,00,000	50,000
8.	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	—	1,50,000	2,50,000
9.	मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याणार्थ समिति, जयपुर	—	66,966	2,250
10.	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	25,00,000	29,75,000	41,50,000
11.	सरस्वती शिशु निकेतन, उदयपुर	—	34,602	1,01,565
12.	भारत बाल शिक्षा समिति, जयपुर	—	22,926	24,598
13.	जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर	—	12,800	—
14.	बृजलाल निकेतन समिति, भरतपुर	—	25,816	—
15.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	—	50,000	50,000
16.	ए०के० पब्लिक स्कूल, जयपुर	—	25,940	—
17.	बाल रश्मि सोसायटी, जयपुर	—	21,492	32,767
18.	बाला स्कूल समिति, जयपुर	—	13,671	23,500
19.	अरविन्द भारती विद्यालय समिति जयपुर	—	10,102	39,400
20.	अजीत विद्यामंदिर समिति, जयपुर	—	7,598	—
21.	वरिष्ठ नागरिक परिषद, जयपुर	—	57,510	91,665
22.	विक्टोरिया मांटेसरी स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	—	9,000	81,000
23.	चेतना पब्लिक स्कूल, जयपुर	—	—	28,350
24.	बाल भारती सोसायटी, उदयपुर	—	—	27,900
25.	राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर	—	—	43,200
26.	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	6,85,965	7,66,898	7,55,187
27.	म्युनिसिपल बोर्ड, बाड़मेर	8,29,747	—	—
28.	नगरपालिका परिषद, अजमेर	8,61,893	—	—
29.	नगरपालिका परिषद, जोधपुर	8,38,386	—	—
30.	अफीम निर्व्यसन उपचार, जोधपुर	25,13,526	32,64,668	33,91,827
31.	मानव कल्याण सोसायटी, जयपुर	—	86,400	2,37,600

1	2	3	4	5
32.	इन्दिरा गांधी महिला प्रशिक्षण संस्थान, पिलानी	—	85,050	2,16,700
मद्रास				
1.	लिटल फ्लावर कांवेंट, मद्रास	43,950	62,480	—
2.	गिल्ड आफ सर्विस, मद्रास	3,97,823	2,06,947	1,99,397
3.	महिला स्वयंसेवी सेवा, मद्रास	9,000	3,00,000	3,00,000
4.	पंजाब संघ, मद्रास	22,945	1,46,000	1,25,000
5.	तमिलनाडु संघ, मद्रास	4,21,240	2,74,879	47,165
6.	संत एनीज, पुनर्वास सोसायटी, तिरुचिरापल्ली	1,00,000	—	—
7.	सव्य ज्योति लिटल फ्लावर, मद्रास	51,744	64,651	83,768
8.	हेलेनकीलर सेवा सोसायटी, मदुरै	28,067	1,68,442	39,799
9.	जर्मन कुष्ठ निवारण संघ, मद्रास	72,096	73,730	73,327
10.	स्कूल फार द यंग डीफ, मद्रास	56,018	39,761	76,824
11.	चेस्री होम्स इण्डिया, मद्रास	24,300	—	—
12.	चेस्री होम्स, मदुरै	33,043	33,247	37,710
13.	स्कूल फार मेंटली रिटार्डेड, तंजावुर	43,705	22,542	61,761
14.	भारतीय दृष्टिहीन संघ, मदुरै	47,634	1,01,569	1,34,878
15.	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, मद्रास	1,13,310	97,587	98,556
16.	अन्तगाम इंस्टीट्यूट फार द मेंटली हैंडीकैप्ड, मदुरै	1,37,628	1,29,146	1,48,876
17.	आई० सी० सी० डब्ल्यू०, मद्रास	2,03,393	77,060	1,82,425
18.	आंध्र महिला सभा, मद्रास	2,94,237	3,44,928	3,60,810
19.	अक्षय, मद्रास	3,09,385	2,50,000	2,50,000
20.	बिशोप स्कूल फार द मेंटली रिटार्डेड, तिरुचिरापल्ली	1,00,000	1,00,000	—
21.	तमिलनाडु दृष्टिहीन संघ, मद्रास	43,893	40,049	22,464
22.	नवज्योति न्यास, मद्रास	17,125	1,20,438	56,019

1	2	3	4	5
23.	तमिलनाडु राज्य समाज कल्याण विभाग, मद्रास	20,00,000	—	—
24.	डोलारा होम फार द डीफ चिल्ड्रन, त्रीची	27,040	—	—
25.	बालविहार, मद्रास	63,990	24,475	42,118
26.	तमिलनाडु स्पास्टिक सोसायटी, मद्रास-12	1,16,327	—	—
27.	तमिलनाडु स्पास्टिक सोसायटी-12	7,93,356	1,51,440	7.67,831
28.	सेंट लुइस इंस्टीच्यूट फार द डीफ एण्ड ब्लाइन्ड, मद्रास	44,620	—	—
29.	"वचसाज" मद्रास	1,74,320	—	1,56,006
30.	मद्रास सिटिजन काउन्सिल, मद्रास	40,680	88,610	—
31.	क्रिश्चियन फण्ड फार द ब्लाइन्ड, मद्रास	2,44,318	1,89,485	1,71,719
32.	वाणट्रस्ट, वेल्लौर	4,50,000	3,00,000	—
33.	तमिलनाडु कारपोरेशन फार डेवलपमेंट आफ वूमेंस लि०, मद्रास	—	8,00,000	—
34.	तमिलनाडु स्टेट फेडरेशन आफ द ब्लाइंड, मदुरै	—	49,200	—
35.	"स्टार" कोयम्बटूर	—	39,400	—
36.	अम्बाराम स्पेशल स्कूल, तमिलनाडु	—	36,000	—
37.	इरोड अग्निमा सोसायटी, तमिलनाडु	—	34,000	65,140
38.	सोसायटी फार द एड आफ द हैंडीकैप्ड, कोयम्बटूर	—	1,00,000	6,000
39.	स्वैलोज इण्डिया, मद्रास	—	30,120	—
40.	भारतीय रेड कास सोसायटी, मद्रास	72,00,000	5,14,015	4,73,616

1	2	3	4	5
41.	प्रभादेवी न्यास, तमिलनाडु	—	36,070	35,658
42.	स्केयर्ड हर्ट लेप्रासी, तमिलनाडु	2,00,000	1,00,000	1,03,000
43.	इमैकुलेट हर्ट आफ मेरी, मद्रास	—	—	53,568
44.	सेंट एंजे पुनर्वास सेंटर, मद्रास	—	—	22,629
45.	समाज कल्याण केन्द्र, तमिलनाडु	—	—	15,779
46.	मद्रास इंस्टीच्यूट टू हैबिलिटेट रिटार्डेड एफिलियेटेड, मद्रास	1,00,000	—	98,000
47.	लाइफ हैल्थ सेन्टर, मद्रास	25,000	—	1,00,000
48.	साधना, मद्रास	1,25,000	1,90,000	1,50,000
49.	मुक्ति, मद्रास	—	25,000	—
50.	लोयोला कान्वेंट, मद्रास	—	20,000	—
51.	चर्च आफ साउथ इण्डिया ट्रस्ट, तमिलनाडु	—	—	50,000
52.	श्री कन्याकुमारी आश्रम, तमिलनाडु	—	50,000	49,704
53.	बाल कल्याण गृह, तमिलनाडु,	—	7,097	—
54.	वल्लालुवर शिक्षा सोसायटी, तमिलनाडु	—	42,758	35,952
55.	स्वामी विवेकानन्द चिकित्सा मिशन, तमिलनाडु	—	16,766	16,828
56.	कुकिरबाकोसे इलियास सर्विस सोसायटी, तमिलनाडु	—	—	38,880
57.	धर्मपुरा मनोहर संघम, तमिलनाडु	75,330	79,650	86,400
58.	सेण्ट एंथोनी होम, तमिलनाडु	39,060	24,732	25,732
59.	गांधी सेवा संगम, तमिलनाडु	30,240	30,240	30,240
60.	वाणामलाई महिला संगठन, तमिलनाडु	—	3,35,520	0,57,960
61.	कलईसेल्वी कर्मल्या सोशल वेल्फेयर सोसायटी, मद्रास	—	1,50,000	1,69,255

1	2	3	4	5
62.	सोसायटी फार इम्प्रूवमेंट आफ बीकर सेक्शन, मद्रास	—	—	81,000
63.	पीपुल मल्टीपरपज डेवलपमेंट सोसायटी, तमिलनाडु	—	—	83,700
64.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	—	—	98,460
65.	सोसायटी फार द प्रामोशन आफ मदुरै	—	—	55,800
66.	नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, तमिलनाडु	2,34,302	2,72,700	3,51,338
67.	ए० जी० एम० आई० म्यास, मद्रास	2,12,700	81,450	—
68.	कन्सर्न, मद्रास	3,30,885	1,25,691	1,62,810
69.	भारतीय महिला समाज कल्याण कार्य परिषद, मद्रास	2,58,200	—	—
70	टी० टी० रंगनाथन क्लीनिकल रिसर्च फाउन्डेशन, मद्रास	8,47,395	10,15,372	2,30,184
71.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इन्डिया, मद्रास	—	1,05,852	1,53,530
72.	भारतीय अपराध विज्ञान सोसायटी, मद्रास	—	1,74,150	6,04,272
73.	मद्रास समाज कार्य स्कूल	—	2,75,000	—
74.	मद्रास समाज कार्य संस्थान, मद्रास	—	2,75,000	—
75.	सिस्टर्स आफ द क्रास सोसायटी फार एजुकेशन तमिलनाडु	—	31,000	85,554
76.	श्री परम कल्याण कालेज, तमिलनाडु	—	12,900	—
77.	स्वार्था एजूकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु, मद्रास	—	—	1,52,100

1	2	3	4	5
त्रिपुरा				
1.	नार्थ त्रिपुरा डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, त्रिपुरा	17,23,693	—	—
2.	अम्बुबासा, अगरतला	—	26,800	1,35,090
3.	एसोसियन फार सोसल हैल्थ इन इण्डिया, अगरतला	—	84,700	2,30,184
4.	आल त्रिपुरा एन्टी ड्रग एण्ड एन्टीडाउरी सोसल सोसायटी, अगरतला	—	—	82,350
पश्चिम बंगाल				
1.	एस०आई०एल०ई०एन०सी०ई०, कलकत्ता	14,400	—	78,881
2.	स्पास्टिक सोसायटी आफ ईस्टर्न इण्डिया, कलकत्ता	10,05,261	9,60,138	11,30,680
3.	अलकेन्द्र बोध निकेतन, कलकत्ता	6,04,110	2,16,737	2,56,383
4.	आर० के० मिशन, कलकत्ता	50,897	48,649	55,552
5.	अभिनय भारती मनोविकास केन्द्र कलकत्ता	7,09,552	3,29,249	7,21,586
6.	नार्थ कलकत्ता प्रतिवन्धी सेवा केन्द्र कलकत्ता	37,836	2,805	23,000
उत्तर प्रदेश				
1	श्री वृन्दावन अन्ध महाविद्यालय, राधा निवास, वाराणसी	1,08,230	1,12,600	2,48,481
2.	प्रागनारायण मुक बधिर विद्यालय समिति, अलीगढ़	1,68,255	1,34,978	1,54,980
3.	मूक एवं बधिर विद्यालय, आजमगढ़	2,67,853	—	—
4.	मूक एवं बधिर विद्यालय, मेरठ	1,21,433	1,34,433	1,57,036
5.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, रामपुर	2,00,000	2,90,000	3,76,795

1	2	3	4	5
6.	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति मंडल, अयोध्या	2,96,057	1,48,000	—
7.	चेतना, लखनऊ	4,25,361	3,79,166	3,99,565
8.	मूक एवं बधिर विद्यालय, लखनऊ	1,87,209	1,63,192	6,19,922
9.	बधिर बधिरों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालिज, लखनऊ	1,34,423	67,200	1,33040
10.	रेफिल रेडर चेसेर इन्टरनेशनल सेन्टर फार दी रीलिफ आफ सफरिंग, देहरादून	1,37,012	1,63,317	1,81,000
11.	सूर स्मारक मंडल, आगरा	1,93,451	2,44,699	2,18,333
12.	रोटरी सपोनसर क्रीपल्ड एण्ड यूथ वेल्फेयर सोसायटी, इलाहाबाद	2,20,102	62,675	3,29,925
13.	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्ध विद्यालय, वाराणसी	4,54,121	4,77,944	6,75,984
14.	गूंगे बहरों का विद्यालय, कानपुर	2,63,471	92,115	55,383
15.	मंगलम, लखनऊ	1,99,018	1,52,560	1,40,216
16.	नेशनल फैलोशिप एवं रिहैबिलीटेशन सेन्टर, इलाहाबाद	53,620	30,000	—
17.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ	47,880	1,37,945	1,23,006
18.	मूक एवं बधिर विद्यालय, वाराणसी	1,33,915	1,05,177	2,02,643
19.	नेशनल एसोशिएशन फार द ब्लाइण्ड, अलीगढ़	80,100	3,38,730	2,30,286
20.	अजर धाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार	52,131	2,17,746	3,90,501
21.	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून	3,43,386	—	—
22.	अभिनय रिपेट्री, थियेटर एण्ड रिसर्च इन्स्टीचयूट, लखनऊ	—	6,300	81,108

1	2	3	4	5
23.	एन० सी० चतुर्वेदी स्कूल फार डेफ, लखनऊ	—	3,00,000	1,00,000
24.	उत्तर प्रदेश मूक एवं बधिर संस्थान, इलाहाबाद	—	1,36,000	18,340
25.	पर्यावरण जन जागृति समिति, अलमोड़ा	—	—	63,180
26.	ईश्वर सरन आश्रम, इलाहाबाद	86,667	3,40,910	1,64,944
27.	ह्यूमन सर्विसेज चैरिटेबल सोसायटी आफ इण्डिया, लखनऊ	—	—	2,99,835
28.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर	1,60,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
29.	मंगलम, लखनऊ	13,50,000	15,00,000	13,00,000
30.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद	15,00,000	11,50,000	13,00,000
31.	अभिनय रिपैट्री थियेटर एण्ड रिसर्च संस्थान, लखनऊ	—	—	1,50,000
32.	बहुजन हिताय संस्थान, बरेली	21,600	—	—
33.	बोधी सत्वा साहेब, लखनऊ	56,700	—	—
34.	फ्रेन्डस क्लब, सीतापुर	1,37,700	—	—
35.	हरिजन युवक कल्याण परिषद, लखनऊ	42,300	—	—
36.	मानव संस्थान, सहारनपुर	1,21,500	1,65,474	—
37.	श्री राम सरन स्मारक सेवा पुस्तकालय, बसौली	22,600	—	—
38.	सदाई नहर औद्योगिक समिति, बबाबुं	39,150	—	—
39.	समाज कल्याण सेवा समिति बीरसिंगपुर, सुल्तानपुर	74,160	—	—
40.	सर्वोदय मानव विकास, इलाहाबाद	9,000	—	—
41.	काशी क्लब, वाराणसी	20,10,080	10,25,460	18,69,360
42.	श्री राम बाबू वर्मा चैरिटेबल सोसायटी, आगरा	9,13,086	7,04,887	3,30,302

1	2	3	4	5
43.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन न्यू दिल्ली	—	1,46,881	3,79,794
44.	अभिनय रिपेटरी थियेटर एन्ड रिसर्च इंस्टीचयूट, लखनऊ	—	3,02,060	2,34,900
45.	ग्राम विकास सेवासंस्थान, इलाहाबाद	—	2,24,100	86,050
46.	श्री कांछी लाल शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	—	94,500	42,750
47.	अखिल भारत विकास परिषद लखनऊ	—	47,700	—
48.	स्व० रामदेव सिंह स्वतंत्र संग्राम सेवा, निराश्रित दलित एवं पिछड़ा वर्ग, बस्ती	—	50,400	—
49.	ब्यूरो आफ चाईल्ड वैलफेयर एंड रिसर्च, लखनऊ	20,564	—	—
50	रोटरी प्रायोजित क्रिपल्ड एवं यूथ वैलफेयर सोसायटी, इलाहाबाद	50,000	25,000	34,331
51.	समाज सेवा संघ, दिल्ली	27,697	81,540	54,540
52.	आलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	—	—	11,700
चण्डीगढ़				
1.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, चंडीगढ़	22,000	75,149	1,70,662
2.	चंडीगढ़ मूक बधिर शिक्षा सोसायटी, चंडीगढ़	48,600	55,026	27,513
3.	दृष्टिहीन देखभाल सोसायटी, चंडीगढ़	17,370	15,453	—
4.	भारतीय समाज स्वास्थ्य संघ, चंडीगढ़	—	84,700	2,09,100
5.	वाई० डब्ल्यू०, सी०ए०, चंडीगढ़	1,21,500	4,10,205	1,97,410
दिल्ली				
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2,75,000	50,000	2,91,000

1	2	3	4	5
2.	जन विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	27,50,000	25,00,000	29,98,000
3.	मंगलम, नई दिल्ली	—	10,00,000	12,00,000
4.	अखिल भारतीय बधिर फेडरेशन	8,73,005	10,31,268	9,13,539
5.	मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज तथा अस्पताल	2,00,000	2,00,000	4,00,000
6.	अन्नाज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	5,59,020	6,87,221	9,26,783
7.	भारतीय एच०एच० सोसायटी, नई दिल्ली	1,07,345	1,64,526	2,27,180
8.	दिल्ली काउंसिल फार सी०, डब्ल्यू०, नई दिल्ली	10,000	—	39,000
9.	दृष्टिहीन राहत संघ	3,51,657	1,50,000	3,69,978
10.	एस०एस०बी० मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली	12,00,000	12,25,000	15,87,485
11.	समाज सेवक संघ	1,16,367	2,66,540	71,76,930
12.	भारतीय शिक्षा परिषद	24,37,211	29,80,658	23,16,972
13.	विकलांग कल्याण परिसंघ	—	33,857	36,572
14.	भारतीय आदिम जाति संघ	8,35,983	13,64,742	19,05,013
15.	अखिल भारतीय दृष्टिहीन कनफेडरेशन	1,44,196	1,44,635	3,23,212
16.	भारतीय ग्रामीण संस्कृति केन्द्र	—	21,073	25,764
17.	स्पास्टिक सोसायटी आफ नार्थ इण्डिया	11,12,494	11,06,820	16,36,085
18.	राष्ट्रीय दृष्टिहीन परिसंघ	4,42,941	6,90,059	7,93,096
19.	एच केयर इण्डिया	1,71,442	1,14,921	91,378
20.	हैलपेज इण्डिया	3,10,140	3,18,900	2,79,090
21.	जामिया मिलिया इस्लामिया	—	47,520	34,020
22.	चन्दरावती चौधरी सेवक ट्रस्ट	—	—	1,00,000
23.	भारतीय समाज कल्याण परिषद	—	—	22,275

1	2	3	4	5
24.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	—	1,29,600	83,678
25.	भारतीय नवचेतना विकास समिति	—	—	27,900
26.	आरोह	—	—	1,63,350
27.	आलोक धर्मार्थ न्यास	—	—	11,700
28.	एस०ओ०एस० क्रियश्चियन विलेज आफ इंडिया	—	—	8,29,000
29.	महिला विद्यार्थी तथा विकास केन्द्र	—	—	54,000
30.	क्रिश्चियन इन्सटिच्यूट, नई दिल्ली	—	—	94,320
31.	दिल्ली मानसिक विकलांग कल्याण सोसायटी	3,01,650	—	3,06,580
32.	मन्ना एसोसिएसन, नई दिल्ली	1,76,610	—	3,77,298
33.	डा० जाकिर हुसैन मानसिक सोसायटी	2,01,787	—	1,05,600
34.	जनता आदर्श अन्ध विद्यालय	1,23,660	—	1,64,051
35.	एसोसियसन फार द एडवान्स रिहैबलिटेशन फार हैंडीकैप्ड	1,20,941		
36.	मानसिक विकलांगों का परिसंघ	7,65,148	7,63,573	7,76,492
37.	संजीवनी सोसायटी फार मेंटल हैल्थ	1,15,641	2,96,271	96,191
38.	नई दिल्ली वाई०एम०सी० एसोसिएसन	2,00,000	2,13,18	
39.	इन्स्टीच्यूट फार द ब्लाइंड	77,580	—	28,620
40.	अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ	47,520	1,45,034	49,527
41.	बलवन्त राय मेहता विद्या-भवन	5,91,863	7,46,842	7,55,308

1	2	3	4	5
42.	एसोशिएसन फार द डे आफ मल्टीचुल हैंटीकैप्ट	2,06,158	68,400	1,02,969
43.	महिला विकलांग कल्याण संघ	61,493	1,19,802	—
44.	प्रभा ललित कला संस्थान	33,777	1,34,716	—
45.	एड सोसायटी फार द वेलफेयर आफ मेंटल रिटार्डेड	13,622	1,64,758	1,80,794
46.	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ	—	72,811	6,18,094
47.	अक्षय प्रतिष्ठान	—	61,099	3,95,283
48.	समाधान	—	—	87,617
49.	हरिजन सेवक संघ	36,66,153	37,56,593	35,85,403
50.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी	14,71,429	17,63,924	17,41,138
51.	हिन्द स्वीपर सेवक संघ	4,67,422	3,55,215	5,58,787
52.	राष्ट्रीय शोधित परिषद	3,53,700	9,38,910	13,61,850
53.	श्री एल० बी० शास्त्री सेवा निकेतन	1,00,000	—	—
34.	शोषण उन्मूलन परिषद	—	8,78,053	7,94,480
55.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ	—	25,000	25,000
56.	श्री मुखतियार सिंह स्मारक समिति	—	2,72,655	2,22,328
57.	बंगाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ	—	20,000	1,08,090
58.	राष्ट्रीय श्रम कानून संघ	—	—	1,62,000
59.	बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक शिक्षा सोसायटी	—	—	2,31,120
60.	समाज कल्याण तथा मानव विकास सोसायटी	—	—	1,30,230
61.	भारतीय दलित साहित्य विद्यालय	—	—	4,62,420
62.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ	—	—	1,46,700
63.	मुक्ति संग्राम संघ	—	—	86,040
64.	श्री विनायक शिक्षा समिति	—	—	37,710

1	2	3	4	5
65.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद	5,06,707	15,63,870	11,63,827
66.	अखिल भारतीय दयानन्द सेवा संघ	2,12,000	7,99,990	6,67,242
67.	डी० ए० वी० कालेज	1,54,560	1,97,757	1,87,443
68.	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान	—	—	1,88,145
69.	एसोसिएशन फार नेशनल ब्रदरहुड फार सोसल चेज	67,500	6,92,730	6,92,730
70.	एसोसिएसन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया	30,21,526	19,72,341	8,73,385
71.	दिल्ली विमेन्स लीग	7,86,438	5,04,078	4,00,622
72.	युवक तथा महिला समिति	4,95,830	10,07,625	5,00,069
73.	जायरण दिल्ली	8,50,500	1,39,239	4,00,076
74.	गृह शार्थिक शिक्षा सोसायटी	5,13,593	2,56,135	2,06,259
75.	डा० विद्यासागर कौशल्यादेवी धर्मार्थ न्यास	2,68,311	5,12,821	10,69,081
76.	जन संचार अनुसंधान केन्द्र, जामिया मिलिया	30,000	—	—
77.	इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएसन फार कम्यूनिटी एजूकेशन	—	38,700	54,850
78.	मीरांडा हाउस	—	42,000	39,000
79.	पब्लिसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सरकुलेशन डिस्ट्रीब्यूसन कनसल्टेंट, नई दिल्ली	—	17,500	7,500
80.	संदर्शन, नई दिल्ली	—	45,000	—
81.	विश्वायसन योगाश्रम	—	2,42,100	—
82.	अक्षयवर, नई दिल्ली	—	—	6,000
83	मैसर्स अलिगन एडवटाईजिंग नई दिल्ली	—	—	12,600
84.	आल इंडिया एसोसियशन फार सोशल वेलफेयर फार डाउनट्रोडैन, नई दिल्ली	—	—	82,350
पांडिचेरी				
1.	सेंट जोसेफ, कलसी कानवेंट, पांडिचेरी	1,29,595	—	—

1	2	3	4	5
2	इनैकुलेट हर्ट आफ मेरी कान्वेंट, पांडिचेरी	79,869	1,59,300	1,57,606
3.	एसोसियसन फार सोशल	—	3,42,930	1,30,150
बंगाल				
1.	एस० आई० एल० ई० एन० सी० ई०, कलकत्ता	14,400	—	78,881
2.	स्पाटिक सोसायटी आफ ईस्टर्न इंडिया, कलकत्ता	10,05,261	9,60,138	11,30,685
3.	अलकेन्यू बोध निकेतन, कलकत्ता	6,04,110	2,16,737	3,56,383
4.	आर० के० मिशन, कलकत्ता	50,897	48,649	55,552
5.	अभिनय भारती मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता	7,09,552	3,29,249	7,2,586
6.	नार्थ कलकत्ता प्रतिवन्धी सेवा केन्द्र, कलकत्ता	37,836	2,805	23,000
7.	प्रवर्तक इंस्टीच्यूट फार एम० आर० चन्दननगर	2,99,062	4,29,608	2,99,089
8.	विकास भारती वेलफेयर सोसायटी, कलकत्ता	14,05,834	10,44,400	15,95,533
9.	रिहैबिलीटेशन इण्डिया, कलकत्ता	1,92,318	1,29,705	—
10.	प्रतिबन्धी कल्याण केन्द्र, पश्चिम बंगाल	2,36,880	1,86,473	90,816
11.	जलपाईगुडी कल्याण संगठन, पश्चिम बंगाल	48,780	—	1,46,938
12.	डा० एस० एन० बनर्जी मूक बधिर विद्यालय, पश्चिम बंगाल	91,260	1,24,695	5,09,313
13.	सोसायटी फार रेजेडियल, संगठन, पश्चिम बंगाल	5,32,854	1,84,648	7,47,581
14.	वाणि तथा श्रवण संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	3,13,704	3,39,806	4,07,560
15.	उत्तरी 24 परगना विकलांग व्यक्ति संगठन, पश्चिम बंगाल	20,632	7,286	30,103

1	2	3	4	5
16.	आनन्द भवन, पश्चिम बंगाल	1,62,594	1,74,423	2,07,691
17.	आर०के० मिशन, पश्चिम बंगाल	12,79,842	14,20,423	2,07,691
18.	भारत स्काउट एण्ड गाइड, कलकत्ता	1,50,000	—	5,836
19.	साउथ सुन्दरबन एजुकेशन एण्ड कलचरल संस्थान, पश्चिम बंगाल	—	57,780	14,357
20.	ग्रामीण आर्थिक विकास कलकत्ता	—	64,260	—
21.	श्री श्री आर०के० सहजानन्द शिक्षा तथा धर्मार्थ न्यास, पश्चिम बंगाल	—	—	2,50,000
22.	बुयाज स्पोर्टिंग क्लब, पश्चिम बंगाल बंगाल	—	—	1,00,000
23.	एन०आई०ओ०एच० पश्चिम	4,00,000	18,50,000	20,00,000
24.	बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र, कलकत्ता	1,00,000	2,00,000	2,75,000
25.	दमदम कल्याण सोसायटी, कलकत्ता	—	—	20,000
26.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद, पश्चिम बंगाल	—	2,25,924	2,89.225
27.	वाणि मन्दिर पश्चिम बंगाल	—	19,872	24,170
28.	आर०के० मिशन ब्वायज होम, पश्चिम बंगाल	—	50,000	35,716
29.	बाल कल्याण संघ, पश्चिम बंगाल	—	30,410	30,608
30.	लाइट हाउस फार द ब्लाइंड, पश्चिम बंगाल	—	20,930	—
31.	दि कलकत्ता आरफैनेज, कलकत्ता	—	18,064	—
32.	सेव दि चिल्ड्रेन कमेटी, कलकत्ता	—	32,310	—
33.	आर०के०, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	95,165	2,68,682	1,81,850

1	2	3	4	5
34.	वेलफेयर सोसायटी फार द ब्लाइंड	—	6,320	—
35.	जयप्रकाश समाज परिवर्तन संस्थान, कलकत्ता	—	50,000	80,353
36.	सरोज नलिनी दत्त स्मारक संघ, कलकत्ता	—	1,47,830	20,457
37.	दुलाल समिति संसद, पश्चिम बंगाल	—	12,124	16,795
38.	अखिल बंगाल महिला संघ, कलकत्ता	36,564	17,668	63,720
39.	वृद्धों के लिए आर०के० मठ, गृह, 24 परगना	2,00,000	50,000	—
40.	श्री कृष्ण चैतन्य मिशन, पश्चिम, बंगाल	—	1,30,000	—
41.	पश्चिम बंगाल अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्प-संख्यक कल्याण संघ, प० पश्चिम बंगाल	2,22,400	14,62,210	17,42,840
42.	महिला समन्वय परिषद, प० बंगाल	3,53,160	3,43,921	3,54,001
43.	श्री गुरु बलदेवानन्द आश्रम, पश्चिम बंगाल	—	63,090	—
44.	सरकारी वेतनभोगी संघ, कलकत्ता	—	1,35,000	35,000
45.	समान अध्ययन संस्थान, पश्चिम बंगाल	—	—	13,500
46.	सामपुकुर मातृ समिति, प० बंगाल	—	—	63,382
47.	भारतीय समाज स्वास्थ्य संघ, कलकत्ता	—	—	50,445
48.	सानलीपुर उद्यान क्लब, प० बंगाल	—	—	62,910
49.	विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन, पश्चिम बंगाल	—	—	31,455
50.	बलहुरी महिला मंडल, प० बंगाल	—	—	62,910
51.	बन्सगेरिया प्रतिभा क्लब, पश्चिम बंगाल	—	—	62,910
52.	विपलवी रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, पश्चिम बंगाल	—	—	97,605

1	2	3	4	5
53.	आर०के० मिशन विद्यापीठ पुरूलिया	1,00,000	1,28,996	1,23,348
54.	बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास सोसायटी 24 परगना	—	4,79,360	5,79,261
55.	चन्द्रभान बसु सेवा संघ, कलकत्ता	—	—	79,515
56.	सिद्धू काबू शिक्षा सोसायटी, प० बंगाल	—	—	79,515
57.	डा० बी०आर० अम्बेडकर ममो० एजूकेशन सेंटर प० बंगाल	—	—	37,710
58.	बी० आर० अम्बेडकर शिशु मंगल, पश्चिम बंगाल	—	—	20,154
59.	हरिजन सेवक संघ, पश्चिम बंगाल	3,12,861	4,60,947	4,27,393
60.	मिश्चिल भारत वनवासी पंचायती पश्चिम बंगाल	7,06,792	13,23,480	1,45,797
61.	टैगोर ग्रामीण विकास सोसायटी, पश्चिम बंगाल	1,22,400	1,55,145	1,19,505
62.	विमेन इन सोसल ऐक्शन, पश्चिम बंगाल	—	79,290	1,06,938
63.	समाज अनुसंधान तथा अप्लायड एन्थ्रोपोलौजी, कलकत्ता	—	46,890	51,359
64.	कलकत्ता समरिटन्स, कलकत्ता	2,81,250	1,84,751	1,52,111
65.	सेन्टर फार साइकोलौजिकल टेस्टिंग एण्ड रिसर्च, कलकत्ता	6,99,949	—	8,52,293
66.	इन्स्टिच्यूट फार साइकोलौजिकल एण्ड एजुकेशन रिसर्च, कलकत्ता	3,74,695	1,72,755	2,19,24(
67.	सिटी हैल्थ एण्ड वेलफेयर संघ, कलकत्ता	3,44,602	—	—
68.	विवेकानन्द शिक्षण सोसायटी, कलकत्ता	5,55,430	8,58,235	9,12,200

1	2	3	4	5
69.	इण्डियन मुवी थियेटर, कलकत्ता	2,70,000	1,35,000	1,35,000
70.	अग्रदूत संघ, पश्चिम बंगाल	19,260	43,200	21,150
71.	इण्डियन पपेट थियेटर, कलकत्ता	28,429	—	—
72.	विमेन विकास तथा अनु० संस्था, बर्द्धवान	—	79,550	2,61,450
73.	भारतीय मानव कल्याण संस्थान, कलकत्ता	—	1,11,600	2,53,800
74.	सैंट जोसेफ रिसर्च सेंटर रिलिफ सर्विस कलकत्ता	—	31,500	—
75.	श्री सईद ग्रुप आफ स्कूल, कलकत्ता	—	87,098	—
76.	श्री सईद ग्रुप आफ स्कूल, कलकत्ता	—	2,12,400	5,58,504

बोडो समस्या को हल करने के उपाय

2613. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोडो समस्या को हल करने के लिए अब तक क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) बोडो तथा अन्य मैदानी जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण करने और उन्हें दी जा सकने वाली स्वायत्त-विधान सभा, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक तीन सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1992 तक प्रस्तुत करने की संभावना है।

[हिन्दी]

गुजरात को मिट्टी के तेल का आवंटन

\+

2614. **श्री काशीराम राणा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के लिए कोई निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कुछ अनुरोध प्राप्त

हुए थे। अनुरोध प्राप्त होने के बाद उन पर विचार किया जाता है और विभिन्न पहलुओं, जिसमें उत्पादन उपलब्धता भी शामिल है को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

गैस व्यर्थ जलाने में कटौती करने सम्बन्धी परियोजनाएं

2616. **श्री हरीश नारायण प्रभुझांद्ये :**

श्री ताराचन्द खंडेलवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सभी कुंओं में जहां गैस व्यर्थ जल रही है, गैस व्यर्थ जलाने में कटौती करने सम्बन्धी परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो गैस व्यर्थ जलाने में कटौती करने सम्बन्धी परियोजनाएं कब तक शुरू की जाएंगी और इस सम्बन्ध में शून्य स्तर का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जाएगा; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप गैस की घरेलू मांग की कहां तक पूर्ति की जा सकेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गुजरात, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में और असम में गैस के दहन में कमी करने सम्बन्धी परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। वर्ष 1995 तक दहन को कम करके न्यूनतम स्तरों-तक लाए जाने का अनुमान है। फिलहाल लगभग 11 बिलियन घन मीटर गैस जलायी जा रही है।

नासिक में प्याज और लहसुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

2617. **डा० बसंत पवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में नासिक में प्याज और लहसुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्र के लिए अभी तक भूमि नहीं सौंपी गयी है।

[हिन्दी]

कृषि में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग

+

2618. **श्रीमती सुशीला गौतम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) देश में कृषि के लिए परमाणु ऊर्जा प्रयोग के लिए कौन-कौन से अनुसंधान एकक लगे हुए हैं; और

(ङ) कृषि क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) महोदय, परमाणु ऊर्जा का

प्रयोग फसलों में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने तथा पोषक तत्वों के रूपान्तरण और मृदा में जल की गति के लिए किया जा रहा है। प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना तथा दालों में व्यावसायिक फसलों सहित कई उत्परिवर्तियों का विकास किया गया है। पशु विज्ञानों में इसको रेडियो-इम्यूनों माप निर्धारण, खनिजों के लिए ट्रेसर्स तथा टीका उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

(च) तथा (छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय कृषि के लिए परमाणु ऊर्जा को काम में लाने में लगे हैं। ये कृषि के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों (एजेंसियों) के साथ सहयोग दे रहे हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में नाबालिगों के साथ बलात्कार

2619. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नाबालिगों के साथ बलात्कार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में 1991 और 1992 के दौरान अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) इस आतंक को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1991 से 15 फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान नाबालिगों के साथ बलात्कार के 131 मामले हुए हैं।

उठाए गए कदमों में, बदमाशों की गतिविधियों पर निगरानी गहन करना, सतर्कता में वृद्धि और गहन गश्त करना सम्मिलित है ताकि पुलिस की उपस्थिति और इसका प्रभाव महसूस हो और इसका निवारक प्रभाव पड़े।

[हिन्दी]

भारतीय दूतावासों में बचत के उपाय

+

2620. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश में भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों/वाणिज्य दूतावासों में बचत के उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) विदेश मन्त्रालय ने भारत सरकार द्वारा अपनाए गए वित्तीय उपायों के अनुरूप विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के लिए बचत के उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं सामान्य बजट प्रतिबन्ध, पूंजीगत व्यय और यात्रा के लिये आवंटित खर्च में विशिष्ट कटौतियां और सभी खर्चों में यथासम्भव अधिक से अधिक मितव्ययता बरतना।

[अनुवाद]

सरकारी सेवा में नेत्रहीन व्यक्तियों की भर्ती

2621. **श्री सानीपल्ली गंगाधरा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1981 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में दृष्टि विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण-I में देखी जा सकती है।

(ख) लाभकारी रोजगार में विकलांग व्यक्तियों का स्थापन रोजगार कार्यालयों, विशेष रोजगार कार्यालयों और सामान्य रोजगार कार्यालयों के विशेष सैलों, श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों और खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। नेत्रहीन व्यक्तियों का गत तीन वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया स्थापन निम्न प्रकार है :—

1988 से 1990 तक केन्द्रीय सरकार में लगाए गये नेत्रहीन व्यक्तियों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्थापन
1988	136
1989	117
1990	108

विवरण

दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों (प्रति 1,00,000) की अनुमानित संख्या

राज्य	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	709	426
असम	1190	168
बिहार	518	291
गुजरात	81	234
हरियाणा	530	473
हिमाचल प्रदेश	398	348
जम्मू व कश्मीर	248	141
कर्नाटक	593	315
केरल	255	303
मध्य प्रदेश	484	309
महाराष्ट्र	528	307

1	2	3
मणिपुर	203	68
मेघालय	251	139
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं हुआ	36
उड़ीसा	738	501
पंजाब	727	373
राजस्थान	635	376
तमिलनाडु	565	637
त्रिपुरा	585	395
उत्तर प्रदेश	664	394
पश्चिम बंगाल	364	219
चण्डीगढ़	143	111
दादर व नगर हवेली	318	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	419	173
गोवा, दमन व दीव	451	216
मिजोरम	216	95
पांडिचेरी	814	1,259
सम्पूर्ण भारत	558	356

त्रिपुरा में तेल की खोज

2622. श्री मेघ लाल जोशा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में पाचारथाल में तेल की खोज के लिए हाल ही में 60वें कुएं को चालू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कुएं से कितनी मात्रा में तेल मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पाचारथल क्षेत्र में 60वां कूप, खूबल-1 का फिलहाल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वेधन किया जा रहा है। खोज किए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति और मात्रा के बारे में कल्पना करना समयपूर्व होगा।

[हिन्दी]

एल० पी० जी० की खपत और उत्पादन

+

2623. श्री सूरज मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल०पी०जी० एजेंसियों की, राज्य-वार, खपत कितनी है;

(ख) एल०पी०जी० एजेंसियों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष एल०पी०जी० की खपत और उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी खपत और उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) एल०पी०जी० का उत्पादन वर्ष 1988-89 में 1760 टी०एम०टी० वर्ष 1989-90 में 1948 टी०एम०टी० और वर्ष 1990-91 में 2144 टी०एम०टी० था। एल०पी०जी० की मांग हमेशा अधिक रही है। उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में स्वदेशी उत्पादन और आयात में वृद्धि करना शामिल है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	खपत 1990-91 हजार मी० टन में आंकड़े	31-12-01 को एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें
1.	आंध्र प्रदेश	188.36	337
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.31	12
3.	असम	35.02	108
4.	बिहार	62.44	143
5.	गोआ	12.53	29
6.	गुजरात	214.78	292
7.	हरियाणा	72.96	119
8.	हिमाचल प्रदेश	3.75	43
9.	जम्मू और कश्मीर	16.02	58
10.	कर्नाटक	108.78	237

1	2	3	4
11.	केरल	80.90	171
12.	मध्य प्रदेश	114.71	219
13.	महाराष्ट्र	496.49	548
14.	मणिपुर	3.75	9
15.	मेघालय	2.72	14
16.	मिजोरम	1.55	10
17.	नागालैंड	2.03	14
18.	उड़ीसा	20.01	82
19.	पंजाब	92.33	166
20.	राजस्थान	77.78	164
21.	सिक्किम	0.71	2
22.	तमिलनाडु	204.01	305
23.	त्रिपुरा	2.45	11
24.	उत्तर प्रदेश	247.07	442
25.	वैस्ट बंगाल	124.90	224
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	0.44	1
2.	चंडीगढ़	14.61	26
3.	दादर और नागर हवेली	0.52	1
4.	दिल्ली	205.03	225
5.	दमन	0.58	2
6.	लक्ष्यद्वीप	0.02	1
7.	पांडिचेरी	7.42	5

कीटों पर नियन्त्रण

2624. **श्री राम सहाय चौधरी :**

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फसलों के लिये हानिकारक कीटों पर नियन्त्रण के लिये राज्य सरकारों को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कीटों के खतरे पर प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रण लगाने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) देश में कृमियों प्रकोप पर प्रभावी रूप से काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें लगातार निम्नलिखित कदम उठाती हैं, जिनके कारण पिछले कुछ समय के दौरान मुख्य कृमियों/रोगों के फैलने पर नियन्त्रण रखा गया है :—

(1) कृमियों/रोगों की घटनाओं का पता लगाने के लिये नियमित निगरानी कार्यक्रम ।

(2) समेकित कृमि प्रबन्ध के विभिन्न घटकों को लोकप्रिय बनाना जिनमें पालन, यांत्रिक, जैविक नियन्त्रण तथा अन्तिम विकल्प के तौर पर सुरक्षित कृमिनाशी दवाइयों को इस्तेमाल करना शामिल है ।

(3) पौध रक्षण टेकनोलाजी के आधुनिक पहलुओं के बारे में विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रुपए लाखों में
1.	आंध्र प्रदेश	508.88
2.	असम	114.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	142.80
5.	गोवा	3.50
6.	गुजरात	280.30
7.	हरियाणा	201.91

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	42.87
9.	जम्मू और कश्मीर	42.00
10.	कर्नाटक	254.23
11.	केरल	6.57
12.	मध्य प्रदेश	595.58
13.	महाराष्ट्र	360.65
14.	मणिपुर	1.00
15.	मेघालय	3.36
16.	मिजोरम	0.50
17.	नागालैंड	0.50
18.	उड़ीसा	143.53
19.	पंजाब	218.71
20.	राजस्थान	333.51
21.	सिक्किम	19.50
22.	तमिलनाडु	111.19
23	त्रिपुरा	14.69
24.	उत्तर प्रदेश	541.95
25.	पश्चिम बंगाल	275.00
		4217.53

उत्तर प्रदेश में कृषि परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

2625. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी कृषि परियोजनाओं के लिए धन दिया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और क्या उपलब्धियां की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित दो चालू कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई है :—

(1) उत्तर प्रदेश में चम्बल के बीहड़ क्षेत्रों/यमुना के ग्रवण क्षेत्र में समेकित पनधारा प्रबन्ध ।

(2) उत्तर प्रदेश में भीमताल समेकित पनधारा प्रबन्ध ।

(ख) उत्तर प्रदेश में चम्बल के बीहड़ क्षेत्रों/यमुना के ग्रवण क्षेत्र में समेकित पनधारा प्रबन्ध ।

पीछले तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92 तक) के दौरान दिसम्बर, 1992 तक के लिए चम्बल/यमुना परियोजना के तहत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. भूमि विकास	(हैक्टेयर)	47466.18	39426.41
2. सम्बद्ध कार्य			
(क) सड़क निर्माण	कि० मी०	70.86	39.27
(ख) नलकूप	(संख्या)	167	90
(ग) प्रदर्शन प्लाट	(संख्या)	1312	1228
(घ) उन्नत पद्धतियां	(हैक्टेयर)	29339	20561.50

उत्तर प्रदेश में भीमताल समेकित पनधाधारा प्रबन्ध

यह परियोजना मई, 1990 से कार्यान्वित की जा रही है। 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान, जनवरी, 1992 तक, निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
(क) वानिकी	(हैक्टेयर)	150	150
(ख) मृदा संरक्षण	(संख्या)	470	349
(ग) बागवानी			
(1) निजी फलोद्यानों को उन्नत करना/पुराने फलोद्यानों का नवीकरण	(हैक्टेयर)	45	59
(2) वासभूमि फलोद्यान	(संख्या)	5000	5582
(घ) सहायक सिंचाई	(संख्या)	7	4
(ङ) कृषि	(संख्या)	2801	2792
(च) पशुपालन			
(1) चारा मिनिकिटों/उपकरणों का वितरण	(संख्या)	361	270
(2) चारागाह विकास	(हैक्टेयर)	10	12

[अनुवाद]

नई दिल्ली में बम विस्फोट

2626. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में कमला नगर क्षेत्र में खड़ी की गई एक पुलिस वेन में एक देशी बम का विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सुराग मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बम विस्फोट में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) एक व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दो अन्य व्यक्ति जिन पर इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का सन्देह है, लापता है। आतंकवादियों के सम्भावित छिपने के स्थानों पर कई छापे मारे गए हैं। दो अभियुक्तों का पता लगाने के लिए पुलिस के दो दस्ते पंजाब भेजे गए हैं। विस्फोटक पदार्थ अनिनियम की धारा 4/5, और टी०ए०डी०ए० अधिनियम की धारा 3/4/5 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/427/120-ख के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32 के तहत एक मामला थाना रूप नगर, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है।

भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गैस की सप्लाई

2627. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1992 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में "गैस प्रोपोजल्स शाक इण्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गैस की सप्लाई में विलम्ब के फलस्वरूप गैस पर आधारित नए उर्वरक एककों के उत्पादन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) इन एककों को समय पर गैस सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) एच०बी०जे० पाइपलाइन के मार्ग के उर्वरक संयंत्र को गैस की आपूर्ति गेल के साथ हुए समझौते के अनुसार किए जाने की सम्भावना है ।

महाराष्ट्र में पंजाब के आतंकवादी

2628. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि पंजाब के आतंकवादी पंजाब छोड़कर भाग रहे है और महाराष्ट्र में अपने ठिकाने बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बनाए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) ऐसी घटनाएं जानकारी में आई है ।

(ख) बम्बई, नासिक, धुले, नागपुर और वर्धा जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं ।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । तथापि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर उपलब्ध आसूचना संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं । राज्य को, जितयी भी सहायता सम्भव होगी दी जाएगी ।

हसन में आलू अनुसंधान केन्द्र

2629. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में हसन में आलू अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन पर कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये पेट्रोल/डीजल पम्प खोलना

2630. **श्री नन्दी येल्लैया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने के लिए सरकार द्वारा किन दिशा-निर्देशों/मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल/डीजल पम्प उपलब्ध न होने के कारण मोटर वाहन मालिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में मेंडक जिले में रामायमपेट और लूपरन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक नया फिलिंग स्टेशन बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये फिलिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे

बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए एम० एस० एच० एस० डी० का सम्मिलित और केवल एच० एस० डी० के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए अलग से मात्रा-दूरी मानक निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश के स्थानों सहित देश के विभिन्न स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। विपणन सर्वेक्षण, आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर तेल कम्पनियां ऐसे स्थानों को अपनी विपणन योजना में शामिल करती है।

(ङ)	वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र
	1988-89	19
	1989-90	21
	1990-91	09

राज्यों के लिए मिट्टी तेल का आबंटन

2631. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सारे वर्ष एक समान आधार पर मिट्टी का तेल आबंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के लिए कर्नाटक हेतु कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए विकल्पों के अधार पर 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवम्बर, 1991 से एक रूपता के आधार पर मिट्टी के तेल का आबंटन किया जा रहा है। नवम्बर, 91 से कर्नाटक का मासिक कोटा 36975 मी० टन है।

संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग

2632. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान किसी संगठन द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार से प्राप्त सहायता राशि के दुरुपयोग का पता चला है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) तीन संगठनों अर्थात राष्ट्रीय शोषित परिषद, दिल्ली, श्री विनायक एजूकेशनल सोसायटी दिल्ली क्या बंगाल शिडयूल्ड कास्टस एण्ड शिडयूल्ड ट्राइबस डिवैल्पमैंट सोसायटी, 24 परगना, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध निधियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) शिकायतों पर विभागीय जांच कर ली गई है तथा जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आवश्यक समझी गई कार्रवाई की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा अमेरिका में कश्मीरियों को धन दिया जाना

2633. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अमेरिका में रह रहे कश्मीरियों को पाकिस्तान द्वारा धन दिये जाने के सम्बन्ध में हाल में प्रकाशित रिपोर्टों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ खबरों की जानकारी है ।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान से बार-बार यह अनुरोध किया है कि वह सत्रुतापूर्ण भारत-विरोधी प्रचार न करे जिससे कि शिमला समझौते का पूर्ण उल्लंघन होता है और द्विपक्षीय सम्बन्धों का वातावरण दूषित होता है । सरकार ने जम्मू और कश्मीर के बारे में सही तथ्यों को प्रतिलक्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं और बराबर उठाती रहेगी । भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत करा दिया गया है ।

क्षेत्रीय पारगमन पत्र कार्यालय को अतिरिक्त स्टाफ

2634. **श्री कोडुकुन्नील सुरेश :**

श्री जी० माडेगौडा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर, कोचीन और त्रिवेन्द्रम के क्षेत्रीय पारगमन पत्र कार्यालयों को अतिरिक्त स्टाफ देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

विदेश मंत्री की कुवैत यात्रा

2635. **श्री रवि राय :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कुवैत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुवैती नेताओं के साथ किन-किन आपसी मामलों पर बातचीत हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या कश्मीर के मसले पर भी बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां । मैं 15 और 16 फरवरी, 1992 को कुवैत की राजकीय यात्रा पर गया था ।

(ख) कुवैत के नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत में सभी द्विपक्षीय मामलों की व्यापक समीक्षा शामिल है । इन बातचीतों से भारत और कुवैत के बीच के घनिष्ठ और मधुर सम्बन्धों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है ।

(ग) जी हां।

(घ) कुवैत ने भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी सम्बन्धों को द्विपक्षीय रूप से और शिमला समझौते के अनुसार निपटाए जाने का पूरी तरह से समर्थन किया है।

काजू के पौधे की कलम की सप्लाई

2636. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित काजू के पौधों की कलमारोपण सम्बन्धी कोई योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश को काजू की पौधों की कितनी कलमें प्रतिवर्ष सप्लाई की जाती हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में काजू के पौधों की कलमों की मांग तेजी से बढ़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में इन कलमों की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में 1991-92 के दौरान क्लोनल (कलम) पौधरोपण सहित क्षेत्र विस्तार के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के बागवानी विभाग को 9 रुपये प्रति कलम की दर से केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(घ) और (ङ) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1992-93 के दौरान आंध्र प्रदेश में एक लाख काजू की कलमें वितरित करने का प्रस्ताव है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादन

2637. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन किया गया और चालू वर्ष सहित उक्त अवधि के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या उत्पादन और लाभ में निरन्तर ह्रास हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की प्रतिस्थापित क्षमता और उपलब्धि कितनी-कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख)

वर्ष	क्रूड तेल का उत्पादन एम० टी०	कर पश्चात लाभ (करोड़ रु०)
1988-89	29.64	1602
1989-90	31.09	1624
1990-91	30.35	1048

1989-90 की तुलना में 1990-91 के लिए लाभ में कमी मुख्यत: उच्चतर मुद्रा हानि, बट्टे

खाते में डाली गई सूखे कुएं की लागत, मूल्य ह्रास/रिक्तिकरण और प्रचालनगत व्यय के कारणों से हुई थी।

(ग) "प्रतिस्थापित क्षमता" जैसी कोई संकल्पना तेल क्षेत्रों के सम्बन्ध में नहीं है।

(घ) अनेक तेल और गैस क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्यों में मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की तैनाती

2638. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर समय-समय पर मध्य प्रदेश सशस्त्र बल को विभिन्न राज्यों में तैनात किया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सशस्त्र बल को अन्य राज्यों में तैनात किए जाने पर खर्च हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में ऐसी तैनाती के लिए राज्यों को कितनी राशि देय है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, कुछ छूट प्राप्त राज्यों के अलावा जिनके सम्बन्ध में खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, को छोड़कर, बल मांगने वाले राज्यों को बल देने वाले राज्यों को खर्च की प्रतिपूर्ति करनी होती है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित राशि देय है—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राशि
1.	असम	22,33,63,493-00
2.	केरल	1,33,38,012-00
3.	लक्षद्वीप	2,96,15,000-00
4.	आन्ध्र प्रदेश	5,50,243-00
5.	दिल्ली	1,87,968-00
6.	चण्डीगढ़	58,00,000-00
7.	बिहार	1,90,395-00
8.	उड़ीसा	19,724-00
9.	पंजाब	39,13,360-00

(ख) इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को देय राशि का भुगतान जल्दी करें।

समन्वित उद्यान विकास कार्यक्रम

2739. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज** : क्या कृषि मन्त्री 5 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 2314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने कर्नाटक में समन्वित उद्यान विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किन स्थानों का चयन किया है; और

(ख) यह योजना कब शुरू की जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चुल्लापल्ली रामचन्द्रन):(क) और (ख) विश्व बैंक ने, कर्नाटक में समेकित बागवानी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अभी किसी स्थान को अभिज्ञात नहीं किया है। इसने, अब उष्ण-कटिबन्धीय बागवानी के समेकित विकास पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कर्नाटक सहित नौ राज्यों में व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के व्यवहार की आलोचना

2640. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों ने पिछले एक वर्ष के दौरान लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के कितने मामलों में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की आलोचना की है; और

(ख) न्यायालयों के आदेशों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) ऐसे तीन मामले सूचित किए गए, जिनमें आलोचना की गई।

(ख) दो मामलो में विभागीय जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है।

कृषि अनुसंधान संस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित करना

2641. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश कृषि अनुसंधान संस्थान बड़े शहरों तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने का है ताकि वे किसानों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय सामान्य तौर पर स्थान की उपयुक्तता, अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता, अनुसंधानकर्त्ताओं, विद्यार्थियों, औद्योगिक प्रतिनिधियों तथा किसानों जैसे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की सुलभता को ध्यान में रखकर ही अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संस्थान अपने मौजूदा स्थान में सौंपे गए कार्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध

2642. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अरब देश ने इजरायल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के भारत के निर्णय का औपचारिक रूप से विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा उन देशों को विश्वास में लेने के लिए क्या कदम उठाया गया है?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि का विकास

2643. श्री बी० सोमनाद्रीश्वर राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपनी पत्रिका "टैक्नालाजी एप्लीकेशन्स आफ रोबर एण्ड रीजनल इम्बैलेंस" में मूल्य की दृष्टि से भारतीय कृषि की क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विशाल अप्रयुक्त-क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० सेंसमा) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यरत भूतपूर्व दो वैज्ञानिकों ने "द इकनोमिक्स टाइम्स" में प्रकाशित इस लेख में भौतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारतीय कृषि के सक्षमता-सम्बन्धी अन्तरों का मूल्यांकन किया है।

(ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुझायी गयी टैक्नोलोजी को पूरी तरह अपनाए न जाने के फलस्वरूप वास्तविक रूप में प्राप्त की गई उपज और प्राप्त होने वाली उपज के अनुमानित अन्तर को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) भारतीय कृषि की क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्तार कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास कार्यों जैसे—महत्वपूर्ण साधनों जैसे उर्वरक तथा उन्नत बीज के लिए सिंचाई में बढ़ोतरी तथा उत्पादन तथा लाभकारी मूल्य समर्थन के माध्यम से ठोस प्रयत्न किए गए हैं।

दिल्ली में भूमि पर जबरदस्ती कब्जा

2644. मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ समाज विरोधी गिरोह भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने में सक्रिय हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसको ऐसे किसी गिरोह की जानकारी नहीं है ।

(ख) जब कभी ऐसे किसी गिरोह का पता लगेगा, तदनुसार कानूनी कार्रवाही की जाएगी ।

पुलिस बल के लिए समान कोड

2645. श्री वी० शमंजय कुमार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस बल सम्बन्ध में कोई समान कोड बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तैयार किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

2646. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 और जनवरी, 1992 तक राज्यवार अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचारों के कितने मामले हुए;

(ख) कितने मामलों की जांच की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीड़ित परिवारों को कितनी सहायता दी गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सूचना जिस हद तक उपलब्ध है, अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में विवरण-I और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में विवरण-II में दे दी गई है ।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उपबन्धों का प्रवर्तन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है । तथापि, कभी-कभी अत्याचारों के कुछ विशिष्ट मामलों की जांच भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है । बड़े पैमाने पर हत्याओं आदि वाले अत्याचारों के गम्भीर मामलों में मंत्री/उप मन्त्री भी घटना स्थलों का दौरा करते हैं ।

(ग) वर्ष 1991 और जनवरी, 1992 के दौरान, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा गुजरात तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को 164.72 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त, गांव चूड़ा थाना कुण्डा, तहसील जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुर जिले के देव, सहियारा और बिहुता गांवों के पीड़ितों को प्रधान मन्त्री राहत कोष से 17.95 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई ।

विवरण—I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	19	117	27	06	195	364	सितम्बर, 91
2.	असम	01	——	01	—	12	11	अक्तूबर, 91
3.	बिहार	15	15	25	23	170	357	जून, 91
4.	गोवा	01	——	——	—	04	05	दिसम्बर, 91
5.	गुजरात	20	94	14	22	1205	1355	दिसम्बर, 91
6.	हरियाणा	06	——	19	02	45	72	जनवरी, 92
7.	हिमाचल प्रदेश	—	02	06	—	31	39	दिसम्बर, 91
8.	जम्मू और कश्मीर	—	01	02	—	39	42	दिसम्बर, 91
9.	कर्नाटक	19	32	10	12	518	591	अक्तूबर, 91
10.	केरल	10	18	32	05	595	660	दिसम्बर, 91
11.	मध्य प्रदेश	92	329	245	63	4653	5382	दिसम्बर, 91
12.	महाराष्ट्र	26	38	32	12	462	573	दिसम्बर, 91
13.	उड़ीसा	07	16	13	23	313	272	दिसम्बर, 91
14.	पंजाब	20	06	03	—	06	35	नवम्बर, 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	राजस्थान	39	159	113	94	1693	2098	दिसम्बर, 91
16.	सिक्किम	—	—	—	—	31	31	जनवरी, 92
17.	तमिलनाडु	07	04	06	12	452	481	नवम्बर, 91
18.	उत्तर प्रदेश	284	734	194	284	3308	4804	दिसम्बर, 91
19.	पश्चिम बंगाल	—	01	04	—	05	10	नवम्बर, 91
20.	दादर और हवेली	—	—	—	—	—	—	दिसम्बर, 91
21.	दिल्ली	01	—	01	—	03	05	जनवरी, 92
22.	पांडिचेरी	01	—	01	01	02	05	दिसम्बर, 91
कुल		571	1566	748	559	13751	17195	

टिप्पणी—अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है ।

विवरण—II

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	09	17	17	—	31	74	अप्रैल, अगस्त, एवं अक्तूबर, 94 से जनवरी, 92
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	जून, अगस्त, से जनवरी, 92
3.	असम	—	01	01	—	01	03	जुलाई, 91 से जनवरी, 92
4.	बिहार	01	—	03	01	08	13	जनवरी, 1992
5.	गुजरात	19	34	20	03	130	206	जनवरी, 92
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	01	01	—
7.	कर्नाटक	—	—	—	01	14	15	जुलाई, 91 से जनवरी, 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	केरल	—	01	04	01	32	38	मई, जून, अगस्त, अक्तूबर, 91 से जनवरी, 92
9.	मध्य प्रदेश	62	152	190	20	1721	2145	सित०, नवंबर, 91 से जनवरी, 92
10.	महाराष्ट्र	06	14	14	05	149	188	सित०, दिस०, 91 एवं जनवरी, 92
11.	मणिपुर	4	3	00	—	—	07	—
12.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	दिस०, 91 और जनवरी, 92
13.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	जनवरी, 92
14.	उड़ीसा	02	07	08	05	112	134	अगस्त, 91 और जनवरी, 92
15.	राजस्थान	11	37	16	11	361	436	जनवरी, 92
16.	सिक्किम	01	03	—	—	23	27	
17.	तमिलनाडु	02	—	—	—	43	46	जुलाई, से अक्तूबर, एवं सित०, 91 जनवरी, 93
18.	पश्चिम बंगाल	03	—	—	—	02	05	सित०, से दिस, 91 और जनवरी, 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	01	—	—	01	
20.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	08	08	
21.	दमन और दीव	—	—	—	—	04	08	नवम्बर, 91 और जनवरी, 92
	कुल	120	269	275	47	2640	3351	

1. जम्मू और कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश ने सूचित नहीं किया ।

2. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में सूचना शून्य है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल से अपराधियों को छोड़ना

2647. डा० सी० सिलवेरा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिहाड़ जेल में रखे गये अपराधियों को छोड़े का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने अपराधी छोड़े जाने हैं;

(घ) तिहाड़ जेल में एक समय में कितने कैदी रखे जा सकते हैं; और

(ङ) क्या इस समय तिहाड़ जेल में क्षमता से अधिक संख्या में कैदी रखे गए हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) लगभग 2000 कैदी।

(ङ) 31-12-1991 को तिहाड़ जेल में 7033 कैदी थे।

[हिन्दी]

पिछड़े बकाया आरक्षित पद

+

2649 श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के उनके मन्त्रालय के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी-वार कितने पिछले बकाया पद थे;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान इन आरक्षित पदों को भरने में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार ने शेष आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

1984 के दंगों पर रिपोर्ट

2650. श्री राम नाईक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1984 के दंगों पर कुसुमलता मित्तल-कपूर रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) जिन अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट में कार्रवाई करने की सिफारिश है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अधिकारियों को अपना बचाव करने का अवसर दिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । कपूर-मित्तल समिति ने 1 मार्च, 1990 को दिल्ली के उप-राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन के इन विचारों से सहमत है कि दंगों के दौरान पुलिस अधिकारियों की भूमियों के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करने के लिए कुसुमलता मित्तल की सिफारिशों को उचित आधार माना जाना चाहिए ।

(ग) सुश्री मित्तल ने 72 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अन्य समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश की है ।

(घ) और (ङ) समिति का कार्य, प्रत्येक पुलिस अधिकारी के कार्यों और चूकों की जांच करने के लिए, मुख्यतः प्रशासनिक स्वरूप का है और न कि अर्ध-न्यायिक मन्च के रूप में कार्य करने का जब भी विभागीय कार्यवाहियां शुरू होंगी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाएगा ।

तापती गैस क्षेत्र में गैस निकालने हेतु धन का नियतन

2651. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तापती गैस क्षेत्र में गैस निकालने हेतु कितना धन नियत किया गया;

(ख) तापती गैस क्षेत्र से कितनी गैस गुजरात को आवंटित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) बिजली परियोजनाओं के लिए गुजरात में कितनी गैस का आवंटन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) वर्तमान वचनबद्धता 7.25 एम० एम० एस० सी० एम० डी० (जो ताप्ती क्षेत्र की नहीं है) की है ।

[हिन्दी]

भारत में स्थाई रूप से रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक

+

2652. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी नागरिक भारत में स्थाई रूप से रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विभाजन के समय से ही पाकिस्तान में अल्प समुदाय भारत में पलायन कर रहे है। इस समय पाकिस्तानी राष्ट्रिक अल्प अवधि के वीजा पर भारत आ रहे हैं। उनमें से कुछ यहां पर स्थाई रूप से ठहरने के प्रयोजन से दीर्घावधि के वीजा के लिए आवेदन करते है और उनके मामलों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। ऐसे कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखी जाती है।

[अनुवाद]

भारत के गंगा के मैदानों की भूमि उर्वरकता

2653. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के गंगा के मैदानों में लवणता में वृद्धि होने के कारण भूमि की उर्वरकता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुत्तलापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) जहां कहीं भी भूमि लवणोदता से प्रभावित होती है वहां की मृदा की सामान्य उर्वरता कम हो जाती है। फसल उत्पादन में कमी पौध तन्तुओं पर लवण के विषैले प्रभावों, अनिवार्य पौध पोषक तत्वों का सीमित उपग्रहण, पौध के विकास से पानी को हटाने आदि, सिंचाई वाले क्षेत्रों में इण्डो-गैंगेटिक मैदानों के लवणीय मृदा में उर्वरा शक्ति में कमी के बढ़ने के कारण होती है।

अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला इण्डो गैंगेटिक मैदान का लगभग 2.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र मृदा लवणीयता से प्रभावित है।

(ग) मृदा लवणीयता की समस्या पर काबू पाने के लिए, जल संसाधन मन्त्रालय के कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है :—

(1) खेत की नालियों का निर्माण करने, भूमि को समतल करने तथा भूमि को आकार देने सम्बन्धी विकास निर्माण कार्य खेतों पर करना;

(2) जल-निकासों को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना;

(3) सतही और भूमिगत जल के संयुक्त इस्तेमाल को प्रोत्साहन करना;

(4) उपयुक्त सस्य पद्धति को अपनाना;

(5) अनुकूली परीक्षणों, प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विस्तार प्रयासों के जरिये किसानों में ऐसी जागरूकता पैदा करना कि वे पानी का और अधिक कुशलता तथा विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें।

अन्य इलाकों में, उपयुक्त सस्य पद्धति को अपनाने, मृदा सुधारकों के अनुप्रयोग तथा जल निकासी की सिफारिश की जाती है।

मणिपुर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

2654. **श्री याइमा सिंह युमनाम :**

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या कृषि मन्त्री 22 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मणिपुर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की कब तक स्थापना कर दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेका) : महोदय, मणिपुर में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सेब की खेती

2655. **श्री गुरुदास कामत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेब की खेती किसानों के लिए अलाभप्रद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में सेब के रोपण के अलाभकारी होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) जहां कहीं भी कृषकों के मजबूरी में बिक्री करने की आशंका होती है, राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन करती है। राज्य सरकारों को बाजार हस्तक्षेप क्रियाकलापों की लागत के 50 प्रतिशत का वहन करने के लिए अपनी इच्छा भी बतानी होती है।

केरल में डीजल ऊर्जा उत्पादक यूनिटों के लिए तेल लिंकेज

2656. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में ब्रह्मपुरम, कालीकट और केसरगोडु में स्थित डीजल से चलने वाले ऊर्जा उत्पादक यूनिटों के लिए डीजल की सप्लाई (तेल लिंकेज) हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि इन परियोजनाओं को तेल मुहैया कराने के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमति दी जाए।

पारगमन पत्र के नए कार्यालय

2657. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

श्री जगदीश पटेल :

श्री हरिभाई पटेल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1992-93 के दौरान राज्यवार कितने नये पारगमन पत्र के कार्यालय खोले जाने का विचार है और वे कहां-कहां स्थित होंगे ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : 1992-93 के दौरान नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इन कार्यालयों की संख्या और स्थान उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों पर निर्भर करेगा।

कोचीन हाई में तेल की खोज

2658. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन हाई में तेल की खोज के मामले में अब तक की उपलब्धियां क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अब तक दो कुओं की खुदाई की गई है किन्तु हाइड्रोकार्बनों का कोई पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

2659. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के पास मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश में अब तक तेल/गैस की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं हुई है।

काली मिर्च की खेती का विकास

2660. **श्री पाला के० ए म० मैथ्यू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने और इसे विकसित करने हेतु एक मास्टर योजना तैयार करने का है?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काली मिर्च की खेती के विकास हेतु केरल को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केरल में काली मिर्च की खेती, उसके प्रोत्साहन और विकास के लिए मास्टर-प्लान बनाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केरल सरकार ने सात वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में बाहरी सहायता से 160.92 करोड़ रुपये की लागत से केरल में काली मिर्च के विकास के लिए हाल ही में एक परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं—वर्तमान उद्यानों को फिर से ठीक करना, क्षेत्र विस्तार, कार्यकलापों तथा अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना आदि। सन् 2000 ईसवी तक 1.05 लाख मीटरी टन काली मिर्च का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का ध्येय है।

(ग) वर्ष 1992-93 तथा आठवीं योजना (1992-97) के दौरान काली मिर्च की खेती के

विकास हेतु केरल सरकार को दी जाने वाले सहायता की राशि का अभी अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि इस, हेतु 337.04 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें से इलेक्ट्रिक मसाला विकास कार्यक्रम" नामक योजना के अन्तर्गत काली मिर्च की खेती के विकास के लिए केरल सरकार को 1991-92 के दौरान 330.30 लाख रुपये पहले ही निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

श्रीलंका को लाल मिर्चों का निर्यात

2661. श्री हरिन पाठक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को लाल मिर्चों का निर्यात करने में नैफेड को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पलायन

2662. श्री पीयूष तीरकी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य भूमि से जनता का पलायन रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए "परमिट सिस्टम" शुरू करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ज्वार, ओंगा और सेन्टीनल्स सहित मूल जनजातियां लुप्त होती जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एच० सैक्या) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की समस्या की ओर पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान गया है। द्वीप समूह विकास प्राधिकरण के कहने पर गठित एक उप-दल-प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाला एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने, जिसने उक्त समस्या का 1987-88 में अध्ययन किया था, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं सुझाए। तथापि, इस प्रकार का कोई निर्णय लेने के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से कानूनी और संवैधानिक पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होगी।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगला देश से अवैध रूप से आए घुसपैठिए

2663. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान बंगला देश से अवैध रूप से आये भारत-बंगला देश सीमा पर गिरफ्तार किये गये घुसपैठियों की सेक्टर-वार संख्या क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने घुसपैठियों को बंगला देश वापस भेजा गया और कितनों को स्थानीय प्राधिकारियों के पास कानूनी कार्यवाही हेतु सौंपा गया ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1991 के दौरान भारत-बंगला देश सीमा पर बंगला देश के 61,888 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया । क्षेत्र-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

कलकत्ता	52626
कृष्णानगर	2902
मालदा	1419
किशनगंज	334
सिलीगुड़ी	477
कूच बिहार	776
गोवाहाटी	62
शिलांग	377
सिलचर	308
मिजोरम	123
उत्तरी त्रिपुरा	731
दक्षिण त्रिपुरा	1753

(ख) वर्ष 1991 के दौरान बंगला देश वापस भेजे गए प्रवासियों की संख्या 53,733 है और 8,155 प्रवासियों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपा गया ।

पाकिस्तान में भारतीय कैदी

2664. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

कुमारी उमा भारती : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में सेना कार्मिकों सहित कितने भारतीय जेलों में बंद हैं;

(ख) इन्हें छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तानी जेलों में 1031 भारतीय हैं ।

(ख) सरकार ने सभी भारतीय कैदियों को रिहा करके उन्हें भारत वापस भेजने के प्रश्न को पाकिस्तान की सरकार के साथ कई अवसरों पर उठाया है। भारतीय कैदियों को रिहा कराने के प्रयास बराबर किए जा रहे हैं।

पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 में संशोधन करना

2665. **श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) इस बारे में नई दिल्ली नगर पालिका ने दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गुजरात में मेहसाना में चिरोंडीपुर से अनुसूचित जातियों के लोगों का पलायन

2666. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को उस राज्य में मेहसाना में चिरोंडीपुर से अनुसूचित जातियों के लोगों के पलायन के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रवासी अनुसूचित जातियों को मेहसाना के निकट लखवाड में बसाने के लिए कदम उठाए गए हैं तथा नकद राहत, अस्थायी आश्रय स्थल तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशियों का अवैध रूप से बसना

2667. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मन्त्री भारत में विदेशियों के अवैध रूप से बसने के बारे में 2 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। अनेक राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों ने अभी तक अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है। उन्हें इसे शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है।

विदेशी जासूसों और आतंकवादियों की गतिविधियां

2668. **श्री ललित उराव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1992 के हिन्दुस्तान (पटना) में "सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी जासूस व उग्रवादी सक्रिय" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में रसोई गैस सिलिंडरों में पानी भरा पाया जाना

2669. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में गैस सिलिंडरों में रसोई गैस के स्थान पर पानी भरा पाया गया है;

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान सरकार को इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नारियल का वृक्षारोपण

2670. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती राज्यों में नारियल के वृक्षारोपण के विकास के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में ऐसी कोई योजना शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का क्या उड़ीसा में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल के वृक्षारोपण के अन्तर्गत क्षेत्र लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) नारियल विकास बोर्ड नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए एक योजना क्रियान्वित कर रहा है । इस योजना में उड़ीसा समेत देश के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। यह योजना 1984-85 से उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत बोर्ड तीन वार्षिक किस्तों में छोटे और सीमान्त किसानों को 3000/- रुपए प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राजसहायता प्रदान करता है । अभी तक 25.627 लाख रुपये की कुल राज-सहायता के साथ नए पौध रोपण के अन्तर्गत राज्य में 1377 हैक्टेयर भूमि कवर की गई है ।

(च) और (छ) अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । बहर-हाल, योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए 2500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने का अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

[हिन्दी]

सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध

2671. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर के साथ आपसी संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) उस पर सिंगापुर की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत और सिंगापुर दोनों समान रूप से अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करने तथा उनका प्रसार करने के इच्छुक हैं । दोनों पक्षों ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में उनके संवर्द्धन के लिए अनुकूल प्रयास किए है । इन प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ एक-दूसरे के देश की उच्च स्तरीय यात्राएं, सामूहिक हित के क्षेत्रों में सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, हाल में सिंगापुर में भारत में निवेश पर लगी संगोष्ठी जैसी संगोष्ठियों का आयोजन और दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है ।

[अनुवाद]

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

2672. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया रिफाइनरी के विस्तारण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

असम में चावल अनुसंधान केन्द्र

2673. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार असम के बारपेटा जिले में एक चावल अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सप्रेटा दुग्ध पाउडर

2675. श्री टी० जे० अन्नलोज :

श्री एम० रामन्ना राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से सप्रेट दुग्ध पाउडर के आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) 1991-92 के दौरान देश में प्रमुख शहरों को आवंटित किए गए सप्रेटा दुग्ध पाउडर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रमुख शहरों को सप्रेटा दुग्ध पाउडर के आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) सप्रेट दुग्ध चूर्ण के आवंटन के सम्बन्ध में केरल सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा महानगरीय और अन्य शहरी डेरियों को जारी की गई सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) और (च) महानगरीय और अन्य शहरों की डेरियों को सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	नाम	मात्रा (मीटरी टन में)
(क) महानगरों की डेरियां		
1.	दिल्ली	8591
2.	कलकत्ता	3754
	योग (क)	12345

1	2	3
(ख) अन्य शहरों की डेरियां		
1.	गुवाहाटी	152
2.	बोकारो	40
3.	रांची	50
4.	पटना	10
5.	मुजफ्फरपुर	30
6.	जमशेदपुर	90
7.	अम्बाला	70
8.	बल्लभगढ़	35
9.	शिमला	111
10.	जम्मू	78
11.	बंगलौर	140
12.	मणिपाल	20
13.	गुलबर्गा	10
14.	मंगलौर	10
15.	शिमोगा	10
16.	मैसूर	20
16.	हसन	10
18.	तुमकूर	10
19.	कोजीकोड	46
20.	कन्नानौर	17
21.	एर्नाकुलम	45
22.	कोट्टायम	19
23.	क्विलोन	40
24.	त्रिवेन्द्रम	34
25.	भोपाल	125
26.	उज्जैन	20
27.	इम्फाल	10

1	2	3
28.	भुवनेश्वर	220
29.	अगरतला	101
30.	दार्जीलिंग	98
31.	पांडिचेरी	30
	कुल (ख)	1701
	कुल योग (क+ख)	14046

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छात्रों को दसवीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति

2676. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा छः से दस तक के छात्र कक्षा ग्यारह और बाहर के छात्रों से अधिक छात्रवृत्ति ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दसवीं कक्षा के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार की राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अनुमत्य छात्रवृत्ति दरें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की मैट्रिकोतर छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत समूह "ङ" पाठ्यक्रम अर्थात कक्षा 11 और 12 तथा स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष के होस्टलों में रहने वाले छात्रों को अनुमत्य अनुरक्षण भत्तों की दरों से अधिक हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त वाली सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुमत्य अनुरक्षण भत्ते की दरे शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर अर्थात कक्षा 11 से आगे तक के लिए हैं और इनकी तुलना किसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी वर्ग अथवा श्रेणी के लिए निश्चित छात्रवृत्ति की दरों से नहीं की जानी हैं। तथापि, राज्य सरकारें उत्तर मैट्रिक स्तर के अध्ययन करने वाले को स्वयं अपने संसाधनों से योजना के अन्तर्गत अनुमत्य दरों से अधिक छात्रवृत्ति देने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) इस योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरे 1-7-1989 से संशोधित कर दी गई हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

+

2677. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के लिए क्या तरीका अपनाया गया है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों के संदर्भ में भी पहाड़ी क्षेत्रों के मानदण्ड को अपनाया जाएगा ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) लड़कियों या लड़कों के होस्टलों के लिए पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र में चुने गए स्थानों का निर्णय स्थानीय स्थिति के अनुसार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सामग्री के परिवहन, मजदूरी आदि की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई लागतें अधिक होती हैं।

(ग) फासला या दूरी कोई मापदंड नहीं है।

गृह कर का निर्धारण

2678. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये मकानों के गृह-कर के निर्धारण के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या अपने मकानों में खुद रहरहे तथा किराये पर दिए गए मकानों के मामले में गृह-कर अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गृह कर, मकान के कर योग्य मूल्य का प्रतिशत होता है :—

कर योग्य मूल्य निम्न प्रकार से निकाला जाता है :—

(i) जो संपत्तियां, दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के उपलब्धों के अन्तर्गत आती हैं :—

(क) स्वयं कब्जे वाली—दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई लागत का 30-11-88 तक 8.25% और उसके बाद 10%

(ख) 5 वर्ष की अवधि के लिए पहली बार किराये पर देते समय निर्धारित वार्षिक किराया, और उसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई लागत का 31-11-88 तक 8.25% और 1-12-88 से 10%

(ii) वे संपत्तियां जो दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के क्षेत्राधिकार से बाहर है :—

(क) स्वयं कब्जे वाली—तुलनात्मक किराया

(ख) किराए पर दी गई—वास्तविक किराया

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में मकानों का निर्माण/आवंटन नहीं किया है।

रिजर्व बटालियन

2679. **कुमारी उमा भारती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई रिजर्व बटालियन गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और उक्त बटालियन को कहां तैनात किया जायेगा;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) क्या उक्त बटालियन में महिलाओं की भी भरती की जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) रिजर्व बटालियन गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में छोटे तेल क्षेत्रों की खोज

2680. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार गुजरात में छोटे तेल क्षेत्रों की खोज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन क्षेत्रों में तेल की खोज करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1-1-1991 तक गुजरात में खोले गए 27 छोटे तेल क्षेत्रों में से 10 में उत्पादन आरम्भ हो गया है।

(ग) और (घ) छोटे तेल/गैस क्षेत्रों के दोहन के सम्बन्ध में गुजरात सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत करती रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

+

2681. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किन-किन स्वैच्छिक संगठनों को कल्याणकारी कार्यों के लिए अनुदान /वित्तीय सहायता मिली है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को वर्षवार कितनी राशि का अनुदान/वित्तीय सहायता मिली;

(ग) क्या इन संगठनों ने सरकार को नियमित रूप से अपने लेखे तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) जब तक लेखे का परीक्षित विवरण/उपयोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं किए जाते अनुदान विमुक्त नहीं किए जाते ।

विवरण

	1988-89	1989-90	1990-91
गुजरात			
1. मानव कल्याण मण्डल ट्रस्ट, गुजरात	1,35,900/-	—	—
2. अपंग मानव मंडल, अहमदाबाद	88,430/- 50,000/- 1,38,430	—	—
3. सोशल स्कूल फार एम० आर० चिल्ड्रन, पोरबंदर	28,452/-	—	—
4. रोटेरी सर्विस सेंटर,	1,49,840/-	—	—
5. सोसाइटी फार द मैंटली रिटार्डेड, राजकोट	—	92,560/-	72,429/-
6. श्री के० एल० इंस्टिट्यूट फॉर दे डेप, भावनगर	1,58,000/-	1,00,000/-	2,13,299/-

1	2	3	4	5
7.	नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड, राहोद	1,50,000/-	1,00,000/-	2,13,299/-
8.	ब्लाइंड, मेनस एसोशिएशन, अहमदाबाद	13,69,759/-	14,37,048/-	18,81,988/-
9.	मेडिकल केयर सेन्टर ट्रस्ट, बड़ोदरा	2,50,000/-	3,09,108/-	3,37,254/-
10.	अधेजन विविध लक्षी तालिम केन्द्र, जामनगर	3,50,721/-	3,98,227/-	3,35,493/-
11.	श्री डी० एस० पारेख डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, सुरिन्द्र नगर	—	16,984/-	—
12.	भारवा चरेटेबल एण्ड एजु ट्रस्ट, अहमदाबाद	1,50,000/-	1,30,000/-	—
13.	अन्ध कन्या प्रकाश गृह ट्रस्ट, अहमदाबाद	1,18,154/-	2,16,270/-	1,33,192/-
14.	माता लक्ष्मी रोटेरी चेरिटेबल सोसाइटी, बाविपुर	99,324/-	49,662/-	—
15.	श्री बी० एच० गांधी डेफ एण्ड डम्ब स्कूल मवासा	—	1,50,000/-	—
16.	बी० एम० इन्स्टीच्यूट आफ मेंडल हेल्थ अहमदाबाद	4,12,554/-	1,55,440/-	2,98,365/-
17.	शिशु सेवा कल्याण मंडल, हिम्मत नगर	40,000/-	10,000/-	—
18.	अंध कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद	79,695/-	—	47,963/-
19.	गुजरात कलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद	3,67,830/-	9,45,876/-	9,70,972/-
20.	श्री काठियावार निर्वपित बाल आश्रम, राजकोट	3,67,830/-	9,45,976/-	19,000/-
21.	भारत सेवाश्रम संघ, अहमदाबाद	—	—	2,13,552/-

1	2	3	4	5
22.	बलराम सचन क्षेत्र समिति गुजरात	20,568/-	20,484/-	28,614/-
23.	गुजरात स्टेट ऋइम ट्रस्ट, अहमदाबाद	—	40,376/-	43,112/-
24.	रचना सेवा संघ, बडौदा	—	30,344/-	30,096/-
25.	इंडियन क्रीमिनल सोशल वेलफेयर, अहमदाबाद	69,300/-	4,74,254/-	3,13,134/-
26.	विकास विद्यालय गुजरात	—	45,802/-	31,670/-
27.	श्री कस्तूरबा श्री विकास गृह, जामनगर	69,300/-	50,000/-	80,000/-
28.	ज्योति संघ, अहमदाबाद	—	15,928/-	39,590/-
29.	विकास गृह, अहमदाबाद	—	24,953/-	52,286/-
30.	गांधीयन जिला समाज कल्याण संघ, गांधीनगर	—	5,557/-	—
31.	तापी बाई रछोडरा गांधी विकास गृह, भावनगर	—	26,988/-	26,988/-
32.	जामनगर जिला समाज कल्याण संस्था, जामनगर	—	47,904/-	49,452/-
33.	बडौदा सिटीजन काऊंसिल, बडौदा	—	—	47,412/-
34.	अरुन्धतज्योति फाउंडेशन, अहमदाबाद	60,300/-	47,904/-	43,868/-
35.	अंध सवेदिया मंडल, अहमदाबाद	28,000/-	—	—
36.	बी० ओम सोसाइटी, बडौदा	2,00,000/-	2,00,000/-	2,60,000/-
37.	चमन बाल भगत चेरिटेबल अहमदाबाद	25,000/-	50,000/-	50,000/-
38.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, अहमदाबाद	—	50,000/-	—
39.	सर्वोदय मंडल राजकोट	—	—	50,000/-

1	2	3	4	5
40.	काशोदी डेफ एण्ड डम्ब स्कूल बल्लार	2,07,332/-	—	—
41.	नशाबन्दी मंडल गुजरात अहमदाबाद	4,72,983/-	13,76,564/-	8,08,900/-
42.	रचनाटक अभिनय ट्रस्ट, अहमदाबाद	—	64,800/-	2,18,732/-
43.	एस० सी० पटेल, कैंसर रिसर्च एण्ड डी० आंडिकशन सैंटर, बडौदा	—	2,22,768/-	5,37,260/-

कटासराज जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री

2682. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री कुल चन्द्र शर्मा :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में कटासराज तीर्थ स्थल की आगामी यात्रा के दौरान भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : भारतीय तीर्थयात्रियों को 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक पूजा-स्थलों की यात्राओं के सम्बन्ध में सम्पन्न हुए प्रोतोकोल की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान में काटसराज पूजा स्थल की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। मेजबान सरकार के रूप में पाकिस्तान सरकार उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। भारत के हाई कमीशन, इस्लामाबाद से सम्पर्क अधिकारियों को अनिवार्यतः भारतीय तीर्थयात्रियों के ग्रुपों के साथ भेजा जाता है ताकि उन्हें आवश्यक सहायता दी जा सके और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ उनके कल्याण संबंधी कार्य को समन्वित किया जा सके ।

[अनुवाद]

पोडु की खेती

2683. श्री दत्तात्रेय बंडारु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों के आदिवासी अवैज्ञानिक रूप में पोडु की खेती करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें पोडु की खेती न करने को प्रेरित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गयी;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने उनको पोडु की खेती से अलग करने के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश में झूम खेती का स्थानीय नाम पोडु की खेती है। यह खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में तथा छुट-फुट रूप से महाराष्ट्र, केरल कर्नाटक तथा सिक्किम राज्यों में की जाती हैं। यह पद्धति सामान्यतया आदिवासियों तक ही सीमित है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 146 लाख रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था करके 1300 परिवारों को बसाने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से झूम खेती पर नियन्त्रण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। इसके अनुभवों के आधार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में राज्य योजना के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर झूम खेती पर नियन्त्रण के लिए 1987-88 में एक स्कीम शुरू की गई थी। 75 करोड़ रुपये के परिव्यय से 25000 परिवारों को बसाने के लक्ष्य के प्रति बसाने के लिए 26,532 परिवारों को अभिज्ञात किया गया था तथा यह स्कीम 1990-91 तक जारी रखी गयी। 8वीं योजना से यह स्कीम अब राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं।

(घ) 1991-92 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के एकीकृत विकास के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये, जिनमें पहला 4-2-1988 को एस०डी०आर० 9.25 मिलियन (12 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) तथा दूसरा एस०डी० आर० 14.05 मिलियन (20 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) था। इन परियोजनाओं में प्राकृतिक संसाधन विकास, विपणन, ऋण समर्थन, समुदाय तथा महिला विकास स्वास्थ्य, शिक्षा आदि घटक शामिल हैं।

"माडल फारमर स्कीम"

2684. श्री दत्तात्रेय बंडारु :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री अन्ना जोशी :
श्री चित्त बसु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भानु प्रताप सिंह समिति द्वारा प्रस्तावित "माडल फारमर स्कीम" को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ की जाएगी; और

(घ) समिति की अन्य सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से इस समिति की सिफारिशों की बारीकी से जांच की जा रही है।

पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा जासूसी

2685. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री बलराज पासी :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री अच्चन कुमार पटेल :
श्री अन्ना जोशी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा जासूसी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है । तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय बीज निगम

2686. श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण के अध्ययन हेतु गठित "टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज" ने अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही कर दी गई; और

(घ) सरकार ने इस निगम में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित और खाली पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्ययन रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(1) संबंधित उत्पादन और विपणन;

(2) उत्पाद मिश्रण में संशोधन;

(3) कर्मचारी स्तर को संशोधित उत्पादन तथा विपणन कार्यकलापों के अनुसार समायोजित करना;

(4) ऋण : साम्या (डेट इक्विटि) अनुपात को सुधारने के लिये संचयी घाटों को बट्टे खाते में डालना;

(ग) उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए निधियां निर्मुक्त की जा रही हैं।

(घ) चूंकि निगम इस समय कड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, इसलिए कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती

2687. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने गत छः महीनों के दौरान विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यर्थियों को भर्ती की है;

(ख) इस समय श्रेणी-वार कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाए गये है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 25-10-91 के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। इसके अनुसार, रिक्तियां निर्धारित करने तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि को मांग भेजने का कार्य 1-12-91 तक पूरा किया जाना था। अभियान के दौरान (20-2-92 को) भरी गई रिक्तियों की संख्या और अभी भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। अभी भरी जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/रोजगार कार्यालयों को मांग भेजने, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने आदि सहित सभी उपाय पहले ही पूरे कर लिये गये हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, बकाया रिक्तियों को भरने के लिए चलाए गये विशेष अभियान के दौरान भरी गई रिक्तियों तथा अभी नहीं भरी गई रिक्तियों के ब्यौरे का विवरण।

पदों की श्रेणी	भरी गई रिक्तियों की संख्या		अभी नहीं भरे गये पदों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप "क"	14	7	7	3
ग्रुप "ख"	—	1	11	16
ग्रुप "ग"	86	206	840	783
ग्रुप "घ"	3	1	3	15

[अनुवाद]

दिल्ली में लावारिस लाशों का मिलना

2688. **श्री पवन कुमार बंसल :**

श्री रमेश चेन्निथला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान दिल्ली में अब तक कितनी लावारिस लाशें बरामद हुई हैं;

(ख) क्या हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली में ग्रेनेड्स आग्नेय शस्त्र आदि लाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1991 तथा 1992(29-2-1992 तक) के दौरान दिल्ली में बरामद किए गए लावारिस शवों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1991	—	987
1992	—	122

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सही प्रतीत नहीं होता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गुजरात और उत्तर प्रदेश में "समेकित जनजाति विकास परियोजना" के अन्तर्गत चुने गए

2689. **श्री काशीराम राणा :**

श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में "समेकित जनजाति विकास परियोजना" के अन्तर्गत चुने गए गांवों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : गुजरात में 9 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं में 4835 गांव हैं जो 23947 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को कवर करते हैं । उनकी कुल आबादी 4813582 है जिसमें से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 3370391 है । ये 9 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं गुजरात के 9 जिलों में स्थित हैं ।

उत्तर प्रदेश में केवल एक समेकित आदिवासी विकास परियोजना है जो 9936.77 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 41 गांव कवर करती है जिनकी कुल आबादी 22431 है जिसमें से आदिवासी जनसंख्या 16980 है । उत्तर प्रदेश में केवल एक जिला है जो केवल एक समेकित आदिवासी विकास परियोजना को कवर करता है ।

[अनुवाद]

धान की अधिक उपज वाली किस्म का विकास

2691. श्रीमती शीला गौतम :

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री राजेश कुमार :

श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने आधुनिक एवं परंपरागत तरीकों का उपयोग करके धान की अधिक उपज वाली किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस किस्म से धान की खेती के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) धान की इस किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी हां, वर्ष 1989 में एक अधिक उपज देने वाली किस्म पूसा बासमती-1 जारी की गई।

(ग) पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली।

(घ) इस किस्म के क्वालिटी बीज का राष्ट्रीय तथा राज्य बीज निगमों द्वारा संवर्धन किया जा रहा है और इसे लोकप्रिय बनाया जा रहा है। चावल के विकास तथा मिनीकिट सप्लाई के लिए समाकलित कार्यक्रम की योजना के तहत बीज को वितरित किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन

2692. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है;

(ग) कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान को क्या सहायता देने का विचार है;

(घ) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ङ) सरकार ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित नीतियों में निम्नलिखित नीतियां शामिल हैं :—

(1) नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना और इसे शीघ्रता से क्रियान्वित करना;

(2) आवश्यकता पर आधारित अनुसन्धान सम्बन्धी सिफारिशों का अनुसरण करना;

(3) कृषि निवेशों की समय पर और आवश्यकता के आधार पर आपूर्ति करना;

(4) बारानी पट्टियों में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना;

(5) पूर्वी क्षेत्र में कृषि की पैदावार बढ़ाना;

(6) सस्यन पद्धति के विविधिकरण के प्रभावी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना;

(7) बागवानी उत्पाद के फसल पश्चात के वैज्ञानिक प्रबन्ध का संवर्धक करना;

(8) कृषि और पौध रोपण सामग्री के निर्यात को बढ़ाना तथा चुनिंदा जिंसों को वैकल्पिक जिंसों का आयात करना; और

(9) रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट, पशुपालन, कृषि एवं वनवर्धन पद्धतियों को शामिल करते हुए कृषि का विविधीकरण एवं कृषि पर आधारित ग्रामीण कार्यकलापों को बढ़ाना ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि का संवर्धन करने के लिए राजस्थान को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

अमरीका और कनाडा के साथ प्रत्यर्पण-संधि

2693. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका और कनाडा के साथ प्रत्यर्पण-सन्धि के बारे में बातचीत शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) कनाडा के साथ प्रत्यर्पण सन्धि पर फरवरी, 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे उसी वर्ष मई में अनुसमर्थित किया गया था । 1939 की अमरीका यू० के० के प्रत्यर्पण सन्धि, जो भारत की ओर से 1942 में स्वीकार की गई थी, भारत और अमरीका के बीच अभी भी लागू है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष की भारत यात्रा

2694. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष ने हाल ही में भारत दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां । राष्ट्रपति यासिर अराफात 20 से 22 जनवरी, 1992 तक भारत की यात्रा पर आए थे ।

(ख) इस यात्रा से चल रही शांति प्रक्रिया सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिला । फिलीस्तीनी संघर्ष के प्रति भारत की सतत् सुदृढ़ वचनबद्धता और

शांति प्रक्रिया में फिलीस्तीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रूप से योगदान करने की उसकी इच्छा को दोहराया गया था। राष्ट्रपति अराफात ने भारत के निरन्तर समर्थन की सराहना की और भारत-फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के सम्बन्धों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी अरब देशों के साथ भारत के निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए पश्चिम एशियायी शांति वार्ता के बहुपक्षीय चरण में उसे भाग लेना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में अर्धसैनिक बलों के भर्ती शिविर

2695. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी जगहों के नाम क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों के लिए भर्ती शिविरों का आयोजन किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भर्ती किये गये व्यक्तियों की बलवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992 के दौरान उक्त बलों के लिए भी भर्ती शिविर आयोजित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश से सीमा सुरक्षा बल द्वारा 4560, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 2290, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा 1558, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 1678 तथा असम राईफल्स द्वारा 1924 उम्मीदवारों की भर्ती की गई।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश से भर्ती करने की कोई योजना नहीं है। असम राईफल ने उत्तर प्रदेश के गोछर तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने गाजीपुर और देवरिया स्थानों को वर्ष 1992 के दौरान भर्ती करने के लिए संभावित रूप से चुना है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम जिन्हें वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान भर्ती करने के लिए विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों द्वारा भर्ती शिविर लगाए

स्थान का नाम	भर्ती का स्थान
सीमा सुरक्षा बल	बिजनौर, बुलन्दशहर, बरेली, प्रतापगढ़, बस्ती, सीतापुर, कोटद्वार, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, कर्ण प्रयाग, कानपुर, लैंसडाउन, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, पीलीभीत, देहरादून, मैनपुरी, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, फूलपुर, अनूपशहर, बदायूं।

1	2
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, आगरा, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, नैनीताल, बरेली, जौनपुर, मिर्जापुर, बाराबंकी, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, श्रीनगर (गढ़वाल), पिलखुआ (हापुड़), हरिद्वार, फर्रुखाबाद, देहरादून, आजमगढ़, इटावा, सुल्तानपुर, बांदा, गाजीपुर।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	देहरादून, मोंडा, फतेहपुर, गाजीपुर, रायबरेली, हरदोई, नैनीताल, काशीमपुर, पंकी, मथुरा, महाराजगंज, सौलोन, गोरखपुर, पहरावा, लखनऊ, शक्तिनगर, पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत, जगदीशपुर, बिजनौर, जौनपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, देवरिया, बाराबंकी, आगरा, बहराईच, रामपुर, इटावा, वाराणसी, ऊंछार, मेरठ, अल्मोड़ा।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	मतली, श्रीनगर (गढ़वाल), गौचर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, मेर्थी, अल्मोड़ा, रानीखेत, मुसियारी, मुरादाबाद, रामपुर, इलाहाबाद, मथुरा, हल्द्वानी, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, भीमताल, लोहाघाट, नजीबाबाद, महीदांडा, पौड़ी गढ़वाल, जोशीमठ, बागेश्वर, चम्पावट, आगरा।
असम राईफल्स	अल्मोड़ा, पिथोरागढ़, जोशीमठ, रानीखेत, लैंसडाउन, श्रीनगर(गढ़वाल), वाराणसी और उत्तरकाशी।

दिल्ली में शराब बिक्री में कथित अनियमितताएं

2696. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1991 के जनसत्ता में "दिल्ली प्रशासन की दुकानों पर एक ब्रांड की दो तरह की अंग्रेजी शराब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या तथ्य हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) समाचार की जानकारी है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि एल-1 लाइसेन्स प्राप्त एक शराब के गोदाम में, एक विशिष्ट ब्रांड की व्हिस्की, जिस पर निर्माण की तारीख और 1987 बैच संख्या का लेबल लगा था, की 800 बोतलें थीं। शराब बनाने वाली फैक्ट्री के अनुरोध पर, इन बोतलों की बिक्री, इस आधार पर रोक दी गई थी कि वे कम्पनी के स्तर की नहीं बनी है, यद्यपि वे भारतीय मानक संस्थान के मानदण्डों के अनुरूप थीं। इस स्टाक के नमूने का, आबकारी विभाग द्वारा रसायनिक विश्लेषण कराया गया तथा उसको मानदंडों के अनुरूप पाया गया । फिर भी, असावधानी के कारण दिसम्बर, 1991 में लगभग 400 बोतलों को, उसी ब्रांड की उन्हीं दिनों में प्राप्त बोतलों के साथ बिक्री के लिए जारी कर दिया गया था। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि शराब नकली नहीं थी ।

(ग) गलती का पता चलते ही 1987 की तारीख के बैच वाले स्टाक को बिक्री की दुकानों से वापस ले लिया गया तथा उसको अलग से भण्डारित कर दिया गया। सभी ब्रांड निरीक्षकों को अनुदेश जारी किए गए है कि फुटकर विक्रेताओं को आपूर्ति करते समय ट्रांसपोर्ट परमिट पर बैच संख्या तथा उत्पादन की तारीख का उल्लेख करें। आबकारी विभाग के एक अधिकारी को निलम्बित किया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान

2697. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री शक्ति प्रकाश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या व प्रतिशत क्या है;

(ख) उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष 1990-91 के दौरान क्या उपलब्धि रही; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 2000 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1990-91 के दौरान सहायता दिए जाने वाले परिवारों से सम्बन्धित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार रही :—

	लक्ष्य	उपलब्धियां
अनुसूचित जाति	22,30,608 परिवार	22,39,627 परिवार
अनुसूचित जनजाति	8,24,500 परिवार	8,92;747 परिवार

(ग) वर्ष 2000 के लिए लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

"ट्रेनिंग एण्ड विजिट सिस्टम" के अन्तर्गत सहायता

+

2693. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष "ट्रेनिंग एण्ड विजिट सिस्टम" के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुस्तापल्ली रामचन्द्रन) : विश्व बैंक द्वारा तीन राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत इस समय 12 राज्यों में प्रशिक्षण और दौरा पद्धति के लिए धन दिया जा रहा है। यह सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर है और सीधे नहीं। पिछले दो वर्षों में वार्षिक कार्य विभाग ने राज्यों को अग्रिम केन्द्रीय सहायता प्रदान की हैं ताकि वे परियोजनाओं के लिए अपनी सम्पूर्ण बजट संबंधी सहायता कर सकें। राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में की गई है।

विवरण

परियोजना/राज्य		अग्रिम केन्द्रीय सहायता (रुपये लाख में)
एन०ए०ई०पी०-1 (सी०आर० सं० 1523-आई०एन०)		
उड़ीसा		50
राजस्थान		25
उत्तर प्रदेश		100
एन०ए०ई०पी०-2 (सी०आर० सं० 1556-आई०एन)		
गुजरात		25
कर्नाटक		75
एन०ए०ई०पी०-3 (सी०आर० सं० 1754-आई०एन०)		
असम		50
बिहार		25
हिमाचल प्रदेश		25
उत्तर प्रदेश		50
1991-92 के दौरान प्रशिक्षण एवं दौरा पद्धति के अन्तर्गत राज्यों को दी गई अग्रिम केन्द्रीय सहायता		
एन०ए०ई०पी०-1 (सी०आर० 1523-आई०एन०)		
राजस्थान		100
मध्य प्रदेश	(एन०ए०ई०पी०-1 + पनधारा मार्गदर्शी परियोजना)	100
उड़ीसा		100
उत्तर प्रदेश		100
एन०ए०ई०पी०-2 (सी०आर० 1569-आई०एन०)		
हरियाणा		50
कर्नाटक	(एन०ए०ई०पी०-2 + पनधारा मार्गदर्शी परियोजना)	100
गुजरात		50
जम्मू और कश्मीर		100

परियोजना/राज्य		अग्रिम केन्द्रीय सहायता (रुपये लाख में)
एन०ए०ई०पी०-3 (सी०आर० सं० 1754-आई०एन०)		
उत्तर प्रदेश	(एन०ए०ई०पी०-3 + पनधारा) मार्गदर्शी परियोजना)	200
हिमाचल प्रदेश		100
असम		100
पंजाब		50
बिहार		100

[अनुवाद]

कर्नाटक को हाई स्पीड डीजल तथा पेट्रोल की सप्लाई

2699. **श्री एच० डी० देवगौडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा 1990-91 और 1991-92 के दौरान हाई स्पीड डीजल (डीजल) पेट्रोल (एम० एस०) तथा मिट्टी के तेल (एस० के०) के लिए की गई मांग कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि में वास्तव में की गई सप्लाई की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ख) 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान कर्नाटक में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की खपत इस प्रकार से है :—

	पेट्रोल	डीजल	मिट्टी का तेल
1990-91	219.45	1052.37	439.54
2991-92 (अप्रैल-दिसम्बर) (अस्थाई)	165 94	821.02	320.98

अन्तर-राज्य परिषद की बैठक

2700. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर चर्चा के लिये 17 फरवरी, 1992 को अन्तर-राज्य परिषद की उपसमिति की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, जिन पर चर्चा की गयी;

(ग) इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) अन्तर-राज्य परिषद की उप-समिति की 17 फरवरी, 1992 को कोई बैठक नहीं हुई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

2701. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा विभिन्न अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये; और

(ख) उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में भूतपूर्व तथा वर्तमान संसद सदस्यों तथा विधायकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पालतू पशुओं की तस्करी

2702. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भूमि सीमा के पार अन्य देशों को ले जाकर तस्करी-कृत पालतू पशुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी तस्करी में कोई सुसंगठित गिरोह शामिल हैं; और

(ग) ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़े गए पालतू पशुओं के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

सैक्टर	1989	1990	1991
राजस्थान	643	658	1239
गुजरात	—	2	—
पश्चिम बंगाल	9341	13126	15591
असम	920	936	866
मेघालय	252	109	140
त्रिपुरा	903	698	1233

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों में सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करके सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, गश्त तेज करना, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ निगरानी बुर्जों का निर्माण करना तथा बेहतर निगरानी रखने के लिए रात्रि में देखने हेतु उपकरणों, दूरबीन आदि की आपूर्ति करना, तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त लगाना आदि शामिल है।

तेल और गैस की खोज के लिए चौथे दौर की बोली

2703. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल और गैस की खोज के लिए चौथे दौर की बोलियों के लिए आबंटन करने की अन्तिम तारीख बढ़ा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं, जिन्होंने तेल की खोज के पहले तीन दौरों में बोलियों के लिए आवेदन किया था;

(घ) क्या उन कम्पनियों को कोई आबंटन किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या खोज के प्रथम तीन दौरों के परिणामस्वरूप कोई खोज कार्य प्रगति पर है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ब्लाकों के मूल्यांकन के लिए उन्हें अधिक समय दिए जाने हेतु विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त अनुरोधीकरण बोलियों के प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि को 15-4-1992 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ग) और (घ) प्रथम दौर में ब्रिटिश पेट्रोलियम, फिलिप्स शेवरान, टेक्साको, आक्सीडेंटल, और डेमीनिक्स ने बोलियां प्रस्तुत की थी। शेवरान के साथ केवल एक ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर किया गया । दूसरे दौर में शेवरान ने अपनी बोली दी थी परन्तु संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था । तीसरे दौर में शेवरान-टेक्साको, बी० एच० पी०, आई० पी० सी० शेल, अमोको, ब्रिटआयल और एलबियन ने बोलियां प्रस्तुत की थी । नौ ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर कम्पनियों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, जैसाकि नीचे दिखाया गया है :—

कम्पनियों का नाम	ब्लाक जिनके लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये थे
शेवरान-टेक्सको	के जी-ओएस-I, के जी-ओएस-VII पी-ओएस-II और एमएन-ओएस-I
अमेको	केजी-ओएस-V
शेल	केके-ओएस-IV और के के-ओएस-II
बीएचपी	केके-ओएस-VI
आईपीसी	केजी-ओएस-IV

(ङ) जी, नहीं ।

लक्षद्वीप में खाली पड़े पद

2704. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में श्रेणीवार कुल कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा में मछली पकड़ने पर रोक

2705. श्री पी०एम० सईद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में राजघाट से रामनगर तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रोक के विरोध में कोई आन्दोलन भी हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है। उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय दूतावास और उच्चायोग

2706. श्री कुब्बदत्त सुल्तानपुरी :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय दूतावास/उच्चायोग खोले गए हैं;

(ख) विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्त किए गए राजदूतों/उच्चायुक्तों की संख्या कितनी थी;

(ग) उनमें से भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से नियुक्त किये गये लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) उनमें से गैर-सरकारी राजदूतों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ङ) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(च) क्या राजदूत या दूतावास अध्यक्ष के रूप में नियुक्तियों हेतु इन जातियों के लोगों के लिये कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री भाखरसिंह सोलंकी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई आवासी भारतीय मिशन नहीं खुला है।

(ख) इस समय 93 मिशन प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में भारत के 3 स्थाई प्रतिनिधि हैं।

(ग) और (घ) 86 मिशन प्रमुख भारतीय विदेश सेवा के हैं। 10 अन्य मिशन प्रमुख हैं जिनमें से 4 सेवानिवृत्त अधिकारी हैं; भारतीय प्रशासनिक सेवा (2), भारतीय पुलिस सेवा (1) तथा भारतीय विदेश सेवा (1)।

(ङ) 10 मिशन प्रमुख अनुसूचित जाति समुदायों के हैं और 6 मिशन प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदायों के।

(च) और (छ) मिशन प्रमुख के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई कोटा तय नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य योजना

2707. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु कोई कार्य योजना राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के लिए राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावित जिलों के लोगों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई है तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 71875.37 लाख रुपये की कुल आवश्यकता है।

(ग) और (घ) इस बारे में इस मन्त्रालय में विचार-विमर्श किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गयी कार्य योजनाओं की संयुक्त समन्वय समिति (जे० सी० सी०) द्वारा जांच की जाएगी तथा उसके बाद सम्बन्धित सरकारों द्वारा अपनी आठवीं योजना प्रस्तावों में उसका समावेश किया जाएगा। योजना आयोग द्वारा राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इन प्रस्तावों पर अनुमोदित केन्द्रीय सहायता फार्मूले के भीतर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

पुलिस/सरकारी हिरासत में हुई मौतों के सम्बन्ध में मुआवजा देना

2708. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस/सरकारी हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों के सम्बन्धियों को दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) इस मन्त्रालय को उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे फैसले की जानकारी नहीं है जिसमें पुलिस/सरकारी हिरासत में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा देने के बारे में कोई समान पद्धति निर्धारित की गई हो।

पहचान पत्र जारी करना

2709. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुनाव, और वित्तीय संस्थाओं आदि के साथ कार्य निष्पादन के दौरान पहचान के लिए नागरिकों को पूर्ण सूचना सहित पहचान पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) विनिर्दिष्ट सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक निवासियों का पंजीकरण करने, निवासियों की स्थिति के बारे में विश्वसनीय सूचना एकत्र करने तथा ऐसे आगन्तुकों, जो तीस दिन से अधिक की अवधि तक ठहरते हों, की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खरीफ फसल के खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट

2710. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का प्रति क्विंटल मूल्य गिरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं जिनसे इनके मूल्य गिरने के कारण किसानों को हानि न हो ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विगत तीन माह के दौरान चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तथा रागी की कीमतों ने बढ़ोतरी का रुख प्रदर्शित किया है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है :—

थोक मूल्यों का मूल्य सूचकांक

(मासिक औसत)

(आधार 1981-82 = 109)

जिंस	नवम्बर 1991	दिसम्बर 1991(अ)	जनवरी 1991(अ)
चावल	223.7	228.0	237.7
ज्वार	211.5	231.0	239.1

1	2	3	4
बाजरा	209.8	251.7	267.8
मक्का	227.0	237.2	247.1
रागी	164.7	169.8	174.0

(अ)=अनंतिम

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

2711. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृकित गैस आयोग के पुनर्गठन की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की पुनर्संरचना देश में तेल-अन्वेषण के क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगी;

(घ) क्या सरकार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योगों को अधिक प्रबन्धकीय तथा वित्तीय स्वायत्ता देने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक और समिति नियुक्त करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विद्यमान संगठनों के समस्त पहलुओं और उसकी पुनःसंरचना की आवश्यकता की जांच के लिए एक समिति गठित की है ।

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों को जानने के पश्चात ही इसका आंकलन किया जाएगा।

(घ) और (ङ) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के स्तर की पुनरीक्षा के लिए सरकार के द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया गया है।

रूस को खाद्य सहायता

2712. **डा० रवि मल्लू** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस को कोई खाद्य सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इथियोपिया को भी ऐसी ही सहायता दिए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। मैत्री के रूप में और आपसी सहयोग की

परम्परा से सरकार ने मानवीय और तकनीकी सहायता के लिए रूसी आयोग को 150 मिलियन रु० का अंशदान देने की घोषणा की है।

(ख) इस राशि का इस्तेमाल आयोग द्वारा पता लगाए गए आपूर्ति मदों यानी बाल आहार, चावल और दवाईयों के लिए किया जायेगा।

(ग) और (घ) भारत ने अगस्त, 1991 में इथोपिया को 5 लाख रु० मूल्य की दवाईयां, बाल आहार और दूध का पाउडर सप्लाई किया था। इस वर्ष इसी प्रकार की सहायता देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय नागरिक सेना का गठन

2713. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्रोह, आंतरिक अशांति और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक सेना गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयंत्र का विपायसीकरण

2714. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विपायसीकरण के बाद कच्चे तेल में सामान्यतः जल कितने प्रतिशत होता है;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि कुछ कुओं के विपायसीकरण संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समय पर विपायसीकरण समस्या को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) डिमल्सीफिकेशन के उपरांत कच्चे तेल में सामान्य जल प्रतिशत में हल्के कच्चे तेलों के मामले में 1% तक का अन्तर रहता है और भारी कच्चे तेलों के मामले में अधिक से अधिक 3% तक या इससे अधिक का अन्तर रहता है। ऊंचे पेंदे वाले परतों और जल (बी० एस० एंड डब्लू०) कूड के फ्री वाटर तत्व और सैलीनीटी के भारी तेल क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात में नौगाम में केन्द्रीय डिमल्सीफिकेशन और डिसाल्टिंग संयंत्र स्थापित कर रहा है।

झींगा मछली का उत्पादन

2715. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में बड़े पैमाने पर झींगा मछली के उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य में प्रॉन फार्मिंग के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ प्रस्ताव तथा उन प्रस्तावों पर लिए गए निर्णय निम्नवत हैं :—

(1) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि की सहायता से प्रॉन कृषि (कल्चर) के लिए केरल परियोजना :

150 हैक्टेयर में प्रान कृषि के विकास के प्रस्ताव का पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है तथा 1989 में भारत सरकार और कुवैत निधि के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के लिए 1992-93 से कुवैत निधि संवितरण आरम्भ करेगा।

(2) खारा जल मछली पालक विकास एजेंसी :

तीन खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों अलेप्पी, त्रिचुर तथा कोझिकोड में एक-एक की स्थापना के प्रस्ताव पर जनवरी, 1992 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।

(3) केरल प्रॉन कल्चर विकास परियोजना—चरण-1

केरल राज्य सहकारी मात्स्यिकी विकास संघ द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगा रहा है, क्योंकि परियोजना में प्रौद्योगिकी का आयात शामिल है।

इण्डिया गेट के चारों ओर रैलियां करने पर प्रतिबंध

2718. श्री मोरेश्वर सावे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली में इण्डिया गेट के चारों ओर रैलियां तथा प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

हाइड्रो पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा आयात/निर्यात नीति का कार्यान्वयन

2719. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रो पेट्रोलियम लि० द्वारा आयात/निर्यात नीति कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि की पूंजीगत वस्तुएं आयात की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

मन्त्रालय के अन्तर्गत ऐसा कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आपरेशन रक्षक

2720. श्री अवध कुमार पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पंजाब में शुरू किए गए आपरेशन रक्षक की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उक्त आपरेशन के शुरू करने के बाद से आतंकवादियों के छुपने के कितने स्थानों को बरबाद किया गया; कितने आतंकवादी मारे गए/पकड़े गए अथवा कितनों ने समर्पण किया और उनसे जब्त किए गए शस्त्रों और गोला बारूद का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) "आपरेशन रक्षक" की प्रमुख विशेषताएं हैं; विशिष्ट सूचना पर, विशिष्ट क्षेत्रों की जांच करना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन की सहायता करना, लोगों के मनोबल को ऊंचा करना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना आदि।

(ख) 592 आतंकवादी मारे गए, 413 पकड़े गए तथा 8 ने आत्मसमर्पण किया। जब्त किए गए शस्त्र और गोला-बारूद के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रिवोल्वर .455 बोर	1
रिवोल्वर .38 बोर	1
अन्य रिवोल्वर	23
पिस्तौल 30 बोर	7
पिस्तौल 12 बोर	1
पिस्तौल 32 बोर	1
पिस्तौल 3 एक्स 3 बोर	1
असाल्ट राइफल्स ऐ० के०-47	87
असाल्ट राइफल्स ऐ० के०-96	1
असाल्ट राइफल्स ऐ० के०-74	19
असाल्ट राइफल्स ऐ० के०-56	8
असाल्ट राइफल्स ऐ० के०-54	1
जी० पी० एम० जी०	7
स्टेनगन	7
एल० एम० जी०	1
अन्य पिस्तौल	201

एस० एल० आर०	10
ए० एल० आर०	7
गन 7.62 बोर	7
थोम्पसन गन	3
स्नाइपेर गन	1
गन 12 बोर	25
गन 3 एक्स 3	7
एस० बी० बी० एल०	1
डी० बी० बी० एल०	21
अन्य गन	69
मौसर्स	44
स्टिक बम्ब	17
अन्य बम्ब	28
राकेट	2
राकेट लांचर	5
राकेट डिटोनेटर्स	166
मैगजीन्स	69
राइफल्स 3 एक्स 3	41
राइफल्स 67.62	2
राइफल्स 315 बोर	6
स्वचालित राइफल	1
अन्य राइफल्स	36
हैंड ग्रेनेड्स एच० ई०-36	14
अन्य हैंड ग्रेनेड्स	30
लेन्ड माइन्स	6
ग्रेनेड लांचर	1
कारबाइन्स	1
विस्फोटक पदार्थ	2770 ग्राम्स
विस्फोटक राकेट	99
कार्टीडेज	11152

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियां

2721. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए मुख्यत: कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्व में विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों के बीच निकट समन्वय और तालमेल तथा अत्याधुनिक हथियारों का अर्जन तथा इन ग्रुपों को सीमावर्ती देशों से मिल रही सहायता और आश्रय जैसे कुछ मुख्य पहलू हैं, जिसके कारण उग्रवादी ग्रुपों की उपस्थिति और उनकी हिंसक गतिविधियां अभी भी जारी हैं।

(ग) जहां नागरिक प्रशासन की सहायतार्थ सशस्त्र सेवाएं तैनात करने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा उग्रवादी संगठनों अर्थात् डेफ्का, एन० एस० सी० एन० और मितैयी उग्रवादी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों से निपटने के लिये सहायता दी जा रही है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कलकत्ता का उन्नयन

2722. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान को पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में भी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० सेंका) : (क) महोदय, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का केवल एक ही क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता में है। इस केन्द्र को एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) इस क्षेत्रीय केन्द्र के विकास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि का टुकड़ा प्रदान करने की पेशकश की है।

(घ) इस पेशकश की जांच के लिए एक कार्य बल (टास्क फोर्स) गठित किया गया है।

खानी मिर्च के उत्पादकों को सुझावना

2723. श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

श्री पी० सी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन काली मिर्च उत्पादकों को मुआवजा देने का है जिनकी फसलें "क्विकविल्ट" अथवा अन्य बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादकों को दी गई और दी जाने वाली राहत सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान कार्यान्वयन किये जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के समेकित मसाला विकास कार्यक्रम में ऐसी विभिन्न घटकें हैं जो उन कृषकों को राहत प्रदान करती हैं, जिनकी काली मिर्च की फसल त्वरित सूख जाने और अन्य रोगों से प्रभावित होती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—(1) केरल में काली मिर्च के उन पुराने बगीचों का पुनरुद्धार जो रोग से प्रभावित और मृतप्राय हो गये हैं (2) राजसहायता सहित आदान किटों और पौध रक्षण छिड़काव यंत्रों की आपूर्ति (3) कृषकों को रोग रहित रोपण सामग्री की आपूर्ति। 1991-92 के लिये कार्यक्रम के तहत काली मिर्च के विकास के लिये 356.54 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस मन्त्रालय में काली मिर्च में त्वरित सूख जाने सम्बन्धी रोग की समस्या की हाल ही में समीक्षा की गई थी और उपर्युक्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्य में केवल त्वरित सूख जाने सम्बन्धी रोग से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिये केरल सरकार को 11.81 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी गई है। वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन मसालों से सम्बन्धित बोर्ड ने भी केरल में काली मिर्च के रोग से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय करने के लिये 20.00 लाख रुपए के परिव्यय से एक योजना को मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का किराया मूल्य

2724. कुमारी उमा भारती : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय कृषि भूमि का किराया मूल्य ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न तरीकों से भूमि का किराया मूल्य निर्धारित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) फसल उत्पादन में प्रयुक्त स्वाधिकृत भूमि का किराया-मूल्य मुख्य फसलों की खेती/उत्पादन की लागत में शामिल किया जाता है। यह कृषि वस्तुओं की अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण विचारणीय बातें में से एक है।

स्वाधिकृत भूमि के किराये के मूल्य का अनुमान समान किस्म की भूमि के लिये गांव में प्रचलित किराये अथवा नमूना लेने हेतु चयनित किसानों द्वारा यथासूचित किराये के आधार पर लगाया जाता है, किन्तु यह सम्बद्ध राज्य के भूमि कानून में दिये गये उचित किराया की उच्चतम सीमा में भी होता है।

[अनुवाद]

उत्तरी राज्यों में उग्रवाद का प्रसार

2725. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों ने अपनी गतिविधियां हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि जैसे अन्य राज्यों में भी फैला दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों में उग्रवाद एवं आतंकवाद को फैलने से रोकने सम्बन्धी विषय पर चर्चा करने एवं इसके लिये कारगर उपाय ढूंढने के लिये 10 दिसम्बर, 1991 को पांच राज्यों और चंडीगढ़ के गृह सचिवों तथा पुलिस प्रमुखों की बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिये गये ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस प्रकार के दृष्टान्त ध्यान में आये हैं । आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों के बढ़ते हुए दबाव के कारण ऐसा हुआ है ।

(ग) और (घ) आतंकवाद से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को समन्वित करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिये पंजाब के राज्यपाल द्वारा 10 दिसम्बर, 1991 को एक बैठक बुलाई गई थी । इसमें आतंकवाद विरोधी उपायों को सुदृढ़ करने और प्रभावित राज्यों के बीच आतंकवादी गतिविधियों/आवागमन/छुपने के स्थानों के बारे में सूचना का जल्दी-जल्दी आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमाणु अप्रसार संधि के बारे में वक्तव्य

2726. **कुमारी उमा भारती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सुरक्षा परिषद में 1 फरवरी, 1992 को दिये गये उस वक्तव्य पर अपनी सहमति प्रकट की थी जिसमें कहा गया था कि अनेक देशों द्वारा परमाणु अप्रसार सन्धि का पालन करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के महत्व को सम्मेलन में भाग लेने परवाले प्रतिनिधियों ने नोट कर लिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ऐसा करना भारत के पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से हटना है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे वक्तव्य को अनुमति क्यों दी गई ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) सुरक्षा परिषद शिखर-सम्मेलन की बैठक के अन्त में दिये गये वक्तव्य में नाभिकीय अप्रसार सन्धि का समर्थन करने के अनेक देशों के निर्णय के महत्व पर गौर किया गया क्योंकि बैठक में अनेक शिष्टमण्डलों ने अपने वक्तव्यों में इस मुद्दे का उल्लेख किया था ।

2. तथापि प्रधानमन्त्री ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया था कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य में भारत की कुछ विशेष चिन्ताओं का उल्लेख नहीं किया गया है । उन्होंने कहा कि भारत नाभिकीय हथियारों के प्रसार से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को होने वाले खतरे पर

अनेक नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं पर पूरी तरह से सहमत हैं परन्तु इस बात पर भी जोर दिया कि एकमात्र तर्कसंगत रास्ता यही है कि ऐसे सार्वभौम दृष्टिकोण को अपनाया जाए जो अप्रसार पर नए अन्तर्राष्ट्रीय सामान्यजस्य पर आधारित हो। उन्होंने नाभिकीय अप्रसार के लिये ऐसे सार्वभौमिक, व्यापक और गैर-भेदभावपूर्ण तन्त्र की मांग की जिसे नाभिकीय शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलक के लक्ष्य के साथ जोड़ा जाये।

3. भारत ने नाभिकीय अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं दिये हैं क्योंकि यह सन्धि भेदभाव पूर्ण है। यह अप्रसार सन्धि विश्व को नाभिकीय हथियारी रखने वालों और न रखने वालों में स्थाई रूप से विभाजित करने का प्रतीक है। हमें विश्वास है कि अर्ध्व प्रसार के प्रश्न को नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के एक सम्बद्ध कार्यक्रम के ढांचे के भीतर ही हल किया जा सकता है।

बम्बई हाई पर गैस को जलाना

2727. श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस का उत्पादन किया जाता है और इस रोज कितनी मात्रा में गैस को जला दिया जाता है;

(ख) गैस को कब से जलाया जा रहा है और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "गैस फ्लेअरिंग रिडक्शन प्रोजेक्ट" कब लागू किया गया था और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितने टन तेल का उत्पादन हुआ था; और

(घ) यदि इसमें कमी आयी है, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1991-92 में औसतन 40 एम०एम०एस०सी०एम०डी० का उत्पादन किया गया और 8.7 एम०एम०एस०सी०एम०डी० जलाई गयी।

(ख) बम्बई हाई क्षेत्र में 1976 से गैस जलाई जा रही है। परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 1991-92 में आरम्भ किया गया था।

(ग) इन वर्षों में देश में तेल का उत्पादन क्रमशः 34.69 और 33 मिलियन टन था।

(घ) रिजर्वायर सम्बन्धी बाध्यताओं, पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी आदि सहित विभिन्न कारणों से उत्पादन में कमी हुई है। रिजर्वायर दायित्व सन्तुलन को पुनर्बहाल करने के लिये बम्बई हाई और अन्य क्षेत्र में उपचारिक कार्रवाई की जा रही है और नई तेल क्षेत्र विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

व्यक्ति विशेष के लिए उपलब्ध सुरक्षोपाय

2728. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किसी नागरिक को किन परिस्थितियों में थाने/चौकी बुलाया जा सकता है;

(ख) दिल्ली के नागरिक के घर अथवा वाहन इत्यादि की तलाशी किन परिस्थितियों में और किन नियमों के अन्तर्गत की जा सकती है;

(ग) इस प्रकार की तलाशी के आदेश देने का अधिकार किस अधिकारी को है और यह तलाशी किस स्तर पर ली जा सकती है;

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए है कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान/उत्पीड़ित न किया जाये; और

(ङ) तलाशी के दौरान नागरिक को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उसे उपलब्ध सुरक्षा उपायों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) गवाहों को बुलाने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में निहित है और पुलिस अधिकारी द्वारा ताशी लिए जाने से सम्बन्धित उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 और 166 और दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 162 में निहित है। सभी पुलिस कार्मिकों को जनता के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दोहराए गए है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को इस बात की जांच करने के लिए कि किसी नागरिक को तंग न किया जाए और उसका उत्पीड़न न किया जाए, नियमित रूप से पुलिस स्टेशनों का दौरान करने और यदि सत्ता के दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में आता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तलाशी उचित रूप से की जाए इसके लिए अनुदेश दण्ड प्रक्रिया की धारा 100 में दिए गए हैं।

केरल में मछुआरों को वित्तीय सहायता

2729. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता के तीसरे चरण के अन्तर्गत केरल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या केरल सरकार ने यह धन-राशि मछुआरों को बांट दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम चरण-3 के तहत केरल राज्य को दी गई वित्तीय सहायता 838 लाख रुपए है।

(ख) केरल सरकार ने पहले ही फिशरीज डेवलपमेंट लि० (मत्स्यपेड) के लिए केरल राज्य सहकारी संघ को राशि निर्मुक्त कर दी है जिन्होंने मछुआरों को 75.85 लाख रुपए के मत्स्य निवेश वितरित कर दिए हैं और शेष राशि के मत्स्य निवेश 31-3-92 तक वितरित कर दिए जाएंगे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गढ़वाल के भूकम्प-प्रवण स्थान

2730. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि गढ़वाल एक भूकम्प तथा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में लोगों को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की किसी भी ऐसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि गढ़वाल क्षेत्र भूकम्प और भू-स्खलन उन्मुखी है। तथापि, भारत में भूकम्पीय पट्टी को दर्शाने वाले मानचित्र के अनुसार, चमोली जिला और पिथौरागढ़ जिले का तीन-चौथाई भाग भूकम्पीयपट्टी-5 में आते हैं, जहां एम० एम० तीव्रता-9 से अधिक सम्भाव्य है। गढ़वाल क्षेत्र के शेष क्षेत्र जोन-4 में रखे जाते हैं जहां एम० एम० तीव्रता भविष्य में कभी भी अधिकतम 8 घटित होने की सम्भावना है। यह क्षेत्र भू-स्खलन मुखी भी है।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण से अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामीणों को पुनः सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए इस क्षेत्र के संवेदनशील गांवों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करें। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण पहले ही एक प्राथमिक सर्वेक्षण कर चुका है।

[हिन्दी]

वानस्पतिक-उत्पादों का आयात

2731. श्री साईमन मरान्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वानस्पति उत्पादों के आयात सम्बन्धी नियमों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जून, 1991 से वनस्पति उत्पादों के आयात से सम्बन्धित कितने मामलों को स्वीकृति प्रदान की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। 20 जनवरी, 1992 से सरकार ने खपत प्रयोजनों के लिए आयातित पौधों तथा पौध-सामग्री को खेपों के लिए आयात परमिट की अपेक्षा को शिथिल कर दिया है और सवारो के साथ आने वाले सामान के रूप में तथा अन्तर्राष्ट्रीय डाक माध्यम से आयातित पौधों/पौध सामग्री के लिए भी आयात परमिट तथा फाइटोसेनिटरी प्रमाण-पत्र की अपेक्षा शिथिल कर दी है तथा इसके लिए पौध संगरोध पद्धतियों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ग) 31 जनवरी, 1992 तक आवश्यक संगरोध जांच के बाद पौधों और पौध उत्पादों के कुल 9,755 मामलों (खेपों) को मन्जूर किया गया है।

[अनुवाद]

तेल उद्योग पूल के लेखाओं में जाढा

2732. श्री गुरुदास कामत :

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग पूल के लेखाओं में कुल घाटा हजारों करोड़ रुपयों में पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वहन की गई लागतों को बिक्री प्राप्तियों से पूर्णतः कवर नहीं किए जाने के कारण वर्ष 1989-90 से तेल पूल खाते में बहुत घाटा हुआ है स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पंजाब में राजनैतिक दलों द्वारा चुनावों का बहिष्कार

2733. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री रवि राय :

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब में हुए चुनावों का कुछ राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) किन-किन पार्टियों ने चुनावों का बहिष्कार किया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) पंजाब में हाल में हुए चुनावों का कुछ राजनैतिक दलों ने सम्भवतः आतंकवादियों के दबाव के कारण बहिष्कार किया था।

(ग) कांग्रेस आई,० भा०ज०पा०, सी०पी०आई०; सी०पी०आई० (एम०) तथा जनता दल और शिरोमणि अकाली दल (काबुल) जैसी राष्ट्रीय दलों ने चुनावों में भाग लिया था। संयुक्त अकाली दल (मान) संयुक्त अकाली दल (बादल), संयुक्त अकाली दल (रोडे-बाबा) तथा ए०आई०एस०एस०एफ० (मनजीत) ने चुनावों का बहिष्कार किया था।

भारतीयों की कुवैत वापसी

2734. **श्री कोडाकुम्मील सुरेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने भारतीय कुवैत वापस चले गए हैं;

(ख) इस समय कुवैत में कितने भारतीय कार्यरत हैं; और

(ग) कुवैत वापस जाने वाले भारतीयों को सरकार ने क्या सुविधाएं प्रदान की है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) अब तक 68,000 भारतीय कुवैत लौट चुके हैं।

(ख) अनुमान है कि कुवैत में काम कर रहे भारतीयों की संख्या 65,000 है।

(ग) खाड़ी से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने और उसे गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है; इनमें शामिल हैं; उत्प्रवासी निकासी अपेक्षा से छूट, पासपोर्ट शीघ्र जारी करना और कुवैत के लिए एयर इंडिया की उड़ाने फिर शुरू करना।

केरल के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की परियोजनाएं

2735. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) प्रत्येक योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) निम्नलिखित दो परियोजनाओं के प्रस्ताव सरकार के विचार के विभिन्न स्तरों पर हैं—

(1) कोचीन रिफाइनरीज लि० की रिफाईनिंग क्षमता का विस्तार और ।

(2) कोचीन रिफाइनरीज लि० द्वारा बेंजीन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए क्षमता का विस्तार ।

केरल में आयल-पाम की खेती हेतु विश्व बैंक से सहायता

2736. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विश्व बैंक सहायता से आयल-पाम वृक्ष लगाने की योजना प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की लागत कितनी है;

(ग) यह योजना उस राज्य के किन किन स्थानों पर चल रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत केरल के कुछ और स्थानों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केरल में आयल पाम के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्य श्रेणी के हेक्सेन के मूल्य में वृद्धि

2737. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलायक से निकाले गए वनस्पति तेलों और तेल रहित उद्यानों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आदान खाद्य श्रेणी हक्सेन, के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हेक्सेन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य वाला उत्पाद नहीं है । आयल इंडस्ट्री हेक्सेन का मूल्य मार्किट के अनुसार तय करता है ।

अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु महिला होस्टल

2738. **श्री बी० धर्म सिंहम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु आन्ध्र प्रदेश में अब तक निर्मित महिला होस्टलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु निर्मित पुरुष होस्टलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभान्वित छात्रों और छात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य हेतु राज्य के वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी राशि स्वीकृत/प्रदान की गई;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उस राशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) वहां आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पुरुष और महिला होस्टलों का निर्माण करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए 316 होस्टलों का निर्माण किया जा चुका है और 95 होस्टलों के के भवन निर्माणाधीन हैं।

(ख) अनुसूचित जाति छात्रों के लिए बाल छात्रावासों की केन्द्र प्रायोजित योजना 1989-90 में आरम्भ की गई। 1990-91 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 36 होस्टल भवन स्वीकृत किए गए।

(ग) 31600 लड़कियों को लाभ पहुंच चुका है और 95 निर्माणाधीन होस्टल भवनों के समापन के बाद 9500 को लाभ पहुंच जाएगा ; 1990-91 के दौरान सस्वीकृत 36 होस्टलों के निर्माण से 3600 अनुसूचित जाति लड़कों को लाभ पहुंच जाएगा।

(घ) 1990-91 और 1991-92 (29-2-92 तक) के दौरान निम्नलिखित राशियां स्वीकृत की गई थी—

वर्ष	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल
1990-91	1,08,58,750 रु०	1,29,57,638 रु०
1991-92	1,50,00,000 रु०	2,00,00,000 रु०

(ङ) और (च) 1990-91 के दौरान, संस्वीकृत होस्टल अभी पूरे नहीं हुए हैं। होस्टल भवनों के पूरा होने में कुछ समय लग सकता है।

(छ) आन्ध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार और मध्य प्रदेश में गिरिजाघरों की विदेशी सहायता

2739. प्रो० राम कापसे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में गिरिजाघरों को कितनी विदेशों वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : बिहार और मध्य प्रदेश के गिरिजाघरों द्वारा सूचित की गई विदेशी अभिदाय को प्राप्त राशि निम्न प्रकार है--

राज्य	वर्ष	राशि
		(लाख रुपयों में)
बिहार	1989	379.75
	1990	
मध्य प्रदेश	1989	641.35
	1990	725.80

झारखंड मुद्दे पर बैठकें

2740. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

श्री शैलेन्द्र महतो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने झारखंड के मामले पर चर्चा करने के लिए फरवरी, 1992 के दौरान अनेक बैठकें बुलाई;

(क) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) उन बैठकों में कौन-कौन से मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) केन्द्रीय गृह मन्त्री ने झारखंड के मामले पर बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्रियों के साथ 18-2-1992 को विचार-विमर्श किया था। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण, बैठक में भाग नहीं ले सके। इसके बाद केन्द्रीय गृह सचिव ने, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों तथा बिहार सरकार के गृह सचिव के साथ 27-2-1992 को विचार-विमर्श किया था।

(ख) से (घ) बिहार राज्य विधान सभा द्वारा पारित झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के विधेयक के उपबन्धों सहित इन चार राज्यों से पृथक झारखंड राज्य बनाने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

कपास की खेती

2741. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री माणिकराव होडल्यागाबोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास की खेती कितने क्षेत्र में की गई;

(ख) क्या इन राज्यों में कपास की खेती वाली जमीन में लगातार कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास की खेती के तहत क्षेत्र इस प्रकार है :

(लाख हैक्टेयर में)

वर्ष	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश
1988-89	26.3	5.3
1989-90	26.6	5.8
1990-91	27.3	5.9

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत सरकार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कपास उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत, राज्यों को अच्छी क्वालिटी के बीजों के उत्पादन एवं वितरण, पौध रक्षण उपायों, किसानों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है ।

खाद्यान्न उत्पादन

[हिन्दी]

2742. श्री राजवीर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल तथा तिलहन का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक

के दौरान उत्तर प्रदेश में उत्पादित गेहूं, चावल तथा तिलहनों की मात्रा की जानकारी इस प्रकार है—

(लाख मीटरी टन में)

	1989-90	1990-91
गेहूं	176.8	183.6
चावल	94.8	102.0
तिलहन	11.5	13.3

(ख) गहूं, चावल और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार कुछ फसल उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) गेहूं के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम;

(2) चावल विकास के लिए समेकित चावल कार्यक्रम;

(3) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम;

(4) कृमियों, रोगों तथा नमी की कमी के प्रतिरोधक शक्ति वाली की संकर किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों को तेज करना ।

(5) प्रभावी मंडी व मूल्य समर्थन ।

खाद्यान्न उत्पादन

+

2743. **श्री नीतीश कुमार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार दशकों के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1950-51 और 1990-91 के दौरान कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1950-51 और 1999-91 के दौरान किसानों की आय कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1950-51 और 1990-91 के दौरान उत्पादित अनाजों की मात्रा क्रमश: 50.82 और 176.23 मिलियन मीटरी टन थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 1950-51 और 1990-91 में कृषि और इससे सम्बन्धित क्रियाकलापों से होने वाली आय, 1980-81 के मूल्यों पर, क्रमशः 20401 करोड़ रुपये और 58921 करोड़ रुपये थी।

खाद्यान्नों और नकद फसलों का कृषि क्षेत्र

+

2744. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों और नकद फसलों की खेती कितने क्षेत्र में की गई तथा इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू रबी फसल के दौरान खाद्यान्नों की खेती गत वर्ष की अपेक्षा कम क्षेत्र पर हुई है जबकि तिलहनों और अन्य नकद फसलों की खेती अधिक क्षेत्र पर हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्यान्नों के कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1991-92 के लिये खाद्यान्नों और अन्य मुख्य नकदी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से मिलने का समय अभी नहीं हुआ है। लेकिन, 1990-91 तथा 1989-90 के लिए खाद्यान्न तथा अन्य मुख्य नकदी फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं—

फसलें	क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर में)		उत्पादन (मिलियन मीटरी टन में)	
	1990-01	1989-90	1990-91	1989-90
खाद्यान्न	127.5	126.8	176.2	171.0
तिलहन	24.0	22.8	18.5	16.9
गन्ना	3.7	3.4	240.3	225.6
रेशे	8,5	8.7	3,3	3.5

(ख) से (घ) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान रबी मौसम में खाद्यान्नों की फसल का क्षेत्र कम हुआ है और तिलहनों, विशेष तोरिया एवं सरसों का क्षेत्र बढ़ा है। इसका कारण यही है कि देश के अधिकतर राज्यों में मानसून शीघ्र समाप्त हो जाने से बुवाई के समय मृदा में नमी अनुकूलतम नहीं थी। कृषि और सहकारिता विभाग ने सदैव ही उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया है क्योंकि क्षेत्र बढ़ाने का पर्याप्त गुंजाइश नहीं है। खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार है—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम —गेहूं, दलहन और मक्का एवं बदन्न।

(2) समेकित चावल विकास कार्यक्रम।

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का स्टाक

2746. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों और दालों का वर्षवार प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत कितनी थी;

(ख) खाद्यान्नों के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह देश में उपभोक्ताओं की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार खाद्यान्नों की कमी को किस प्रकार पूरा करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनाजों व दालों का प्रति व्यक्ति उत्पादन और उनकी प्रति व्यक्ति कुल उपलब्धता का आकलन निम्न प्रकार है—

(किलोग्राम:/वर्ष)

वर्ष	प्रति व्यक्ति उत्पादन		प्रति व्यक्ति कुल उपलब्धता	
	कुल अनाज	दालें	कुल अनाज	दालें
1989 (पी)	191.3	17.0	165.2	15.3
1990 (पी)	190.0	15.5	157,9	15.1
1991 (पी)	190.9	16.6	171.6	14.5

(पी)=अनन्तिम

(ख) से (घ) 1-2-1992 को सार्वजनिक एजेंसियों के पास अनाज (चावल और गेहूं) का स्टाक 14.5 मिलियन मीटरी टन था, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की युक्तिसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

पान के पत्तों का उत्पादन

2747. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पान के पत्तों का उत्पादन कहां-कहां किया जाता है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पान के पत्तों का राज्यवार उत्पादन क्या रहा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पान की बेल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है।

(ख) पान की बेल भविष्यवाणी करने योग्य फसल नहीं है और इसे अर्थ और सांख्यिकी विभाग द्वारा राज्यवार आंकड़े एकत्रित करने के लिए शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इसके उत्पादन के बारे में औपचारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा० बी० आर० अम्बेडकर की शताब्दी समारोह

2748. श्री डारे लाल जाटव : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी वर्ष की समारोह अवधि को 14 अप्रैल, 1992 तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष समारोह समिति का पुर्नगठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याणमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ)

(भाग-1 खण्ड-1)

संख्या 1/3/91-श० सै०-1

भारत सरकार

कल्याण मन्त्रालय

शताब्दी सैल

25, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14 फरवरी, 1992

संकल्प

सरकार द्वारा संकल्प संख्या 1/3/91 शताब्दी सैल-1 दिनांक 29 मार्च, 1991 के तहत बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने और भारत सरकार को उनकी सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है ।

2. सरकार द्वारा अब उक्त राष्ट्रीय समिति को निम्न प्रकार से पुनंगठित करने का निर्णय किया गया है :—

1. भारत के प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2. कल्याण मन्त्री	उपाध्यक्ष
3. वित्त मन्त्री	सदस्य

4. कृषि मन्त्री	सदस्य
5. मानव संसाधन विकास मन्त्री	,,
6. शहरी विकास मन्त्री	,,
7. रेल मन्त्री	,,
8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री	,,
9. विधि और न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री	,,
10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री	,,
11. विदेश मन्त्री	,,
12. गृह मन्त्री	,,
13. जल संसाधन मन्त्री	,,
14. संसदीय कार्य मन्त्री	,,
15. नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री	,,
16. रक्षा मन्त्री	,,
17. उपाध्यक्ष योजना आयोग	,,
18. कपड़ा राज्य मन्त्री	,,
19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मन्त्री	,,
20. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री	,,
21. कोयला राज्य मन्त्री	,,
22. खान राज्य मन्त्री	,,
23. उपाध्यक्ष, राज्य सभा	,,
24. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मन्त्री	,,
25. शहरी विकास राज्य मन्त्री	,,
26. वित्त राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)	,,
27. उद्योग राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन)	,,
28. उद्योग राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगण)	,,
29. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल)	,,
30. ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी)	,,
31. कल्याण उपमन्त्री	सदस्य

32. गृह उपमन्त्री	सदस्य
33. राज्यपाल, जम्मू और काश्मीर	,,
34. राज्यपाल, पंजाब	,,
35. राज्यपाल, मेघालय	,,
36. उप राज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	,,
37. उपराज्यपाल, दिल्ली	,,
38 प्रशासक, दमण और दीव	,,
39. प्रशासक, लक्षद्वीप	,,
40. मुख्यमन्त्री, आंध्र प्रदेश	,,
41. मुख्यमन्त्री, अरुणाचल प्रदेश	,,
42. मुख्यमन्त्री, असम	,,
43. मुख्यमन्त्री, बिहार	,,
44. मुख्य मन्त्री, गोवा	,,
45. मुख्यमन्त्री, गुजरात	,,
46. मुख्यमन्त्री, हरियाणा	,,
47. मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश	,,
48. मुख्यमन्त्री, कर्नाटक	,,
49. मुख्यमन्त्री, केरल	,,
50. मुख्यमन्त्री, मध्य प्रदेश	,,
51. मुख्यमन्त्री, महाराष्ट्र	,,
52. मुख्यमन्त्री, मणिपुर	,,
53. मुख्यमन्त्री, मिजोरम	,,
54. मुख्यमन्त्री, नागालैंड	,,
55. मुख्यमन्त्री, उड़ीसा	,,
56. मुख्यमन्त्री, पांडिचेरी	,,
57. मुख्यमन्त्री, राजस्थान	,,
58. मुख्यमन्त्री, सिक्किम	,,
59. मुख्यमन्त्री, तमिलनाडु	,,
60. मुख्यमन्त्री, त्रिपुरा	,,
61. मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य

62. मुख्य मन्त्री, पश्चिम बंगाल — सदस्य

63. श्री राम विलास पासवान, संसद सदस्य, नं० 12, जनपथ, नई दिल्ली — ,,

64. श्री अरविंद नेताम, संसद सदस्य, 19, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली — ,,

65. श्रीमती मार्गथम चन्द्रशेखर, संसद सदस्य, 8, शोक रोड, नई दिल्ली — ,,

66. श्री कालका दास, संसद, सदस्य, 9, डा० दिशंबर दास मार्ग, नई दिल्ली — ,,

67. श्री एम० पी० मालवीय, नं० 5, डुप्ले रोड, नई दिल्ली — ,,

68. श्री एच० हनुमनथप्पा, संसद सदस्य, 5-ए बी, पंडारा रोड, नई दिल्ली — ,,

69. श्री बूटा सिंह, संसद सदस्य, 16, अशोक रोड, नई दिल्ली — ,,

70. डा० फगुनी राम, संसद सदस्य, 11, जनपथ, नई दिल्ली — ,,

71. श्री दिपेन घोष, संसद सदस्य, 18, विण्डसर प्लेस, नई दिल्ली — ,,

72. श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य, 41, वैस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली — ,,

73. श्री चंद्र शेखर, संसद, सदस्य, 3, साउथ एवेन्यु लेन, नई दिल्ली — ,,

74. इब्राहिम सुलेमान सेत, संसद सदस्य, 16, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली — ,,

75. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य, 6, रायसीना रोड, नई दिल्ली — ,,

76. श्री सुनील दत्त, संसद सदस्य, 2, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली — ,,

77. श्री वी० पी० सिंह, संसद सदस्य, 1, तीन मूर्ति लेन, नई दिल्ली

78. श्री रवि राय, संसद सदस्य, 4, जनपथ, नई दिल्ली	सदस्य
79. श्री चन्द्रजीत यादव, संसद सदस्य, 78, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली	,,
80. श्री ए० के० अन्टोनी, संसद सदस्य, 135, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली	,,
81. श्री पी० एम० सईद, संसद सदस्य, 3, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली	,,
82. श्री चित्त बसु, संसद सदस्य, 28 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली	,,
83. श्री राम सुन्दर दास, संसद सदस्य, 29, डा० राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली	,,
84. श्री हरि चौधरी, संसद सदस्य, सिविल लाइन, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	,,
85. श्रीमती सत्या बहिन, संसद सदस्य, 14, डा० राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली	,,
86. प्रो० एम० कामसन, संसद सदस्य, 161-172, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली	,,
87. श्री जी० स्वामीनाथन, संसद सदस्य, 28 केनिंग लेन, नई दिल्ली	,,
88. श्री सुलतान सलाहउद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य, 34, अशोक रोड, नई दिल्ली	,,
89 श्री प्रकाश अम्बेडकर, संसद सदस्य, "राजगृह" हिंदू कालोनी, दादर, बम्बई	,,
90. श्री एल० के० आडवाणी, संसद सदस्य, सी-1/6, पंडारा पार्क, नई दिल्ली	,,
91. श्री हरकिशन सिंह सुरजीत, 8-यकीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली	,,
92. श्री ए० आर० अन्तुले, संसद सदस्य, 6 डुप्ले रोड, नई दिल्ली	,,
93. श्रीमती सविता अम्बेडकर, "मातृ छाया" 59, आ० बी० एस० के० बोले रोड दादर (प०) बम्बई-400028	,,

94. श्रीमती अरुणा आफअली, 507, विट्ठल भाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
95. श्री बी० डी जत्ती, भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, डा० जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली	,,
96. न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती, सेवानिवृत, मुख्य न्यायधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, एस/296, गेडर कैलाश-2 नई दिल्ली	,,
97. श्रीमती सरोजिनी महिषी, सी आई/14, लोधी गार्डन, नई दिल्ली	,,
98. चौ० ब्रह्म प्रकाश, अध्यक्ष, आर्थिक विकास समिति, 1145, सैक्टर-12, आर० के० पुरम, नई दिल्ली	,,
99. श्री योगेन्द्र मकवाना अध्यक्ष, योजना और कार्यक्रम समिति, मी-8361, बसन्त कुन्ज, नई दिल्ली	,,
100. प्रो० मातादीन, अध्यक्ष, शिक्षा समिति, 23, बी-पाकेट, ए०एम०आई०जी० फ्लैट, अशोक बिहार, फेज-3 दिल्ली-52	,,
101. डा० सोहन पाल सुमनाक्षर दलित साहित्य अकादमी, नं० 233, टैगोर पार्क, माडल टाउन, नई दिल्ली	,,
102. डा० (कु०) सेल्वी दास, कुलपति, मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	,,
103. प्रो० एम० एस० अगवानी, कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली	,,
104. प्रो० उपेन्द्र बक्शी, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली	,,
105. प्रो० मुजीब रिजवी, कार्यवाहक कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	,,
106. डा० डी० आर० जाटव, प्रधानाचार्य, राजकोस कालेज, जोधपुर, राजस्थान	सदस्य

107. श्री एस० आर० कट्टीच, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिकारी संघ, 68/245, पचकुइयां रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य
108. श्री पी० एस० कृष्णन, भा०प्र०से० (सेवा० निवृत्त) ई 4/2, सैक्टर-13, आर० के० पुरम, नई दिल्ली	,,
109. वेन लामा लोबजंग, सी-1, पंडारा रोड, नई दिल्ली	
110. श्री बी० पी० सिंहा, भारत के भूतपूर्व राजदूत, 83/सी, हिमगिरी आपर्टमैंट्स, पाकेट-14, कालकाजी विस्तार, नई दिल्ली	,,
111. श्री दाउ दयाल गुप्ता, मयर, लखनऊ	,,
112. श्री श्रीनिवास साहू, भूतपूर्व कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय, सं० 1203, नई पाली, भुवनेश्वर, उड़ीसा	,,
113. श्री एस० एम० एच० बर्नी, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली	,,
114. कु० शबाना आजमी, नं० जानकी कुटीर, जुहु, बम्बई-400049	,,
115. डा० मुल्क राज आनन्द, लोकायत, होजखास गांव, नई दिल्ली-110016	,,
116. डा० रफीक जकारिया, सी लैंड, 41, फुले परेड, बम्बई-400005	,,
117. श्री ए० थनकप्पन, एडवोकेट, एलुनिविला, चिल्लिमजाम, पी० आ० तिरुवनन्तपुरम	,,
118. डा० मदनकर, बौद्ध भूमि, खांटे रोड, नागपुर	,,
119. डा० धम्मोपाल महास्थीवर, अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल बुद्धिस्ट एसोसिएशन, कलकत्ता	,,
120. डा० राष्ट्रपाल, बुद्धिस्ट स्कालर, इण्टरनेशनल बुद्धिस्ट मेडिटेशन, बौद्ध गया	,,
121. श्री एल० आर्यवंश, हाई प्रीस्ट, बौद्ध विहार, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली	,,
122. श्री आर० डी० सोनकर, आई०ए० एस० (रिटा), चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	सदस्य

123. कैप्टन कुमार, "द स्टेट्समैन", सदस्य
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली

124. श्री वी० के० नारायणन, एडीटर, "द ट्रिब्यून" चंडीगढ़ ,,

125. श्री निखिल चक्रवर्ती एडीटर "मेनस्ट्रीम" ,,
डी-11/35, काका नगर, नई दिल्ली

126. श्री प्रभु चावला, जर्नलिस्ट, ,,
सी-45, विवेक विहार, शाहदरा, दिल्ली-110032

127. श्री एस० पी० सिंह, सम्पादक "नवभारत टाइम्स" ,,
टाइम्स हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

128. श्री प्रभाष जोशी अध्यक्ष, पब्लिसिटी एवं मीडिया समिति, ,,
सम्पादक, "जन सत्ता" द्वारा इंडियन एक्सप्रेस भवन,
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

129. श्री सईद नकवी, सीनियर जर्नलिस्ट, ,,
डी-9, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-49

130. श्री गोपालन, "आनकुक्कर", ,,
40, नमक मंडी, पो०बा० नं० 125, उज्जैन

131. श्री दिलीप पडगांवकर, ,,
एडीटर, "द टाइम्स आफ इण्डिया",
आठम्स आऊस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

132. श्री प्रेम भाटिया, ,,
डी-364, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली

133. श्री श्याम लाल, भूतपूर्व संपादक, टाइम्स आफ इण्डिया ,,
ए-28, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-1100049

134. श्री खुशवन्त सिंह ,,
49-ई, सुजान सिंह रोड, नई दिल्ली

135. सचिव, कल्याण मन्त्रालय सदस्य-सचिव

3. राष्ट्रीय समिति मोटे-तौर से शताब्दी समारोहों के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी, उन पर चर्चा करेगी और उनकी सिफारिशें करेगी।

4. समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाएगा।

5. समिति की सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये समिति विषय समितियां और उप समितियां गठित कर सकती है।

6. समिति की एक वर्ष में दो बैठकें केवल कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का लेखा-जोखा लेने के लिए और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए हो सकती है।

7. समिति का कार्यकाल 14 अप्रैल, 1992 को समाप्त हो जायेगा।

8. यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते इत्यादि के लिए समिति के गैर-सरकार सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित वित्त मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ०6(26)-ए/59 दिनांक, 15 सितंबर, 1960 के उपबंधों से अभिशासित होंगे। तथापि, वे अपने विवेक पर वायुयान से यात्रा के पात्र होंगे।

9. इसे मन्त्रालय के वित्त सलाहकार की सहमति से जारी किया जा रहा है।

ह०/
(गंगा दास)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ह०/
(गंगा दास)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्य
2. बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह सम्बन्धी कार्यान्वयन समिति के सदस्य
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमन्त्री कार्यालय
5. मन्त्रिमण्डल सचिवालय
6. भारत सरकार के सभी सचिव

7. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सभी मुख्य सचिव

8. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन नई दिल्ली

9. कल्याण मन्त्रालय के सभी संयुक्त सचिव

10. केन्द्रीय कल्याण मंत्री के निजी सचिव

11. सचिव, कल्याण मन्त्रालय के निजी सचिव

12 कल्याण उप-मन्त्री के निजी सचिव

13. अपर सचिव, कल्याण मन्त्रालय के निजी सचिव

14. कल्याण मन्त्रालय, कल्याण विभाग के संयुक्त सचिवों के निजी सचिव

15. उप समितियों के सभी संयोजक

16. कल्याण मन्त्रालय, कल्याण विभाग के सभी अनुभाग

17. कल्याण विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

18. सूचना अधिकारी, कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)।

ह०/
(गंगा दास)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[अनुवाद]

तिलहनों और दालों का उत्पादन

2749. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय तिलहनों और दालों का उत्पादन बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान उत्पादन कितना है और देश की वर्तमान मांग को पूरा करने हेतु कितनी मात्रा की आवश्यकता है; और

(ग) इनका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांग एवं आपूर्ति के प्रक्षेपणों से सम्बन्धित कार्यकारी दल द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार 1990-91 के दौरान दालों की मांग की मात्रा लगभग 14 मिलियन मीटरीटन के सम्भावित उत्पादन की तुलना में लगभग 15 से 16 मिलियन मीटरीटन आकलित की गई थी। 1990-91 के लिए खाद्य तेलों के मांग की मात्रा उक्त वर्ष के लिए 5.0 मिलियन मीटरीटन के उत्पादन की तुलना में लगभग 5.82 मिलियन मीटरीटन आकलित की गई थी।

(ग) तिलहनों एवं दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस समय निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

(1) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

(2) राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम ।

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दालें ।

"पाक लिकस आफ एशियावाच रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2750. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "दी टाइम्स आफ इंडिया" में "पाक लिकस आफ एशियावाच रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर के प्रतिबन्धित आतंकवादी गिरोह के प्रयोग के लिए और उनके लिए आतंकवादी और विघटनकारी योजनाएं चलाने के लिए गैर-कानूनी तरीकों से विदेशों से बड़ी मात्रा में राशि प्राप्त करने के लिए अवैध गतिविधियां चलाने के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा 25-3-91 को चांदनी महल पुलिस स्टेशन, दिल्ली में एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 53/91 दर्ज किया गया था ।

मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है । दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ।

मानसिक रूप से कमजोर और विकलांग व्यक्तियों के लिए ड्रामा चिकित्सा

2751. **डा० रवि मल्लू** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान ब्रिटिश इन्सटीटयूट आप ड्रामा थ्रेपी और एन० एस० ए० के० सहयोग से प्रमुख समाजिक संस्थान "समाधान" द्वारा मानसिक रूप से कमजोर और विकलांग बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण के लिये दिल्ली में हाल ही में आयोजित ड्रामा थ्रेपी के सफलता पूर्वक उपाय की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार की "समाधान" और मानसिक रूप से कमजोर और विकलांग व्यक्तियों की सेवा में सक्रिय रूप से संलग्न ऐसे किन्हीं ग्रुपों के अन्तर्गत किसी प्रकार के ड्रामा थ्रेपी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

मध्य प्रदेश में कपास का उत्पाद

2752. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश देश के कपास उत्पादक राज्यों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कपास उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन में कमी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सहित प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् गहन कपास विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीज के उत्पादन व वितरण, प्रदर्शन, पौध रक्षण उपायों सिंचाई और किसानों के प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कपास उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

(प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की लाख गांठों में)

वर्ष	लक्ष्य	कपास का उत्पादन
1988-89	2.64	3.54
1989-90	3.60	4.12
1990-91	4 50	3.80

(घ) और (ङ) कपास के उत्पादन के अंतिम आंकड़े राज्यों से प्राप्त होने का अभी समय नहीं हुआ है। तथापि, वर्तमान आकलन के अनुसार 1991-92 के दौरान कपास का उत्पादन लगभग 96.14 लाख गांठ होने की आशा है, जो कि 1990-91 के दौरान प्राप्त 97.59 लाख गांठों के उत्पादन स्तर की तुलना में थोड़ा सा कम है। कपास के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में से गुजरात और महाराष्ट्र में फसल के विकास की अवस्था में प्रतिकूल मौसम होना है।

(च) प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अर्थात् गहन कपास विकास कार्यक्रम, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीज के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शन, पौध रक्षण उपायों, सिंचाई और किसानों के प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दिल्ली में औद्योगिक और वाणिज्यिक एककों को लाइसेंस जारी करना

2753. **श्री जीवन शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्बंधित क्षेत्रों में औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाईयां को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दीजिए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार इनसे किस तरह का बर्ताव करने का विचार रखती है खासतौर पर इनमे जोकि आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्रा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एग्लो-इंडियनों की जनसंख्या

2754. श्री एम० डेनिस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एंग्लो-इंडियनों की जनसंख्या का राज्यवार/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) उक्त समुदाय के विकास और संरक्षण हेतु प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) तथा (ख) चूंकि जनगणना में एग्लो-इंडियनों के बारे में ऐसी सूचना एकत्र नहीं की गई थी, अत: अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) लोक सभा और कुछ राज्यों को विधान सभाओं में एग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को नामांकित करने की व्यवस्था (संविधान के अनुच्छेद 331 तथा 333) है।

भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने की सुविधाएं

2755. श्री एम० डेनिस : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए प्रावधानों के ब्यौरे भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। अब तक, ऐसी 28 रिपोर्टें सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। ये दस्तावेज उपलब्ध हैं।

डेयरी और मुर्गी पालन परियोजनाएं

2756. डा० असीम बाला : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोआपरेटिव विकास निगम ने पश्चिम बंगाल में डेरी और मुर्गीपालन की कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कोआपरेटिव विकास निगम ने इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित करने की सिफारिश की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) राज्यों में कुक्कुट पालन तथा डेरी परियोजनाएं सहकारी समितियों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है। पश्चिम बंगाल सरकार से किसी ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पश्चिम बंगाल राज्य में अब तक किसी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं कर सका है।

(ख) आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य के बजट में किए गए प्रावधानों तथा ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता और व्यवहार्यता को भी दृष्टिगत रखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में डेरी तथा कुक्कुट पालन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करेगा। वैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, डेरी परियोजनाओं के लिए ऐसी सहायता पर केवल गैर-आपरेशन फ्लड जिलों, जो कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा कवर नहीं किए गए हों, के लिए ही विचार करेगा।

मत्स्य फार्म

2757. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मत्स्य फार्मों में मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितनी मात्रा में मछली पकड़े जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई आयातित प्रौद्योगिकी लागू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात बाजार में भारतीय मछलियों की अधिकांशत: किन-किन नस्लों की मांग की जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जल कृषि विकास के लिए 365 मछली पालक विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। मछली पालक विकास एजेंसियों के तहत 1991-92 के दौरान मछली पालन और पोखरों के सुधार के लिए निवेश पर राजसहायता बढ़ा दी गई है। अन्तर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मछली पालक विकास एजेंसियों के तहत नए पोखरों के निर्माण और बहते जल में मछली पालन के लिए अब राजसहायता भी दी जाती है।

(ख) 1990-91 के दौरान अन्तर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों से कुल उत्पादन 15.36 लाख मीटरी टन था। 1991-92 के दौरान संभावित उत्पादन लगभग 15.90 लाख मीटरी टन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निर्यात बाजार में मछली के बाद सबसे अधिक प्रान की मांग है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पुलिस बलों में वृद्धि

2758. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में पुलिस बलों में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः पुलिस बल की संख्या में वृद्धि करने के मामले में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत कुवैतीय संयुक्त आयोग

2759. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए भारत-कुवैतीय संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) और यह आयोग कब से कार्य करना आरम्भ करेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) कुवैत की मेरी सरकारी यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार में दूसरी बातों के अलावा एक संयुक्त आयोग गठित करने की व्यवस्था है जो दोनों पक्षों द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी होते ही गठित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भूकम्प द्वारा की गई क्षति

2760. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरकाशी-गंगोत्री और टिहरी-बुढ़ा केदार नाथ के बीच सड़क में कई दरारे आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूस्खलन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

\+

2761. **श्री नवल किशोर राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान पाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई है;

(ख) बिहार में पंजीकरण हेतु लम्बित पड़े ऐसे संगठनों के आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ग) पंजीकरण तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) श्रीमान, कुछ श्रेणी के ऐसोसिएशनों और व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और प्रयोग, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

(ख) 31-12-1991 को 69 आवेदन पत्र पंजीकरण के लिए लम्बित पड़े थे।

(ग) जब एसोसिएशनों द्वारा पूरी सूचना प्रस्तुत की जाती है तो आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

सहकारी भण्डारण परियोजना

+

2762. श्री ललित उराँव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान 'सहकारी भण्डारण परियोजनाओं को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार, कितने गोदामों का निर्माण किया गया; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत कितने गोदामों का निर्माण करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सहकारी भण्डारण परियोजना को, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से केवल बिहार राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। 31-3-1991 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस परियोजना के तहत राज्य सरकार को 472.39 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(ख) 31-3-1991 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों में, बिहार में 234 गोदामों का निर्माण शुरू किया गया था जिसमें से 27 को पूरा कर लिया गया तथा 207 निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

(ग) वर्तमान वर्ष यानि 1991-92 के दौरान, 273 गोदामों को पूरा करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न

2763. श्री रवि राय : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में यू० एस० स्टेट विभाग द्वारा हाल ही में मानव अधिकारों के बारे में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी विदेश विभाग ने 31 जनवरी, 1992 को 1991 की मानवाधिकार प्रणाली सम्बन्धी अपने देश की रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि "धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तान में बराबर भेदभाव किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं" रिपोर्ट में अहमदिस के खिलाफ भेदभाव का उल्लेख किया गया है और ईसाईयों तथा हिन्दुओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का भी उसमें जिक्र किया गया है।

(ग) हालांकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव बरते जाने की खबरों पर चिन्ता तथा क्षोभ है फिर भी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मूल्यांकन मानदण्डों का कथित उल्लंघन

2764. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती :

डा० जयन्त रंगपी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1992 के "इकोनोमिक टाइम्स" में ओ०एन० जी० सी० व्यवलेटिंग इवाल्यूएशन नोमेस सी-दो शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

गया (बिहार) में हरिजनों की हत्या के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालत

+

2765. श्री मृत्युंजय नायक : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को बिहार के गया जिले के मेन तथा बरसिंघा सठ गांवों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की हत्या के मामलों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत विशेष अदालत गठित करने तथा विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार ने क्या जवाब दिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार राज्य सरकार से रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के मूल्य सूचकांक को कृषि आदानों के साथ जोड़ना

2766. **श्री जे० चोक्का राव :**

श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरकों, आदि पर आर्थिक सहायता में कमी के प्रभावों की क्षतिपूर्ति हेतु कृषि उत्पादों के मूल्यों को कृषि आदानों के मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि जिंसों के लिए मूल्य नीति सम्बन्धी अपनी सिफारिशें तैयार करते समय उत्पादन-लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समतुल्यता, मण्डी में मूल्यों के रुख आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार है । हिसाब में रखी गई खेती/उत्पादन की लागत में बीजों, उर्वरकों, खादों आदि जैसे सामग्री आदानों के उपयोग के नकद और सामग्री रूपी खर्च शामिल होते हैं ।

2. सरकार ने 1991-92 की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित प्रकार से निर्धारित किए थे जिनसे किसानों को उर्वरकों के मूल्यों में हुई 30 प्रतिशत वृद्धि के लिए उचित प्रतिपूर्ति मिले ।

कपास और गेहूं का आयात

2767. **श्री आर्थर फर्नांडीज :**

श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान कपास और गेहूं के आयात का विरोध कर रहे हैं जबकि बाजार में उनकी आवक आने वाली है;

(ख) क्या इनके आयात से बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है जिससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इन वस्तुओं के परिकल्पित आयात के मण्डी मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव से किसान पर कोई बुरा असर पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं की मूल्य समर्थन पद्धति के तहत लाभकारी मूल्यों पर किसानों से खरीद की जाती है ।

[हिन्दी]

पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर से पलायन करके आए लोगों के अस्थाई शिविर

+

2768. **श्री नीतिश कुमार :**

श्री अवतार सिंह बड़ाना :

श्री एस० एम० बेकारिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर से पलायन करके आए लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्थाई शिविर लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रबन्ध और इन अप्रवासी लोगों के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने पंजाब के प्रवासियों के लिए 6 शिविर और जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों के लिए 14 शिविर दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थापित किए हैं। इनके ब्यौरे और उन पर हुआ खर्च संलग्न विवरण I से IV में दिया गया है।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-I

पंजाब के प्रवासियों के लिए शिविरों की सूची

क्र० सं०	शिविर का नाम	जनसंख्या
1.	पोरागढ़ी राहत शिविर	2026 परिवार (8100 व्यक्ति)
2.	मंगोलपुरी शिविर	281 परिवार (1[illegible]0 व्यक्ति)
3.	ज्वालापुरी शिविर	77 परिवार (310 व्यक्ति)
4.	युवा छात्रावास, मोरी गेट	133 परिवार (535 व्यक्ति)
5.	पालिका धाम, बापू धाम	58 परिवार (240 व्यक्ति)
6.	गोविन्द पुरी शिविर	310 परिवार (1250 व्यक्ति)
7.	जहांगीर पुरी शिविर	600 परिवार (2400 व्यक्ति)

(अवैध रूप से कब्जा किया गया)

विवरण-II

10-3-1992 को जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के शिविरों में रह रहे व्यक्तियों की स्थिति

हाजिर का नाम	प्रारम्भ होने की तिथि	परिवारों को आबंटित आवास	व्यक्तियों को आबंटित आवास	परिवार जो इस समय रह रहे	व्यक्ति जो इस समय रह रहे
कृष्णा मार्किट शिविर (एम०सी०डी०)	मार्च 1990 के अन्त में	30	112	25	104
साउथ एक्स्टेंशन शिविर (ए०सी०डी०)	—तदैव—	29	110	21	81
कैलाश कालोनी शिविर (एम०सी०डी०)	अप्रैल, 1990	11+40सिंगल	80	7	28
अलीगंज शिविर (एन०डी०एम०सी०)	—तदैव—	31	136	17	62
बैगम पुर शिविर (एम०सी०डी०)	—तदैव—	21	74	14	55
हौज रानी शिविर (एम०सी०डी०)	मई, 1990	24+67सिंगलस	150	18	74
बापू धाम शिविर	मार्च,1990	41	168	26	101
न्यू मोती नगर शिविर	मई, 1990	35	130	33	125
मंगोलपुरी डी-ब्लाक शिविर (डी०डी०ए०-अलम)	मई, 1990	62	238	55	208
मंगोलपुरी एन-ब्लाक शिविर (एम०सी०डी०)	मई, 1990	17	70	15	64
सुल्तानपुरी शिविर (डी०डी०ए० स्लम)	मई 1990	35	130	25	92
(बलबीत नगर शिविर-I) शीशगंज गुरुद्वारा	नवम्बर, 1990	120	442	60	162
(बलबीत नगर शिविर-I) (डी०डी०ए०-स्लम)	मई, 1990	29	114	12	46
पालिका धाम शिविर (एन०डी०एम०सी०)	मई, 1990	30	126	16	59
नन्द नगरी शिविर (डी०डी०ए०-स्लम)	मई, 1991	32	86	20	78
कुल		694	2166	364	132

टिप्पणी : ये सभी शिविर एम०सी०डी०/एन०डी०एम०सी०/डी०डी०ए० (स्लम वे जे) द्वारा आवंटित सामुदायिक केन्द्रों द्वारा में स्थापित किए गए हैं।

विवरण-III

शिविरों के रख-रखाव पर हुए व्यय के ब्यौरे और पंजाब के प्रवासियों को नगद सहायता की व्यवस्था

क्र० सं०	वर्ष	शिविरों के रख-रखाव पर व्यय	नगद सहायता पर व्यय
1.	1989-90	रु० 43,50,150-00	रु० 6,57,00,000-00
2.	1990-91	रु० 3,31,44,642.00	रु० 6,20,00,000-00
3.	1991-92 (फरवरी, 92 तक)	रु० 77,90,165-00	रु० 6,95,00,000-00
	कुल	रु० 4,52,84,957-00	रु० 19,72,00,000-00

विवरण-IV

शिविरों के रख-रखाव पर हुए व्यय के ब्यौरे और कश्मीर के प्रवासियों को नगद सहायता की व्यवस्था

क्र० सं०	वर्ष	शिविरों के रख-रखाव पर व्यय	नगद सहायत पर व्यय
1.	1990-91	रु० 26,33,191-00	रु० 2,65,97,742-00
2.	1991-92 (फरवरी 92 तक)	रु० 41,61,135-00	रु० 4,48,26,622-00
	कुल	रु० 67,94,326-00	रु० 7,14,24,436-00

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस के महिला सैल द्वारा दर्ज मामले

2769. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के महिला सैल द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पिछले छह महीनों, अर्थात् 1-9-91 से 29-2-92 तक की अवधि के दौरान अपराध (महिला) सैल की सिफारिश पर दिल्ली के विभिन्न थानों में 191 मामले दर्ज किए गये हैं।

(ख) 191 मामलों में 339 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) इसको अधिक कारगर बनाने के लिये किए गए उपायों में परामर्श दाताओं/पनश्चिकित्सकों को मदद लेना, एकक के कार्यकरण में स्वयंसेवी संगठनों का योगदान और कर्मचारियों को जेन्डर सेंसिटाइजेशन, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस और मामलों की जांच करने सम्बन्धी प्रशिक्षण देना शामिल हैं।

[हिन्दी]

घुसपैठ को रोकथाम हेतु आधुनिक हथियारों का प्रयोग

2770. **श्री यशवन्त राव पाटिल :**

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ की रोकथाम हेतु हेलीकाप्टर, गनशिप, एन्टी पर्सनल माइन्स, रडार गहरे घुसपैठ को प्रणालियों आदि जैसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम रखने का प्रयास

2771. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1992 में दिल्ली हवाई अड्डे पर बम रखने का कोई प्रयास विफल कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां की गई;

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का किस उग्रवादी गुट से सम्बन्ध हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) फरवरी, 1992 में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं

+

2772. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) उड़ीसा में इन प्रयोगशालाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य में विश्लेषित मृदा के नमूनों की अनुमानित संख्या 1.54 लाख है।

उपर्युक्त के अनुसार मृदा के नमूनों के विश्लेषण के आधार पर, किसानों को विभिन्न फसलों के लिए अपेक्षित उर्वरक पोषक तत्वों की अनुकूलतम मात्रा तथा मिश्रण के सम्बन्ध में सलाह दी जाती है।

विवरण

उड़ीसा में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

क्र० सं०	स्थान
1.	बालासौर
2.	बोलांगीर
3.	कटक
4.	धेकानल
5.	गजंम
6.	कियोंझार
7.	कालाहांडी
8.	कोरापुट
9.	मयूरगंज
10.	फुलबानी
11.	पुरी
12.	सम्बलपुर
13.	सुन्दरगढ़

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं

+

2773. **श्री रति लाल कालीदास वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में पिछले तीन महीनों के दौरान महीना-वार हुई घुसपैठ की घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इस प्रक्रिया में मारे गए सैनिकों और नागरिकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिसम्बर, 1991 में घुसपैठ की 6 घटनाएं सूचित की गई है जनवरी और फरवरी, 1992 में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी ग्रुप द्वारा घुसपैठ करने की केवल एक घटना ध्यान में आयी है।

(ख) आतंकवादी ग्रुपों द्वारा घुसपैठ करने की घटनाओं में कोई सुरक्षा बल कार्मिक नहीं मारा गया। दिसम्बर, 1991 में कुल 15 आतंकवादी मारे गए और दो आतंकवादी नियंत्रण रेखा के नजदीक गिरफ्तार किए गए। जनवरी और फरवरी, 1992 में चार आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी नियंत्रण रेखा के नजदीक गिरफ्तार किया गया।

[अनुवाद]

म्यामार से मिट्टी के तेल और पेट्रोल का आयात

2774. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का म्यामार से पेट्रोलियम उत्पादों और मिट्टी के तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार को सुफला और कृभको यूरिया की सप्लाई

2775. **श्री छेदी पासवान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा उत्पादित "सुफला" उर्वरक और कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड द्वारा उत्पादित "कृभको" यूरिया बिहार को भी आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस समय बिहार की यूरिया तथा मिश्रणों की आवश्यकता को, राष्ट्रीय केमिल्स तथा फर्टिलाइजर्स और कृभको की उत्पादन इकाइयों की अपेक्षा बिहार के निकट स्थित इफको और अन्य उर्वरक संयंत्रों से पूरा किया जा रहा है।

मकानों का करयोग्य मूल्य

+

2776. **श्री रोशन लाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने करयोग्य मूल्य में तीस से चालीस प्रतिशत की वृद्धि की है और उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए करयोग्य मूल्य का समय-समय पर संशोधन करती रहती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगमों को उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन करने के लिए अनुनिदेश देने का है;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि किराया नियंत्रण अधिनियम से नियन्त्रित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में करयोग्य मूल्य का निर्धारण सम्बन्धी कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के साथ मिला दिया गया । 1 दिसम्बर, 1988 से दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन करने के बाद, प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार करयोग्य मूल्यों में परिणामी परिवर्तन करना प्रस्तावित है ।

[अनुवाद]

केलकर समिति की सिफारिशें

2777. श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केलकर समिति की सिफारिशें मान ली हैं;

(ख) केलकर समिति का गठन कब किया गया था और इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की;

(ग) क्या इस समिति ने उर्वरक उद्योग को राजसहायता देने की सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां कुछ संशोधनों सहित

(ख) समिति 27, 1989 को गठित की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट 18 मई, 1990 को प्रस्तुत की ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय संस्कृति केन्द्र की स्थापना

2778. डा० सी० सिलवेरा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया की राजधानी में भारतीय संस्कृति केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो कारण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी हां । मंगोलिया की सरकार ने राजधानी उलान बतोर में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोला है । उलान बतोर में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव मंगोलियायी संस्कृति और कला विकास समिति के अध्यक्ष ने इस बात को देखते हुए रखा था कि मंगोलियायी जनता में भारत और भारतीय लोगों, उसकी परम्पराओं और

संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की व्यापक सद्भावना, उत्साह और रूचि है। भारत सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के माध्यम से इस केन्द्र को पुस्तकें और श्रव्य दृश्य सामग्री भेंट करने के जरिए सहायता देने का आश्वासन दिया है।

(ग) और (ङ) अन्य देशों में इस प्रकार के भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राप्त किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार उसके गुण-दोषों के आधार पर जांच पड़ताल करेगी।

12.00 बजे मध्याह्न

पंजाब में गैर-पंजाबियों की हत्या के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पंजाब में गैर-पंजाबियों की हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर एक कारखाने में, आतंकवादियों ने गैर-पंजाबियों की हत्या के पूरे देश में अशान्ति फैलाने की कोशिश की है। यह बहुत चिन्ता का विषय है और मैं समझता हूं कि इसे सदन के चैन में लाया जाना चाहिए। गैर-पंजाबी अभियन्ताओं को पंजाबियों से पृथक किया गया और यह अन्य राज्यों में अलग ढंग से अशांति फैलाने का तरीका है : मैं समझता हूं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की अशान्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में अशान्ति न फैले।

दूसरे, यह कम्पनी इण्डियम एक्रेलिक लिमिटेड अमरीकी कम्पनी के सहयोग से स्थापित की गई हैं और उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा की व्यवस्था, जिसकी उन्हें पेशकश की गई थी को अस्वीकार कर दिया था। हम यह जानना चाहते है कि पंजाब में अमेरिकी कम्पनी शर्तें क्यों रख रही है। यह भी एक चिन्ता का विषय है। अमरीकी कम्पनी ड्यू पोट ने भली-भांति यह जानते हुए कि पंजाब में भयानक अशान्ति व्याप्त है, सशस्त्र सुरक्षा के लिए मना कर दिया।

महोदय, गैर-पंजाबियों को चुनना और उनकी हत्या करना गम्भीर चिन्ता का विषय है और सदन को इस विषय पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक राज्य संगठित रहे। गैर-पंजाबियों की हत्या करके वे न केवल पृथक पंजाब चाहते है बल्कि, वे पूरे देश में अशान्ति उत्पन्न करना चाहते हैं सतर्क रहना चाहिए और हमें ड्यू पोत कम्पनी से यह भी पता लगाना चाहिए कि उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा के लिए क्यों मना कर दिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहता था। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी वर्ग इस कायरता पूर्ण और और भयावह घटना का जो घटित हो चुकी है, की भर्तना करेंगे। मैं समझता हूं कि सदन के सभी वर्गों को एक होकर यह विचार व्यक्त करना चाहिए कि उत्तेजना का चाहे कोई भी कारण क्यों न हो यह घटना चाहे कितनी भी भयावह क्यों न हो, देश की एकता और अखण्डता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और तथा कथित आतंकवादियों को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि उनका चाहे जो भी प्रयास हो, वे देश के एक भाग को पृथक करने में सफल नहीं होंगे।

यह बहुत ही आवश्यक है मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गृह मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि वह स्थिति को पूर्णत: स्पष्ट करेंगे। कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे घटित हुई, ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से क्या कदम उठाए गए। यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है।

पंजाब के लोगों में वैमनस्य पैदा करने के लिए यह जानबूझकर किया गया है। हमें ऐसी घटनाओं की निःसंकोच भर्त्सना करनी चाहिए। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अतः यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसे पूर्णतः स्पष्ट करे।

वहां पर राज्य सरकार है। यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के मामले में केन्द्र को भी राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

पिछली बार मैंने कहा था कि मैं उस सरकार की भलाई की कामना करता हूं। लेकिन इस प्रकार के मामले में इसे किसी विशेष क्षेत्र में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति दी नहीं मान्य जा सकता। यह एक विषय है जिससे पूरा देश सम्बन्धित है। भारत सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए और राज्य सरकार को आतंकवाद को और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण और गम्भीर घटनाएं जो हो रही हैं को न केवल नियन्त्रित करने बल्कि समाप्त करने के लिए सभी प्रकार की सहायता करनी चाहिए।

हम निर्दोष मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। वे अभियंता जो वहां रह रहे थे उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि देश के उस भाग में उद्योग स्थापित करने में सहायता करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के जोखिम उठाए हुए थे। उनकी इस प्रकार हत्या की गई। मैं उनके परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदनाएं भेजने के लिए अपनी आघात और दुःख की भावना को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हूं। यह आघातपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। अन्ततः उनके परिवारों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। मैं एक समाचारपत्र में एक फोटोग्राफ देख रहा था—एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा है जिसके पिता की इस काण्ड में मृत्यु हो गई थी। यह क्षति असहनीय है, लेकिन उन परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और श्री सुनील दत्त ने जो कुछ हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। यह कहा गया है कि कारखाने के स्वामियों ने जोकि अमरीका की सुप्रसिद्ध कम्पनी है किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय करने से इन्कार कर दिया है अथवा सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जो पेशकश की गई थी उसके इन्कार कर दिया है। उन्होंने क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए हैं ऐसा प्रतीत होता है कि चार व्यक्ति कारखाने के प्रांगण में घुसे और इस प्रकार का नरसंहार किया? ये बहुत ही गम्भीर घटनाएं हैं।

मैं आशा करता हूं कि सरकार को इस पर तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष जी, जो मुद्दा उठाया गया है, मैं अपनी साझेदारी उसमें सम्मिलित करता हूं। जो इंजीनियर मारे गए हैं, उसमें डी०के० त्रिपाठी को मैं जानता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना पर अपना क्षोभ, दुख और कष्ट व्यक्त करना चाहता हूं। अफसोस इस बात का है कि मुख्यमन्त्री के ही वक्तव्य के अनुसार उस कम्पनी में जो अमेरिका से आए हुए इंजीनियर्स थे, वे कहते थे कि हमको कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। नतीजा क्या हुआ। खाड़कुओं ने जो अमेरिका से आए हुए इंजीनियर्स थे, उन सबको निकालकर अलग कर दिया और जो उनके अतिरिक्त इंजीनियर्स थे उनकी एक सख्त नृशंस और अमानवीय हत्या कर दी। उस कम्पनी में उत्तर प्रदेश के भी छोटे कर्मचारी काम करते हैं। आज उनके जीवन को खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या राज्य सरकार किसी भी इकाई के ऊपर इस तरह का खतरा है तो वह अपनी गुप्तचर एजेंसी के जरिए आकलन करेगी क्योंकि

वे स्वयं सुरक्षा प्रबन्ध नहीं कर सकते थे। भारत सरकार के गृह मन्त्री जी यहां मौजूद हैं और इस घटना की हम सब सभी लोग तीव्र शब्दों में निन्दा करते हैं। इसमें कुशल और अच्छे इंजीनियर थे जो इस देश की मेधा और क्षमता को, शोध कार्य को और तकनीक को बहुत कुछ दे सकते थे। उनकी अमानुषिक हत्या की गई है। उसके लिए सदन क्षोभ व्यक्त करे और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। उसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से पहल हो और विशेष व्यवस्था हो। इन्हीं सुझावों के अनुसार उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : हमारे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा है, उसमें मैं यह भी और जोड़ना चाहूंगा कि इस नृशंस घटना ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया है कि पंजाब की समस्या का समाधान उस तरह से नहीं किया जा सकता है जिस तरह से सरकार करने का प्रयास कर रही है। यहां राजनैतिक समाधान की जरूरत है। अतः, यह सर्वोत्तम समय है जबकि सरकार को पंजाब में राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करनी चाहिए।

उन्होंने पंजाबियों में व्याप्त बेरोजगारी का प्रश्न उठाया है। यह एक दलील थी। किन्तु अन्य लोग इस नारे से भ्रमित हो सकते हैं।

अतः, यही उपयुक्त समय है जबकि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए तथा राजीव-लोंगोवाल समझौते को बिना किसी विलम्ब के अवश्य ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : कल शाम 9 बजे से पंजाब से तथा बाहर से भी, विशेषरूप से केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों से, हमारे पास एक के बाद एक टेलीफोन आ रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, यह एक नृशंस और घृणित अपराध है। पंजाबी तथा गैर-पंजाबी लोगों को अलग कर दिया गया है।

हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक केरल के भी 8 लोग इस नृशंस नरसंहार में मारे गए हैं। गृह मन्त्री जी यहां हैं।

पंजाब में अन्य राज्यों के बहुत से विभिन्न कारखानों में काम कर रहे हैं।

हम गृह मन्त्री जी से वहां कार्यरत लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करते हैं।

दुर्भाग्य से, जैसाकि श्री सुनील दत्त जी ने यहां उल्लेख किया है, अमरीकी कम्पनी ने सरकार द्वारा सुरक्षा दिए जाने को ठुकरा दिया है।

कतिपय अन्य कम्पनियां भी इसी तरह की हैं। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय अन्य कम्पनियों ने भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्वीकार किए जाने से मना कर दिया है।

हमें शक है कि यह बात अन्यकारखानों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में भी दोहरायी जाएगी।

मैं माननीय गृह-मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में पर्याप्त कदम उठाएं जिससे कि इस प्रकार के नृशंस नरसंहार की पुनरावृत्ति न हो सके।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने भी इसके बारे में नोटिस दिया था। आतंकवादियों द्वारा कताई मिल में घुसकर 15 लोगों की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई उसकी जो फोटोज अखबारों में छपी हैं वे दिल दहलाने वाली हैं। जो इंजीनियर्स मरे हैं उनमें एक तमिलनाडु के

एक्स जनरल सेक्रेटरी के सुपुत्र श्रीकृष्ण भी मृतकों में से है। यह दुःखदाई घटना है और हम जहां इसकी निन्दा करना चाहते हैं वहीं यह भी कहना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों ने पंजाबी और गैर-पंजाबी लोगों के बीच रेखा खींचकर देश में जो क्षेत्रवाद और साम्प्रदायिकता के आधार देश को बांटने की कुचेष्टा की है उसकी हम सब कठोर शब्दों में निन्दा करते हैं और देश की जनता को यह कहना चाहते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों के जो मन्सूबे हैं देश को बांटने के क्षेत्र के रूप में, साम्प्रदायिकता के रूप में अलग करने के, मैं कहना चाहता हूं कि उनमें वे सफल नहीं हो पायेंगे, हम सफल नहीं होने देंगे। यह हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं।

मेरा एक निवेदन और है कि जिस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी का प्रबन्ध था उसके बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह लगते हैं। कहा गया कि जो मिल के एक्जीक्यूटिव है उन्होंने सिक्योरिटी लेने से इंकार कर दिया। यह हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मिल बन रही है उसके ऊपर आतंकवादी हमला कर सकते हैं यह तो सोचा जाना चाहिए था। क्योंकि यह कोई छोटी-मोटी फैक्टरी नहीं थी या घर नहीं था। उसके लिए बाहर सिक्योरिटी के प्रबन्ध हो सकते थे। चार लोग आयें और लाइन में खड़ा करके लोगों को मारकर चले जायें इससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी के अंदर कहीं न कहीं गड़बड़ी है।

मुझे बताया गया है, मैं चाहूंगा होम मिनिस्टर भी देखें कि जिस समय ये लाशें हवाई अड्डे पर आई साउथ में उनके घरों पर भिजवाने के प्रबन्ध किये गये तो दिल्ली के अधिकारियों ने कागजात मांगे और औपचारिकतायें पूरी करनी चाहीं।

इसलिए लाशें भी उन्होंने भेजी नहीं। कुछ मद्रास में भेजी हैं और कुछ रह गयी हैं। मैं चाहूंगा कि जो परिवार शोक के अन्दर हैं, वे यह सोचेंगे कि खाना-पूर्ति करने की वजह से कुछ लाशें रह गयी हैं तो उनको काफी दुख होगा। वे लोग पहले ही से काफी दुखी हैं। इसलिए मेरा निवेदन होम मिनिस्टर से है कि यह काण्ड फिर न हो क्योंकि पंजाब में नयी सरकार आयी है और यह उसके माथे पर काला टीका है तथा इस प्रकार की घटनायें न हों, इसके लिए कोई सख्त कदम उठायें। साथ ही अगर कई लाशें रह गयी हैं तो इंटरवीन करके उन लाशों को उनके घर वालों के पास पहुंचाने का पूरा प्रबन्ध किया जाये।

श्री यश (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जब पंजाब में एक समुदाय और दूसरे समुदाय में भेद करके हत्यायें की गयी हों परन्तु यह पहला अवसर है जब पंजाबी और गैर-पंजाबी का सवाल उठाया गया है। ऐसा प्रायः होता रहा है। रेलगाड़ी में कुछ लोगों को उतारकर एक समुदाय के लोगों को एक तरफ कर दिया और दूसरे समुदाय के लोगों को एक तरफ कर दिया और एक समुदाय के लोगों को गोली मार दी गयी। संगरूर के गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि पंजाबी को एक तरफ कर दिया और गैर-पंजाबी को एक तरफ कर दिया गया। विशेषरूप से विदेशियों को अलग छोड़कर गैर-पंजाबी को मार दिया गया। इसका रिपरकशन हो सकता है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पंजाबी काम न करते हों। इस समय पंजाब में करीब 20 लाख गैर-पंजाबी काम करते हैं। खेतों में, कारखानों में काम करते हैं, मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। अगर इस तरह से होता रहा तो पंजाब की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहां पंजाबी रहते हैं उनका भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम इस घटना को साधारण न समझें, इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करें और जैसे भी संभव हो जो पंजाबी अन्य सूबों में रहते हैं, उन्हें भी आश्वासन दिया जाये तथा जो गैर-पंजाबी पंजाब में रहते हैं, जिनकी संख्या 20 लाख से भी ज्यादा है जिनमें हर वर्ष वहां स्थायी रूप से रहने हैं, कुछ आकर चले जाते हैं, उनको भी आश्वासन दिया जाये कि उन्हें

हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। अगर यह आश्वासन नहीं दिया गया तो देश पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न रहा सुरक्षा प्रदान करने का तो वह साधारण बात नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई अधिकारी सुरक्षा मांगे अथवा न मांगे, सारे पंजाब में जगह-जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। पैरा-मिलिट्री फोरसेज हैं। इसलिए कहीं भी कोई काम करता है, उसमें असुरक्षा नहीं रहनी चाहिए। यह बहुत बड़ा प्रश्न है और पंजाब की नयी सरकार के लिए नयी चुनौती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का उत्तर देना चाहती है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, सामान्यतया मैंने यह मामला पंजाब सरकार पर छोड़ दिया होता। लेकिन मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों द्वारा सदन में अभिव्यक्त की गई इन भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूं कि हम किसी को भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं जिसमें पंजाबियों तथा गैर-पंजाबियों के बीच भेद-भाव उत्पन्न किया जाना हो। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार इसे रोकने के लिए हर सम्भव-प्रयास करेगी तथा सभी राज्य सरकारों को इस बात के कड़े अनुदेश जारी किए जाएंगे कि वे किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का भेद-भाव न उत्पन्न करने दें। असल में यह भेद-भाव कोई पंजाबी नहीं कर रहा है। ये तो आतंकवादी हैं जो ऐसा भेद-भाव उत्पन्न कर रहे हैं। हमें इस तथ्य को समझना होगा। कोई पंजाबी यह भेद-भाव नहीं पैदा कर रहा है। ये आतंकवादी हैं जो जान-बूझकर यह विभेद उत्पन्न कर रहे हैं जिससे कि वे किसी भी प्रकार से समाज में कोई न कोई फूट डालने में कामयाब हो जाएं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब के बाहर काम करने वाले पंजाबियों तथा पंजाब में काम करने वाले गैर-पंजाबियों के साथ कोई भेद-भाव नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह का अलगाव उत्पन्न करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हम बहुत दृढ़ता के साथ निपटेंगे। इस सम्बन्ध में मैं पंजाब सरकार को अनुदेश जारी करूंगा।

जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है जो अभी भी पंजाब में पड़े हैं तथा जिन्हें अभी भी उनके अपने-अपने मूल निवास-स्थानों तक नहीं पहुंचाया गया है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैंने मुख्य सचिव को यह देखने के लिए अनुदेश दे दिए हैं कि अन्य बातों के साथ-साथ शवों को भी उनके अपने-अपने स्थानों तक पहुंचाया जाए।

जहां तक पुनर्वास से संबन्धित भाग का सम्बन्ध है—चूंकि क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास दोनों ही भाग वहां हैं—जिन कम्पनियों ने इन लोगों को नियुक्ति प्रदान की थी उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान करने तथा साथ ही साथ पुनर्वास भी देने की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कम्पनियां ही पहले पहल सुरक्षा व्यवस्था लेने से मना करने के लिए उत्तरदायी हैं। (व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : इसके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं और अधिक विवरण दे सकने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी और तत्पश्चात यदि माननीय सदस्य रुचि रखते हों तो मैं सदन में वक्तव्य दूंगा। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सम्भवतः हमारे गृह मंत्री महोदय उस बात को अच्छी तरह नहीं समझ सके जो मेरे साथी कह रहे थे। मैं श्री कृष्णा की मृत्यु के कारण पिछली रात से ही इस मामले के सम्पर्क में रहा हूं। श्री कृष्णा तमिलनाडु में हमारे साथी श्री शंकर के पुत्र थे। और मुझे बताया गया कि यहां सुबह 3 : 30 अथवा 4 बजे के करीब शवों के पहुंचने के बाद मद्रास को जाने वाली इण्डियन एयर लाइन्स विमान सेवा ने इन मृतकों को ले जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि पेपर नहीं भेजे गए थे। इण्डियन एयर लाइन्स की आपत्ति थी कि उनकी मृत्यु के पेपर मद्रास से नहीं भेजे गए थे। (व्यवधान)

दूसरे, शव का संलेपन नहीं किया गया था जैसाकि यह विमान में ले जाने के लिए आवश्यक है। हमने प्रयास किया कि उसका संलेपन हो। इसके बावजूद, किसी भी तरह वे लोग आगे को तैयार नहीं हुए। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि संकट की ऐसी स्थिति में सरकार को स्वयं कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए न कि केवल मृतकों के सगे-सम्बन्धियों द्वारा ही यह कार्य हों। उदाहरणार्थ, पंजाब सरकार को यह अवश्य ही विचार करना चाहिए था कि वह संलेपन कार्य करने तथा आवश्यक पेपर भेजने की व्यवस्था आवश्यक रूप से करे। लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ भी तो कम से कम मद्रास में उनके माता-पिता को पूरे दिन के लिए इस तरह की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए था। अब शव शाम को जाएंगे। शव यहां पहुंच गए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भीमेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री के वक्तव्य से एक नयी बात आ गई है जो एक उलझन है। इन्होंने कहा कि जो कम्पनियां किसी को ले जाएंगी, अगर लोग मारे जाएंगे तो हर्जाना उन्हीं को देना होगा। इसका मतलब यह होगा कि पंजाब में लोग उद्योग खोलना बन्द कर देंगे क्योंकि प्रारम्भ में ही अगर ऐसा हो जाता है तो वह कहां से देंगे ? यह एक बड़ा खतरा हो जाएगा और तब आतंकवादियों की नीयत कामयाब हो जाएगी कि पंजाब में औद्योगीकरण न हो, कोई उद्योग न करे, क्योंकि यह सारे देश का मामला है और हम उनकी नीयत विफल करना चाहते हैं। इसको आप स्पष्ट करें।

दूसरी बात है कि हमारा गुप्तचर विभाग क्या करता है ? यह फौजी लड़ाई नहीं है। गुप्तचर विभाग इस काम को करे।

अध्यक्ष महोदय : यह पूरा डीटेल्ड डिस्कशन नहीं है। यह थोड़ा बहुत डिबेटेबल पाइण्ट है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुशील चन्द्र : महोदय, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डू पोन्ट कम्पनी ने सशस्त्र सुरक्षा लेने से क्यों इन्कार कर दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और, यदि आवश्यक हो तो, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता दी जा सकती है।

श्री एस० बी० चव्हाण : सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। यदि शर्तों का संलेपन नहीं किया जाता है तो अवश्य ही सरकार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी।

12.24 म० प०

गेहूं के आयात/निर्यात के बारे में

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां हम लोगों ने गेहूं के सवाल को उठाया था और सरकार की तरफ के जो बयान दिया गया···(**व्यवधान**)···यह फूड मिनिस्ट्री का मामला है।···(**व्यवधान**)···कृषि मन्त्री जी, आपके बारे में सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में बहस होने के पहले अच्छा हुआ कि सरकार का बयान आया और सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स के कृषि मंत्रालय के सचिव को हमारा विरोधपत्र भी दिया तथा क्यूबा को चावल देने के लिए सरकार का फैसला है, उस पर सरकार ने अडिग रहने का आश्वासन इस सदन में दिया। लेकिन मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज पर है जो इस हाउस में सिर्फ एक लाइन कहकर मदन लाल खुराना जी ने उठाया था कि जबकि हमारे देश में जनवरी महीने में सरकार की ओर से बाकायदा कहा गया है कि 80 हजार टन गेहूं निर्यात किया गया है। फिर निर्यात करने के साथ, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की ओर से एक प्रतिनिधिमण्डल, आयात के सिलसिले में बात करने के लिए यूनाइटिड स्टेटस भेजा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है, खबर है, उसके अनुसार, इस देश में किसान जो अन्न पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, उसे जो मूल्य दिया जाना चाहिए, वह मूल्य उसे नहीं मिलता है परन्तु दूसरी ओर अमेरिका से हम 180 डालर प्रति टन की दर से गेहूं खरीदने के लिए समझौता करते हैं जबकि अपने देश के किसानों द्वारा पैदा किया गया गेहूं 95 डालर प्रति टन के हिसाब से निर्यात करते है, यही हमने निर्यात का मूल्य निर्धारित किया है, ऐसा क्यों सरकार ने किया, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आया। हमें लगता है कि इस सदन के इतिहास में ऐसी जबर्दस्त कन्ट्राडिक्शन का, सरकार की ओर से अभी तक कोई खुलासा न आना, सरकार को सदन में बाकायदा स्पष्ट बताना चाहिए कि उसने ऐसा निर्णय किन हालात में लिया, क्या इसके पीछे अमेरिका का कोई प्रेशर था कि हमें बाहर से गेहूं को खरीदना लाजिमी था, परन्तु खुलासा न आने से, हमें लगता है कि यह सारा मामला एक साजिश जैसा है। सरकार ने अभी तक क्यों इस सम्बन्ध में कोई खुलासा नहीं किया। मैं चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब खुलासा करे, विस्तृत जानकारी सदन को दे।

इसी सिलसिले में, कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार, सरकार ने यूरोपियन देशों से जो गेहूं खरीदा, उसके लिए सरकार को देना पड़ता है 45 डालर से कम लेकिन हम 45 डालर के बदले 180 डालर प्रति टन के हिसाब से गेहूं का मूल्य दे रहे हैं। इतने बड़े अन्तर का क्या औचित्य है, क्यों हमें इस कीमत पर गेहूं खरीदना पड़ा और वह भी ऐसी संकट की परिस्थिति में हम आयात करने की बात कह रहे है, और दूसरी ओर हम गेहूं का निर्यात भी कर चुके हैं, 80 हजार टन, जनवरी के महीने में। एक ओर हम गेहूं का आयात कर रहे है, दूसरी ओर घटी दर पर गेहूं का निर्यात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अपने अधिकारियों को, 10 लाख टन गेहूं के आयात के मामले

में बात करने के लिए, देश के बाहर भेजते हैं। दूसरी ओर, हमारा बयान आता है कि हम अपने व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती करेंगे, सरकारी खर्चे में कमी करेंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा की हमारे पास कमी है, फिर हम लोग बिना कारण अपने अधिकारियों को क्या बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने वहां जाकर क्या किया, क्या हिन्दुस्तान के हित में उन्होंने कोई काम किया।

मेरा तीसरा सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह यह है कि ह सरकार देश के मिल आनर्स को गेहूं 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देती हैं और मिल आनर्स उसी गेहूं से आटा बनाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। मिल आनर्स 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लेकर, गेहूं का आटा 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जन-साधारण को बेचते हैं, जबकि सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से 280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचती है, इसलिए हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार वर्ष 1990-91 में हमारा व्हीट प्रोडक्शन 545.22 लाख टन हुआ, लेकिन फूट कार्पोरेशन ने सिर्फ 77.52 लाख टन गेहूं ही खरीदा, मेरा कहने का मतलब है कि इस देश के जो किसान गेहूं पैदा करते हैं, उन्हें रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं दिया जाता है और सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान का किसान मारा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान और कन्ज्यूमर्स को मारकर, देश के हितों के खिलाफ, जिस तरह की साजिश हो रही है, इस मामले पर सदन में पूरी बहस होनी चाहिए। सरकार को क्लीन रिकार्ड सदन के सामने रखना चाहिए। यह सदन और देश इस इन्तजार में है कि हम इस मामले में क्या फैसला करते हैं। यह बहुत ही लोकमहत्व का सवाल है और इसीलिए मैं आपकी खिदमत में, सदन की खिदमत में इस सवाल को उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इस मुद्दे पर मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए कि सरकार ऊंची कीमतों पर आयात तथा सस्ती कीमतों पर निर्यात क्यों कर रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए जीरो आवर में मैंने आपको एक चांस दिया कि आप बोलिए, अब आप दूसरों को बोलने का चांस दीजिए। कोई भी एक सब्जैक्ट पर बोल लीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, केवल जीरो आवर में उठाने की बात नहीं है, बल्कि इस मुद्दे की सफाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर मैंने लिखकर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, खुराना जी, आपने लिखकर दिया है। लेकिन इस पर आप ही बोलेंगे, तो दूसरे लोग फिर शिकायत करते हैं। जब आपने लिखकर दिया तो फिर आपने उनको बोलने के लिए चांस क्यों दे दिया।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं एक बात की सफाई चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यहां पर समय का सवाल है। उस समय में, मैं सबसे ज्यादा वक्त

देने की कोशिश करता हूं। हम यह एक्सपैक्ट करते हैं कि किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो नियम 377 में न पूछे या जीरो आवर में न पूछे, ताकि सारे लोगों को समय मिल जाए। कुछ एक्सैप्शन्स की बात ठीक है, जीडर्म की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन आप एक ही दिन में दो-दो, तीन-तीन बार बोलने लगें, तो यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह गेहूं का सवाल मैंने उस दिन भी उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन उठाया था, तो फिर आपने उस दिन पंजाब पर क्यों बोला ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक-दो मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको इस बार तो दे देता हूं, लेकिन आगे से ऐसा मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर कोई, सवाल उठाने के लिए है इस वास्ते यह सवाल नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर हमें सरकार की ओर से कोई आश्वासन चाहिए या सरकार से खुलासा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जीरो आवर के डिस्कशन में आप बिदाउट नोटिस भी बोलते हैं और टाइम बहुत थोड़ा रहता है। पचास सब्जैक्ट्स हैं और एक घण्टे में करने हैं। एक-एक मिनट मिलता है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें मानते हुए, मेरा आपसे प्रबल आग्रह है कि यह एक अहम सवाल है, इस पर विवाद है, इसलिए आज हम उस सवाल पर मंत्री जी से खुलासा चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमें यह भी मंजूर है। हम खुलासा इस मुद्दे पर चाहते हैं कि क्या आप इस आयात के मामले को बन्द करने के लिए तैयार हैं ? क्योंकि आपके पास इस वक्त रबी की फसल अगले हफ्ते में आने वाली है जिसमें लगभग 5 करोड़ 44 लाख टन गेहूं बाजार में आना है, तो आप इस आयात वाले ख्याल को तत्काल बन्द करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा घाटा है। नम्बर दो—जो किसान आज आपको गेहूं नहीं दे रहा है और अगर आप यह समझते हैं कि आपके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए गेहूं कम पड़ता है, तो जो आज किसान को खुले बाजार में अधिक दाम मिल रहा है और वह आपको 225/-प्रति क्विंटल में देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके दाम को आपको बढ़ाना चाहिए अथवा बाजार में उसको जो दाम मिल रहा है, उस पर क्या आप उसका गेहूं खरीदने के लिए तैयार हैं ? आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, खुले बाजार के रेट पर खरीदने के लिए अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए आपके सामने बनी रहेगी। इसलिए अध्यक्ष जी, ये दो सवाल हैं, जिन पर मन्त्री जी खुलासा करें। दूसरा जो इसका पहलू है, वह यह है कि हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस पर बहस के लिए अलग से मौका दीजिए, क्योंकि इसमें हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से निर्यात हो गया और साथ-साथ आयात का सिलसिला चला है, जिसमें 250 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा में हिन्दुस्तान के चले जाने वाले हैं, यानी जब यह सौदा पूरा होगा तो ढाई सौ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा चली जानी है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसके बारे में

आप अलग से एक बहस करें, मगर हम इस वक्त मंत्री जी से आश्वासन चाहेंगे कि वे इस सौदे को आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसको यहीं खत्म कर देंगे।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, 5 तारीख को जब यह मामला उठाया गया, तो मैं सिर्फ दो-तीन लाइनें ही कह पाया, 6 तारीख को समय नहीं था, इसलिए मैंने प्रधान मंत्री जी को यह लिखा कि गेहूं का 95 अमरीकी डालर की दर से निर्यात किया गया है और साढ़े 6 लाख टन भेजा गया है तथा 160 डालर प्रति टन के हिसाब से मंगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये दो स्टेटमेंट हैं मिनिस्टर साहब के। एक जनवरी को होटल कनिष्क में एक प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे पास बहुत फूड है और हम 8 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 तारीख को अखबार में छपता है कि हमारे पास गेहूं नहीं है, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। पन्द्रह दिन में क्या स्थिति पैदा हो जाती है कि पहले 95 अमरीकी डालर में एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इम्पोर्ट करते हैं। फूड फैक्ल्टी की अध्यक्षता में एक कमेटी अमरीका में जाती है जो वहां पर तय करती है।

इन्होंने रेट ज्यादा बताए हैं। जिन दिनों ये गेहूं मंगा रहे थे उस समय 310 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से छः लाख टन बड़े-बड़े रोलर मिलों को गेहूं दिया गया। दो महीने में 300 रु० से बढ़कर 500 रु० प्रति क्विंटल गेहूं का रेट खुले बाजार में हो गया।

मैं चाहूंगा कि एक कमेटी जांच के लिए बैठे। मैं सारे तथ्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान के किसान को नहीं दिया जाता है। 15 दिन पहले 200 रु० पर एक्सपोर्ट करते हैं और 400 रुपए प्रति क्विंटल पर इम्पोर्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है माननीय सदस्य श्री रवि राय अपना भाषण प्रायः पूरी तरह तैयार करते हैं तथा अपने विचार बड़े ही स्पष्ट ढंग से रखते हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने इस सदन में सोमवार दिनांक 9 मार्च, 1992 को प्रस्तुत किए गए दो विवरणों को लगता है नहीं पढ़ा है। दोनों विवरण पूरे हैं तथा विषय में व्यापक हैं। दोनों वक्तव्य दो अहम मुद्दे स्पष्ट करते हैं। यथा वर्ष 1990-91 में 2.01 लाख टन का निर्यात तथा 1-4-91 से लम्बित चालीका रही संविदा के अनुसार इस वर्ष के दौरान 5.04 लाख टन का निर्यात किया गया। इन दोनों संविदाओं का जो कुल 7.05 लाख टन निर्यात हुआ है उसका निर्णय पिछली सरकार ने 17 अगस्त, 1990 को लिया था। दूसरा मुद्दा यह है कि पिछली सरकार ने अप्रैल 1991 से जून 91 तक यथेष्ठ अधिप्राप्ति नहीं की थी तथा इस दौरान 35 लाख टन की अधिप्राप्ति में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप गेहूं पर दबाव पड़ा। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि सारे तथ्य ···(व्यवधान) मैंने आपके बोलते समय बाधा नहीं डाली। आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप मेरे बोलते समय व्यवधान क्यों डालते हैं ? (व्यवधान) हमने यह बताया है कि जो 7.05 लाख टन का निर्यात किया गया था, जिसमें से 2.01 लाख टन वर्ष 1990-91 में तथा 5.04 लाख टन 1991-92

में निर्यात हुआ है इसके लिए पिछली सरकार के दिनांक 17 अगस्त, 1990 तथा 11 अप्रैल, 1991 को लिए गए निर्णय उत्तरदायी हैं।

हमारी सरकार ने जब से कार्यभार सम्भाला है संविदाओं को 10 लाख टन से घटाकर 8 लाख टन तथा आठ लाख टन से वास्तव में एम० एम० टी० सी० तथा एस० टी० सी० ने जितना अनुबन्ध किया है अर्थात 6.72 लाख टन तक कम कर दिया है। हमने निर्यात पर पूर्ण पाबंदी लगा दी हैं। आयात करने कि आवश्यकता भंडारण करने की अच्छी व्यवस्था का न होना, निर्यात हेतु सही निर्णय न लेना, तथा निर्यात के लिए अविवेकपूर्ण निर्णय लेना तथा कम अधि प्राप्ती के परिणामस्वरूप हुई।

हमने यह भी कहा है कि हमने गेहूं के आयात सम्बन्धी किसी भी संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया है तथा हम अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ध्यान रख रहे हैं। यह एक निर्णायक कारक है। हम, यदि आवश्यक हुआ तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में आपूर्ति में वृद्धि करने तथा मूल्यों के दबाव को कम करने के लिए खुले बाजार में आपूर्ति हेतु गेहूं का आयात कर सकते हैं। हमने किसी भी संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया है। यदि कोई संविदा पूरी होती है, तो हम सदन को सूचित कर देंगे। यह सभी हमने इन दोनों विवरणों में कह दिया है मैं माननीय श्री राय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे दोनों विवरणों को पढ़ें तथा उसके बाद कोई प्रश्न पूछें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्रि लक्ष्मणन।

(व्यवधान)

श्री रवि राय : मैंने जो कहा है उसे ही इन्होंने पुष्ट किया है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, आपको मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य को बिना चुनौती के नहीं जाने देना चाहिए। अभी मेरे पास अधिप्राप्ति के रिकार्ड हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, यह कोई पूर्ण बहस नहीं हो रही है। अभी कृषि विभाग पर चर्चा होगी···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पूर्ण वाद-विवाद है। मैं तो मन्त्री महोदय के विवरण को ठीक करना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आप हमें यह बताएं कि मन्त्री महोदय ऐसा विवरण कैसे दे सकते हैं ? (व्यवधान)

आपने इस वक्तव्य को देने की अनुमति कैसे दे दी ? (व्यवधान)

श्री चिदम्बरम महोदय आपने उन पर पूरी तैयारी करके न आने का आरोप लगाया है। आपने अपनी तैयारी पूरी तरह नहीं की है। (व्यवधान) मैं क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान) महोदय, मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : मन्त्री महोदय झूठा विवरण दे रहे हैं। अप्रैल 1990 से नवम्बर, 1990 तक अधिप्राप्ति 17.357 मिलियन टन थी।

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज महोदय, यह उचित नही है।

(व्यवधान)

श्री आर्थ फर्नांडीज : अप्रैल 1991 से नवम्बर 1991 तक अधिप्राप्ति केवल 13.595 मिलियन टन था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं महोदय, नहीं।

श्री आर्थ फर्नान्डीज : यहां पर आंकड़े हैं (व्यवधान) आप ऐसा वक्तव्य कैसा दे सकते है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह मिनिस्टर का स्टेटमेंट बता रहा है कि हमारे पास स्टाक बहुत है।

[अनुवाद]

श्री आर्थ फर्नान्डीज : वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नही कि आपका वक्तव्य सही है कि उनका। आप इस तरह उन पर आरोप लगाते नहीं जा सकते है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : वे किस प्रकार सदन को गुमराह कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कौन जानता है कि सदन को कौन गुमराह कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : सरकार का विवरण कैसा है ?

अध्यक्ष महोदय : किसने पढ़ा है। हम कैसे निष्कर्ष पर आ सकते है।

श्री आर्थ फर्नान्डीज : मैं इस दस्तावेज को सदन के सभा पटल पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, इससे कोई फायदा नही होगा (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप कृपया बैठ जाईए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : ये एक वरिष्ठ सदस्य है (व्यवधान) वे किसी पेपर को इस प्रकार कैसे फेंक सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे सावधान करने की आवश्यकता पड़ी तो मै पहले उन्हें फटकार लगाऊंगा। (व्यवधान) मुझे फटकार लगाने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान) अब मुझे सभा में व्यवस्था करने दी जाए (व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइए (व्यवधान) आप वहां से मुझे सलाह मत दीजिए, यह आवश्यक नहीं है (व्यवधान) इसकी अनुमति नहीं है। (व्यवधान) आपने उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाए है। आपने बड़ी सूझबूझ से उत्तर दिए हैं। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) आप इसे कृपया वहीं छोड़ दीजिए। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से हम ऐसी आशा नहीं करते है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, वह एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) यह क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया महिला सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान) श्री जेना जी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : वह एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान) हर चीज की एक सीमा होती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। (व्यवधान) इस चर्चा से जो तथ्य सामने आया है वह यह है कि आप अपनी बात को कहने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। दोनों पक्षों ने अपनी बात कुशलता के साथ सामने रखी है।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज के प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : वह सदन को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते (व्यवधान)। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाएं (व्यवधान) अन्यथा मैं जोर से आवाज लगाऊंगा। क्या आप मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) अब यह शून्यकाल का समय है अथवा आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। अब आप यहां नियमित चर्चा नहीं कर सकते। मैंने इसकी अनुमति केवल इसलिए दी थी कि कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है क्या आप इसे एक नियमित चर्चा में बदल देंगे। नियमित चर्चा में ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध गाली-गलौज और आरोपों-प्रत्यारोपों में बदल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते और यहां पर अन्य सदस्यगण भी हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। यहां पर उठाए जाने हेतु केवल यही एकमात्र प्रश्न नहीं है। महिला सदस्य पहले से ही खड़ी हो चुकी हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने उन्हें सदन को गुमराह करने की भी अनुमति प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आपको तो इस प्रकार से हर बार खड़ा हो जाने की आदत है। मैं यह अच्छा नहीं मानता। कृपया समझने की कोशिश करें। आओ इसे हम इस ढंग से कार्य करें जो वास्तव में सभी को अच्छा लगे। अब अपने कुछ कहा था और उसका उत्तर दे दिया गया है। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो ठीक है, आप देखें कि इसे किस प्रकार किया जाए। आप इस प्रकार चर्चा जारी नहीं रख सकते। आप कहते हैं कि वे सही नहीं हैं और वे कहते हैं कि आप सही नहीं हैं। तब निर्णय किसे करना चाहिए? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार की रिपोर्ट पर किसे निर्णय करना चाहिए? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप सही हैं। कृपया अब शांत हो जाइए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपूझा) : माननीय महिला सदस्य अपनी बात कहने के लिए पहले ही खड़ी हो चुकी हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपका कहना सही है कि जीरो आवर के समय कोई फुलफ्लेज्ड डिस्कशन नहीं हो सकता लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि तीन बार ऐसा प्रसंग

आया है जबकि चर्चा हो रही है और उसमें चर्चा को डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई मन्त्री कह देता है कि पहले की सरकार ने किया और दो बार यह बात भी प्रमाणित हुई कि उनका वक्तव्य गलत था, यह बात भी प्रमाणित हुई। आज भी मुझे इस बात का खेद है कि एक, जिसको मन्त्री जी ने स्वयं ने कहा कि हमारा एक काम्प्रीहेंसिव स्टेटमैंट हुआ, दो स्टेटमैंट्स के रूप, जो स्वयं चिदम्बरम जी ने दिया था, मैं समझता हूं कि उसी में इतने कन्ट्राडिक्शंस है और उसमें से इतने सवाल उठते हैं कि जिनका सदन को अवश्य चाहिए और उसके ऊपर यह कह देना कि पहले की सरकार का पूअर प्रिक्योरमैंट था, फलाना था, ढिमका था। इसीलिए मैं समझता हूं कि इसी के कारण इतनी उत्तेजना हो सकती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में सदन सन्तुष्ट नहीं है। सरकार ने जो कुछ किया है, उसमें कोई घोटाला निहित है या उन्होंने गलत निर्णय किये है, यह तो चर्चा में से निकलेगा लेकिन कुल मिलाकर सदन के असन्तोष को ध्यान में रखकर अगर इन दोनों वक्तव्यों पर पूरी चर्चा का अवसर आप हमको दें तो उचित होगा, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूरी चर्चा का मतलब क्या आप दो घंटे चर्चा करना चाहेंगे? अगर आप दो घंटे से ज्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट तो डिस्कशन के लिए आ ही रहा है। अगर आप लोग हाफ एन आवर डिस्कशन चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं उसे कन्सीडर करूंगा लेकिन पूरी चर्चा का मतलब है, देखिए, मुश्किल तो यह है कि इस सैशन के अन्दर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस सैशन में भी अगर 4 या 5 डिपार्टमेंट हम डिस्कस कर सकें तो भी आप अपने को बहुत ही खुशकिस्मत समझें इस हालत में जो रैगुलरली बजट तैयार होकर डिस्कशन के लिए आपके सामने रखा गया है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हुए अगर बीच-बीच में निकले हुए पाइण्ट्स पर आप डिस्कशन करने आयेंगे और उन्हीं पाइण्ट्स पर, जो मिनिस्ट्री की डिस्कशन के समय उठाए जाते हैं तो फिर किस प्रकार से हम पूरा काम कर सकेंगे, यह सवाल हमारे सामने है।

एक तरफ तो हम आपकी भावना का आदर करेंगे, उसको देखेंगे, मगर दूसरी तरफ उसका दूसरा बाजू भी है, जो बार-बार इस जीरो आवर के अन्दर नहीं आ सकता। अगर इसमें कोई उलझन है तो हम बैठकर उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसका डिसीजन हम एकदम यहां नहीं दे सकेंगे। अगर यहां पर उसका डिसीजन देंगे तो आप जिस मिनिस्ट्री के ऊपर 4000 या 5000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, वह एक मिनट भी डिस्कशन किए बगैर पास होगी। क्या वह ठीक होगा? तो इस हालत में मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर इसमें कोई खास बात है तो मेरे पास लिखकर आने के बाद आप सब से चर्चा करके हमें क्या करना है, हम देखेंगे।

श्री रामविलास पासवान : एक मिनट, आपका थोड़ा टाइम लूंगा। अध्यक्ष जी, जो बजट सैशन की गरिमा है, महत्ता है···(व्यवधान)···मैं दो दिन से बोला नहीं हूं, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं लेकिन···(व्यवधान)···हम लोग उनको बहुत गौर से सुनेंगे, आप अब जरा सुन लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय शून्य काल पर विपक्ष का एकाधिकार होता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भी हक है, उनका कम होगा मगर उनका भी हक है। पासवान जी, एक मिनट में बता दीजिए आप। मैं सुन रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप पहले शांति कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : आप पहले उन लेडी मेम्बर को बोलवा लीजिए, फिर मुझे समय दीजिए । आप पहले उनको बोलवा लीजिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके कमैंट कीजिए, मैं एक-एक करके यहां बैठकर सुनता जाऊंगा ।

[अनुवाद]

प्रो० सावित्रि लक्ष्मनन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति श्री के० पी० नोबले की लाश सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा पिछले हफ्ते केरल में उसके सम्बन्धियों के पास भेजी गई थी । स्वर्गीय के० पी० नोबले, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी, अल अहासा में रहता था और वह अपने निवास से पिछली जुलाई, 1991 से लापता था । 4 महीनों के पश्चात उसकी लाश एक पूर्णत: मरू और वीरान स्थान पर पाई गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैंने सोचा था कि आप एक घटना विशेष को न उठा कर खाड़ी के देशों में रह रहे सभी भारतीयो से सम्बन्धित मामले को उठाएंगी ।

प्रो० सावित्रि लक्ष्मनन : मैं अपने प्रश्न पर आ रही हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । जांच के बाद यह पाया गया कि उसके गुर्दे और आंखें गायब थीं । यह उस हत्या का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है । महोदय, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लापता होने की संख्या में वृद्धि हो रही है और मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की ओर ध्यान दे और विदेशों में कार्यरत हमारे साथी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हाउस में जो बिजनैस है, उस पर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय है । उसके मुताबिक हम लोग इस महीने में दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिवाय जो हमारे पास बजट है या जो हमारे पास आर्डिनेंस है । उसके बावजूद भी बीच में महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में आते हैं । वह महत्वपूर्ण सवाल किसी दूसरे महत्वपूर्ण सवाल से कम महत्व का नहीं होता है । वैसा ही महत्वपूर्ण मामला आज रवि राय जी ने उठाया है और जार्ज फर्नान्डीज साहब ने उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं उस दिन था, जिस दिन मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था । दोनों मंत्रियों ने दिया था । हम लोगों ने उसको गौर से पढ़ा, चूंकि आप के पास कोई प्रोवीजन नहीं है कि हम मन्त्री महोदय के स्टेटमेंट पर सवाल पूछ सकें, इसलिए न तो हम सप्लीमेंट्री पूछ सके और न ही डिसकशन के लिए आपको कह सकते हैं । दस दिन के अन्दर या पन्द्रह दिन के लिए आप उसको एलाउ करिये ।

अध्यक्ष महोदय : सारी चीज आप क्या-क्या कर सकते है, मैं आपको चैम्बर में समझा दूंगा ।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने एलाउ किया और एलाउ करने के बाद मन्त्री जी ने पुरानी चीज को रिपीट किया ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद एलाउ नहीं कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यहां नए-नए फैक्ट्स आए हैं । जार्ज फर्नान्डीज साहब ने इसको चैलेंज किया । मैं इतना ही कहना चाहता हूं, या तो मन्त्री महोदय यहां उठ कर यह कहें कि जो जार्ज फर्नान्डीज जी ने चीजें कही हैं, गलत हैं या सत्य नहीं हैं या फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें । यदि इसी बीच में आप समझते हैं कि कोई समय है, तो निश्चित रूप से हम आपसे मांग करते हैं कि डिसकशन करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था यह है कि यह बजट सैशन है और इस सैशन में बजट के प्रोवीजन्स पर चर्चा करना ही ठीक होता है । अगर उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करेंगे तो हजारों-करोड़ों रुपए के अनुदान आप सरकार को बिना चर्चा किए ही खर्च करने के लिए दे रहे हैं । यह ठीक है कि दूसरा सवाल इससे कम नहीं है । इसके बावजूद भी अगर यह सदन चाहता है कि बजट के ऊपर चर्चा न करें, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए समय चाहिए तो मेरी उसमें कोई रुकावट नहीं है । हाउस अपना है, समय आपका है । आप जितनी मुआह सरकार को देना चाहते हैं, दे सकते हैं, मेरी तरफ से उसमें कोई अर्थला नहीं होगी । इसके पश्चात भी अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा कैसे हो सकती है, तो चैम्बर में मेरे से चर्चा करिए, मैं आपको मार्ग बताऊंगा ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह आश्वासन दिया जा सकता है कि वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों पर चर्चा की जायेगी ? इस बात की ही कठिनाई है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं अग्निहोत्री जी को बुला रहा हूं । इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो हाउस का काम कैसे चलेगा । आप बैठ जाएं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, माननीय रेल मन्त्री जी यहां बैठे हैं मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 23 फरवरी, 92 को रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल द्वारा लिपिक संवर्ग की परीक्षा ली गई थी, जिसकी परीक्षा पुस्तिकाएं 19 और 20 मार्च को बाजार में बिकीं, लेकिन उसके बाद भी परीक्षायें हुई । पुलिस द्वारा कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है । परीक्षा हो गई है इसे निरस्त नहीं किया गया जिससे अभ्यार्थियों में रोष व्याप्त है तथा बोर्ड की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है ।

अतः मेरा यह निवेदन है कि इसकी जांच की जाये और इस पर जो दोषी व्यक्ति पाए जाएं उन पर कार्यवाही की जाए ।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० काडम्बूर (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, आज के टाइम्स आफ इण्डिया में "लंका विलिंग टू हेल्प इण्डिया प्रभाकरन टू बी एक्स्ट्राडाइटिड" शीर्षक से एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ है । महोदय, श्रीलंका की सरकार ने प्रेस में बताया है कि आतंकवादियों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है यदि भारत अपनी संसद में आतंकवाद दमन के सम्बन्ध में लोकीय

कन्वेंशन के सम्बन्ध में एक विधान पारित कर दे जिस पर दक्षेस के सभी देशों ने 1987 में काठमांडू में हस्ताक्षर किए थे।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह संसद में एक वक्तव्य दे अथवा श्री राजीव गांधी की हत्या के प्रमुख अपराधी श्री प्रभाकरन के प्रत्यावर्त्तन में श्रीलंका सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य करे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, एक बहुत गम्भीर और साथ ही साथ एक मनोरंजक घटना की ओर मैं आपका और पर्यावरण और वन मन्त्री श्री कमल नाथ जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर मुम्बई, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, शहर में कभी नेशनल पार्क नहीं होता लेकिन यहां शहर में नेशनल पार्क है। इसलिए वहां एक समस्या यह पैदा हो गई है कि नेशनल पार्क में जो पैंथर्स होते हैं उनकी आबादी बढ़ गई है। (व्यवधान) जंगल में उनके खाने के लिए खरगोश, हिरण वगैरह अब नहीं मिलते हैं इसलिए अब वह नेशनल पार्क छोड़कर शहर में आना शुरू हो गए हैं।

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल में पैंथर स्लम एरियाज से 6 बच्चों को उठा कर ले गए हैं, इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। दो महीने पहले एक पैंथर एक फैक्ट्री में घुस गया। जब वहां के आरक्षक ने फैक्ट्री खोली तो पैंथर ने उसको पाउन्स किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। अभी परसों की घटना है, टाइम्स आफ इंडिया में इसका फोटो भी आया है, एक पैंथर शहर में आ गया और बस के नीचे बैठ गया। जब लोगों ने देखा तो डर गये और फायर ब्रिगेड को और पुलिस को बुलाया, लेकिन पैंथर नहीं हटा। इसके बाद नेशनल पार्क के जूलाजिस्ट को बुलाया, वेटरनरी डाक्टर को बुलाया। उन्होंने दूर से स्प्रे करके उस पैंथर को बेहोश किया और वहां से उठा कर नेशनल पार्क ले गए।

(व्यवधान)

इस तरह से अध्यक्ष महोदय, स्लम एरियाज में और नेशनल पार्क के आसपास के एरियाज में आतंक फैला हुआ है और 6 बच्चे मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल पार्क के मैनेजर ने गवर्नमेंट के पास वाल्नरेबल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए फैंसिंग लगाने का प्रस्ताव भेजा है। इस तरह के 3-4 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको मंजूरी नहीं मिली है।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि फारेस्ट मिनिस्टर साहब इस ओर ध्यान दें और वाल्नरेबल एरिया के प्रोटेक्शन के लिए फैंसिंग लगाने की व्यवस्था की जाए, यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह यह रुचिकर है।

प्रो० के० वी० थामस (इर्णाकुलम) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आठ वर्ष पूर्व दक्षिण आवास समिति नाम की एक आवास समिति बनाई गई थी। इसमें दो सौ सदस्य थे, जिनमें अनेक संसद सदस्य, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित थे। प्रत्येक सदस्य से 80,000 रु० से लेकर 85,000 रुपए तक लिए गए थे। इस प्रकार 2.7 करोड़ रुपये एकत्रित हुए थे और आठ वर्ष के पश्चात किसी को कोई पता नहीं है कि इस राशि का क्या किया गया? वहां पर भूमि का एक-मात्र भूखंड भी नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप भी उस समिति के सदस्य हैं ?

प्रो० के० वी० थामस : मैंने भी अभ्यावेदन किया था । इससे भी अधिक*···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार का कोई आरोप आपके विरुद्ध भी लगाया जा सकता है।

(व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस : मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर ध्यान दूंगा । आप मुझे लिखित रूप में दें और तब मैं आपको कल बोलने की अनुमति दूंगा, लेकिन आज मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार अनुमति नहीं दूंगा, कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध भी आरोप लगा सकता है । आप मुझे लिखित रूप में दें । मैं इसकी जांच करूंगा । मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दूंगा । इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा । आप मुझे लिखित रूप में दें, मैं उसकी जांच करूंगा और यदि आवश्यक हुआ, तो मैं आपको कल बोलने की अनुमति दूंगा ।

प्रो० के० वी० थामस : आप इसकी जांच करें । यह पर्याप्त है । मैं इसे आपको लिखित रूप में दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों की ओर सदन का और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के कई जिलों में और खासकर आदिवासी जिलों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । इस बारे में कई समाचारपत्रों में भी छपा है । सरगुजा जिले में 5-6 लोग भूख से मर गए हैं और मंदसौर जिले की नीमच तहसील में भी एक आदिवासी की भूख से मृत्यु हो गए हैं । राज्य सरकार इन जिलों की उपेक्षा कर रही है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है । लोग भूखों मर रहे हैं । संविधान में यह व्यवस्था है कि ट्राइबल एरियाज को राष्ट्रपति प्रोटेक्ट करे । मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा और आपसे तथा सदन से प्रार्थना करूंगा, कि गवर्नमेंट का वेलफेयर के लिए लोगों को रोजगार देने का जो दायित्व है, उसको पूरा किया जाए । इसके लिए सदन की एक कमेटी वहां पर भेजकर स्थिति का जायजा किया जाए और लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग मरने से बच सकें । मध्य प्रदेश विधान सभा में पूरी की पूरी अपोजीशन वायकाट किया है । और इसमें अकेली भारतीय जनता पार्टी वहां बैठी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, जो वहां होता है इस सदन में उसकी चर्चा नहीं करते हैं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस सर्वोपरि ? । हमारी जवाबदारी है कि कहीं इस तरह का अत्याचार या अन्याय होता है तो हमें देखना चाहिए । और भूखे के बारे में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए ।

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : उस सदन की चर्चा यहां नहीं करते।

श्री सुकदेव पासवान *(अररिया)* : *अध्यक्ष महोदय, महारानी लक्ष्मीबाई (मालवा) मेडिकल* कालेज झांसी के दो दर्जन से अधिक हरिजन, आदिवासी छात्र कुछ सीनियर प्रोफेसरों एवं विभागाध्यक्षों के शोषण से तंग आ कर आत्महत्या करने की स्थिति में हैं। छात्र लोगों ने प्रोफेसरों एवं विभागाध्यक्षों के द्वारा शोषण के विरुद्ध लगभग तीन माह पहले राज्यपाल, बुन्देलखंड से न्यायोचित फैसले करने के संबंध में लिखा है।

राज्यपाल के निर्देश पर कुलपति ने मालवा कालेज के प्रिंसिपल से पत्र लिख कर छात्रों की शिकायत के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा था। लेकिन आज तक प्रिंसिपल ने, कुलपति ने न तो कोई पत्र दिया और न प्रताड़ित किए जा रहे छात्रों की शिकायत का ब्यौरा ही दिया। छात्रों को उचित मांग के बदले उन्हें चार-चार एवं छः-छः बार फेल किया जा रहा है। मालवा कालेज के एक दर्जन से भी अधिक सीनियर प्रोफेसर एवं विभागीय अध्यक्षों ने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रियों के नाम से लाख-लाख रुपए का नर्सिंग होम मालवा कालेज के सामने और झांसी शहर में चलाया हुआ है।

छात्रों एवं जूनियर डाक्टर की तरह मालवा कालेज में हरिजन प्रोफेसर के साथ भी बदसलूकी की जा रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त सभी तथ्यों की जांच अविलम्ब करावें ताकि जो छात्र प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल के व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या करने पर तैयार हैं, इन्हें रोका जा सके।

श्री बी० एच० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, परसों इस दिल्ली के अन्दर एक सीनियर कारपोरेशन के इंजीनियर को मार दिया गया। यदि इसी प्रकार सीनियर आफिसर्स या किसी भी अधिकारी की हत्या होती रही तो आफिशियल्स का मनोबल गिरेगा। पूर्वी दिल्ली के अन्दर लैंड ग्रैबिंग भी होती है और एनक्रोचमेंट भी होती है, अनओथोराइज्ड कंसट्रक्शन्ज भी होती हैं। मैं पिछले आठ माह के अन्दर 175 मामले एल० जी० साहब के पास भेज चुका हूं। अगर इसी प्रकार जनता का रोष रहा, मैं यह मानता हूं कि सभी आफिसर ईमानदार नहीं हैं, परन्तु इसका हल यह नहीं है कि किसी को मार दिया जाये। जो साथी मारा गया है उसके लिए कम्पनसेशन मिलना चाहिए। कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि लोकल पुलिस एम० सी० डी० के कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की मदद नहीं करती।

मेरा इतना ही निवेदन है कि जब कारपोरेशन के लोग एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जाएं, पुलिस मैक्सिमम उनको प्रोटैक्शन दे।

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान एक बड़े अहम मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों जब नेपाल के प्रधान मन्त्री हिंदुस्तान आये थे तो कुछ संधियां हुई थीं। उस संधि में जो कुछ हुआ था उससे बिहार के लोगों में काफी उम्मीदें जगी थीं। जिसमें प्रावधान था कि जो नदियां नेपाल से निकलती हैं उन पर बैराज और डैम बनाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों अखबार से न्यूज मिली कि उसमें कुछ रुकावट आ गयी है। रुकावट की वजह यह है कि नेपाल कोसी नदी के जरिये समुद्र तक जाने के लिए रास्ता मांग रहा है।

13.09 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस मामले को लेकर रुकावट पड़ गयी है। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह जो उनकी

डिमांड है, इससे बिहार को भी काफी फायदा होगा। दरिया के रास्ते से माल ढोने में बिहार के लोगों को आसानी होगी। साथ ही, नेपाल के लोगों को भी फायदा होगा। बंगाल का भी कुछ एरिया उसमें आ जायेगा।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही करके जो प्रोजेक्ट उन्होंने मांगा है उसको स्वीकार किया जाये।

[अनुवाद]

श्री बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देना एक दुखद आख्यान बन गया है वे प्रारम्भ से अन्त तक सदैव लम्बित रही हैं। मैं तीसरी बार लोक सभा का सदस्य हूं। जब कभी मैं वहां जाकर पूछताछ करता हूं तो मुझे बताया जाता है कि वे लम्बित पड़ी हैं। इसीलिए, मामले पर आगे कार्यवाही और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए न तो केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकार वचनबद्ध है मेरा केन्द्रीय सरकार से केवल यही निवेदन है कि लम्बित पड़े प्रस्तावों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे वक्तव्यों में काफी भिन्नता है। राज्य सरकार का कहना है कि 22 परियोजना प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं जबकि केन्द्रीय सरकार का कहना है कि केवल तीन प्रस्ताव ही लम्बित पड़े हैं। इसीलिए मेरा राज्य और केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि उन्हें जिम्मेदारी से और वचनबद्ध होकर मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें कम से कम आठवीं अथवा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए।

परियोजनाएं जो लम्बित पड़ी हैं वे हैं —पोलावरम, तेलुगु—गंगा, तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर, गलेरू-नागरी, श्रीराम सागर-दूसरा चरण, श्रीसैलम लेफ्ट बैंक नहर, जुआला (पूरा किया जाना है) और भीमा (कार्य प्रारम्भ किया जाना है)। इन सभी परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए और आठवीं अथवा नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन्हें पूरा कर दिया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रेलवे सुरक्षा बल के सचिव भूख-हड़ताल कर रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, मेरा सभी माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत अनुरोध है कि जिन्हें पहले अवसर मिले, उन्हें इसका अधिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे और भी सदस्य हैं जिन्होंने सदन में कभी भी नहीं बोले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कमजोर वर्ग के लोगों के बारे में सोचिये। कमजोर वर्ग के लोग सभी जगह है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन में कुछ सदस्यों को बोलने का कोई अवसर नहीं मिलता है। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं बहुत कम समय लूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बसुदेव आचार्य से अपनी शिकायत सामने रखने के लिए कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। रेलवे सुरक्षा बल संघ के महासचिव भूख-हड़ताल पर है। रेलवे मन्त्रालय ने इस आर०पी०एफ० एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की थी। इस मान्यता को 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1987 से हम इस अधिनियम को निरस्त करने और आर०पी०एफ० एसोसिएशन की मान्यता बहाल करने की मांग करते रहे है क्योंकि एसोसिएशन बनाना एक मूलभूत अधिकार है।

इसे इस सदन के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा। पूरे सदन ने मांग की थी कि आर०पी०एफ० एसोसिएशन की मान्यता बहाल की जानी चाहिए।

लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। (व्यवधान) श्री जार्ज फर्नान्डीज भूतपूर्व रेल मन्त्री ने भी आदेश जारी किया था और उसके पश्चात् श्री जनेश्वर मिश्र ने बहुत ही सुस्पष्ट वक्तव्य दिया था कि आर०पी०एफ० एसोसिएशन की मान्यता बहाल करने के लिए निर्णय लिया गया था। श्री फर्नान्डीज यहां मौजूद हैं। वे हमारी बात का समर्थन कर सकते हैं।

रेल मन्त्री यहां मौजूद हैं। मेरी मांग है कि उन्हें सदन को एक आश्वासन देना चाहिए कि आर०पी०एफ० एसोसिएशन को मान्यता, जिसे 1987 में समाप्त कर दिया गया था, को बहाल किया जायेगा। वे यहां मौजूद हैं। वे आश्वासन दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया मेरी बात सुनिये।

श्री वसुदेव आचार्य : पूरे सदन की यही मांग है और मैं इसका एक बार पुनः उल्लेख करना चाहता हूं। श्री कुमारमंगलम भी यहां मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। इस मामले के यहां बार-बार दुहराया जा रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : सचिव, आर०पी०एफ० एसोसिएशन श्री कुमारमंगलम के घर के सामने भूख-हड़ताल पर हैं। श्री झा के जीवन की रक्षा के लिये रेल मन्त्री को यहां वक्तव्य देना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, श्री आचार्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। विगत में, मुद्दे पर हमारी पार्टी भी विचलित थी। विगत, में हमने यह भी कहा था कि इसे तुरन्त मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। आर०पी०एफ० एसोसिएशन के महा-सचिव भूख-हड़ताल पर हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त वक्तव्य देना चाहिये। सरकार को इसे एक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। रेल मन्त्री यहां हैं। महोदय, आप मन्त्री जी को निदेश दे सकते हैं···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई निदेश नहीं दे सकता।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह जान का सवाल है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मसला है जिसे बार-बार महत्व दिया जा रहा है। यह कोई नया मसला नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : किन्तु मन्त्री जी इसका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप अपनी जगह पर क्यों नहीं बैठते ?

इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। 'शून्य काल' आपके हाथों में दिया गया एक असाधारण शस्त्र है। कोई भी महत्वपूर्ण मसला, जो आपके ध्यान में 10 म०पू० से पहले आता है, उसे

सरकार के ध्यान में लाने के लिये इस समय उठाया जा सकता है। सरकार चौकन्नी है और यह उपयुक्त समय पर कार्यवाही करती है। मेरे विचार से, माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष मुझसे शत-प्रतिशत सहमत होंगे। 'शून्य काल' का यही अभिप्राय है। हालांकि यह हमारी प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में मान्य नहीं है, फिर भी ऐसी पद्धति है। आप सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वह इस समय उठाये गए मुद्दों पर तत्स्थानिक उत्तर दे। किसी भी मन्त्री के लिए तत्स्थानिक उत्तर देना असम्भव है। इसकी एक प्रक्रिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, मन्त्री जी को उत्तर देना चाहिए···(**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : आप उपलब्ध नियमों का प्रयोग कर सकते हैं और उपयुक्त समय पर सदन के मामले को लाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार तो, कुछ भी नहीं होगा और आपको सही उत्तर भी नहीं मिल सकेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, पिछली सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया गया है···(**व्यवधान**)···। श्री झा को जान बचाने के लिए उन्हें उत्तर देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि इसकी मान्यता को बहाल करने पर विचार करेंगे। वे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कापसे।

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मैं सदन का ध्यान उन 17 आदिवासी बच्चों की दर्दनाक मृत्यु की ओर दिलाना चाहूंगा जो हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण हुई थीं।

ये मौतें तब हुई जबकि ठाणे जिले की मोखादा तहसील में वायरल न्यूमोनिया महामारी फैली। इससे वावर गांव के अनुसूचित जनजाति के 101 बच्चे गम्भीर रूप से बीमार हुए और उनमें से 17 की मौत हो गई, क्योंकि उन्हें कोई चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी। ये एक प्रकार से चिकित्सीय हत्यायें थी।

101 बच्चे एक हफ्ते तक बीमार रहे। किन्तु ठाणे जिला परिषद के स्वास्थ्य विकास की ओर से कोई भी अधिकारी उस स्थान का दौरा करने नहीं आया। औषधालय में कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य विभाग की असावधानी के कारण यह दुःखद घटना हुई।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह 17 आदिवासी बच्चों की मृत्यु के बारे में सदन में एक वक्तव्य दे और यह भी बताये कि इस प्रकार की चिकित्सीय हत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। हाउस में 9 तारीख को वोटिंग हुई·····मैं केवल एकाध मिनट में ही बात समाप्त करूंगा·····

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति केवल एक मिनट के लिए बोलना चाहता है। क्या यहां कोई ऐसा सदस्य है जो शून्य काल के दौरान आधे घंटे के लिए बोलना चाहता है? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी कोई व्यवस्था होनी चाहिए···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम चूमल : उसी विषय से जुड़ा हुआ है कि जो एम०पी० अस्पताल में दाखिल है, उसके लिए मांग कर रहा हूं कि वह दर्द दिल से यानि छाती के दर्द से दाखिल थे, हाउस में उस दिन नहीं आ सके। 9 मार्च को यहां पर वोटिंग था, उसके लिए प्रबन्ध किया जाये···वे उस दिन वोट नहीं दे सके···

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदय मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता चाहूंगा जोकि देश में औषध उद्योग के निर्माताओं को परेशान कर रहा है।

संसद के शीत सत्र के दौरान जब औषधि नीति के निरूपण के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो मन्त्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया था कि इसे बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। अभी तक औषधि नीति की घोषणा नहीं की गई है।

प्रेस रिपोर्ट के अनुसार मन्त्रालय ने एक टिप्पण तैयार किया था और एक नीति का निरूपण किया था जिसे मन्त्रीमण्डल में प्रस्तुत किया गया था। मन्त्रीमण्डल की स्वीकृति के पश्चात् मंत्रालय ने कतिपय आपत्तियां उठाई थीं।

लगभग 467 औषधि विनिर्माता हैं जो इस नीति की घोषणा में विलम्ब के कारण प्रभावित हुए हैं। अतः मुझे कोई कारण नहीं मिलता है कि औषधि नीति की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह आगे आएं और देश में औषधि निर्माताओं की परेशानियों को कम करने के लिए निश्चित तारीख दें जिसमें कि औषधि नीति की घोषणा करने की सम्भावना है।

श्री अन्ना जोशी (पूणे) : महोदय, उच्चतम न्यायालय ने अपने इतिहास में पहली बार कल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति रद्द की है। न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति के द्वारा गुवाहटी के उच्च न्यायालय में, तत्कालीन मिजोरम के विधि और न्याय सचिव श्री के० एन० श्रीवास्तव की नियुक्ति इस आधार पर रद्द कर दी कि वह संविधान में ऐसे पद के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं करते···(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी जी, क्या यह नियम है कि जो भी बात समाचारपत्रों में लिखी है उस पर सभा में चर्चा की जाए? यह न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बन्धित है। यह उन्हीं पर छोड़ा गया है। आपको इसे क्यों उठाना चाहिए? यदि फिर भी आप इसे उठाना चाहते हैं, तो लिखित में दें और इसे संगत अधिनियम के प्रावधान के अधीन लाएं। शून्य काल को शून्य में न बदलें। इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : जी नहीं, महोदय, इसमें प्रासंगिता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अधिकारी विशेष की नियुक्ति से सम्बन्धित है जोकि योग्यता प्राप्त नहीं है। क्या यह वह मंच है जहां हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए?

श्री अन्ना जोशी : जी नहीं, महोदय, यह सरकार के कर्त्तव्य की ओर से चूक है, जो प्रधानमन्त्री महोदय से लेकर दो राज्यों के मुख्य सचिवों तक हुई है। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी, यहां भी नियम है। कतिपय विषयों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती। यह उसी श्रेणी के अधीन आता है। इस मामले पर सभा में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह नियुक्ति से सम्बन्धित है। अतः, यह यहां चर्चा के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आता है···

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मैं नियुक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे नियमित अथवा अनियमित अथवा वैध अथवा अवैध हो नियुक्ति पर यहां विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता। यह उचित मंच नहीं है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है आप इसे बहुत महत्वपूर्ण महसूस करते हों परन्तु इसे सभा के नियमों के ढांचे के भीतर ठीक होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मैं आपके माननीय संचार मन्त्री महोदय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बिजनौर की जर्जर संचार व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी लगभग 14 लाख की है और वहां के विधान सभा क्षेत्रों चांदपुर में खांडसारी का बहुत बड़ा उद्योग है, किरतपुर में गुड़ की बहुत बड़ी मंडी, नजीबाबाद में बर्तनों का तांबे, पीतल का काम होता है और नगीना में काष्ठ का सामान का बहुत बड़ा उद्योग है जिससे कि यहां से यह सामान विदेशों तक में जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर टेलीफोन व्यवस्था इतनी खराब है कि वहां से कहीं दूर फोन करना तो बहुत दूर की बात, वहां से अपने जिले के अन्दर भी फोन नहीं हो पाते और ठीक से बात नहीं हो पाती। यदि मैं स्वयं कभी दिल्ली को बात करना चाहूं तो बात ही नहीं हो पाती। इससे वहां का व्यापारी बहुत परेशान है तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई होती है।

महोदय, जबकि सरकार द्वारा वहां पर इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज की मंजूरी दे दी है और वहां पर इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज के लिए बिल्डिंग भी तैयार है तथा सामान भी काफी समय से आया है परन्तु अभी तक वहां पर इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज स्थापित नहीं हुआ है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर तुरन्त इलेक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का आदेश देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक अनुरोध करना है। नियम 377 के अधीन मामले उठाने का एक प्रावधान है। यह विशेष श्रेणी के अधीन आता है। शून्य काल को ऐसे अवसर में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए जहां आप वे विभिन्न मुद्दे उठाएं जोकि नियम 377 के अधीन उठाए जा सकते हैं। ये वे विषय हैं जो वास्तव में उस श्रेणी के अधीन आते हैं। हम शून्य काल को काफी सीमा तक खींच-तान

रहे हैं। यह इसमें नहीं आता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया थोड़ी देर के लिए कार्यप्रणाली नियम की पुस्तक देखें।

(व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, पहले ही आधा घण्टा समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किन मुद्दों को शून्य काल में उठाना चाहिए। यह अनावश्यक है। आप सभी इस सभा के अनुभवी सदस्य हैं। आपको विभिन्न सदनों में सेवा करने का काफी अनुभव है। मैंने संकेत भी दिया है कि शून्य काल के दौरान सभा में कौन से विषयों को उठाना चाहिए। हम इसे ऐसे अवसर में बदल रहे हैं जिसमें छोटे विषयों को उठाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। यह सही नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब दूसरा विषय लेते हैं, अब पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। (व्यवधान)

1.26 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वर्ष 1991-92 के लिए इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच समझौते का ज्ञापन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, श्री बी० शंकरानन्द की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) वर्ष 1991-92 के लिए इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1527/92]

(2) वर्ष 1991-92 के लिए मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1528/92]

(3) वर्ष 1991-92 के लिए कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1529/92]

(4) वर्ष 1991-92 के लिए आईबीपी कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1530/92]

(5) वर्ष 1991-92 के लिए बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1531/92]

रिपोट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनान्स एण्ड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड मद्रास आदि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री एम० एम जैकब की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रिपोट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनान्स एण्ड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के बीच वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रिपोट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनान्स एण्ड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1532/92]

लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के बीच समझौते का ज्ञापन

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री कृष्ण कुमार की ओर से वर्ष 1991-92 के लिए लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय के बीच समझौते के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1533/92]

पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड चण्डीगढ़ के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चन्डीगढ़ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1534/92]

(ख) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1535/92]

(ग) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1536/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1537/92]

(5) (एक) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिलें परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1538/92]

1.27 अ० प०

प्राक्कलन समिति

विवरण

श्री अमोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय फिल्म प्रभाग सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 83वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.28 अ० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

तीसरा, चौथा, पांचवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारतीय चाय व्यापार निगम सम्बन्धी तीसरा प्रतिवेदन—एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन-निर्यात ठेके और अग्रिमों के अनियमित भुगतान तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड का चौथा प्रतिवेदन—

(क) रक्षा तथा अन्य सरकारी विभागों को आपूर्ति हेतु नियुक्ति के कारण 148.80 लाख रुपए के कमीशन का परिहार्य भुगतान तथा (ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डी० पी० एण्ड आर०) लिमिटेड की अयोध्या कपड़ा मिल के कामगरों के बन्द किए जाने के कारण 1.41 करोड़ रुपए का परिहार्य अनुत्पादक व्यय तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड सम्बन्धी पांचवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

[हिन्दी]

1.29 अ० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम लाल राही) : मैं श्री एस०बी० चव्हाण की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, राजभाषा समिति के लिए श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही के स्थान पर, जिन्होंने समिति

से त्यागपत्र दे दिया है, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, राजभाषा समिति के लिए श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.30 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

(बारहवां प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, कल शाम को मैंने इसी सदन में एक सवाल उठाया था, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जिस पर मैं आपकी रुलिंग चाहता हूं ताकि आगे यही सवाल इस रूप में सदन में फिर सामने न आये। कल का जो आर्डर पेपर था, उसमें आखिरी बहस के दो विषय थे—एक था—रेल बजट पर बहस और दूसरा था, जो प्रस्ताव रेल मन्त्री जी ने यहां रखा था, उस प्रस्ताव पर बहस। यहां पर बिजिनैस एडवाईजरी कमेटी की इसी रिपोर्ट के आधार पर, कल जो सभापति जी उस वक्त सदारत कर रहे थे, उन्होंने यह राय ली थी कि दो और मुद्दे, जो आज की बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी की इस रिपोर्ट में क्रमांक 1, 2 और 3 पर हैं, उसमें से दो मुद्दे, चर्चा के लिए सदन में लिए जाएं और इस बहस का कुल समय 10 घण्टे हो जाये। उन्होंने इस मामले पर सदन की राय मांगी थी। सदन ने यह राय दी कि इन चारों विषयों को एक-साथ लिया जा सकता है परन्तु 10 घन्टे के बारे में विवाद हो गया। जब यहां पर चर्चा के लिए मामला आ गया और कहा गया कि इस पर अभी बहस शुरू की जाये, तब मैंने अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि जो मामला आज के आर्डर पेपर पर नहीं है, वह सदन में बहस के लिए नहीं आ सकता है, जब तक कि पहले आप एक सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजिनैस देने का काम न करें अथवा सदन की इस पर पूरी राय लेकर, किसी फैसले पर आप न आ जायें।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे जो व्यवस्था मांग रहा हूं, वह रूल 31 से सम्बन्धित है, और रूल 31 यह कहता है :

[अनुवाद]

(एक) जिनकी कार्य सूची महासचिव द्वारा तैयारी की जायेगी और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।

(दो) इन नियमों में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी कार्य को जिसे उस दिन की कार्य सूची में शामिल न किया गया हो, उसे किसी भी बैठक में तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि अध्यक्ष महोदय उसकी अनुमति न दे दें।"

इसी पर आगे जाकर, इसके पहले जो भी निर्णय आये हैं, उन निर्णयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि :

[अनुवाद]

"कौल और शकधर की 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' में पृष्ठ 383 पर कार्य प्रबंध और कार्य-सूची में यह उल्लेख किया गया है कि तथापि निम्नलिखित मुद्दों को कार्य-सूची में बिना किसी प्रविष्टि के सभा में बहस के लिये लिया जा सकता है।"

[हिन्दी]

कौन चीजें बहस के लिए ली जा सकती हैं, उसके बारे में बिल्कुल साफ तौर से इसमें बताया गया है :

[अनुवाद]

"किसी उप-चुनाव में चुने गये सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान, किसी वर्तमान सदस्य अथवा किसी भूतपूर्व सदस्य अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति के निधन पर निधन सम्बन्धी उल्लेख, स्थगन प्रस्ताव, राष्ट्रपति से प्राप्त किसी संदेश की सूचना अध्यक्ष द्वारा घोषणा अथवा विनिर्णय विशेषाधिकार का प्रश्न, किसी सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में किसी सम्वाद की घोषणा, किसी सदस्य द्वारा दिये गये त्यागपत्र की घोषणा और किसी नियम के निलम्बित करने के संबंध में प्रस्ताव।"

[हिन्दी]

इनको छोड़कर, किसी और मुद्दे पर, जो लिस्ट आफ बिजिनैस में मामला न लिखा हुआ हो, उसे सदन में बहस के लिए लाना सम्भव नहीं है। मुझे याद है, यह मामला अनेक बार इसी सदन में किसी न किसी रूप में उठता रहा है। मेरा 1967 से यह अनुभव है कि हमेशा उस पर यही निर्णय हुआ है कि जो मामला लिस्ट आफ बिजिनैस पर नहीं है, उसे यहां बहस के लिए नहीं लिया जाएगा।

मैं इसी पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि इस सदन की जो गरिमा है, इस सदन के कुछ नियम हैं, उन चीजों का सरकार की ओर से जिस तरह उल्लंघन होता है, वह नहीं होना चाहिए। इस सदन को, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए, चाहे किसी ने भी चलाना हो, कि हम कभी भी उठकर कोई विषय ला सकते हैं, और उस पर बहस हो सकती है। यह अलग चीज है, जैसा आपने अभी शून्य काल के बारे में कहा था कोई ऐसा मामला आ गया जिसमें हम बहुत ही उत्तेजित होकर किसी सवाल को यहां छेड़ दें परन्तु यहां पर शून्य काल जैसी कोई बात नहीं थी और न मन्त्री जी को, उत्तेजित होकर, कोई गुस्सा करके, किसी विषय को यहां बहस के लिए लाने की बात थी। अगर लिस्ट आफ

बिजिनैस में यह मामला कल लिखा गया होता तो उसके लिए मैं अपने दस्तावेज कल ही सदन में लेकर आ सकता था। कल की लिस्ट आफ बिजनैस में यह जुमला नहीं लिखा, यह विषय बहस के लिए आपने नहीं लिखा, इसलिए मैं अपने दस्तावेज नहीं लाया, मुझे कल रेल बजट पर बोलना था, अब मान लें कि कल समय पर रेल बजट पर बहस शुरू होती और मुझे बोलने के लिए बुलाया गया होता, जो मुझे अपने दल की ओर से रेल बजट पर बोलना था या किसी भी सदस्य को बोलना हो, तो जब आपकी लिस्ट आफ बिजनैस में, इस विषय पर बहस होगी, यह बात आपने नहीं लिखी, तो अगर आप उठकर यहां पर हमें कहें कि नहीं-नहीं, यह तो बिजनैस एडवायजरी कमेटी का फैसला है, तो बिजनैस एडवायजरी कमेटी के उस फैसले को हमारे ऊपर इस तरह से नहीं लादा जा सकता है, बहस में हिस्सा लेने के लिए, लिस्ट आफ बिजनैस में विषय (आयटम) बताया जाता है, ताकि हम अपनी तैयारी करके आ जाएं, तो वह अध्यक्ष जी हो नहीं सकता और मैं फिर कहता हूं कि मुझे 1967 से इन चीजों की याद है, जब कभी इस प्रकार के मुद्दे सदन में आए हैं, तो लिस्ट आफ बिजनैस में कोई भी विषय अगर नहीं लिखा हो और अगर उसको इस तरह से लाया गया है, तो इस तरह से बहस में लाने के लिए हमेशा इंकार किया था और मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं। सरकार, विशेषकर हमारे पार्लियामेंट्री विभाग के मन्त्री, जिन्होंने कल इस बात को बड़ी मजबूती से यहां पर छेड़ने का काम किया और उन्होंने हम से यह कहा कि हम जो चीज कह रहे हैं, यह बिलकुल दुरुस्त है। तो आगे कभी यह समस्या हम लोगों के लिए न हो, सदन को समय निकालने के लिए कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं लाएं, इस पर मुझे आपकी व्यवस्था चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के पृष्ठ 3 पर निम्नवत उल्लिखित है :

> "समिति ने यह भी सिफारिश की कि यह संख्या (4) से (19) पर 17 मार्च 1992 को चर्चा की जाये और उसे 18 मार्च और 20 मार्च 1992 तक जारी रखा जा सकता है। सभा यदि आवश्यक हो तो 17 मार्च और 18 मार्च, 1992 को, देर तक बैठ सकती है।"

यह रमजान का महीना है, रोजों का महीना है और मुस्लिम सदस्यों के लिए देर तक बैठना अत्यन्त कठिन होगा। इसलिए अन्य सदस्यों की भावनाओं की पूर्ण अवेहलना करते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है। मैं चाहता हूं, कि मेरी असन्तुष्टि के रूप में इसे रिकार्ड किया जाए।

श्री अखुइेज आचार्य (बांकुरा) : महोदय इन सभी मदों पर चर्चा के लिए 10 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है यह पर्याप्त नहीं हैं और इसके लिए कम से कम 15 घन्टे आबंटित किए जाने चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्होंने कहा है कि इस चारों मदों के लिए 10 घन्टे दिये हैं, लेकिन हम 15 घन्टे चाहते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नियम 3। और कार्य सूची को भी उद्धृत किया है। यह सच है कि जब यह कार्य सूची में शामिल नहीं है तो इस पर तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति प्रदान न कर दें। लेकिन इस वर्तमान मामले में, कल जो हुआ वह यह था कि कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक पहले ही हो चुकी थी और उन्होंने निर्णय

ले लिया था। यह रिपोर्ट जो अब सदन के समक्ष है को सभा पटल पर रखा गया था और उसके बाद सभापति महोदय ने वस्तुतः अपने निर्णय को पढ़ा था। आवंटित समय के बारे में कुछ विवाद था। लेकिन शेष पर सभी सहमत थे। सभापति महोदय ने विशिष्ट रूप से इन चारों मदों को पढ़ा था और कहा था कि यदि सदन सहमत हो तो इन सभी मदों को एक साथ लिया जा सकता है। सदन इससे सहमत था सदन के सहमत होने के पश्चात, यदि मुझे नम्रतापूर्वक प्रस्तुत करने की अनुमति हो तो मैं बताता हूं कि इस मुद्दे को दुबारा उठाया गया था। उस अवस्था में हमने कहा था कि जब अध्यक्षपीठ द्वारा कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय को बताया जा रहा था, तो आपको उस समय ही आपत्ति उठानी चाहिए थी। सदस्यों ने इसके बावजूद भी अपनी बात पर जोर दिया उस समय छः बजने वाले थे और तब सभा स्थगित कर दी गई थी। हालांकि आज की कार्यसूची में यह सम्मिलित है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न थोड़ा तर्कपूर्ण है लेकिन हमने साथ ही हम सभी के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि कार्य मन्त्रणा समिति का कुछ महत्व है। कार्य मन्त्रणा समिति जिसमें लगभग सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है हम सभी मिलकर कोई निर्णय लेते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। यह आशा की जाती है कि उसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा केवल उस स्थिति बात के सिवाय जबकि कुछ सदस्य किसी बात को गम्भीरता से लेते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक 10 घन्टे अथवा 15 घन्टे का सम्बन्ध है ऐसा कोई प्रमुख अपरिवर्तनीय नियम नहीं है। 15 घन्टे केवल 10 घन्टे ही होंगे और उससे एक मिनट अथवा एक सेकिंड भी अधिक नहीं होगा। समय के लिए केवल घन्टों की संख्या दी गई है। हमारे समक्ष समस्या है। जिससे कार्य मन्त्रणा समिति ने भी पूर्णतः जिक्र किया है हमारे सामने सात अध्यादेशों के अलावा सामान्य बजट और लेखानुदानों को इस महीनों की 27 तारीख तक निपटाने की समस्या है इसलिए हमने समय निर्धारित करने की पूरी कोशिश की है।

मुझे पूरा विश्वास है कि अध्यक्षपीठ और सदन भी इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या रेलवे बजट के लिए सभी सदस्य कुछ और अधिक समय चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसे समयोजन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि समय की कोई प्रासंगिकता नहीं है अगर वह वास्तव में कुछ अधिक समय चाहते हैं तो हम सभी मिलकर समय निकाल सकते हैं इसके लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या कल चारों मदों को लिया जाना चाहिए अथवा नहीं यह तर्कपूर्ण हैं। लेकिन अभी भी यह कहना आवश्यक है कि यदि अध्यक्षपीठ का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था तो जो मेरे माननीय सदस्य ने कहा है कि चारों मदों को एक साथ न लिया जाना चाहिए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : चारों मदों पर एक साथ कब चर्चा की जायेगी, वे चार मदें कौन-कौन सी हैं ? कार्यसूची में तो केवल दो ही मदें दी थीं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे पास कार्यवाही वृत्तांत हैं (व्यवधान)

श्री बी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : क्या कार्य मन्त्रणा समिति नियम अवेहलना करके निर्णय ले सकती है ? यह कहा जाता है कि सदन में उन कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती जो कार्य सूची में सम्मिलित न हो। क्या कार्य मन्त्रणा समिति नियमों की अवहेलना करके निर्णय ले सकती है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम इसकी तकनीकी बातों में उलझ रहे है लेकिन यह जरूरी है कि सर्वप्रथम हम समझ लें कि अध्यक्ष महोदय कार्य मन्त्रणा समिति के सभापति होते हैं अध्यक्ष महोदय को

अन्य विषय पर चर्चा कराने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है। इस मामले में अध्यक्ष महोदय ने न केवल सदन का अध्यक्ष होने की व्यक्तिगत हैसियत से बल्कि सभा में भी विशिष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन चार मदों अर्थात् (एक)वर्ष 1992-93 के रेल बजट पर सामान्य चर्चा (दो) रेलवे अभिसमय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में संकल्प पर चर्चा; (तीन) वर्ष 1992-93 के लिए रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान और (चार) वर्ष 1991-92 के रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान। अध्यक्षपीठ ने कार्य की सभी चारी मदों को सुस्पष्ट रूप से गिनाया है और कहा है कि "कार्य मन्त्रणा समिति ने सिफारिश की है कि इन चारों मदों पर एक साथ चर्चा की जाए और मैं आशा करता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।" सदन इससे सहमत हुआ है। असहमति केवल समय के बारे में थी। सदन की स्वीकृति के पश्चात्, मैं समझता हूं, सदन सर्वोच्च है जब अध्यक्ष महोदय कार्य मन्त्रणा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय का एक अंग होता है। सदन ने कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय को स्वीकार किया है। मेरे विचार से इस मुद्दे पर शोर मचाना उचित नहीं है।

तथापि, मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि जब अध्यक्षपीठ द्वारा सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा जाये तो हम सभी तो सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि उस समय कोई माननीय सदस्य प्रत्यक्ष रूप से यह कहता है कि क्योंकि यह दो मदें कार्यसूची में शामिल नहीं है इसलिए उन्हें नहीं लिया जाना चाहिए तब हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। लेकिन एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं तो इस स्थिति में असहमति व्यक्त करना और यह कहना कि यह कार्यसूची में नहीं हैं उचित नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि यह कार्य सूची में शामिल होना चाहिए जब सदन ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि सभी चारों मदों पर एक साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान) आप कहते हैं 'नहीं'। वास्तव में इसे विशिष्ट रूप से लाया गया है। यह कार्यवाही वृत्तांत में भी है। और केवल यही विषय है। तथापि, मैं समझता हूं कि हमें भविष्य में कार्य मन्त्रणा समिति में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि जब यह कार्यसूची में शामिल नहीं है तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम सदन में नहीं लाएं। पद्धति के रूप में अध्यक्षपीठ इस बात पर ध्यान रखेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बात से सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वास्तव में श्री कुमारमंगलम के प्रस्ताव से सहमत है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं समझता हूं कि हम कल से प्रतिदिन देर तक बैठेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : कृपया मुझे यह बात स्पष्ट करने दें कि जहां तक देर तक बैठने की बात है हमने कार्यमन्त्रणा समिति में निर्णय लिया है कि हम इस बात को माननीय अध्यक्ष पर छोड़ते है कि वह देखे कि क्या देर तक बैठना आवश्यक है। शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अनेक अध्यादेश बहुत ही साधारण से हैं।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : आप "यदि आवश्यक हुआ ?" क्यों जोड़ रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि आवश्यकता न हुई तो माननीय अध्यक्ष को कोई प्राधिकार नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बाहरवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13.47 बजे

रबड़ (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० चिदम्बरम विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं रबड़ अधिनियम, 1947 में आगे और संशोधन करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मुझे एक आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, यदि आप कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं, तो नियम इसकी अनुमति देते हैं, यदि आपने दस बजे से पहले कार्यालय में एक नोट दिया होता तो विधेयक पुरःस्थापित करते समय आपको आपत्ति उठाने का अवसर दिया जाता। वस्तुतः अब आपने उस अधिकार को खो दिया है।

(व्यवधान)

यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की प्रारम्भिक आपत्ति उठाना चाहता है, तो उसे दस बजे के पहले एक नोट दे देना चाहिये। समय समाप्त हो जाने से आप आपत्ति उठाने के अपने अधिकार को खो चुके हैं। आपको आपत्ति समुचित तरीके से उठानी चाहिए।

श्री पी० सी० थामस : विधेयक की प्रतियां कल ही प्रचारित की गई थीं परीपाटी के अनुसार हमें दो दिन का समय मिलता है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक** को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र भाग-दो के खण्ड-दो में दिनांक 12-3-92 को प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुरःस्थापित किया गया।

2.48 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो 2 बजकर 48 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। श्री शरत चन्द्र पटनायक।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में पेयजल तथा सिंचाई सुविधाएं देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता

श्री शरत चंद्र पटनायक (बोलनगीर) महोदय, उड़ीसा के बोलनगीर संसदीय क्षेत्र के लोग पेय जल और सिंचाई की सुविधाओं के लिए महानदी और गांव के तालाबों पर आश्रित हैं। अनियमित वर्षा के कारण नदियां सूख जाती हैं और लोगों के साथ-साथ जानवर भी जीवित रहने के लिए प्रकृति की दया पर छोड़ दिए जाते हैं। यद्यपि किसी प्रकार की पहल के अभाव के कारण इस क्षेत्र में भू-जल स्तर पहुंच से बाहर है, पेयजल और सिंचाई की सुविधाओं के मामले में यह क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। इसी-लिए बोलनगीर के विकास खण्डों में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को चरणबद्ध रूप में लागू किया जाए और बोलनगीर, सीतलागढ़, सोनपुर और कांटाबनजी क्षेत्रों में शहरी जल आपूर्ति और प्रबन्धन योजना को कार्यान्वित किया जाए।

(दो) बोड्डार जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की आवश्यकता

श्री अनन्तवेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वोड्डे बोड्डेरा, वड्डिलसी, वोड्डार समुदाय के ही विभिन्न नाम हैं जिनका मुख्य व्यवसाय अज्ञात काल से, कुंए खोदना, नहरों की खुदाई भूमि खोदना, पत्थर काटना और मकान से बांध तक का निर्माण कार्य रहा है। इस समुदाय को गरीबी, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचाती रही है। यह समुदाय बहुत ही गरीब है और इसकी स्थिति वर्तमान अनुसूचित जाति के लोगों से बेहतर नहीं है।

यह ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार विभिन्न समुदायों की स्थिति पर वास्तविकतापूर्ण दृष्टिकोण से विचार करने के लिए और उपयुक्त मामलों में उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहती है।

ये समुदाय, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात इन छह राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची में पहले से ही शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में भी उन्हें समान दर्जा दिया जाना चाहिए।

इसीलिए, मैं केन्द्र सरकार से उपरोक्त समुदायों को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) देश में विशेषकर उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर पर नियन्त्रण करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री लोकनाथ मलिक (बरहमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

यह बड़ी ही चिन्ता का विषय है कि देश में शिशु मृत्यु-दर बढ़ती जा रही है। उड़ीसा में यह सर्वाधिक है—यहां हर तीन मिनट के बाद एक शिशु की मृत्यु होती है। एक आकलन के अनुसार उड़ीसा के शहरी क्षेत्रों से शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 177 और ग्रामीण क्षेत्रों में 126 थी।

शिशु मृत्यु दर के बढ़ने के कई कारण है जैसे छोटी आयु में विवाह, एक के बाद एक बच्चे का जन्म, अनियमित प्राक् प्रसव जांच और रक्त अल्पता। इसके अलावा 70 प्रतिशत से अधिक शिशुओं का जन्म बहुत ही अस्वस्थकर परिस्थितियों में, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अधिकांश शिशुओं की प्रजाक्षारोध के कारण मृत्यु होती है जोकि आजीवन रुग्णता को बढ़ाता है।

जबकि पिछले तीन दशकों में भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में उड़ीसा अन्य राज्यों से पिछड़ गया है।

बाल रोग विशेषज्ञ जब तक, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठायेंगे "शिशु जीवन और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम" का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बाल रोगों के नियन्त्रण और निर्मूलन हेतु अनथक कार्य करने के लिए लगाया जाए।

अतः, मैं विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर के नियन्त्रण की ओर केन्द्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने, विशेषकर उड़ीसा में, का अनुरोध करता हूं।

(चार) उत्तर-प्रदेश के देवरिया जिले में पडरौना स्थान पर एक विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के उत्तराचल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। नेपाल और बिहार से होकर नारायणी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। प्रत्येक वर्ष यह इलाका बाढ़ से तबाह हो जाता है। यहां पर सड़कों का नितान्त अभाव है। यहां पर जंगल-पार्टी का बहुत पहले से आतंक छाया हुआ है। आए दिन डकैती, कत्ल और अपहरण की घटनाएं होती रहती है। नेपाल और बिहार के बार्डर पर स्थित उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली का बहुत बड़ा अभाव है। गांव वालों को इससे काफी परेशानी होती है। बिजली और सड़क के अभाव की वजह से वहां पर जंगल पार्टी आसानी से गांवों में प्रवेश करके अपहरण और डकैती की घटनायें करती रहती है। बिना केन्द्र सरकार की सहायता के वहां पर बिजली गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को मिलना सम्भव नहीं है। कुशी नगर के उत्तर में सैकड़ो किलोमीटर दूर तक कोई भी बिजली का सब-स्टेशन नहीं है।

ऐसी दशा में, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि इसके पूर्व केन्द्रीय सरकार की सहायता से हमारे यहां सलेमपुर, सिकन्दरपुर, राजापाकड़ में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना माननीय केन्द्रीय उर्जा मन्त्री द्वारा किया गया है। केन्द्रीय सहायता देकर पडरौना में एक बड़ा सब स्टेशन बिजली का स्थापित कराया जाए औ साथ ही अतिरिक्त अनुदान देकर बिहार और नेपाल के

बार्डर पर जो गांव स्थित हैं, वहां पर बिजली का कनेक्शन गांव वालों को दिलाने की व्यवस्था की जाए।

(पांच) चिकित्सा और स्वास्थ्य सिक्षा आयोग का गठन करने के प्रस्ताव को त्याग देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं।

देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर चिंता बढ़ती जा रही है जबकि चिकित्सकों में बेरोजगारी और अल्प रोजगारी बढ़ती जा रही है। भारत सरकार बारम्बार यह आश्वासन देती रही है कि देश में और अधिक चिकित्सा विद्यालय खोले नहीं जायेंगे। परन्तु कई राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य सरकारों की स्वीकृति से, उच्च प्रवेश शुल्क लेने वाले कई चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए। भारतीय चिकित्सा परिषद को और अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए आई०एम०सी० (संशोधन) विधेयक, 1988 संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह ज्ञात हुआ है कि उन चिकित्सा संस्थाओं के जो भारतीय चिकित्सा परिषद की शक्ति और कार्यकरण का गम्भीर रूप से अतिक्रमण करती हैं, के कार्यकरण से निपटने के लिए भारत सरकार एक चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना की योजना बना रही है। भारतीय चिकित्सा संघ ने उपरोक्त प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है।

मामले की जांच की जाए।

(छह) उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने के लिए एक समेकित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम बदन (लालगंज) : आदरणीय महोदय, हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज भी ब्रिटिश शासन की उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों के अनुरूप ही चल रही है। आजादी के 42 वर्ष बाद भी शिक्षा में सुधार हेतु योजना प्रस्तुत करने हेतु 1949 में राधा कृष्णन आयोग 1958 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1960 में मदालियर आयोग एवं 1962 में सम्पूर्णानन्द शिक्षा समिति की नियुक्ति की गयी। इसके बाद आल इण्डिया कौंसिल आफ सेकेन्डरी एजुकेशन और कोठारी आयोग का गठन किया गया। इन सबने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की लेकिन विचार करने के बावजूद अमल में नहीं लाया गया। देश के लगभग 150 विश्वविद्यालयों एवं 5500 कालेजों में शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है।

राजनीति की घुसपैठ के कारण उच्च शिक्षा से सम्बद्ध लगभग 50% छात्र राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे हैं। मैं सरकार का ध्यान छात्रों के भविष्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि देश मे एक समग्र शिक्षा नीति बनाई जाए, जो सही मायने में हमारे देश को विश्व मानचित्र पर गौरवान्वित करने में सहायक हो, जैसा कि स्व० प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान नयी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। लेकिन उस नीति को लागू करने में सरकार ने समुचित कदम नहीं उठाये।

(सात) बक्सर और भोजपुर जिलों के समुचित विकास के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा और अधिक धनराशि देने की आवश्यकता

श्री लेख नारायण सिंह (बक्सर) : आदरणीय महोदय, बिहार राज्य का बक्सर एवं आरा बहुत

महत्वपूर्ण स्थान है। बक्सर, जिला बन गया है एवं आरा भोजपुर जिला के नाम से मशहूर है। इन दोनों जिलों में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां के लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके पक्की रोड पर पहुंचते हैं। अगर जिला योजना कमेटी की बैठकों में रोड पक्का बनाने की योजना बनती है, तो यह योजना रुपए के अभाव में अधूरी रह जाती है। बिहार सरकार के पास रुपये का अभाव है। दोनों जिलों के नौजवान उग्रवाद की तरफ जाने का मन बना रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बक्सर जिला एवं भोजपुर जिला के रोड एवं प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं सिंचाई की व्यवस्था के लिए 10 करोड़ रुपया भेजा जाए, जिससे कि बक्सर जिला एवं भोजपुर जिला का विकास हो सके।

(आठ) केरल राज्य के किसानों को पट्टा अधिकार देने के केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न मामला उठाना चाहता हूं।

केरल के कृषकों को पट्टा दिये जाने का मामला केन्द्र की स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ा हुआ है। इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इसे तुरन्त अन्तिम स्वीकृति प्रदान करे। इससे हजारों छोटे कृषकों को बचाया जा सकेगा।

2.59 म०प०

रेल बजट, 1992-93—सामान्य चर्चा—जारी
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प—जारी
अनुदानों की मांगे (रेल), 1992-93
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 1991-92

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज की कार्य सूची की मद संख्या 12 से 15 को चर्चा के लिए लेने से पूर्व मुझे सदन को सूचित करना है कि कुछ सदस्यों के अनुदानों की मांगों (रेल) सम्बन्धी उनके कटौती प्रस्तावों को पस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए सदन में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव प्रचारित किए जा चुके हैं, जो अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक परची में कटौती प्रस्तावों के क्रमांकों को दर्शाते हुए जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं 15 मिनट के भीतर

सभापीठ को भेज सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। क्रमांकों सहित कटौती प्रस्तावों को दर्शाती हुई एक सूची सूचना पट पर लगा दी जाएगी।

माननीय सदस्य जो आज उपस्थित नहीं हैं या जिनके कटौती प्रस्ताव पहले ही आज प्राप्त किये जा चुके हैं और उन्हें कल प्रातः परिसंचरित कर दिया जाएगा, कल यानी 13 मार्च 1992 को अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है जब इन मदों पर चर्चा शुरू की जाएगी।

3.00 म०प०

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तरी) : सदन की सूचना के लिए, मैंने अब अपने कटौती प्रस्ताव सं० 229 की सूचना दी है। यह सरकार के मौसमी टिकटों मासिक व त्रैमासिक—में असफल होने संबंधी है। मैं अपने राष्ट्रीय मोर्चा के मित्रों और अन्य सदस्यों से शीघ्र निर्णय लेने का निवेदन करूंगा ताकि अगली बार मतदान के समय अव्यवस्था न हो जाए और उसे पहले लिया जायेगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अभी से इस पर विचार करना आरम्भ कर दे ताकि उस समय किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

श्री राम कापसे (ठाणे) : मौसमी टिकटों के किरायों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह अच्छे मित्र है लेकिन उन्हें हमें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं।

श्री राम कापसे : हम उन संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि उनके किराये में अभूतपूर्व और काफी अधिक वृद्धि हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं जिनको प्रस्तुत करने की आपको उन्होंने अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट शुरू करने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं रेल बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय रेल मन्त्री जी ने जो बजट वर्ष 1992-93 के लिए इस आगस्ट हाउस में प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि इससे आम आदमी पर, शहरी और देहाती क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों पर बोझ डाला गया है। इसके साथ-साथ माल भाड़े में भी इतनी अधिक वृद्धि की गई है, इतनी पिछले कई सालों में किसी रेल मन्त्री ने नहीं की है। मुझे उम्मीद थी कि रेल बजट पर बहस शुरू होने से पहले माननीय रेल मन्त्री जी अनाउंसमेंट किराए और माल भाड़े में वृद्धि को कम करने का करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़ी चतुराई से उन्होंने अपने बजट में यह कहा कि बजट द्वारा यह जो बोझा डाल रहे हैं, यह उच्च वर्ग में सफर करने वालों पर पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय 1366 करोड़ का जो बोझ बजट द्वारा डाला गया है, मैंने उनका पूरा भाषण सुना था, उन्होंने शुरू में कहा कि 20 परसेंट

यात्री भाड़ा फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन क्लास में सफर करने वालों पर बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि दूसरे दर्जे में और हर रोज यात्रा करने वाले, सीजन टिकट द्वारा यात्रा करने वालों पर 50 पैसे से लेकर 5.25 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मन्त्री जी ने जो 1366 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी वाला बजट प्रस्तुत किया है, वह इम्प्लेजनरी है। इससे मूल्यों में वृद्धि तो होगी ही, इसके साथ-साथ आम आदमी की, देहाती क्षेत्रों से और दूर-दराज से आने वाले जो यात्री है, उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, खासकर के उनकी आर्थिक परेशानियों में बढ़ोतरी होगी।

मैं बताना चाहता हूं कि 20 प्रतिशत की वृद्धि पहले वर्ग और ए०सी० क्लास में मुसाफरी करने वाले के लिए होगी, कितनी चतुराई से इन्होंने यह बात रखी थी। मुझे लगता है वित्त मन्त्री जी ने रेल मन्त्री जी का आसरा लेकर ऐसा सपना अपने बजट में भी रखा। आज धीरे-धीरे लोगों के ध्यान में आ रहा है कि यह सामान्य बजट भी कितना दुष्कर होगा।

इसी तरह पहले तो समझते थे कि ऊपरी क्लास में यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बढ़ोत्तरी की गयी है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे दर्जे में भी जो बढ़ोत्तरी की गयी है, वह कम नहीं है। इन्होंने उनमें भी 20 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की है यात्रा भाड़े में। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। नई दिल्ली से बम्बई सैंट्रल तक मेल दूसरे दर्जे के टिकट का भाड़ा 147 रुपये था अब उसे 172 रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 147 से बढ़ा कर 172 रुपये करेंगे तो इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं। इसी के आधार पर जो सबरबन ट्रेन हैं उसमें जो वृद्धि की है वह तो इससे भी अधिक है। हर रोज छोटे-छोटे कामगर लोग सबरबन ट्रेन में सफर करते हैं। ये लोग शौक के लिए उसमें सफर करते हैं, ऐसा नहीं है, वे मजदूरी पर जाने के लिए सबरबन ट्रेन में सफर करते हैं, इसका यज करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भी भाड़े में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी है। जो 35 से 40 किलोमीटर का सफर है उसके लिए 70 से 105 रुपए हो गया, यानि 35 रुपये बढ़ गया, 50 प्रतिशत के लगभग इसमें बढ़ोत्तरी हो गयी। रेल मन्त्री जी ने बजट में ऐसी बात कही थी कि मैंने छोटे आदमी, आम आदमी, देहात के लोगों का ख्याल रखकर यह बजट बनाया है। मुझे नहीं लगा कि इन्होंने उनके हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाया होगा। बड़े-बड़े लोगों को ध्यान में रखकर, उनको अच्छी सुविधा मिले, और छोटा आदमी मर जाए, यह ध्यान में रखकर शायद इन्होंने बजट में ऐसा प्रावधान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सबरबन ट्रेन के भाड़े में वृद्धि की है, जैसे मैंने बताया 35 से 40 किलो मीटर का 70 रुपये से 105 रुपये कर दिया, 100 किलोमीटर का 113 से 163 कर दिया, यानि 45 प्रतिशत इन्होंने बढ़ोत्तरी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना भारी बोझा हमारे सैकिंड क्लास के पैसेंजर या सबरबन ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए यह बोझा इनको हटाना चाहिए। यह कम ही नहीं करना चाहिए बल्कि इसको बिलकुल हटाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जो माल भाड़े में वृद्धि की है 7.5 परसेंट, वह भी कम नहीं है। हमारे रेल मन्त्री जी ने और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने जो ओपीनियन दिया उसमें कहा गया कि इससे मूल्य वृद्धि

[श्री काशीराम राणा]

होने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 7.5 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई और खास करके बड़े उत्साह के साथ रेल मन्त्री जी ने कहा था कि हम साढ़े सात परसेंट और चीज में कर रहे हैं, लेकिन कोयले में 4 परसेंट करने जा रहे हैं।

अभी हम चर्चा कर रहे हैं इससे पहले कोयले के माल भाड़े में वृद्धि की गयी इसका असर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो भी रेट्स हैं उन पर हुआ उसमें वृद्धि हो गयी। मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे चार परसेंट कोयले के माल भाड़े में वृद्धि करने की घोषणा की तो वहां पर पावर का, ऊर्जा का भाव बढ़ा दिया गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा इनफ्लेशनरी इफैक्ट नहीं होगा, मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, यह गलत ऐ। इस हाउस को ही मिस-गाइड नहीं किया गया, बल्कि इस देश को मिस-गाइड करने की बात बजट में रखी गयी है। रेल मन्त्री जी ने इस सदन में यह कहा है।

उपाध्यक्ष, महोदय, आठ महीने पहले 900 करोड़ रुपए का भारी बोझा इस देश के ऊपर लादा गया है। माल भाड़े में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की गई है और कुछ दिन गत वर्ष पहले ही दस प्रतिशत की वृद्धि रेल बजट के द्वारा इस देश के ऊपर थोपी गई। 1366 करोड़ रुपए का भारी बोझा यह देश उठा नहीं सकता। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस भारी बोझे में आपने बीस प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की है और फर्स्ट क्लास व ए०सी० में सफर करने वालों को रिलीफ दी है। जो सैकण्ड क्लास या सबर्बन में सफर करते हैं तो उन पर बोझा डाला गया है।...(व्यवधान)

मैं, माननीय रेल मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस बोझे को वापिस ले लें और इस देश की गरीब जनता को रिलीफ दें। जब भी डेफिसिट आती है तो कोई कमी महसूस करते हैं और कहते हैं कि भाड़ा बढ़ा दो। माननीय मंत्री जी, यह बोझा लादने की बजाय और कोई तरीका या आल्टरनेटिव देने के लिए तैयार हैं और वैसे ही उसका आल्टरनेटिव निजीकरण के बारे में पेश किया गया है। उसमें यह है कि जो जमीन है वह लीजिंग आऊट कर दो, जैसे-कोचेज बनाने हैं या चलाने हैं तो उनको भी निजी क्षेत्र को बनाने के लिए दे दो। अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी एक्सेल व्हील बनाने के लिए वर्कशाप को और उसके तौरतरीकों को निजीकरण को दे दिया जाए। आखिर रेल चलानी है तो पैसा चाहिए। यह पैसा कहां से लाना चाहिए, इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्या सिर्फ रेल की जमीनें लीजिंग आऊट कर देंगे। इससे पचास-सौ साल में क्या वह जमीन मिल सकेगी। इसके साथ ही कैटरिंग के बारे में यह कहा गया कि उसको प्राईवेटाइजेशन करना चाहिए। जो सालाना 2200 करोड़ रुपए की सोशल लायबिलिटीज हम भुगत रहे हैं तो इससे हमारी सोशल लायबिलिटीज बढ़ जायेगी। यह प्राईवेट लोगों के हाथ में चला जायेगा तो उससे घटिया खाना मिलने लगेगा और मिलना शुरू हो गया है और दिन-ब-दिन उसकी क्वालिटी गिर जायेगी। इसमें और तरीका हमें आजमाना चाहिए। यात्री भाड़ा और माल भाड़े की डेफिसिट पूरी करने के लिए कुछ तरीका बदलना पड़ेगा। हमारी आय बढ़ सकती है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी जो फिजूल खर्ची है, उसको बंद करो। मैं रेल मन्त्री जी से कहना

चाहता हूं कि आप ही शुरू करें। रेल मन्त्री जी साथ में काफी कुछ लेकर चलते हैं और साथ में कई लोग बैठते हैं·· (व्यवधान)··· इस तरह से यह अच्छा आदर्श नहीं होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने किया था, उनके पास पैसा होते हुए, अनुयायी होते हुए भी वे स्वयं चलते थे सैकण्ड क्लास के डिब्बे में। हम लोग जब महात्मा गांधी का नाम लेते हैं···तो रेल मन्त्री जी हमारे अधिकारियों को चाहिए कि पूरा सैलून लेकर चल रहे हैं वह बन्द करें। आप इसमें लाखों रुपये की फिजूलखर्ची करते हैं यह बन्द होने से रेलवे को फायदा होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री काली राम राणा : मैं इससे भी आगे कुछ कहना चाहता हूं। हमारी एफीशेंसी कम होती जाती है। जो हमारे रेल पथ हैं उनका उपयोग धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में रेल पथों का उपयोग नहीं होने के कारण रेलवे का घाटा होता है। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि इसका अच्छी तरह से यूज होना चाहिए। मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि जो हमारी गुड्स ट्रेंस हैं उसमें हमारा कितना यूटिलाइजेशन है। जो माल गाड़ी चलती है वह 26 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इससे अप एण्ड डाउन 24 घंटे में सिर्फ 57 रेल गाड़ियां ही पास होती हैं। इस लिहाज से हमारी इन गाड़ियों की स्पीड बहुत कम है। जो ट्रेन स्टीम इंजन से चलती है उसकी स्पीड 10.1 है, जो डीजल इंजन से चलती है उसकी स्पीड 22.6 है और जो बिजली से चलती है उसकी 23.1 है, यह 1990-91 के आंकड़े हैं। जो गाड़ियां मीटर गेज पर चलती हैं उसकी एवरेज 17.8 है। इस कारण हमारे रेल पथों का अपर्याप्त मात्रा में यूज होता है। अगर पर्याप्त मात्रा मात्रा में यूज हो तो काफी बचत हो सकती है। क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियलिटी इसमें पड़ी हुई है। अगर हमारे सभी रेल ट्रेक्स का उपयोग हो तो उससे कितना लाभ होगा यह भी मैं बताना चाहता हूं। जिस गति से गाड़ियां जाती हैं इससे 57 गाड़ियां पास होती हैं, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ायें, अगर 80 की स्पीड पर ले जायें तो उससे चौगुना माल हम ढो सकते हैं। मैं जानता हूं कि रेल मंत्री जी कहेंगे कि इससे एक्सीडेंट होंगे। हमारे ट्रैक्स ऐसे हैं कि उन पर स्पीड से गाड़ियां नहीं चला सकते। यह बचाव जरूर वह करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा डिब्बे या वैगन वाली हमारी माल गाड़ियां हैं ये बार-बार रुकती हैं इससे इनकी स्पीड कम होती जाती है। इसलिए यदि आप स्पीड बढ़ायेंगे तो मुझे लगता है कि 80 की स्पीड पर चलने से 192 गाड़ियां अप एण्ड डाउन 24 घंटे में कर सकती हैं और ट्रैक्स का भी यूटिलाइजेशन करके हम भारी मात्रा में इनकम पैदा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यात्री गाड़ियों में भी ऐसा ही है। उनकी एवरेज 36 किलोमीटर की है। डाइनेज में 35.1 किलोमीटर और मीटरगेज में 18.2 किलोमीटर की स्पीड है, ये आंकड़े 1990-91 के हैं। ये गाड़ियां भी कम स्पीड पर चल रही हैं। यह इसीलिए किया जाता है कि एक्सीडेंट कम हों। मैं इस पर तो बाद में आऊंगा। लेकिन पहले यह बताना चाहता हूं कि अगर हम अधिकतम यूज करें और यूज करने की पोटेंशियलिटी है, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने भी यह बात मानकर अपने बजट में कभी नहीं कहा। पर्याप्त मात्रा में रेल पथ का उपयोग करके

[श्री काशीराम राणा]

हम आमद बढ़ा सकते है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर अब यह करें तो इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार रेल भाड़े या रेल किराये में बढ़ोत्तरी की बजाय हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये और वह है आज सारे देश में यात्रियों की भी संख्या में वृद्धि हो रही है। माल ढोने के लिए बहुत सारी डिमांड्स आती हैं मगर हम कहते हैं कि हमारे पास पूरे वैगन्स नहीं है, डिब्बे नहीं है। यह बात बार-बार कही जाती है कि हमारे पास डिब्बे, वैगन्स नहीं होने की वजह से हम काम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय रेल मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने रोलिंग स्टाक के बारे में प्रायरिटी देकर ज्यादा रकम का प्रावधान किया है, वह अच्छा है। वैगन्स और डिब्बे कम होने की वजह से ही हमें माल ढोने या यात्रियों को ले जाने के लिए बहुत कठिनाइयां है। इस रोलिंग स्टाक के बारे में जो मैंने बताया कि यात्रियों के लिए डिब्बों की शार्टेज महसूस कर रहे हैं। 28 हजार में से 5500 तो ऐसे हैं जिनको निकाल देना चाहिए और अभी भी हमें 1500 डिब्बों की कमी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हम ट्रैक यूटिलाईजेशन ज्यादा करें और एफिशियन्सी बढ़ायें तथा फिजूलखर्ची बंद करेंगे तो माल भाड़ा बढ़ाने या यात्रियों पर अधिक बोझा डालने में हम कटौती कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी रेलवेज एशिया में फर्स्ट और वर्ल्ड के मैप पर यह सैकिण्ड लारजेस्ट आर्गेनाईजेशन है। यह सही बात है लेकिन हमें अभी भी और कुछ करना है। हम तुलना तो दूसरे देशों के साथ करते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि हमारे देश में क्या कमी है, क्या फैसिलटीज हैं, इसको देखने की कोशिश की है?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर ज्यादा बोझा डाला है, क्या उसकी हालत आपने देखी है? क्या मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया है वह रेलवेज जो एशिया में फर्स्ट नम्बर पर है, किस प्रकार यात्रियों पर बोझा डालते चले जाते हैं, यह सबरबन ट्रेन पर यात्रा करने वाले मुसाफिरों को देखकर अन्दाज लगाया जा सकता है कि वे कि प्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। उनके लिए आपने क्या किया है? आप हर वर्ष उनके ऊपर बोझा बढ़ाते चले जाते हैं। इसके सिवाय आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए आज जब आप यह रेल बजट पर बहस कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यदि इस दिशा में भाड़ा वगैरः बढ़ाते चले गये तो ऐसा नहीं चल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के बारे में और भी कई बातें बताना चाहता हूं जिनमें रेल लाइन की डबलिंग और नई लाइनों के बिछाने के लिए बहुत कम प्रावधान किया गया है। इसके पहले जो रेलवे की रिफार्म्स कमेटी बनी थी, उसने सुझाव दिया था कि रेलवे की डेफिशिन्सी कैसे कम हो और जो कम दूरी की और अनएकनामिक रेलवे लाइन्स हैं, उनको बन्द कर दिया जाए। मुझे याद है एक-दो साल पहले जब रेल बजट इस हाउस में आया था, तब ऐसा कहा गया था कि हमारा डेवलपमेंट नई-नई लाइनों को बिछाने का कार्यक्रम होगा और वह भी पहाड़ी या आदिवासी इलाकों में करेंगे। अभी परसों यहां पर रेल के बारे में एक सवाल था और जो जवाब दिया गया कि जो अनएकनामिक लाइनें हैं, छोटी दूरी वाली और मीटर गेज तथा नैरो गेज की लाइनें हैं।

इसमें कई लाइनें ऐसी बताई गई कि अनइकनॉमिक है और इनमें से कई लाइनें बंद कर दी गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज रेल की जरूरत उन लोगों को भी है कि जो दूर रहते हैं, आदिवासी एरियाज में रहते हैं। उनको आने जाने के लिए तथा उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमें उन लाइनों को जारी रखना चाहिए, इतना ही नहीं जो बन्द की हुई लाइनें हैं वह भी हम चालू करें। नई लाइनें बिछाने का हमें संकल्प करना पड़ेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि नयी लाइनों की डबलिंग के बारे में भी इस बार प्रावधान किया गया है। अगर देखा जाए तो हमारे पास रिगोर्मेज कम हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल या आने वाले दिनों में हमें इसके भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रोलिंग स्टॉक में हम भारी प्रावधान करते हैं। इसमें हमने जो प्रावधान किया है, गेज कनवर्शन में जो किया है, 1991-92 में डबलिंग में 269 करोड़ रुपए कम हो गए हैं सिर्फ 131 करोड़ है। इसके साथ-साथ हमने नई लाइनों के लिए जो प्रावधान पिछले साल किया था 241 करोड़ रुपए का, इसमें से हम 186 करोड़ पर आ गए है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो नई लाइनें हैं और डबलिंग की है, आज हम देखते हैं कि सूरत से जलगांव जाने के लिए जो लोग हैं, क्योंकि साउथ बाउंड ट्रेन वहां से पास होती हैं, सुपरफास्ट गाड़ियों की वजह से पैसेन्जर और मालगाड़ियों को किनारे कर दिया जाता है इसलिए पैसेन्जर्स को देरी हो जाती है और माल भाड़े से ज्यादा इनकम नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डबलिंग और नई लाइनें बिछाने में हमने कम प्रावधान किया है, इससे आने वाले सालों में हमें इसके भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इस देश को भुगतने पड़ेंगे और इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में भी आप ज्यादा प्रावधान करने का प्रयास करें।

3.27 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सभापति जी, मैं रेल बजट में आगे यह कहना चाहता हूं कि आज रेल में जो भी यात्री यात्रा करते है या जो भी इंडस्ट्रीलिस्ट या ट्रेडर माल भेजते है, उनको बहुत घटिया किस्म की सेवा मिलती है। जैसे वह रेलवे अधिकारी की दया पर ही रहते हैं, उनकी बात की कोई सुनवाई नही होती हैं, उनकी समस्या का कोई निदान नहीं है और यह घटिया किस्म की जो सेवा मिल रही है, इसके बारे में भी इस बजट में मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला और न मैंने इस बारे में सुना है कि यात्रियों के लिए या माल भेजने वाले लोग है, इनके लिए हम कुछ करते है या करेंगे। मुझे इसका बहुत बुरा अनुभव है। मुझे यह अनुभव है कि माल ढोने के लिए जो सुविधा देनी चाहिए, वह नहीं देते बल्कि उनकी परेशानियां बढ़ाने का काम करते हैं। इस बारे में सूरत में जो लोगों ने स्ट्राइक की तो महीनों तक वह चली, लेकिन उनकी विचार करने का समय नही मिला और कितने लाखों रुपए की आवक रेलवे ने खो दी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो घटिया किस्म की सेवा है वह सेवा अच्छी की जाए। उसकी ओर ध्यान दिया जाए और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका इफेक्ट हमारे रिवेन्यू पर पड़ता है। इसलिए हम चाहते है कि यह सेवा उपलब्ध कराने का आदेश वह अधिकारियों को दें।

[श्री काशीराम राणा]

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप जो सुविधाएं या अमैनिटीज यात्रियों को देते हैं, यदि बजट में उसकी फीगर्स देखें तो कम्पैरिटिवली वे बहुत ही कम हैं, जैसे वर्ष 1990-91 के बजट में 28 करोड़ रु० आपने इसके अन्तर्गत रखे थे, जिसके अगेन्स्ट मात्र 20.32 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ। इसके बाद 1991-92 के बजट में 30 करोड़ रुपये और 1992-93 के बजट में अमैनिटीज के लिए 50 करोड़ रु० रखे गये हैं। मुझे लगता है कि इतने कम पैसे से यात्रियों को कोई अमेनिटी जैसी चीज नहीं मिल पायेगी। यदि हम वास्तव में यात्रियों की सुविधा के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं तो 50 करोड़ रुपया उसके लिए बहुत कम है। मैं मानता हूं कि पिछले वर्ष के 30 करोड़ रुपए की तुलना में आपने इस वर्ष 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, और गत वर्ष वह राशि खर्च हुई या नहीं लेकिन इस वर्ष का प्रावधान बहुत कम है दूसरे मैंने आपको 1990-91 का उदाहरण दिया, 28 करोड़ रुपये में से मात्र 20 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ, मैं चाहता हूं कि ज्यादा पैसे का प्रावधान करके आप यात्रियों को अधिक सुविधा देने की व्यवस्था कीजिए।

इस बार भी रेल मन्त्री जी ने बहुत सी नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इस देश के विकास के लिए अधिक से अधिक ट्रेनें चलाए जाने की आवश्यकता है लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो भी नया रेल मन्त्री आता है, वह अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में तो अनेकों ट्रेन शुरू कर देता है और जब-जब हम सांसद उनके पास जाते हैं डी० आर० एम० या जी० एम० के पास जाते हैं तो हमसे कह दिया जाता है कि पटरी खाली नहीं है, पैसा नहीं है या डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं और ऐसा कहकर हमें टाल दिया जाता है। मैंने आज तक देखा है, अपने 10-15 साल के पोलिटिकल जीवन में मैं देखता रहा हूं कि जो भी मन्त्री बना, उसके में न पटरियों की शौर्टेज रहती है, न पैसे की कमी रहती है और न डिब्बों की कोई कमी आड़े आती है और जैसे वह चाहता है, अपने यहां नई गाड़ियां चला लेता है। नई गाड़ियां चलनी चाहियें, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन हमें रेल के विकास के लिए सारे देश को एक दृष्टि से देखना चाहिए, सारे देश का विकास करना चाहिए एक विशेष क्षेत्र पर ही हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितनी ट्रेनें इस बार शुरू की गयी हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं।

अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोई नई ट्रेन शुरू की जाती है तो उसके साथ कोई पुरानी ट्रेन को बन्द कर दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां बस्तर जिले से पास होने वाली एक ट्रेन के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने साथ मिलकर, सर्वसम्मति से, एक ट्रेन चलाने का निर्णय किया था और वह प्रस्ताव आपके पास, रेल मन्त्रालय में भेज दिया गया था, लेकिन बजट में हमें कुछ दिखायी नहीं दिया। इसके साथ-साथ, भावनगर अहमदाबाद एक इंटर-सिटी ट्रेन चलती थी, उसे बन्द कर दिया गया। जब भी हम मिलने जाते हैं तो कह दिया जाता है कि अगले महीने शुरू होगी, उसके अगले महीने शुरू होगी, लेकिन 3-4 साल हो गये, अभी तक वह ट्रेन शुरू नहीं हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जहां नई ट्रेनें शुरू होनी चाहिये, आपने हमारे यहां वलसाड़ बड़ोदा के बीच एक इन्टर सिटी ट्रेन शुरू की, लेकिन उसे आपने बड़ोदा से शुरू करने का निर्णय किया। उसका कोई उपयोग नहीं होगा। यदि बड़ोदरा से सुबह शुरू करेंगे तो इस ट्रेन का बहिष्कार भी होगा क्योंकि वहां आने जाने वाले लोग वलसाड़ और सूरत के हैं, न कि बड़ोदा है। शायद उसे आपने इसलिए बड़ोदा से शुरू किया क्योंकि सूरत में उसके लिए यार्ड नहीं है, मेन्टनेंस की सुविधा नहीं है, लेकिन गत 50 सालों में सूरत रेलवे स्टेशन का विकास सिर्फ एक प्लेटफार्म ही हुआ जबकि उसकी आबादी 3 लाख से 20 लाख तक बढ़ गयी है। अभी तक वहां केवल एक प्लेटफार्म ही बन पाया है। इसके अलावा वहां न तो शेड है और न कोई दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिये। इसलिये जहां आपने नई ट्रेनें शुरू की हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं परन्तु जिन ट्रेनों को बन्द कर दिया गया है, उन्हें भी आप शुरू कीजिए।

इसके अतिरिक्त, हम कई लोगों ने कुछ नई ट्रेन चालू करने के सम्बन्ध में आपके पास जो रिप्रेजैन्टेशन दिया था, उस पर भी अमल होना चाहिये। यहां एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अहमदाबाद से बम्बई के बीच सरदार एक्सप्रेस चलाने की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कोचेज भी आ गये थे, लेकिन न जाने किस कारण से उसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि सरदार एक्सप्रेस को आप अविलम्ब शुरू करा दीजिये।

सभापति जी, मैं यहां गुजरात से आता हूं और गुजरात में कई सालों से यह फीलिंग है कि वैस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर बम्बई से शिफ्ट करके अहमदाबाद में बना दिया जाये। यदि इस काम में देरी हो सकती है तो कम से कम अहमदाबाद को डिवीजन तो बना दीजिये। एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यदि भोपाल और अम्बाला को डिवीजन बनाया जा सकता है तो उसी आधार पर अहमदाबाद को भी डिवीजन बनाये जाने का पूरा औचित्य है। मैं रेल मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद को हैड-क्वार्टर बनाने में यदि देर है तो कम से कम उसे डिवीजन देने का काम तो अविलम्ब कर दिया जाये।

आज बहुत सारे ऐक्सीडैंट्स होते हैं। वैसे रेल मंत्री ने कहा कि ऐक्सीडैंट्स कम होते जा रहे हैं। 1985-86 में 717 ऐक्सीडेंट हुए थे, 1991-92 में 532 हो गए। लेकिन क्या कभी आपने मरने वालों की संख्या देखी है? 1985-86 में 717 में से 77 मरे। ऐसा क्यों होता है? 65 प्रतिशत ऐक्सी-डैंट स्टाफ की वजह से होते हैं, 20 प्रतिशत इक्विपमैंट की गलती के कारण होते हैं। और 1990-91 में 532 ऐक्सीडैंट से 220 मरे। इसके साथ-साथ आज 370.39 लेवल क्रोसिंग हैं लेकिन सिर्फ 15704 में आदमी रखे हैं बाकी खुले हैं। वहां पर जल्दी क्रोसिंग बनवाएं तो बहुत सुविधा होगी।

मैं सूरत क्षेत्र से आता हूं। वह क्षेत्र ऐसा है जिसकी ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। शायद मेरी तरह हर सांसद को अपने दिल में दुख होता होगा। जी० एम०/डी० आर०एम० कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें आदेश दें कि एम० पी० की बात सुननी पड़ेगी और सच्ची कम्प्लेंट को पूरा करना पड़ेगा। जी० एम० और जी० आर० एम० अपने आपको एक मीनिस्टर एम० पी० समझते हैं कई सालों से डी० आर० एम० आता है, जाता है और चला जाता है लेकिन सूरत का क्षेत्र वैसे का वैसा है।

[श्री काशीराम राणा]

पचास साल में सब जगह तरक्की हुई है लेकिन सूरत की तरक्की इतनी आबादी होने के बाद भी नहीं हुई है। हमने कहा पूर्वी दिशा में ईस्टर्न साइड पर स्टेशन खोला जाए। 3-4 साल से बात हो रही है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वहां से शुरू की गई। शुरू में कहा कि दो दिन के बदले चार दिन चलेगी, इलाहाबाद से वह ट्रेन चलाएंगे लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही करने का फैसला नहीं किया है। इसके साथ-साथ नौशारी में भी जमीन है, कल चली जाएगी, इंडस्ट्री बढ़ती जाती है, बस्ती बढ़ती जाती है। इसके लिए रेल सुविधा कहां से मिलेगी। वैस्टर्न साइड पर एक स्टेशन का प्रावधान किया जाए।

पिछले बजट में कम्प्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के लिए बताया लेकिन अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। कहा गया कि 77 प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन की सुविधा देंगे लेकिन अभी तक नहीं हुई है। उसे जल्दी किया जाए। सूरत-जलगांव की लाइन को डबल किया जाए। रेल मन्त्री ने जो बजट पेश किया है इसमें शायद मुसाफिरी करने वालों की सुविधा की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। उसकी जेब से और पैसा निकालने की सोची, उसे लूटने की सोची। मैं कहना चाहता हूं कि कमजोर वर्ग, देहाती लोग, सैकंड क्लास में, मंथरगन ट्रेन में आने-जाने वाले मुसाफिरों के लिए इतना ज्यादा बोझा बढ़ा दिया गया है। बड़े आदमी के लिए करें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन छोटे-छोटे जो आदमी हैं उनके ऊपर डाला गया बोझ आप तुरन्त वापिस ले लें।

इसी अनुरोध के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना वक्तव्य पूरा करता हूं।

श्री चम्पूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): सभापति महोदय, भारतीय रेल देश के आर्थिक विकास सामाजिक विकास, औद्योगिक विकास और कृषि विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है। आप देखेंगे कि भारतवर्ष के नक्शे में जहां-जहां रेलवे लाइन है, वहां आर्थिक विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है और कृषि विकास हुआ है लेकिन जहां-जहां रेलवे लाइन नहीं है, वहां-वहां नहीं अभी तक हुआ है।

अभी तक हमारे देश का बहुत बड़ा भाग है, जहां रेलवे लाइनें नहीं हैं। उसमें विशेषतौर से आप नक्शे को देखेंगे तो हिन्दुस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जहां मध्य प्रदेश है, वहां आप देखेंगे कि रेलवे लाइन नहीं है और इसलिए मध्य प्रदेश विकास नहीं कर रहा है जबकि वहां हर कुछ साधन है। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल हमारे देश में एक करोड़ से भी अधिक यात्री प्रतिदिन रेलों से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं इसलिए हमारे देश के यातायात का रेल एक बहुत बड़ा साधन है, हमें इस बात के लिए बहुत खुशी है कि हमारे मन्त्री ने आवश्यक 15 वस्तुओं में जो भाड़ा लगता है, उसको बिल्कुल हटा दिया है, जो कम भी भाड़ा रखना था, वह भी नहीं रखा है, इसके लिए हम समझते है, मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

मन्त्री महोदय ने इस रेल बजट में एक महत्वपूर्ण दिशा दी है, वह यह है कि देश में जो मीटर गज रेलवे है। हमारे देश में 23 हजार किलोमीटर मीटर गेज रेलवे लाइन है, 40 साल में पहली बार

इस बजट में इस बात का प्रयत्न किया है कि अधिक से अधिक मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में बदला जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साल इस रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 133 करोड़ की व्यवस्था थी लेकिन इस साल इन्होंने उसे बढ़ाकर 554 करोड कर दिया है, इसके लिए मैं सचमुच में उनको बधाई देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में अभी 65,367 किलोमीटर कुल रेलवे लाइन है, जिसमें से 23,419 किलोमीटर मीटर गेज है और 4068 किलोमीटर नेरो गेज है। इसके लिए हमारे रेल मन्त्री जी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6000 किलोमीटर मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने के लिए काफी पैसा मांगा है और इस साल इन्हें 554 करोड़ रुपया मिला है।

एक किलोमीटर मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने में 50 लाख रुपया खर्च होता है और उसके लिए 10 हजार व्यक्ति एक दिन काम करते हैं, तब एक किलोमीटर मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जा सकता है इसलिए इन दिनों में हमारे देश के बहुत अधिक लोगों को काम मिल सकेगा। पढ़े-लिखे लोगों को तो नहीं लेकिन अन्य दूसरे लोगों को मिलेगा।

लेकिन ठीक इसके विपरीत नई रेलवे लाइन बिछाने और रेलवे ट्रैक को डबल करने में धन कम कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि धन की कमी है इसलिए किया है लेकिन हमको इस बात को महसूस करना चाहिये कि जब तक हमारे देश में अधिक से अधिक रेलवे लाइनें नहीं बिछ जाएंगी और सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक नहीं किया जाएगा तो देश के विकास में काफी बाधा होगी इसलिए सरकार को भी इस बात को देखकर अधिक धन रेलवे को देना चाहिए और रेलवे मंत्रालय को भी चाहिए कि अधिक कर्ज लेकर और विशेष कर्ज लेकर अधिक धन लगाकर इस बात की ओर और ज्यादा ध्यान दे।

इसमें कोई शक नहीं है कि रोलिंग स्टॉक में इसके लिए 1991-92 में 724 करोड़ की व्यवस्था थी, उसको बढ़ाकर 1180 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि रोलिंग स्टाक के कारण से कई दुर्घटनाएं होती थीं, रोलिंग स्टाक रहने से वह नहीं हो सकेंगी। माननीय रेल मन्त्री जी ने माल को ढोने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य सामने रखा है। पहले एक वैगन 1410 टन किलोमीटर प्रतिदिन सामान ढोता था, अब उन्होंने 1450 टन किलोमीटर प्रतिदिन सामान ढोने का लक्ष्य सामने रखा है। इसी तरह से अभी हमारे देश में यात्रियों की संख्या जितनी है, उतनी ही यात्रियों की संख्या अगले साल रहने की आशा है, लेकिन पांच परसेंट बढ़ेगी, जैसी कि अब बढ़ रही है। हालांकि हमारे देश में आज भी रेल ही यातायात का साधन रहा है, सामान ढोने का साधन रहा है, लेकिन अब दिनों दिन यात्रियों के लिए वाहन यानि बस या ट्रक का इस्तेमाल होने लगा है। यात्री बसों से अधिक जाने लगे हैं और साथ ही ट्रकों से अधिक सामान जाने लगा है। इस बात के संकेत हमें अब भी मिल रहे हैं।

जहां तक रेल के फैलाव का प्रश्न है, दुनिया में रेल लाइन का सबसे अधिक फैलाव रूस के बाद भारतवर्ष में है। जैसाकि मैंने अभी बताया, 65,201 किलोमीटर रेल लाइनों का फैलाव है, 37,953 रेलवे कोचेज हैं, 8,590 रेलवे इंजन हैं, 5,58,027 रेलवे वैगन्स है, इतना होने के बावजूद भी रेलों की बहुत कमी है। रेल मन्त्रालय को खासतौर से रेलवे वेगन्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह से चाहे अपने यहां देश में या बाहर यदि कहीं पर बनवाने पड़ें, व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे

[श्री चम्पूलाल चन्द्राकर]

यहां औसतन 13,139 रेलें चलती हैं, जिनमें 7,428 यात्री ट्रेन्स हैं और सात हजार के करीब रेलवे स्टेशन्स हैं। अभी तक हमारे देश में शुरू से अभी तक जो धन रेलवे में खर्च हुआ है, वह 22,200 करोड़ रुपए है और जो पूंजी है, वह 6,125 करोड़ रुपए की है। अब तक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि रेल विभाग ने भारत सरकार के बजट के लिए अनुदान दिया है।

जो इस विभाग में पूंजी लगी है, उसका 10.9 प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार के बजट में दिया गया है। इसके पहले 6,7, 7.3 और 8.1 प्रतिशत हुआ करता था। इसके लिए हम रेल मन्त्री जी को निश्चित रूप से बधाई देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, रेलवे का नैटवर्क डिस्ट्रिब्यूशन जो फैला हुआ है, वह अभी ठीक ढंग से नहीं है। जब तक आप इस रीजनल इम्बैलेंस को दूर नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यदि आप नक्शे में देखेंगे तो मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां एक भी रेल लाइन नहीं है आप जानते है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं और उनमें भी एक बस्तर जिला है, जोकि हरियाणा राज्य से भी बड़ा है। आपको सुनकर अफसोस होगा कि वहां रेल लाइन नहीं के बराबर है। हां, एक जगह रेल लाइन है, जहां पर से आयरन-ओर, कच्चा लोहा, बाहर के देशों जापान आदि में भेजा जाता है। इसके अलावा वहां एक भी रेल लाइन नहीं है। इस बारे में रेल मन्त्री जी से मध्य प्रदेश के सभी संसद सदस्यों ने अनुरोध किया था, इस साल हमें कम से कम एक रेल लाइन दे दीजिए। क्योंकि उसका भी एक कारण है, उसका कारण यह है कि भिलाई का जो इस्पात का कारखाना है वह 1993-94 में समाप्त होने वाला है वहां आयरन ओर नहीं मिलेगा। अगर दल्लीराजा से बेलाडीला, जो बस्तर में है, जहां लौहे की खदान हैं वहां अगर हमने रेलवे लाइन नहीं बिछाया तो हमारे देश का सबसे बड़ा भिलाई इस्पात का कारखाना 3-4 साल बाद बन्द हो जायेगा, लोहा नहीं मिलेगा, इतनी खतरनाक स्थिति है फिर भी रेलवे मन्त्रालय ने इसके लिए कुछ नहीं किया है, इस बात का मुझे सख्त अफसोस है और वह भी कौन सी जगह है, जो आदिवासियों का इलाका है। इस सदन के हरेक सदस्य इसे काम के लिए आवाज उठाते हैं कि आदिवासी हरिजनों के लिए हम सब कुछ करेंगे लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान)

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है, इतना ही नहीं आप जब नक्शे को देखेंगे तो रेलवे में 32 सर्कल्स होते हैं और जो सबसे अधिक आय देने वाला सर्कल है वह बिलासपुर सर्कल कहलाता है, बिलासपुर जो मध्य प्रदेश में और जो बस्तर के पास ही है सबसे अधिक धन वहीं से मिलता है। (व्यवधान) रेलवे का जोन बिलासपुर को कभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश गरीब है, पिछड़े वर्ग वालों का है, हरिजनों का है और आदिवासियों का है इसलिए उसको कभी वहां डिविजन नहीं दिया जाएगा क्योंकि बार-बार इस बारे में कहा है कि बिलासपुर में हमको डिवीजन दीजिए, सबसे अधिक धन वही देता है लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि वहां डिपार्टमेंट का दफ्तर खोल दीजिए, उसके लिए नेम प्लेट तो लगा दिया गया है लेकिन होता कुछ नहीं है। (व्यवधान)

मेरा कहना का मतलब यह है कि वहां डिविजन हेड क्वार्टर नहीं है, वहां जोन नहीं है, वहां

जोन का हैड क्वार्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि बिलासपुर को जोन का हैड क्वार्टर बना दिया जाए और बार-बार यहां से कहा गया कि हमने भर्ती के लिए यहां एक केन्द्र खोला है लेकिन भर्ती के लिए वहां पर अभी तक कोई केन्द्र नहीं खोला है। (व्यवधान) आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे इस बात पर ऐतराज नहीं है कि कलकत्ता में चाहे 6 हों लेकिन मुझे वहां पर एक चाहिये, बिलासपुर के लिये, अब वह कहीं से लाएं, इसके लिए मैं क्या करूं। (व्यवधान) तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जोन जो है, बिलासपुर में अवश्य होना चाहिए, इतना ही नहीं हमारे यहां अभी देखा गया है कि रेलवे में जो भर्ती होती है उसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। अभी भोपाल में कुछ दिनों पहले रेल की भर्ती के लिए परीक्षा प्रारम्भ हुई, उसका जो प्रश्न-पत्र है वह कहीं दो हजार में, कहीं आठ हजार में बेच दिया गया और इस तरह से वहां पर भर्ती में कितना गोलमाल हुआ है। रेल मन्त्री जी, मैं समझता हूं कि खास तौर से इस ओर विशेष ध्यान दें, भले ही यह कहीं और कोई बात कर रहे हों किसी से, मेरा अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें। रेल मन्त्री जी, आप इस ओर विशेष ध्यान दीजिये कि वहां पर भर्ती में कितना घोटाला हुआ है, इस तरह से रेल में भर्ती में बहुत घोटाला हो रहा है और यहां तक कि भिलाई में रेलवे मन्त्रालय ने वहां पर बहुत जगह रेलवे में ले लिया है लेकिन जिन किसानों की जमीन गई है उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी है। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि आपने जमीन तो रास्ते में किसानों से ले ली लेकिन उनके बच्चे जो पढ़े-लिखे हैं, जो योग्य हैं उन्हें भी नौकरी नहीं देते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अन्याय होता है।

हरिजन क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, रेल मन्त्री जी उधर जाते नहीं है। कभी रेल मन्त्री जी उधर जाएं, तब उनको पता चलेगा कि वहां पर लोगों को क्या तकलीफें है। जितने लोगों की जमीनें ली गयी हैं, किसी को भी नौकरी नहीं दी गयी है। वहां के लोग सीधे हैं, भोले भाले हैं, रेल की पटरी पर बैठ कर हड़ताल नहीं करते है, यदि वे ऐसा करें तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। भिलाई एक ऐसी जगह है जहां उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो वहां से गुजरना पड़ता है, लेकिन चूंकि वे लोग हड़ताल नहीं करते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा अनुरोध है कि रेल मंत्री जी इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, रेलवे में 3 मुख्य चीजें हैं। इसमें शक नहीं है कि रेलवे में 16000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। लेकिन अगर सरकार अनावश्यक खर्च को 2-3-4 परसेंट भी कम कर ले तो हर बार रेलवे माल भाड़ा और यात्री किराया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर बार कमी की पूर्ति करने के लिए माल भाड़ा और यात्री भाड़ा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इस ओर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। अगर अनावश्यक खर्च को कम किया जाये, मेंटीनेंस की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि कम्पन्सेशन न देना पड़े दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसी तरह से रेलवे कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन चीजों की ओर जब तक रेलवे विभाग ध्यान नहीं देगा, तब तक हमारा अनावश्यक खर्च जारी रहेगा। इसी तरह से बहुत सी गाड़ियों को कम समय में पहुंचाया जा सकता है और लोगों का पैसा बचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का समय 28 घण्टे का है, उसको कम करके 23 घण्टे किया जा सकता है। इस तरह की और भी रेलें हैं, सब का

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

अध्ययन तो मन्त्री महोदय नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे विभाग के अधिकारियों को इस तरह की सारी रेलों का अध्ययन करके इनमें सुधार करना चाहिए। सिर्फ यह कह देने से कि हम शताब्दी एक्सप्रेस को इतने कम समय में पहुंचा देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि इस ओर रेलवे मन्त्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि यात्रियों को कम समय में गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके।

सभापति महोदय, हमारे रेल कर्मचारी अपने अपने ढंग से अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी यूनियनें भी बनी हुई हैं, लेकिन जहां तक पिलफेरेशन का सवाल है, चोरी का सवाल है, उसको रोका जाना चाहिये। इस तरह से वेस्टेज को बहुत हद तक रोका जा सकता है।

सभापति महोदय, 15 नई रेलें चलाई गई हैं और सिकन्दराबाद से बंगलौर तक राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई है, यह बहुत खुशी की बात है। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि सेकण्ड क्लास में जो किराये में बढ़ोतरी की गई है, यह कुछ अधिक है। मेरा अनुरोध है कि रेल मन्त्री जी इस पर विचार करें और हो सके तो इसमें कुछ कमी करें। इसमें शक नहीं है कि इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए, जो कि अभी 10084 किलोमीटर रेलवे लाइन का है, और अधिक इलेक्ट्रीफिकेशन करने के लिए, नई रेल लाइनें बिछाने के लिये, मीटर गेज से ब्राड गेज में कन्वर्जन के लिये धन की आवश्यकता है और विकास किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि ऐसे क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये, इसी साल या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में भिलाई की ओर अवश्य ध्यान दिया जाये, नहीं तो वहां का लोहे का कारखाना बंद हो जाएगा, अगर वहां पर रेलवे लाइन नहीं दी गई। वहां पर तत्काल रेलवे लाइन स्वीकृत करनी चाहिए अन्यथा उस क्षेत्र पर इसका बहुत विपरीत असर पड़ेगा।

आपने एक निर्णय भोजन व्यवस्था के निजीकरण का किया है, अभी हमारे साथी राणा जी कह रहे थे कि इससे घटिया खाना मिल सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि आपने जब निर्णय लिया है तो इस ओर भी आप अवश्य ध्यान देंगे।

एक काम और बहुत अच्छा किया है, जो व्हील और एक्सल हम आयात करते हैं। उसके लिए इन्होंने एक निजी कम्पनी को, निजी कारखाने को, निजी व्यक्ति को कारखानों लगाने के लिए अनुमति दी है, जिससे कि व्हील और एक्सल हमारे देश में बनने लगे। तो 100 करोड़ रुपए का जो हम आयात करते हैं, वह आयात रुक जायेगा। यह अभी इन्होंने अच्छा निर्णय किया है कि प्राईवेट कम्पनी को यह काम दिया है। इसी तरह से अगर हो सके तो कोच और वैगन भी ज्यादा बढ़ाने के लिये इस तरह के फैसले लें। मैं आशा करता हूं आप इसको भी बढ़ायेंगे।

हमारे राणा साहब ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि वे ऐसा करते थे, वैसा करते थे। मुझे खुशी है कि बी०जे०पी० वालों ने भी महात्मा गांधी की महानता को स्वीकार किया। मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

मालगाड़ी में जो डिब्बों की कमी है, उसके लिए मुझे आशा है, चाहे वह किसी तरह से हो,

चाहे निजी कम्पनियों में बनने चाहिए, चाहे अपने आप बनाएं, अधिक कोच और अधिक वैगन की ओर भी तत्काल ध्यान दें। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, जिसके कारण उस क्षेत्र की प्रगति नहीं हो रही है वह आदिवासी क्षेत्र हैं —मध्य प्रदेश में भी दो-तीन आदिवासी जिले हैं, जहां रेलवे लाइन नहीं हैं—रायगढ़ और बस्तर का इलाका है। इस तरह से देश का चहुमुखी विकास नहीं होता, रीजनल इम्बैलेंसिस हो जाते हैं। रेल मंत्री, जो अनुभवी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, मैं विशेषतौर से इनसे अनुरोध करता हूं कि उस क्षेत्र में नयी रेलवे लाइन लगाने के लिए तत्काल इसी समय निर्णय लें और उसके लिए टोकन ग्रान्ट दे दें। यह कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

4.00 प० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं रेल बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं। सबसे पहला कारण यह है कि इस साल 1366 करोड़ रुपये की जो अधिक वसूली करने का फैसला माननीय मन्त्री जी ने किया है मेरी अपनी राय में वह बहुत ज्यादा है। मेरी परेशानी यह है कि दूसरे उपाय रहते हुए, रेल चलाने में जो खर्च बढ़ता है उसको पाने के लिए, दूसरे उपाय रहने के बावजूद रेल मन्त्री जी ने बहुत ही खूबी के साथ बजट भाषण को यहां पर रखा। जिससे यहां सुनने वालों को कम से कम बेवकूफ बनाने में इन्होंने कामयाबी जरूर पायी। विपक्ष के सदस्य भी सदन से बाहर निकलते हुए मुझे बोले कि कुछ कहने जैसा है क्या मैंने कहा—

[अनुवाद]

उन्होंने बड़ा हाथ का कमाल करके दिखाया।

[हिन्दी]

चूंकि ऐसा बेवकूफ बना दिया सदन को कि लोग समझे कि कुछ अच्छी चीज आ गयी है। लेकिन बाहर जाने पर लोगों को पता चला। बम्बई में 37 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम हुआ है। सामान्य लोगों पर, दया दिखाने की बात की थी। उसमें भी दया नहीं थी। जब तथ्य निकालने में गए तो यह पता चला कि जितना बड़े लोगों से वसूल किया है लगभग उतना ही सबसे गरीब से भी वसूल किया है। मगर यह जो मैंने कहा, यह सबसे पहला कारण है। इस बजट का विरोध करने के जो कारण हैं, वे इससे ज्यादा बुनियादी है।

पहली बात यह है कि मैं मानकर चल रहा हूं कि अब हिन्दुस्तान की जो व्यवस्था है, चूंकि सरकारें आती है, जाती हैं, लेकिन व्यवस्था यहां पर बनी बनायी है, जिसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है, उसका सामना, मुकाबला नहीं कर पाया है। उस व्यवस्था के रिश्ते आई० एम० एफ० के साथ भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी होते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन यहां पर लोग बड़ी मजबूती बैठे से रहते हैं। केवल सरकार के भीतर ही नहीं हैं सरकार के बाहर भी हैं। इस देश की व्यवस्था ने यह तय किया है कि रेल का जो इंफास्ट्रक्चर है इसको जितना कमजोर किया जा सकता है उतना कमजोर

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

हम लोगों को करना चाहिए। मन्त्री महोदय के बस का नहीं है कि वे भी इसको रोकने काम कर सकें। मैं यह अनुभव से कह रहा हूं।

4.02 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसकी बारीकी में चर्चा नहीं करूंगा बल्कि कुछ मसलों पर बारीकी से चर्चा करूंगा। दो सबूत सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला सबूत पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक का है। इन योजनाओं में रेल को पहले जो प्रधानता थी वह लगभग नहीं के बराबर हो गई है। अब रेल आपके नियोजन के ढांचे में नहीं आती है। पहले यह मंजूर था कि रेल का विकास करना और इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाना और बढ़ाना। यह देश के विकास के लिए महत्व रखता है। अब रेल का महत्व उनकी आंखों के सामने नहीं है। अगर आप नियोजन के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक के नियोजन के लिए रेल पर जो पूंजी लगती है, कुल नियोजन को आप देखने जायेंगे तो पता लगेगा कि उसमें से कुछ बचा नहीं है। इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा जुमला है। इस साल आपको प्लानिंग कमीशन से 1200 करोड़ रुपया बजटरी सपोर्ट मिला है। 5500 रु० करोड़ रुपए का आपका प्लान है लेकिन आपको मात्र 1200 करोड़ मिला है। कहां से कहां रेल को उतारा गया। थोड़ी जानकारी आपके सामने रखकर मैं अगले मुद्दे पर जाऊंगा। रेल के विकास के लिए जो आवश्यकता थी तो उसमें से 34 प्रतिशत आपने बजटरी सपोर्ट के माध्यम से दिया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 72 प्रतिशत, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत दिया था और आज हम लोग 21 प्रतिशत पर आकर पहुंचे है, 1200 करोड़ रुपया यानि 21 प्रतिशत। मंत्री जी ने अपने नियोजन मंडल के लोगों को अपने भाषण के दौरान खुश रखने की कोशिश की है। आप निराश होंगे। आपको खुशी में रहने के लिए वे आपको मौका नहीं देंगे। आपको जो 1200 करोड़ मिला, यह भी अगर मिला यह साल पूरा होने तक तो आप अपने को धन्य समझिए। उनसे अपेक्षा मत कीजिए कि वे आपको हमड़ी देने का काम करेंगे। इसमें दूसरा पहलू यह है कि रेल चलाने पर खर्च कितना पड़ता है, वह रेल मंत्रालय पर फिलहाल नहीं है। रेल मंत्रालय पर या रेल मंत्री पर सदन के बाहर या सदन के अन्दर जो आदत होती है, उसमें दम नहीं है। तेल का दाम कितना बढ़ेगा तो रेल मंत्रालय तय नहीं करेगा। रेल मंत्रालय का कर्मचारी महंगाई भत्ते के साथ जुड़ा है तो वह न तो कर्मचारी तय करेगा और न रेल मंत्रालय तय करेगा। लोहे का दाम कितना बढ़ेगा। जो आवश्यक चीज है पटरी से लेकर डिब्बे तक वह भी रेल मंत्रालय तय नहीं करेगा। रेल मंत्रालय पर जो बोझा है और जिस बोझ के बारे में हम जमाने से कहते आए हैं तो उसको हम सोशल कास्ट बोलते हैं। यह कितना होगा, मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान नहीं बताया है। पिछले साल 2225 करोड़ रुपया सोशल कास्ट के तौर पर रेल मंत्रालय ने खर्च किया और किन-किन क्षेत्रों में है, इसको देख लीजियेगा। 1808 करोड़ रुपया—

[अनुवाद]

कोच सेवा की हानि, उपनगरीय और शहरी मंत्री, पार्सल सामान आदि क्षति।

[हिन्दी]

यात्री जो मुसाफिर थे और जो न जाने वाले लोग हैं इस देश में, उनके टिकट, लगेज और पार्सल आदि चीजों का पैसा हम लोग दे रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक रेल को नहीं देखा हो तो यह सोशल कास्ट का 1808 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान का नागरिक दे रहा है तो केवल पैसेन्जर पर और उसके साथ जुड़े पार्सल और लगेज इत्यादि पर। फूड ग्रेंस में 210 करोड़ रुपए रिकार्ड किए। जहां तक मेरी जानकारी है लोहे का एक्सपोर्ट सरकार करती है, हो सकता है निजी कम्पनीज भी करती हों। एस० टी० सी० और एम० एस० टी० सी० के अलावा और भी कम्पनीज करती हों। अब तो उदारिकरण शुरू हो गया है। जो लोहा आप रेलवे में लाने-ले जाने का काम करते हो, निर्यात करने के लिए उनको आप प्रोत्साहन दोगे, जो निर्यात करेगा उसको पैसा देंगे और बाद में सफेद करने के लिए कानून भी आपने बना दिया है इस सदन में एक नहीं दोबार हिन्दुस्तान के गरीबों से वसूल करोगे, कितना करोगे 62 करोड़ 99 लाख रुपये, पिछले साल रिवर्स फलो है, इसकी सब्सिडी रेल की तरफ से दी जायेगी नमक पर, गन्ने पर तथा अन्य जो चीजें हैं उन पर। कुल मिलाकर 2227 करोड़ रुपये पिछले साल आपने सोशल कोस्ट्स में डालने का काम किया। उधर आप सरकार को देते हो। कितना पैसा इस साल देना है, आपने कहा कि इस साल हम देंगे मुनाफे के तौर पर, डिवीडेंड के तौर पर 1200 करोड़ रुपये। इस साल के बजट में मंत्री महोदय ने तो आगे जाकर कहा है कि हम न केवल 1200 करोड़ रुपये का डिवीडेंड देंगे, बल्कि जो पहले का देना था, वह 460 करोड़ जो बनता है, वह भी देंगे। कुल मिलाकर इस साल देश की सरकार रेल के विकास के लिए देगी 125 करोड़ रुपया और रेल हिन्दुस्तान की सरकार को देगी सोशल कोस्ट्स और डिवीडेंड का कुल मिलाकर चार हजार करोड़ रुपया। रिवर्स फ्लो हो रहा है। सरकार रेल की मदद नहीं कर रही है, रेल सरकार को चलाने में मदद कर रही है। इसको लोक समझ में नहीं पा रहे हैं। जबकि यह तथ्य है। इसीलिए हम अपनी परेशानी को व्यक्त कर रहे हैं। इस पर एक बार निर्णय होना चाहिए मैं केवल रेल के हित से नहीं कह रहा हूं, न ही मैं रेल मजदूरों के हित के दृष्टिकोण से कहा रहा हूं। क्योंकि मेरी मान्यता है कि रेल हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा इंफास्ट्रक्चर है। हमने एक बार 1974 में इसको बन्द किया था पहली बार, उस समय साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये घाटा गया था।

[अनुवाद]

यह रेलवे की शक्ति है। जहां तक इस देश के भूलभूत ढांचे के विकास का सम्बन्ध है उसमें रेलवे का प्रभाव और महत्व है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन यानि सरकार रेल की समस्या को तत्काल हल करे। मैंने कहा है कि हम सरकार के बजट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा समर्थन चाहिए तो इसको दुरुस्त करो। आज सुबह यहां पर एक प्रश्न था जर्मनी के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के बारे में और उनसे चर्चा के बारे में। उनसे पूछें कि पिछले साल जर्मनी में रेल जो कि

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

सरकारी विभाग है कितने करोड़ रुपये उसको यहां की सरकार ने दिए हैं घाटा भरपाई करने के लिए। मैं आपको बताता हूं, 30 हजार करोड़ रुपए। आपकी कुल आय है 15 हजार करोड़ रुपए। जर्मनी की सरकार ने पिछले साल 30 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था रेलवे के लिए की है।

[अनुवाद]

यह समाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और यह देखने के लिए है कि लोगों से समुचित उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

यह केवल जर्मनी का उदाहरण नहीं है। जिन देशों की सोच के आधार पर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बातों के आधार पर हम यहां सब कुछ कर रहे हैं, आई० एम० एफ० ने हम लोगों की रोटी पर से सब्सिडी निकालने के लिए मजबूर किया, किसानों की खाद पर से सब्सिडी लेने के लिए मजबूर किया, उस आई० एम० एफ० के मालिक देश जो हैं उन मुल्कों में जो गरीबी है···हमारे रेलवे बोर्ड के जो मैम्बर्स हैं, मिनिस्टर हैं उनकी गरीबी के बराबर है। वहां के साधारण आदमी की गरीबी इतनी है। अगर उन देशों में ब्रिटेन में, अमरीका में, जापान में, फ्रांस में, इन तमाम बड़े मुल्कों में अगर अपने-अपने यहां रेल की हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर अपनी रेल व्यवस्था को देश सेवा में और देश के निर्माण कार्य में इस्तेमाल में लाई जाती है। तो फिर हमारी बात नहीं माननी है, जिनके कहने पर बजट बनाते हैं, उनकी बात तो माननी चाहिए और हम चाहेंगे कि इसे दुरुस्त करने का काम माननीय मंत्री महोदय अवश्य करेंगे यदि हमारा समर्थन इस बजट में चाहते है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का घोर विरोध करने का एक कारण और भी है कि यहां पर आई० एम० एफ० का नाम ले लिया है। आप जानते हैं कि रेल इस देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है जिसे आहिस्ता-आहिस्ता बरबाद करने का फैसला किया है। उसमें मैं मंत्री जी को माफ नहीं करूंगा। क्योंकि आपने इसे डिस्मेंटल करने का सिलसिला शुरू किया है, उसमे समय लग जायेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगले साल से पटरी निकालने का काम करें लेकिन जो निजीकरण का सिलसिला शुरू किया, पिछले बजट से कंजरवेंसी, सेनिटेशन का शुरू किया है, इस बजट में आपने और ज्यादा हिम्मत की कि हम कैटरिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, रेल से हटाकर ठेकेदार की तरफ पहुंच गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं कोटा में गया था, रेल से उतरा तो रेल मजदूरों से पूछा कि कैसे चल रहा है तो जवाब मिला कि दो हजार मजदूर कम हो गये है। मैं मुगलसराय में था, वहां भी यही सवाल था कि लोग हटाये जा रहे हैं। 9 मार्च के एकनामिक्स टाईम्स में एक खबर पी० टी० आई० की छपी है, यह देश के सारे अखबारों में छपी है। इस खबर मे बहुत कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

रेलवे भर्ती में प्रति वर्ष 20,000 तक की प्रति वर्ष कटौती—प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया।

[हिन्दी]

और बहुत सी चीजें कही हैं पर मैं सब चीजों की चर्चा नहीं करूंगा परन्तु हर वर्ष बीस हजार के हिसाब से पांच वर्षों में एक लाख आदमी हट जायेंगे। इस तरह से यह एक अजीब किस्म की बात होती है।

"यह प्रस्ताव है" उन्होंने कहा।

[अनुवाद]

उनका तात्पर्य सरकारी स्रोत है।

यह किसी मन्त्रालय या व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं है। यह सरकारी स्रोत है यह औपचारिक रिपोर्ट है।

[हिन्दी]

हालत यह कि रेलवे के अन्दर 40 प्रतिशत कर्मचारियों को खत्म करने की खबर 28 सितम्बर, 1991 को छपी थी और मैंने बाकायदा पत्रकारों को बुलाकर यह बात उनसे कही कि राईट्स की रिपोर्ट है लेकिन मैंने कहा कि नहीं तो रेल मन्त्री की ओर से एक छोटा सा बयान निकला था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप अपने मन्त्रालय के जो पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट है, उनके पास अखबार की कतरनें होंगी, उनसे पूछिये।

[अनुवाद]

यह राईट्स की रिपोर्ट नहीं है। यह राईट्स के आवरण में विश्व बैंक की रिपोर्ट है।

सरकारी स्रोत में यह पता चला है कि :

"गत वर्ष राईस द्वारा किए गए एक अध्ययन द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि रेलवे में सन् 2000 के अन्त तक 40 प्रतिशत तक अपनी श्रम शक्ति को कम करके सुव्यवस्थित बनाया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह सितम्बर, 1991 में रिपोर्ट आयी थी। मैंने इस पर बहुत गुस्से का प्रतिकार किया था। रेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिपोर्ट "राईटस" की नहीं है तो हम मांग कर रहे हैं

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

कि यह रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखना चाहिए और इसे रखिये। मैं इस रिपोर्ट का इतिहास देता हूं। 1980 के दिसम्बर माह का किस्सा है :

[अनुवाद]

डेविड हापर तत्कालीन विश्व बैंक के वाइस प्रेसीडेण्ड जो बाद में विश्व बैंक के कार्यकारी वाइस प्रेसीडेण्ड थे।

वे दिल्ली आये। एक संसद सदस्य के माध्यम से हमने सम्पर्क किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस संसद् सदस्य के घर पर खाना खाने गया। तीन घण्टे तक हमारी बातचीत हुई। बात की शुरुआत की गई कि हमने कोका कोला क्यों हटाया, हमने बताया कि इसलिए। तब पूछा कि आई० बी० एम० क्यों हटाया, मैंने बताया कि इसलिए। ऐसी ही बातचीत हो रही थी जैसे दोस्त के बीच में बात होती है क्योंकि वह कोई आई० एम० एफ० या वर्ल्ड बैंक का आफिसर नहीं था। हमने मजाक किया था। तब एक बात डेविड हापर ने कही :

[अनुवाद]

डेविड हापर ने कहा कि :

"श्री फर्नान्डीज, आई०बी०एम० भारत में वापस आ रहा है।"

"मैंने कहा, "जब तक मैं यहां हूं तब तक नहीं।"

फिर उन्होंने कहा, "आपने रेलवे विभाग के 800 करोड़ रु० के ऋण के लिए अनुरोध किया है हमने उन्हें बताया कि यदि वे आई०बी०एम० कम्प्यूटर का उपहार स्वीकार करते हैं तो हम उनका ऋण स्वीकृत कर देंगे।"

[हिन्दी]

यह उन्होंने एक बात हमसे कही और वहां से शुरूआत हो गई। मगर दूसरी बात उन्होंने हमसे ज्यादा मजेदार कहीं और इसके दस्तावेज हैं मेरे पास। हमने उस वक्त यूनियनों को लिखा था। वह हमसे बोले—

[अनुवाद]

"विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के कार्य संचालन पर एक प्रतिवेदन तैयार किया है। अथवा रेलवे विभाग एक मिलियन और छः सौ हजार कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही है जो संख्या इस समय कार्यरत है।"

यह बात दिल्ली में एक सांसद के घर में डेविड हूपर ने कही। उस समय हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री जार्ज वरगीज उपस्थित थे।

[हिन्दी]

तो मैंने कहा कि आपने कब रिपोर्ट बनाई ?

[अनुवाद]

"हमारे पास रिपोर्ट है। हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपका रेलवे वर्तमान 9,50,000 कर्मचारियों के 40 प्रतिशत कम कर्मचारियों द्वारा चलाया जा सकता है।"

[हिन्दी]

और वह रिपोर्ट आज हमारी आ रही है। क्यों इतने साल ये लोग नहीं लाए, इसी बात का मुझे आश्चर्य होता है। आज आई०एम०एफ० की इतनी पकड़ हमारे देश के ऊपर हो गई कि उस रिपोर्ट को चाहे जहां रखें, मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं हो सकती। हालांकि मालूम हो भी सकती है और फिर भी नहीं बोलेंगे चूंकि सरकार को बचाना मन्त्रियों का काम है। सरकार के गलत काम पर भी न बोलना मन्त्रियों का काम है। जब पेप्सी कोला हमारी सरकार लाई तो हमने अन्दर खूब झगड़ा किया और बाहर भी किया, लेकिन सपोर्ट नहीं किया, अपोज किया। आखिरी क्षण तक अपोज किया। हमने रेलवे में आने से रोक दिया। अदालत में ले जाने की बात हो गई। मैंने केवल मन्त्रियों को जो परेशानी होती है उसके बारे में एक बात कही है। इसलिए वह सिर हिलाते हैं तो उनकी मजबूरी मैं समझता हूं लेकिन यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आज मुझे आश्चर्य होता है कि जब वे कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"प्रस्ताव, जो "उन्होंने बताया," 'उन्होंने' का आशय रेल बोर्ड में रेलवे के अधिकारिक सूत्रों से है....."रेलवे के कार्यकरण व्यय को कम करने के लिए शुरूआत की गई है क्योंकि वार्षिक व्यय का लगभग 52 प्रतिशत कर्मचारियों और प्रशासकीय प्रमुखों के वेतन भुगतान पर व्यय हो जाता है···।"

[हिन्दी]

यह गलत है। यह आपका बजट दस्तावेज है मन्त्री जी, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आपके सोर्सेज हैं, रेल के अन्दर उनको बोलिए कि रात को सारी चीज करने से पहले

[अनुवाद]

वर्ष 1992-93 के लिए रेल बजट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन: तालिका सात दर्शाती है कि रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। कर्मचारी पारिश्रमिकों और अन्य भत्तों का और उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

इसको पढ़ ले और इधर आपने चार्ट देकर बताया है कि 33 पैसे कर्मचारी वेतन तथा अन्य भत्ते तो 52 कैसे हो गए ? कर्मचारियों को मारने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए कुछ भी चलायेंगे ये लोग। जैसे हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। मान लीजिए, कल इस पर कोई अफसर बोल सकता

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

है। वह बोल सकता है कि साहब, इधर पेन्शन फंड है—रुपए में से 8 पैसे। जो लोग काम करके गए हैं उनको भी आप मारेंगे। उनको भी रेलवे के एक्सपेन्डीचर में जोड़ेंगे। कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए। मान लीजिए वह आठ पैसे भी जोड़ेंगे तो 41 हो गया। इसलिए साल के कुल बजट में अगर अफसरों को कहोगे कि वेतन और इसकी कुल मात्रा निकालकर दे दो, तो उसका 41-42% कर्मचारियों पर जा सकता है और क्यों नहीं जाएगा ? रेलवे कोई रॉ मैटीरियल खरीदकर उसके ऊपर प्रोसेस बनाने वाली चीज नहीं है।

[अनुवाद]

यह एक सेवा संगठन है।

[हिन्दी]

जैसे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में कहा जाता है। बड़े लोग कहते हैं महानगर पालिका अपने बजट का 80% कर्मचारियों को देता है। और किसको देगा ? अफसरों को देगा, सरकार को देगा, सेठ-साहूकारों को ठेकेदारों को देगा ? झाड़ू लगाता है मजदूर, उसको नहीं दोगे 80% तो किसको दोगे ? लेकिन यह कहा जाता है कि

[अनुवाद]

कर्मचारियों पर 80 प्रतिशत व्यय होता है।

[हिन्दी]

और कोई नहीं मिलता है उनको बदनाम करने के लिए ?

[अनुवाद]

रेल और उसका उपयोग करने वालों के बीच लाभदायक सम्बन्ध हों।

[हिन्दी]

बात यहीं खत्म नहीं होती है बल्कि असली बात आगे है, चूंकि अपने भाषण में भी आपने कहा है—ओन यौर ओन वैगन, ओन यौर ओन कन्टेनर-नामक स्कीम आप ले रहे हैं। उसी दिन मैंने एक लेख लिखा था क्योंकि इस शहर के एक बड़े अखबार ने मुझसे कहा था कि रेल बजट के ऊपर आप हमें तत्काल कोई लेख लिखकर दें। मैंने कहा कि मैं लिख कर दे दूंगा। मैंने उस वक्त भी कहा था :

[अनुवाद]

अपना वैगन रखें, अपना कंटेनर रखें, यह प्रस्ताव सभी रेक व्यवस्था के सौंपे जाने की पूर्वगामी क्रिया है।

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : मैं आपके प्रस्तुतीकरण की कला से सहमत हूं।

[हिन्दी]

मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह कन्टेनर और वैगन तक ही सीमित नहीं रहेगा, रेल की रेल,

रेक की रेक, चला जाएगा। आपने इस सदन में रेलवे बजट 24 या 25 फरवरी को पेश किया था, उसके बाद 29 फरवरी का आपका विज्ञापन क्या कहता है, वे ऐपर्टस किस लिए हो रहे हैं, मेरा लेख बजट पेश होने के बाद का है।

[अनुवाद]

इसमें आगे यह बताया गया है कि संसाधनों की अत्यधिक कमी की परिस्थितियों के अन्तर्गत आर्थिक एवं व्यापार नीतियों को नया रूप देने लिए के सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल के संदर्भ में प्रयास किया गया है। इसका तात्पर्य विश्व बैंक और आई०एम०एफ० की शर्तों से है।

[हिन्दी]

इसलिए अभी जिस तरह से लोग चला रहे हैं और यह कहा जाता है।

[अनुवाद]

'राइटस' (आर०आई०टी०ई०एस०) रिपोर्ट की सिफारिशों को रेल मंत्रालय ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

इसलिए मंत्री जी, मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट को आप···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरू किया है। मेरी प्रार्थना है कि उस रिपोर्ट को आप सदन के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था करें। यदि मैं इस बात को भी कहूं और मेरी अपन राय है कि रेलवे के अन्दर कर्मचारिमों की छंटनी बड़ी मात्रा में होगी तथा अगले 5-7 सालों में हिन्दुस्तान की रेलवे में काम करने वाले लोगों की संख्या मुश्किल से 10 लाख रह जायेगी। इसका सबूत रेल मन्त्री जी का वह भाषण है, जिसे मैं यहां फिर से पढ़कर सुनाना नहीं चाहता, आप सब लोगों ने सुन लिया है और मैं उसे स्वयं दो-दो बार पढ़ चुका हूं। मेरे पास यह 29 फरवरी का अखबार है, जो दिल्ली का है। इसके अतिरिक्त आप हिन्दुस्तान भर के 29 फरवरी के किसी भी अखबार को निकाल कर देख सकते हैं, जिसमें खूबसूरत विज्ञापन इण्डियन रेलवे का प्रकाशित हुआ है। इस विज्ञापन का शीर्षक है :

[अनुवाद]

"भारतीय रेल : भारतीय रेल के साथ अपसी लाभकारी सम्बन्ध बनाएं।"

[हिन्दी]

मैंने इस अखबार को बम्बई में भी पढ़ा, उस समय मैं गोआ में था, वहां भी मैंने इस विज्ञापन को देखा था दिल्ली के तो सभी अखबारों में यह विज्ञापन निकलाही है। आप इसके लफ्जों को जरा देखिए :

[अनुवाद]

भारत सरकार रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा वैगनों के निजी स्वामित्व की पारस्परिकता

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

के क्षेत्र के रूप में पहचान और जांच करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया है उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कार्य संचालन की न्यूनतम इकाई बनाने के लिए अर्थात् रेलगाड़ी भार के लिए सामान्य सेवा वैगनों को खरीद सकता है, जिसका भारतीय रेल द्वारा अपने बेड़े के एक अंग के रूप में उपयोग किया जायेगा। वे इसे खरीदेंगे और इसके स्वामी होंगे लेकिन भारतीय रेल द्वारा इसे अपने एक बेड़े के एक अंक के रूप में उपयोग किया जायेगा और विद्यमान कर्मचारी निकाले जायेंगे। अन्ततः रेलवे के पास केवल रेल मार्ग ही होगा। यहां तक कि रेलवे स्टेशनों का भी निजीकरण किया जा सकता। क्यों नहीं ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इनका निजीकरण किया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रत्येक चीज को निजी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है और उनके पास केवल रेल मार्ग ही शेष बचेगा।

महोदय, इन शब्दों पर ध्यान दें : सम वैगनों की आपूर्ति की गारंटी को सुनिश्चित करते हैं। यहां इसमें कहा गया है कि लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वैगनों का निजी मालिकाना भी रेल प्रयोक्ताओं द्वारा किया जा सकता है जो बाद में रेलवे के साथ एकमुश्त रूप में अथवा भाड़ा छूट के आधार पर द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं।

इस मामले में सम्बद्ध पार्टी को लीजिंग कम्पनियों के साथ पिछली व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रमुख बात यह है कि :

"रेलवे वैगनों के रख-रखाव की व्यवस्था करेगा और शुल्क की वसूली कर उसमें आई लागत को पूरा करेगा।"

[हिन्दी]

रेलवे ठेकेदार बन रही है, ठेकेदारों की।

[अनुवाद]

रेलवे ठेकेदार बनेगा।

[हिन्दी]

तो इसलिए अध्यक्ष जी, हम इस बात से बहुत परेशान हैं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सुबूत दि पेमेंट्स फार ग्राट्स फोर एक्सपेंडी चर आफ दि सेंट्रल गवर्नमेंट आन रेलवे, पार्ट-II के आधार पर देना चाहता हूं यह सिलसिला जारी है—

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा रेलवे पर व्यय के लिए अनुदानों का भुगतान भाग दो : हमें अपने बजट प्रस्तावों के पारित करने के लिए कहा गया था। लेकिन कृपया समझिए कि जब मैं यह कहता हूं कि मैं

आपके बजट का समर्थन करने को तैयार नहीं हूं। कृपया समझिए। यह आपका प्रस्ताव है : अनुदानों की मांगें कर्मचारी विवरण (5.306)मांग संख्या .05—मोटर पावर की रिपेयर और अनुसरण। इससे पूर्व कर्मचारी 1,22,209 थे। यह पिछले वर्ष के लिए था। इस वर्ष, आपने मात्र इसी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या घटाकर 1,16,352 कर दी है।

[हिन्दी]

इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हम आफीसरों की संख्या घटा रहे हैं। आफीसरों की संख्या यहां पर 10805 से 10883 हो गई और कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 22 हजार 209 से 1 लाख 16 हजार 322 हो गई। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह बात ग्रुप "डी" आपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक विभाग के अफसरों की संख्या से पता चलती है। अफसरों की संख्या : 2132! से 21935 हो गई और कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 19 हजार 388 से 1 लाख 13 हजार 682 हो गई। अब यह जो मेरे हाथ में किताब है इसमें से ऐसे उदाहरण मैंने बहुत निकालकर रखे हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। जब भी आप चाहें मैं आपको इसमें से ऐसे उदाहरण निकालकर और दे सकता हूं। इस प्रकार से कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अफसरों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपको यह भी बता दूं ताकि जो तर्क मैं रखूं, लोग उसको समझें कि--

[अनुवाद]

वेतन के रूप में अनुदानों की मांगें, भाग I; मांग संख्या-1—रेल बोर्ड : वेतन ग्रुप ए एण्ड बी एस्टाब्लिशमेंट, 1990-91 : 1,89,21,000 रु०। वर्ष 1992-93 के लिए बजट प्राक्कलन 1,95,04,000 रु० है।

[हिन्दी]

यानि छोटे कर्मचारियों की संख्या जो 3 करोड़ 6 लाख थी वह घटकर 3 करोड़ 71 हजार पर आ गई है।

[अनुवाद]

इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में आप नीचे के लोगों को तंग करना चाहते हैं। पिछले वर्ष रेलवे के सामान्य अधीक्षण और सेवाओं के बजट का प्राक्कलन 2,51,12,11,000 रुपए था। पुनरीक्षित प्राक्कलनों में इसे 251 करोड़ रुपए घटाकर 241 करोड़ रुपए किया गया और चालू बजट में आप इसे 252,64,00,000 रुपये का प्रस्ताव कर रहे हैं।

[हिन्दी]

और यहां पर जो केजुअल कर्मचारी हैं, उनको घटाने का काम ये कर रहे हैं। 54 करोड़ रुपए 1990-91 में परमानेंट वेज एण्ड वर्क्स में केजुअल मजदूरों को जाते थे उसमें 46 करोड़ रुपए, इस साल जाएंगे और इस प्रकार से 8 करोड़ रुपए वहां पर खत्म हो गए। इस प्रकार से मैंने बहुत उदाहरण इसमें से निकालकर रखे हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा आप यहां तनख्वाह घटाने का काम कम

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

कर रहे हैं आपने कर्मचारियों की संख्या घटा दी है और कर्मचारियों की संख्या घटाने के साथ आपने बड़े लोगों की संख्या घटाने का कोई काम नहीं किया है मंत्री जी मेरा निवेदन है कि वे इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि जिस तरह से आप सिर हिला रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन बातों की जानकारी लोगों ने नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज बड़ी मजेदार है जिसे कहना जरूरी है। हर ग्रांट में, डिमांड में महंगाई भत्ता 35% इस साल बढ़ाकर डिमांड किया है। इसका अर्थ हम लोग एक ही मान सकते हैं कि इस साल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बजट का ऐलान होने के बाद कोई हरकत नहीं होनी है, हमारी वजह से दाम नहीं बढ़ेंगे कहा। उसमें कोई दम नहीं है और वित्त मन्त्रालय की तरफ से सदन के भीतर और बाहर जो बजट के बाद कहा गया कि दाम नहीं बढ़ने हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है क्योंकि एक बजट में आपने इस साल रेल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 35% ऐडीशनल ग्रांटस मांगी है।

[अनुवाद]

आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मूल्य आपके नियंत्रण से पूर्णतः बाहर हैं जिसके कारण महंगाई भत्ते में 35% की मांग है।

[हिन्दी]

इस बार मन्त्री जी ने बड़ी बात कही है कि एक नई योजना अम्ल में ला रहे हैं। नई योजना यूनीक कनवरशन की है। पता नहीं श्री आस्कर फर्नान्डीज सदन में हैं या नहीं। उन्होंने 8 तारीख को बंगलौर में मन्त्री महोदय के देखक में और वहां के मुख्यमन्त्री की देखक में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने रेल मन्त्री की तारीफ की और कहा कि लार्ड डलहौजी के स्वप्न को हमारे मन्त्री पूरा करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि लार्ड डलहौजी रेलों के लिए एक जैसी रेल लाइन चाहते थे। यह बात मैंने भारतीय रेलवे के इतिहास का अध्ययन करते समय कभी नहीं पढ़ी। परन्तु यह स्पष्ट है कि श्री आस्कर फर्नान्डीज मेरे से बेहतर विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे के इतिहास का अध्ययन करते समय यह तो अवश्य पढ़ा होगा कि लार्ड डजहौजी एक जैसी रेल लाइन चाहते थे और वे कहते हैं कि रेल मन्त्री लार्ड डलहौजी के सपनों को साकर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

और इसी मेरी आपत्ति है क्योंकि···

[अनुवाद]

लार्ड डलहौजी भारत के लाभ के लिए भारतीय रेल का निर्माण नही कर रहे थे।

[हिन्दी]

हमारे देश के विकास के लिए हिन्दुस्तान में रेल पटरी कैसी हो, क्या हो, इसके लिए वे नहीं सोच रहे हैं। वे देश के शोषण के लिए सोच रहे हैं। लार्ड डलहौजी का स्वप्न हमारी मन्त्री कैसे पूरा करेंगे।

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं कुछ कोम्प्लीमैंट करना चाहता हूं। आपके सामने फिल्म के हीरो, हीरोइन भी हार गए हैं। आप वंडरफुल आर्टिस्ट हैं।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : यह तो मेरे साथ जुल्म है।

मैं एक बड़ी प्रार्थना सदन के सामने करने जा रहा हूं। यह जो योजना मन्त्री जी लाए हैं इस पर मैंने गौर से विचार किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह हमारे रेल के हित में नहीं है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जो भी पूंजी अन्य क्षेत्रों में जानी चाहिए वह इस साल बहुत घटाई है। नई लाइन में दो साल पहले 186 करोड़ था उसे 281 में लाने का काम किया है। इसका मतलब पैसे की उस समय की कीमत को मद्दे नजर रखते हुए देखें तो 25-30% से ज्यादा घटा दिया है क्योंकि रेल पर कुछ विदेशी मुद्रा खर्च करके भी कुछ चीजें लानी पड़ती हैं। वहां पर इतना भारी अवमूल्यन कर दिया तो पैसा ज्यादा हाथ में नहीं रहता है। और आपका गेज कन्वर्शन को लेकर जो तर्क है, जिसमें आपने कहा कि इसमें एक तो आर्थिक विकास है, अब जहां रेल है, छोटी हो, बड़ी हो लेकिन रेल है, कुछ तो है, प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने भाषण में इनका समर्थन किया, मैं जानता हूं और आपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ अपने भाषण में की। आपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की और प्राइम मिनिस्टर ने आपकी तारीफ की, यह हमने देखा है। मगर उसमें हम अभी नहीं बोलेंगे, उस पर हम बाहर बोलेंगे। मैं उस पर यहां नहीं बोलूंगा। मन्त्री जी हमारे दोस्त भी हैं।

तो, उपाध्यक्ष जी, एक तो आपका जो तर्क है कि देश का विकास होना है, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं और मन्त्री महोदय अगले 5-7 दिन में बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार करके यहां पर जवाब देने का काम करें, क्या हिंदुस्तान में जो रेल चलाने वाली जमातें आज तक रहीं, इन लोगों ने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था? क्या यह सही है कि एक कमेटी इस पर बिठाई थी।

[अनुवाद]

जिसका नाम रेल नेटवर्क के विस्तार सम्बन्धी समिति है।

[हिन्दी]

और एक भूतपूर्व रेल बोर्ड के चेयरमैन मिनेसा इसके अध्यक्ष थे, क्या इस कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट दी थी और यह सब दक्ष लोग थे, कोई इसमें ऐसा नहीं है, जिसका राजनीति से, जिसका और चीजों से मतलब हो, जो देश और रेल के हित को मद्दे नजर रखते हुए सोचने वाली जमात है तो क्या ऐसी कोई बात है कि उन लोगों के दिमाग में कभी यह चीज नहीं आई? आज अचानक कुछ आफिसरों के दिमाग में यह बात आई जैसे आप कह रहे हो, आपने अपने भाषण में ही कहा कि आपके आफिसरों ने आपको कहा कि यह सबसे बड़ा उपाय है, यह सबसे बड़ी चीज है और इससे देश का विकास होगा

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

और यह पूरी जिम्मेदारी से इस काम को करेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं और मन्त्री जी आप इस पर गौर करिए और गौर करके हमें बताने की कृपा करियेगा कि जब आपका यह तर्क है कि विकास के साथ यह जुड़ जाएगा तो विकास आज जहां बिल्कुल ही नहीं है, वहां नई रेल ले जाने को प्राथमिकता दी जाएगी या जहां विकास के लिए कुछ गुंजाइश है, छोटी लाइन के चलते भी तो उसी को बड़ा करने की बात चलेगी—नम्बर एक? नम्बर दो—आपने यह भी तर्क अपने भाषण में दिया और प्रधानमन्त्री जी ने इस तर्क को और विस्तार से रोजगार के कितने मैन इयर्स तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं शब्दों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूं तो प्रधानमन्त्री ने उस दिन क्या कहा?

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैनडेज।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैनडेज? यह तो और भी अधिक अनुचित है।

क्योंकि, आप जब करोड़ों मैनडेज की बात करते हो, जब व्यक्तियों के ऊपर आ जाते हो तो फिर 5 करोड़ लोगों को काम मिल जाता है।

[अनुवाद]

प्रति किलोमीटर मैनडेज। अब, आप इसे लोगों की संख्या, मनुष्यों की संख्या के रूप में नियत कीजिए। यह 'मैनडेज' क्या है?

[हिन्दी]

गुमराह करने का यही तरीका है।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप अपने पिछले वर्ष के भाषण से इसकी तुलना कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने अपने भाषण में और मैंने अभी भी नई लाइनों के बारे में कहा है न कि उनके परिवर्तन करने के बारे में। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप अपने भाषण से तुलना कीजिए—रेल मन्त्री के रूप में आपने क्या कहा था और अब आप क्या कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आप आज गेज कन्वर्शन की बात करते

हैं, उस जगह पर अगर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने इस देश का शोषण करने के लिए साल में हजार कि० मी० की नई पटरी बिछाई और हम लोग अपने आजाद हिन्दुस्तान के निर्माण के लिए साल में मात्र 200 कि० मी० की पटरी बिछाने का काम पिछले 40-45 सालों से कर रहे हैं और इसलिए आज मेरी अपनी राय में जरूरत है नई पटरी की और इसलिए यह जो गेज कन्वर्शन पर इतनी भारी रकम को देने का आपने सोचा है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, बहुत सोच विचार करने के बाद इसका विरोध करता हूं। अब जो यह कहना है कि 82 क्या वहां रोजगार पैदा हो जाएंगे, यह जो काम होना है। इस काम पर आपको लगभग 80% नई पटरी बिछाने के लिए जो लागत खर्च है, लगभग इतना खर्च आपको इस पर करना है। इधर पुरानी पटरियां 10 हजार कि०मी० की बकाया है, हर साल दो ढाई हजार कि० मी० की पटरियां आपको नई बनानी हैं। रेलगाड़ी जिस स्पीड से जानी चाहिए, देश के किसी भी कोने में, आज नहीं जा पा रही है और मुझे बहुत परेशानी हो गई, जब अभी इस एलोकेशन को पढ़ा, अभी शायद आपने देखा नहीं होगा, आपके विभाग ने शायद यह बातें की होंगी···

[अनुवाद]

अब मैं मध्य रेलवे के थाना-कल्याण सेक्शन की बात करता हूं। ट्रैक नवीकरण स्लीपर नवीकरण अत्यन्त आवश्यक है। कतिपय सेक्शनों पर अनुमानित लागत दो करोड़ और साठ लाख रुपये है जबकि 1992-93 में इसके लिए केवल दो लाख रुपए का प्रावधान है।

[हिन्दी]

पेज नं० 138, 139, 140, 141 पर यदि आप देखें, तो पूरी की पूरी लाइन दो-दो लाख के प्रोवजीन से भरी हुई है, जबकि आवश्यकता 3.5 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ की है। इस दो लाख के प्रोवजीन से क्या हो सकता है ? अगर पांच करोड़ का काम है और दो लाख ट्रैक रिन्युअल के लिए देते हैं, तो उससे आप किस तरह का ट्रैक रिन्युअल करने जा रहे हैं। मेरे विचार से तो इसमें आप पैसा ही बर्बाद करेंगे। पांच करोड़ की आवश्यकता और दो लाख आप दे रहे हैं, उसमें तो आपके इन्जीनियर, सुपरवाइजरी स्टाफ और उसके साथ एक जीप जाएगी, इस ओवर-हैड एक्सपेन्सेज में ही आप दो लाख खर्च हो जाएंगे। इस दो लाख में तो आफिसरों को ही भेजने का काम होगा।

[अनुवाद]

इस प्रकार के कम से कम सौ कार्य हैं जिनके लिए $1\frac{1}{2}$ करोड़ रु० से $5\frac{1}{2}$ करोड़ रु० तक की आवश्यकता है। जबकि आवंटित राशि केवल 2 से 5 करोड़ रु० तक ही है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : इसका मतलब यह है, कुछ भी लो दो-दो में, दो-दो में।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, आप घण्टी बजा रहे हैं, मैं अपनी बात दस मिनट में समाप्त करने जा रहा हूं। मेरा रेल मन्त्री महोदय से निवेदन है कि ट्रैक के रिन्युअल के लिए कुछ पैसा देने की कृपा करिये। ट्रैक रिन्युअल के लिए भले ही आपने 1249 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है,

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

इंतजाम किया है, दस हजार किलोमीटर जो अभी पड़ी हुई है और हर साल इसमें जो दो-ढाई की जो बढ़ोतरी होगी, अगर आप उसको दुरुस्त नहीं करोगे, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी राणा जी कह रहे थे कि एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। अधिक लोग मर रहे हैं। कारण यह है कि पटरी टूट रही है, पटरी उठ रही है, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। रोजगार निर्माण का जहां तक सवाल है, नई पटरियां बिछाने का जब आप अधिक से अधिक काम करेंगे, साल में एक हजार कि०मी० रेल लाइन बिछाने का काम करेंगे, तो हिन्दुस्तान में साल में सात लाख लोगों को रोजगार आप देंगे। नेताओं के नाम से ही रोजगार का काम होता है, यदि आप जाफर-शरीफ रोजगार योजना करके कोई योजना चलाने को तैयार हों, अगर आप इस काम को अपने हाथ में लें···(व्यवधान)···एक हजार कि० मी० पटरी बिछाना कोई मामूली चीज नहीं है। साल में हजार-बारह करोड़ रुपए की पूंजी उसमें लगेगी, मगर आप सात-आठ लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप कोंकण रेलवे लाइन के बारे में बोलेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उसी पर आ रहा हूं। एक अर्से से यह सिलसिला पड़ा है, बुन्देल कटवा लाइन का, यह इलैक्ट्रिफिकेशन का मामला है। इलैक्ट्रिफिकेशन आप तब कर सकते हैं, जब आप डबलिंग कर दें। फिर इलैक्ट्रिफिकेशन करना आसान हो जाता है। डबलिंग के लिए पैसा, नई लाइनों के लिए पैसा ट्रैफिक रिन्युअल के लिए पैसा, ये सब काम खत्म करके या कम करके आपने जो योजना हाथ में ली है उससे मुझे लगता है कि हमारे लिए परेशानी ही बढ़ेगी। विकास का काम रुक जाएगा और हर चीज में मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं रेल मन्त्री जी से विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

अंतिम मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं, वह दो-तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। रेल में आर्थिक और उसके साथ जुड़े हुए कर्मचारियों का मामला है। एक मामला आज सुबह ही उठाया गया है। आर० पी० एफ० की मान्यता, रेलवे के अन्दर दो मान्यता प्राप्त संगठन है बाकी सब मान्यता बगैर हैं, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पड़े हैं। इन सब चीजों को मध्य नजर रखकर हमने एक फैसला किया था और मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि आप सदन के सभी लोगों को बुलाकर इस पर बात करिए तो जो सब मजदूर संगठन है उनको बुलाकर इस बात को करिए, चूंकि आन्दोलन, अगर मालिक जो चाहे वैसा ही चलेगा तो फिर मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं निकलता है और आप अगर रेलवे बोर्ड की तरफ से इस बात का आग्रह करें और आग्रह है, मैं जानता हूं लिखित है, दो संगठन रहे और एक-दूसरे का मुकाबला करते रहें, आपस में टकराते रहें तो गंदी चीज ठीक हो सकती है, तो प्रजातांत्रिक देश में कहीं भी ऐसी चीज नहीं होती है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि संगठनों के मान्यता के सवाल पर हिन्दुस्तान के इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों की बात को आप मत मानिएगा। आप इस व्यवस्था वाले नहीं हैं, आप उनकी बात को मत मानिए, आप हमारे फैसले को फाड़ डालिए और आप अपने मन से फैसला करिए लेकिन प्रजातांत्रिक चीजों को हिन्दुस्तान में संगठन बनाने का अधिकार अगर मेरे संविधान ने मुझे दिया है तो फिर उस संगठन को कुचल डालने का अधिकार आपको किसने दिया है वह कैसे गया, चूंकि यहां कुचल डालने की

ही बात होती है। (व्यवधान) मान्यवर, जो 14-2 के अन्तर्गत निकाले हुए लोग है (व्यवधान) इस बारे में आपने बहुत दिनों तक हम लोगों को यहां पर ऐसे ही बनाए रखा और आपने अपना फैसला सुनाकर कहा कि इस पर कुछ नहीं होना है, मगर उस पर आपको कुछ करना चाहिए, उन कर्मचारियों के वास्ते करना चाहिए और अगर भविष्य में रेल के मजदूरों का और रेल की व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने की कल्पना हम सब लोग अपने मन में रखते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इस बात को भी आपको हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

तीसरा है भ्रष्टाचार, आप भी इस पर बोले, सभी यह पर बोलेंगे, अपने-अपने ढंग से। भ्रष्टाचार के मामले में, यहां तक कि मैं अपने घर की बात बताता हूं, अभी 14 रोज पहले मेरी पत्नी दिल्ली से कलकत्ता जा रही थी, वह गाड़ी थी राजधानी, ए सी चेयर कार में, 5-7 दिनों के लिए गोपालपुर जा रही थीं। उनके हाथ में एक पेटी थी, अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने एक पेटी उठा रखी थी, जिसमें पैसे, कागजात सब कुछ था, उसके बाद वह पेटी ऊपर रखकर बैठ रही हैं, जिसमें पैसा, दस्तावेज सब कुछ था लेकिन कुछ ही देर के बाद वह गायब था और कर्मचारियों ने उनके साथ जो व्यवहार किया वह तो अलग ही है उसको सदन के सामने रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे व्यवहार लोगों का होता है, इस बारे में मैं यहां पर नहीं बोलूंगा। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की चोरियां एयर कंडीशन स्लीपर, चेयरकार में किसी न किसी के मेलजोल के बिना नहीं होती। अब बात यहां खत्म नहीं हो गई, कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने हमको फोन किया, यहां जिन लोगों से मैं बात कर सकता था उन लोगों से मैंने बात किया, लेकिन अब उसमें कुछ मिलना नहीं था। 7 दिनों के बाद डाक से, चूंकि डाक हमारे घर आती है। (व्यवधान) यानी जो चोरी करने वाले लोग हैं वह ऐसे ही नहीं है वह बहुत ही शरीफ लोग हैं, चूंकि अपने काम की चीजों को लेकर बाकी चीजें वापस करने की शरफत वे रखते हैं। (व्यवधान) यह केवल उनका ही काम नहीं है बल्कि इसमें और लोगों का भी हाथ है, और लोगों का भी इसके साथ रिश्ता है।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये सारी जो हरकतें हैं, इसी के साथ कुछ और भ्रष्टाचार रेलवे के अन्दर हर क्षेत्र में है इसको आप जानते ही हैं इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। (व्यवधान) इसलिए मैंने रेल मन्त्री रहते हुए कहा था, रेल मन्त्रालय की ओर से, इतिहास में पहली बार में भ्रष्टाचार मिटाने का अफसरों को, भारत सरकार के हर विभाग के लोगों को और रेल कर्मचारियों को एक साथ बिठाकर, पूरे दिन, कि कैसे इसको मिटाया जाए, इसके लिए कदम उठाया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि इस पर कुछ ठोस कदम उठाने की कृपा करें।

एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको मैं इस सदन में इससे पहले भी उठा चुका हूं। कंजुअल लेबरर्स को हटाकर 1100 लोगों को मुरादाबाद में घूंस लेकर भर्ती किया गया। लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर घूंस के लिए धन जमा किया और उनको दिया। इसके बाद लड़ाई चली। श्याम बिहारी लाल यूनियन लीडर थे। 1989 दिसम्बर, में मैं रेल मन्त्री बन गया। उन्होंने 500 आदमियों के साथ मेरे घर के सामने धरना दिया। मैंने रेल मन्त्रालय की एक जांच कमेटी नियुक्त की जिसमें राजनीतिज्ञ या यूनियन लीडर नहीं थे। अफसरों ने रिपोर्ट दी कि हां इस कार्य के लिए पैसा लिया गया है, सारे सुबूत मौजूद हैं

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

और इन लोगों को निकालना चाहिए तथा केजुअल लेबरस को सीनियरिटी आर्डर से लिया जाना चाहिए सारी प्रक्रिया शुरू हुई, इसी बीच में सरकार चली गई और सारा काम वहीं रुक गया। श्यामबिहारी लाल को नौकरी से हटा दिया गया, उसको मारा-पीटा और उसको जान खतरे में है। यह शक्ति भ्रष्टाचार के अन्दर है। मेरा अनुरोध है कि इसका कोई रास्ता आपको निकालना चाहिए और रेल के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करना चाहिए। मै दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए तो आपको कन्नवर्जन आदि पर खर्च करने के बाद भी पैसा बचेगा और माल भाड़े में और यात्री भाड़े में वृद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए रेलवे में हम हर स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करें, मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त जरूर इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस काम में मैं आपके साथ हूं।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

रेलवे के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के सहकारी आश्वासन को लागू किए जाने की आवश्यकता। (1)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम बंगाल में इकलाक्षी से बालूरघाट तक रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृत करने तथा उसका निर्माण करने की आवश्यकता। (2)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

अलीपुरद्वार रोड स्टेशन से अलीपुरद्वार जंक्शन तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता। (3)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेलगाड़ियों को समय पर चलाने की आवश्यकता। (4)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (5)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेल के डिब्बों में शौचालयों को उपयोग के योग्य स्थिति में बनाए जाने की आवश्यकता। (6)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेलों में व्याप्त भारी धांधली को रोकने की आवश्यकता। (7)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेलों के कार्यपालन को चुस्त बनाने की आवश्यकता। (8)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

आरक्षित रेल डिब्बों में अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा को रोकने की आवश्यकता। (9)

कि रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

जलपाईगुडी रोड स्टेशन तक पहुंच सड़क का निर्माण तथा वहां प्रतिक्षालय गृह की मरम्मत करने की आवश्यकता। (10)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

जलपाईगुडी टाउन स्टेशन तक पहुंच सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता। (11)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के सिलिगुडी शहर में रेल क्रासिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (12)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

जलपाईगुडी टाइन रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (13)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेलवे जलपान गृहों में भोजनालय में खान-पान और सफाई सम्बन्धी सेवा ों में सुधार करने की आवश्यकता। (14)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

दूसरे दर्जे मे यात्रा करने वाल रेल यात्रियों को कम से कम न्यूनतम सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (15)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

हल्दीवाणी से सियालदह तक सप्ताह से तीन बार चलने वाली प्रस्तावित रेल गाड़ी को प्रति दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (550)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपए कम किए जायें।

कूच बिहार से सियालदह तक सप्ताह में तीन बार चलने वाली प्रस्तावित रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता। (551)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपए कम किए जाएं।

बिना टिकट यात्रा करने वालों को कारगर ढंग से रोकने की आवश्यकता। (552)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल सम्पत्ति की चोरी की घटनाओं को कारगर तरीके से रोकने की आवश्यकता। (553)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

जनता को स्वच्छ और समयबद्ध रेल सेवा सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (554)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों के गैर सरकारीकरण को रोकने की आवश्यकता। (16)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

द्वितीय श्रेणी के रेल यात्रियों को और अधिक यात्री सुविधाएं देने की आवश्यकता। (17)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्व रेलवे के हावड़ा-बांदेल सैक्शन में यात्री गाड़ियों को समय से चलाए जाने की आवश्यकता। (18)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

आधुनिकीकरण के नाम पर रेल कर्मचारियों की छंटनी रोकने की आवश्यकता। (19)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

यातायात को सुचारू बनाने की दृष्टि से पूर्व रेलवे के धनकुनी स्टेशन पर फ्लाई ओवर का निर्माण करने की आवश्यकता। (20)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

हावड़ा और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने की आवश्यकता। (21)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्वी रेलवे के धनकुनी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत-आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (22)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा अरटा-चम्पा दांगा सैक्शन में बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (23)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपिया रेलमार्ग पर अधिक यात्री गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (24)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्वी रेलवे के सीरमपुर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता। (25)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा-बान्देल सैक्शन में यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता । (26)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

पश्चिम बंगाल के लिये नई रेल लाइनें बिछाने और नई यात्री रेलगाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता । (27)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

पूर्वी रेलवे के शिवराफूली-तारकेश्वर सैक्शन में डबल-ट्रैक सुविधायें देने की आवश्यकता । (28)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

हावड़ा और नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रैस चलाने की आवश्यकता । (29)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

बर्खास्त रेल कर्मचारियों को तत्काल बहाल किये जाने की आवश्यकता । (30)

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

रेलवे हाकरों को लाइसेंस देने की आवश्यकता । (31)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

बर्दवान से आसनसोल तक ई०एम०यू० सेवायें बढ़ाने की आवश्यकता । (32)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

बर्दवान से आसनसोल तक अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता । (35)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

बांकुरा दामोदर रेल लाइन पर अधिक रेल सेवायें शुरू करने की आवश्यकता । (38)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्वी रेलवे के बर्दवान कटवा सेक्शन पर स्टेशनों में सुधार करने की आवश्यकता। (41)

कि परिसंपत्तियां अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दुर्गापुर को माडल स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (42)

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।

रेलवे में उच्च अधिकारियों की संख्या में कमी करके सरकारी व्यय में कमी करने में असफलता। (60)

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।

रेलवे बोर्ड के व्यय में बचत के लिए कोई प्रस्ताव रखने में असफलता। (61)

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।

रेलवे द्वारा मूलभूत जन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए कोई ठोस उपबन्ध किए जाने में असफलता। (62)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।

रेल नेटवर्क उपलब्ध कराये जाने के मामले में बिहार, विशेषकर उत्तर बिहार के हित की रक्षा करने में असफलता। (63)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाए।

मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने में असफलता। (64)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाए।

उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले छि तोल पुल के निर्माण के लिए कोई उपबंध करने में असफलता। (65)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रु० कम किये जायें।

हाजीपुर, वैशाली, सहावगंज, केसरिया, संग्रामपुर, औराज तथा पहाड़पुर होते हुए हाजीपुर से सांगली या बेतिया एक पूर्वोत्तर रेलवे में एक शाखा रेल लाइन खोलने की आवश्यकता। (66)

कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच चल रही यात्री और माल गाड़ियों के रेल इंजनों को बदल कर डीजल इन्जन लगाये जाने की आवश्यकता। (67)

कि संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग सं० में 100 रु० कम किए जायें।

पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच चल रही रेल गाड़ियों में बिजली, पंखें, शौचालय और उचित सफाई जैसी जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (68)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

पूर्वोत्तर रेलवे में मोतीहारी रेलवे स्कूल को कार्यकरण की समीक्षा की आवश्यकता। (69)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

पूर्वोत्तर रेलवे के मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत, बिजली और पानी की सुविधायें सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (70)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पूर्वोत्तर रेलवे के मोतीहारी स्टेशन पर एक रेलवे अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता। (71)

श्री हुस्नाम मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

गैर लाइसेंसशुदा रेल खोमचे वालों को पहचान पत्र दिये जाने की आवश्यकता ताकि वे पूर्वी, दक्षिण पूर्व तथा अन्य रेल क्षेत्रों में स्थानीय तथा मेल गाड़ियों में अपनी वस्तुएं बेच सकें। (72)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा पूर्वी रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे खोमचे वालों को परेशान करने की रोकने की आवश्यकता। (73)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पूर्वी रेलवे कमीशन विक्रेताओं को रेलवे के नियमित कर्मचारी के रूप में रखे जाने की आवश्यकता। (74)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे खान-पान सेवाओं को सहकारी कमीशन विक्रेता को सौंपने की आवश्यकता। (75)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी रेलवे में हावड़ा रेलवे स्टेशन तथा अन्य रेल स्टेशनों पर गैर लाइसेंसशुदा विक्रेताओं तथा खोमचे वालों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता। (76)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

हावड़ा तथा खड़कपुर रेलवे स्टेशनों के बीच ई० एम० यू० स्थानीय रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (77)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़कपुर मण्डल में ई० एम० यू० स्थानीय रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (78)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा तथा बरगछिया के बीच ई० एम० यू० स्थानीय रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (79)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़कपुर मण्डल में ई० एम० यू० स्थानीय रेलगाड़ियों को समय पर चलाने की आवश्यकता। (80)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बगनान स्टेशन से अधिक स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (81)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बोडिया स्टेशन पर उड़ीसा जाने वाली एक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोके जाने की आवश्यकता। (82)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बगनान रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (83)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के मोरीग्राम रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (84)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के घोरघटा स्टेशन पर प्लेट फार्म शैड बनाने की आवश्यकता। (85)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के उलूबेरिया तथा बोरिया स्टेशनों के बीच एक सम्पर्क मार्ग बनाने की आवश्यकता। (86)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा तथा खड़गपुर के बीच चौथी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (87)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के गौरीगंगा नहर पर चौड़ा पुल बनाने की आवश्यकता। (88)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद; निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

हावड़ा तथा आमटा के बीच बड़ी रेल लाइन को पूरा करने की आवश्यकता। (89)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

हावड़ा-चम्पादंगा-शियाखला बड़ी रेल लाइन को पूरा करने की आवश्यकता । (90)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के चकासी पर फलैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता । (91)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के चिगायल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के पूर्वी किनारे पर दूसरा ऊपरी पुल बनाये जाने की आवश्यकता । (92)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बोरिया स्टेशन पर ऊपरी पुल का विस्तार किये जाने की आवश्यकता । (93)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

शहरी और उप नगरीय यात्रियों के लाभ के लिए सीजन टिकटों के किराए में कमी करने की आवश्यकता । (679)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

भारतीय रेल प्राधिकरण के अंतर्गत रेलवे खानपान सेवा को जारी रखने और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता । (680)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के सभी दूरी के किरायों में कमी करने की आवश्यकता । (681)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता । (682)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

छंटनी किये गये सभी रेल कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता । (683)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता । (684)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

दिघा-तमुलुक रेलवे लाइन के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता । (103)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

दिघा-तमुलुक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता । (104)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

रेलवे में व्याप्त कदाचार जिससे रेलवे को नुकसान हो रहा है, को रोके जाने की आवश्यकता । (105)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

सुविधाएं उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में यात्रियों की शिकायतों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता । (106)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

रेल-दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता । (107)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।

रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलाने को बनाये रखने की आवश्यकता । (108)

कि परिचालन व्यय — यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

राजधानी एक्सप्रेस जैसी विशिष्ट रेलगाड़ियों को चलाने के लिए समय सारिणी का सख्ती से पालन किये जाने की आवश्यकता । (109)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

रेलवे में खानपान सेवा के निजीकरण की नीति का परित्याग करने में असफलता । (380)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

असमान क्षेत्रीय रेल लाइनों के निर्माण और सेवाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने में असफलता । (381)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

माल्भाड़े और किराये में मुद्रास्फीति बढ़ाने वाली वृद्धि । (382)

श्रीमती कुसुमलता कौर (डीग) (भरतपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये ।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर तत्काल आरक्षण सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता । (110)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शयनागार की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (111)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये ।

जयपुर-आगरा सुपरफास्ट रेलगाड़ी में वातानुकूलित सवारी डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता । (112)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये ।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था करने हेतु जनरेटर लगाने की आवश्यकता । (113)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये ।

स्टेशनों पर आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था करने की आवश्यकता । (114)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये गये ।

गंगापुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों के लिए विश्रामगृह का निर्माण करने की आवश्यकता । (115)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये ।

रेलवे प्लेटफार्म पर बनी अनधिकृत दुकानों को हटाने की आवश्यकता । (116)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये गये।

गंगापुर रेलवे स्टेशन पर एक और ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता। (117)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये गये।

रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए भरतपुर रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण करने की आवश्यकता। (118)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

भरतपुर रेलवे यार्ड की तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता। (119)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

मथुरा से अलवर तक रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (120)

कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

जयपुर-आगरा रेल लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता। (121)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

भरतपुर स्टेशन पर प्लेटफार्मों का तेजी से नवीकरण करने की आवश्यकता। (122)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

रेलगाड़ियों में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता। (123)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

रेलवे के जलपान गृहों में खानपान सेवा को सुधारने और सफाई बनाये रखने की आवश्यकता। (124)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दिए जाने की आवश्यकता। (125)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

भरतपुर रेलवे स्कूल का सम्पूर्ण स्तर सुधारने की आवश्यकता । (126)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

भरतपुर के रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक रेलवे इण्टर कालेज खोलने की आवश्यकता । (127)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

सिमको वैगन फैक्टरी में और अधिक रेल डिब्बे बनाने की आवश्यकता । (128)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आगरा-मथुरा-जयपुर से नयी रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता । (129)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

उत्तर रेलवे के भरतपुर रेलवे स्टेशन के समीप सेवर में ओवरब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता । (130)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

भरतपुर-अलवर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता । (131)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

जयपुर-आगरा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । (131)

कि रेल पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

गंगापुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करने की आवश्यकता । (318)

कि रेल पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रेलवे प्लेटफार्मों पर बनी अनधिकृत दुकानों को हटाने की आवश्यकता। (319)

कि रेल पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर एक और ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (320)

कि रेल पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण करने की आवश्यकता। (321)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

अहमदाबाद दिल्ली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (322)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

भरतपुर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर रेलिंग लगाए जाने की आवश्यकता। (446)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

पश्चिम एक्सप्रेस के श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (447)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सवाई मधोपुर रेलवे स्टेशन से मुम्बई गामी सभी गाडियों में आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता। (448)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के दोनों ओर रेलिंग लगावे जाने की आवश्यकता। (449)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

लखनऊ तथा जोधपुर के बीच चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित शयनयान जोड़े जाने की आवश्यकता। (450)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

भरतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तथा प्रतीक्षालय में बैठने की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता । (451)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

मथुरा तथा कासगंज के बीच चलने वाली गाड़ियों में अकसर होने वाली लूट-पाट, चोरी तथा डकैती की वारदातों को रोकने की आवश्यकता । (452)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

मथुरा तथा कासगंज के बीच बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता । (453)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

पर्यटन संवर्धन के लिए आगरा में जयपुर तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता । (454)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

जयपुर तथा सवाई माधोपुर के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता । (455)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

जयपुर तथा मुम्बई के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता । (456)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रु० किया जाए ।

आगरा तथा कोटा के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता । (457)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए ।

अरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने में असफलता । (466)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रु० किया जाए ।

भरतपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिए नई आवासीय कालोनी को विकसित करने में असफलता । (467)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए ।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता । (468)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए ।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर टैलीविजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (469)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किया जाए।

मथुरा-आगरा रेल मार्ग पर जंजीर खींचे जाने की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (470)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

मरूधर एक्सप्रेस में भरतपुर रेलवे स्टेशन से आरक्षण कोटा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (471)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अच्छी सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (472)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राजधानी एक्सप्रेस को भरतपुर स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता। (473)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

जोधपुर-आगरा रेल मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों में आरामदायक गद्दे उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (474)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किये जायें।

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर शीतल पेयजल की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (548)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता। (549)

श्री हरिन पाठक: मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किए जायें।

पश्चिम रेलवे की मुख्यालय मुम्बई से अहमदाबाद अथवा गांधीनगर से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता। (160)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

अहमदाबाद/गांधीनगर में एक नया रेलवे मंडल शुरू करने की आवश्यकता। (161)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।

मनीनगर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधाओं की कम्प्यूटरीकरण करने की आवश्यकता। (162)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत चारोडिया स्टेशन पर ऊंचे प्लेटफार्म का निर्माण करने की आवश्यकता। (163)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अहमदाबाद से मेहसाना और अहमदाबाद से राजकोट तक उपनगरीय रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता। (164)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कर्नाटक एक्सप्रेस में सीजन पासधारियों को बड़ौदा तक यात्रा करने की सुविधा देने की आवश्यकता। (165)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

बड़ी रेल लाइन को कोडिनार तक बढ़ाने की आवश्यकता। (166)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

अहमदाबाद-बम्बई बड़ी लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (167)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

अहमदाबाद के समीप साबरमती रेल फाटक पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता। (168)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राजकोट से वेरवाल तक बड़ी रेल लाइन बनाने की आवश्यकता। (169)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

नाडियाड से कापाडवंज तक बड़ी रेल लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (170)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

मधादा तक बड़ी रेल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (171)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

अहमदाबाद-बड़ौदा-सूरत बड़ी रेल लाइन अनुभाग में और अधिक उपनगरीय रेल-गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (172)

श्री सुव्रत मुखर्जी (राय गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बर्खास्त रेल-कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिए जाने की आवश्यकता। (196)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपए कम किए जायें।

रेल सेवाओं में समयबद्धता बनाये रखने की आवश्यकता। (197)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपये कम किए जायें।

रेलवे बुकिंग कार्यलयों में कदाचार रोकने की आवश्यकता। (108)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपए कम किए जायें।

दार्जीलिंग मेल की समयबद्धता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (199)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपए कम किए जाये।

पूर्वोत्तर एक्सप्रेस को डलकोल्हा तथा आलूवारी रोड पर स्टोपेज बनाये जाने की आवश्यकता। (200)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपए कम किए जाये।

कंचनजंगा एक्सप्रेस का डलकोल्हा, आलूवारी तथा हरीशचंद्रपुर स्टोपेज बनाये जाने की आवश्यकता। (202)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत में 100 रुपए कम किए जाये।

अवध असम एक्सप्रेस को डलकोल्डा तथा आलूवारी रोड पर स्टोपेज बनाये जाने की आवश्यकता। (202)

कि परिचालन व्यय-इंधन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

प्रस्तावित हल्दीबारी सिवालदह एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन बार चलाने की बजाय प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता। (203)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए ।

हलकोल्हा तथा किशनगंज पर रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाये जाने की आवश्यकता । (204)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए ।

बरमोई से राधिकापुर तक मीटरगेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता । (205)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए ।

टोलीगंज से गरिया तक मैट्रो रेलवे प्रणाली का विस्तार किए जाने की आवश्यकता । (206)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए ।

बारामट-डोगांव रेलवे दोहरी लाइन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (207)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जावे ।

बर्धवान-कटवा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । (208)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए व्यय कम किए जाए ।

डनकुनी-सिवाखला परियोजना को तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता । (209)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

हावड़ा-आमटा रेल लाइन पर कार्य को पूरा करने की आवश्यकता । (210)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

बाबूघाट तक रेलवे सम्पर्क बनाने की आवश्यकता । (211)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

पश्चिम दिनापुर जिले को पश्चिम बंगाल राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने की आवश्यकता। (212)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

बुलरघाट इकलासी रेलवे लाइन का तुरन्त निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (213)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

बज ने नामखाना तक रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (214)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

एक विनिर्दिष्ट अवधि में तामलुक-दिघा बड़ी लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (215)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

खिलाड़ियों तथा विकलांगों के लिए नौकरियों में 5 प्रतिशत कोटा किए जाने की आवश्यकता। (216)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

ललितपुर तथा सिंगरौली के बीच नयी रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (217)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

मध्य रेलवे में झासी से कानपुर तथा मनिकपुर तक रेलवे का विद्युतीकरण करने तथा दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (218)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

रेलवे सीजन टिकटों के किराए में हुई असमानुपातिक, असहनीय तथा अनुचित वृद्धि को वापिस किए जाने की आवश्यकता। (227)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

सभी रेल कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (228)

श्री एम० रामन्ना राव (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कुसरागुड पर एक रेल लाइन बिछाने तथा प्लेटफार्म संख्या 1 के पश्चिमी किनारे पर एक और प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता। (219)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कसारागाड रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (220)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

निलेश्वर रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (221)

कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दक्षिण रेलवे के उपाला स्टेशन के दक्षिण में बरके पर एक रेलवे गेट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (222)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दोहरी रेल लाइन बिछाने के लिए बेकल स्थित सुरंग को और चौडा किए जाने की आवश्यकता। (223)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कमा'गाड रेलवे स्टेशन पर शौचालय तथा स्नानघर बनाये जाने की आवश्यकता। (224)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

शारानूर से मंगलौर तक शीघ्र दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (225)

कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कोंकण रेलवे के एक अंग के रूप में मंगलौर तथा शारानूर के बीच एक पुल बनाये जाने की आवश्यकता। (229)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

छंटनी किए गए सभी कर्मचारियों को बहाल किए जाने में असफलता। (686)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

द्वितीय श्रेणी के यात्री किरायों में की गई वृद्धि को वापस लेने में असफलता। (287)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपए कम किए जाए।

त्रिवेन्द्रम, मंगलौर और मंगलौर से राजधानी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (688)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपए कम किए जाए।

केरल में अन्तर नगरीय एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (689)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपए कम किए जाए।

ओणम के अवसर पर देश के सभी भागों से केरल जाने वाले यात्रियों को किराए में छूट दिए जाने तथा विशेष रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (690)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दशहरा के अवसर पर देश के सभी भागों से बंगलौर जाने वाले यात्रियों को किराए में छूट देने तथा विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (691)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

मालाबार एक्सप्रेस, वेस्ट-ईस्ट एक्सप्रेस और मद्रास मेल में कासारागोड, कान्हांगड तथा पय्यानूर रेलवे स्टेशनों पर आरक्षित डिब्बों के कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता। (692)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत मंगलौर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण डिब्बों को बदलने की आवश्यकता। (693)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

पंचायतों और राज्य सरकारों द्वारा मांग किए जाने के बिना मालाबार और कासरागोड क्षेत्रों में और अधिक रेलवे फाटकों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (694)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।

शोर्नूर और मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे के भाग के रूप में नये पुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (695)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

अहमदाबाद से त्रिवेनदरम और मंगलौर तक नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (696)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

अहमदाबाद और कोचीन के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के और अधिक स्थान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (697)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

केरल के छोटे कस्बों में यातायात संबंधी भीड़भाड़ को कम करने के लिए और अधिक अन्तर-नगरीय रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (698)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

रेलगाड़ियों के तीव्र गति के लिए केरल में रेलगाड़ियों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (699)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

द्वितीय श्रेणी के किरायों में कमी करने की आवश्यकता। (708)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की आपूर्ति करने की आवश्यकता। (701)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपऐ कम किए जाए।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में शाकाहारी भोजन के पैकेट 5 रुपए प्रति पैकेट की दर से दिए जाने की आवश्यकता। (702)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपए कम किए जाए।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में प्रति यात्री सामान की अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम से बढ़ाकर 50 किलोग्राम किए जाने की आवश्यकता। (703)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपए कम किए जाए।

मैसूर-तेल्लीचेरी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (704)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत 100 रुपए कम किए जाए।

विद्यार्थियों के सीजन टिकटों में की गई वृद्धि को समाप्त करने की आवश्यकता। (705)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

कासरगाड जिले में और अधिक रेल फाटक बनाए जाने का आवश्यकता। (706)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दक्षिण रेलवे के मंगलौर-कन्नानौर खंड में ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (707)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

मंगलौर-हसन मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (708)

कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मालाबार क्षेत्र में डीजल इन्जनों की मरम्मत के लिये शैड स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (709)

कि परिचार व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने की आवश्यकता। (710)

कि परिचार व्यय —यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

परशुराम एक्सप्रैस गाड़ी को मन्जेश्वर, कुम्बला कोट्टीकुलग और चारवाडूर स्थानों पर रोकने की आवश्यकता। (711)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में गर्मी के दौरान पेसजल प्रदान करने की आवश्यकता। (712)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के शयन कक्षों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (713)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

यात्रियों के सामान की चोरी तथा उनकी सम्पत्ति के नुकसान के लिए बीमा कराए जाने की आवश्यकता। (714)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कासरगोड रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय गृह तथा अन्य यात्रियों की सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता। (715)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

कासारगोड रेलवे स्टेशन पर भोजन के लिए शाकाहारी कैंटीन की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (716)

कि विविध संख्या में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में घटिया भोजन की आपूर्ति को रोकने की आवश्यकता। (717)

कि विविध संख्या में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग से 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में दक्षिण भारतीय भोजन की आपूर्ति करने की आवश्यकता। (718)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

उपनगरीय रेलवे के लिये एक पृथक जोन बनाने हेतु मुम्बई यात्रियों की मांग को अस्वीकार करना। (615)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम कर करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई में अतिरिक्त रेल भूमि का वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाना। (616)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

क्षेत्रीय और मण्डलीय रेल परामर्शदात्री समितियों का गठन करने में असफलता। (617)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम रेलवे में उपनगरीय सैक्शन में बोरीवली से विरार तक चौहरी रेल लाइन के लिए कोई परियोजना बनाए जाने की असफलता। (618)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

दुर्घटनाओं का सुचारु और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने हेतु मुम्बई उपनगरीय सैक्शन में ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण करने में असफलता। (619)

कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

इन्जनों को चलाने में डीजल का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने में असफलता। (620)

कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

मुम्बई उपनगरीय सैक्शन में 9 की बजाय 12 कार-रेक का उपबन्ध करने में असफलता। (621)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

मुम्बई में विरार से दहानु रोड तक पश्चिम रेलवे उपनगरीय सेवा का विस्तार करने में असफलता। (622)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई उपनगरीय रेलवे को पर्याप्त स्टेशन सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता। (623)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

मुम्बई में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर विभिन्न रेल कालोनियों के रख-रखाव की आवश्यकता। (624)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई उपनगरीय सैक्शन के लिए ई० एम० यू० डिब्बे न खरीदे जाना। (625)

कि परिसम्पतियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली की लगातार उपेक्षा तथा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि को मंजूरी देने में असफलता। (626)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मुम्बई में पश्चिमी रेलवे के बांद्रा रेलवे ट्रर्मिनस का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की आवश्यकता। (627)

श्री काशी राम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को मुम्बई से अहमदाबाद स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता। (234)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।

कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वापी वजारा तथा वडोदरा क्षेत्रों को शामिल करके एक प्रथक सूरत प्रखण्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता। (235)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

संसद सदस्यों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेलवे 'सलाहकार समिति का गठन करने की आवश्यकता। (236)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 सर्विस बुकिंग एजेन्टों को नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (237)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत में एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण के लिए तत्काल एक बड़े भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (238)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

ए०सी० एक्सप्रेस में दो वातानुकूलित शयनयान तथा एक भोजनालय यान जोड़े जाने की आवश्यकता। (239)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत में एक सुसज्जित बड़े भवन विद्यमान बुकिंग कार्यालय को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता। (240)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

उतरान, गोथाका, कोसाड तथा भेस्तान स्टेशनों के प्लेटफार्मों के लेवल को ऊंचा किए जाने की आवश्यकता। (241)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत-भूसावल लाइन पर भाप इंजन को डीजल इंजन में बदलने की आवश्यकता। (242)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत के प्लेटफार्म नम्बर 4, मारोली और नवसारी स्टेशनों पर चाय स्टाल, बुक स्टाल, फल तथा दुग्ध स्टाल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (243)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

सूरत में दो प्लेटफार्मों तथा एक वातानुकूलित रखरखाव यार्ड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (244)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत और अहमदाबाद के बीच एक नई तेज गति वाली रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (245)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपए कम किए जायें।

सूरत स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ए०सी० पश्चिम एक्सप्रेस, फ्रन्टीयरमेल तथा कच्छ एक्सप्रेस में शयनलिकाओं बैठने के कोटों में वृद्धि करने की आवश्यकता। (246)

कि परिचालन व्यय यातायाय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

ताप्ति-गंगा एक्सप्रेस को इलाहाबाद के वा रास्ते सप्ताह में चार दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (247)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सयान (पश्चिम रेलवे) स्टेशन पर गुजरात क्वीन को शीघ्र रोके जाने की आवश्यकता। (248)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

कच्छ एक्सप्रेस को नवसारी में रोके जाने की आवश्यकता। (249)

कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बरोली स्टेशन के प्लेटफार्म 1-2-4 का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (250)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

सूरत के यार्ड का शीघ्र निर्माण तथा विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (251)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सूरत के पूर्वी भाग में पूर्ण रूप से एक नया स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (252)

कि परिसम्पत्तियां---अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

राजकोट से वेरावल तथा राजकोट से भावनगर की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता । (255)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

सूरत स्टेशन के निकट दिनडोली नवगांव पर विद्यमान गरनाला को जोड़ा किए जाने की आवश्यकता । (256)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

उधाना से जलगांव बड़ी रेल लाइन को शीघ्र दोहरा किए जाने की आवश्यकता । (257)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए नवसारी, मरोली स्टेशन के निकट एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता । (258)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

सूरत स्टेशन के निकट सरमूल डेरी रोड पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (259)

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करते समय शस्त्र-भंडार सहित करने की आवश्यकता । (260)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

रेलों में विस्तार को देखते हुए विद्यमान शैडों तथा भण्डारों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता । (261)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

रेल प्रशासन तथा प्रचालन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे का मुख्य कार्यालय रतलाम में बनाने की आवश्यकता । (262)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में रेल सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (265)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

माल तथा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कोटा नीमच ब्राड गेज लाइन का रतलाम तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (266)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए दल्ली-राजहारा-जगदलपुर रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (267)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

अजमेर-खंडवा सेक्शन पर चल रही चेतक एक्सप्रेस को रतलाम तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (431)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सुपरफास्ट गाड़ियों (जम्मूतवी-मुम्बई, जम्मू-तव-अहमदाबाद और जम्मू-तवी-हापा) को श्यामगढ़ पर ठहराये जाने की आवश्यकता। (432)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रतलाम-भोपाल के बीच चल रही गाड़ी सं० 111-112 को पुनः चलाने की आवश्यकता। (433)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

चित्तौर और रतलाम के बीच अर्थात नीमच के निकट दारू-दुदारसी रेल लाइन और मंदसौर के निकट सिंदपन स्थित विभिन्न रेलवे फाटकों पर रात-दिन चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता। (434)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ए० सी० सुपरफास्ट गाड़ी को रतलाम पर ठहराये जाने की आवश्यकता। (435)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

काचीगुडा-जयपुर गाड़ी को दिल्ली तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (436)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

यात्रियों की भारी भीड़ और यातायात को ध्यान में रखते हुए रतलाम, जावरा और मंदसौर रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाये जाने की आवश्यकता । (437)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

राजधानी एक्सप्रैस (दिल्ली-मुम्बई) में रतलाम से वातानुकूलित सैकिंड स्लीपर में कोटा आवंटित करने की आवश्यकता । (438)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

पश्चिम रेलवे में रतलाम से चलने वाली अवध एक्सप्रैस को पूर्वोक्त समय पर चलाए जाने की आवश्यकता । (439)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए मंदसौर, जावरा और नीमच रेलवे स्टेशनों पर प्लेट-फार्म शेड्स बनाये जाने की आवश्यकता । (440)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

खंडवा और अजमेर के बीच सुपरफास्ट गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता । (441)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

गुना-इटावा रेल लाइन को मालनपुर से जोड़े जाने की आवश्यकता । (442)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

अजमेर खंडवा सेक्शन पर चल रही काचिगुडा-जयपुर एक्सप्रैस में नये यात्री डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता । (443)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

पश्चिम रेलवे के नीमच, मंदसौर, जावरा, श्यामगढ़ और सुवासरा स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता । (444)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

पश्चिम रेलवे में यात्रियों की शिकायतों पर विचार करने हेतु सभी स्टेशनों पर सलाह-कार समितियों का गठन करने की आवश्यकता । (445)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी में मुम्बई से जबलपुर तक एक यात्री डिब्बा प्रदान किया जाए जिसमें 50% स्थान प्रथम श्रेणी के तथा 50% द्वितीय श्रेणी के हों और उस डिब्बे को नागदा में अलग कर दिया जाए तथा उज्जैन में नर्मदा एक्सप्रेस में जोड़ दिया जाए। (886)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए रतलाम और उज्जैन के बीच और अधिक रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (887)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रतलाम और नीमच के बीच मंदसौर से आगे सिंदपान रेलवे स्टेशन के समीप रेल फाटक पर 24 घण्टे के लिए एक सन्तरी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (888)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

मथुरा-बड़ौदा स्थानीय गाड़ी को अहमदाबाद तक बढ़ाने की आवश्यकता। (889)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

आगरा-कोटा यात्री रेलगाड़ी को शामगढ़-नागदा होते हुए रतलाम तक बढ़ाने की आवश्यकता। (890)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत कोटा होते हुए मुम्बई-दिल्ली के बीच चलने वाली हौलीडे एक्सप्रेस गाड़ी का शामगढ़ और सुवासरा पर रोके जाने की आवश्यकता। (891)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

मुम्बई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का दिल्ली आगमन का समय यात्रियों की सुविधा के लिए या तो 8.30 म० पू० अथवा 9.30 म० पू० किए जाने की आवश्यकता। (892)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

यात्रियों को भोजन प्रदान करने के लिए शामगढ़ स्थित आधुनिक बेस रसोई का उपयोग करने की आवश्यकता। (993)

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

धोलका, धन्धुका, बोटाड, वीरमगंव तथा बाबरा और आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (268)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

अहमदाबाद-बोटाड स्थानीय रेलगाड़ियों को पुनः चलाये जाने की आवश्यकता। (269)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

अहमदाबाद-भावनगर अन्तर्राज्यीय रेलगाड़ियों को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता। (270)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

भावनगर तथा बडौदा मण्डल के प्रत्येक रेलवे फाटक पर पूर्णकालिक कर्मचारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (271)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

बावला-धोलका पर ऊपरी पुल या पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (272)

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (छावड़ा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं—

रेल खानपान सेवाओं का निजीकरण समाप्त करने के असफलता। (277)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

शालीमार कोचिंग कम्पलैक्स हावड़ा के फार्म को पूरा करने की आवश्यकता। (279)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

हावड़ा-आमता रेल लाइस के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (280)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

लिलोहा, हावड़ा पर रेल का ऊपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता। (281)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

मोरी ग्राम स्टेशन, हावड़ा पर एक रेल का ऊपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता। (282)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपए कम किए जाए।

हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 6 और 19 के बीच एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (283)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दमकुणी होते हुए खड़गपुर और सियालदह के बीच एक यात्री गाड़ी सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता। (284)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा बारगाछिया खण्ड में और अधिक गाड़ियों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

बेलूर स्टेशन, हावड़ा में एकत्रित पानी को निकालने के लिए निकासी की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता। (286)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।

रेलवे के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता। (278)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।

गुस्कारा रेलवे स्टेशन पर दार्जीलिंग मेल को आती जाती बार रोकने में असफलता। (349)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपए कम किया जाए।

पूर्वी रेलवे के सहाबगंज रूप में गाड़ियों में यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में असफलता। (350)

कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपए किया जाए।

पूर्वी रेलवे के अंडाल से सैथिया तक रेल लाइन के दोहरीकरण करने में असफलता। (351)

कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपए किया जाए।

पूर्वी रेलवे के खाना से सैथिया तक रेलों का विद्युतीकरण करने में असफलता। (354)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।

पूर्वी रेलवे के अंडाल-सैथिया सैक्शन का विद्युतीकरण करने में असफलता। (353)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।

गाड़ियों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए हावड़ा से नई दिल्ली तक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने में असफलता। (354)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।

पूर्वी रेलवे के बोलपुर तथा हावड़ा के बीच नयी रेल गाड़ी शुरू करने में असफलता। (355)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए।

बीरभूम जिले के जिला मुख्यालय में हावड़ा तथा सूरी के बीच नई गाड़ी चलाने में असफलता। (356)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपए कम किया जाये।

खाना और सैथिया के बीच 1992-93 के दौरान दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता। (378)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपए कम किए जाए।

पूर्व रेलवे में साहिबगंज में रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता। (379)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

अंडाल-आजिमगंज सेक्शन में अधिक गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (759)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।

मयूरकाशी फास्ट यात्री रेलगाड़ी में शीघ्र डीजल इंजन लगाने की आवश्यकता। (760)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए ।

सियालदह/हावड़ा से नई दिल्ली-दिल्ली के लिए वाया साहिबगंज लूप सैक्शन प्रतिदिन एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता । (761)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

संथिया से पंचमी-हटगाचा तक बाबा मोहम्मद बाजार रेलवे लाइन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता । (762)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

रामपुर हाट स्थित रेलवे संस्थान के आधुनिकीकरण की आवश्यकता । (763)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

दिन के दौरान साहिबगंज लूप सैक्शन पर अधिक यात्री गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता । (764)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

साहिबगंज लूप सैक्शन के मल्लारपुर, नलहटी, मुराराई स्टेशनों के रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (765)

कि परिसम्पत्तियां —अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए । (765)

मुरी तथा बोलपुर स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किए जाने की आवश्यकता । (766)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

कटवा-अहमदपुर लाइन को मुरी तक बढ़ाकर उसे बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । (767)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

अंडाल-आजिमगंज पूर्व रेलवे के सैक्शन का दोहरीकरण करने तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता । (768)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

पुरी रेलवे स्टेशन, जो बीरभूमि का जिला मुख्यालय है, का दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता । (769)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

साहिबगंज लूप सैक्शन के बहुमदपुर स्टेशन का दर्जा बढ़ाये जाने तथा वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता । (770)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपया किया जाए ।

रेलवे खान-पान सेवा के निजीकरण की नीति को त्यागने में असफलता । (805)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपया किया जाए ।

दूसरे दर्जे के किराए में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिए जाने की असफलता । (806)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपया किया जाये ।

सीजन टिकटों में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिए जाने की असफलता । (807)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग कम करके 1 रुपया किया जाए ।

बंडेल और कटवा के बीच दोहरी लाइन बनाने और इन सैक्शन का विद्युतीकरण करने में असफलता । (808)

श्री उपेन्द्र पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव मांग के अन्तर्गत शीर्ष में 100 रुपए कम किए जाएं ।

हावड़ा मण्डल में हुगली स्टेशन पर प्लेटफार्म के पूर्व की तरफ एक विस्तृत शैड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (288)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव मांग के अन्तर्गत शीर्ष में 100 रुपए कम किए जाएं ।

बंडेल स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता । (289)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव मांग के अन्तर्गत शीर्ष में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्वी रेलवे हावड़ा मण्डल में बंडेल कटुवा रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (290)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव मांग के अन्तर्गत शीर्ष में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल और कटुवा के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (291)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव मांग के अन्तर्गत शीर्ष में 100 रुपए कम किए जाए।

बंडेल जंक्शन पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक पैदल ऊबरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (292)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव मांग के अन्तर्गत शीर्ष में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल बाजार के समीप बंडेल भूमिगत परिपथ के पास जल एकत्र न होने देने की आवश्यकता। (293)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

उन सभी रेल कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं रेलवे कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम के नियम 14(दो) के अन्तर्गत समाप्त की गयी थीं, पुनः सेवा में लिए जाने की आवश्यकता। (512)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल सेवाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में अधिक लोग भर्ती किए जाने की आवश्यकता। (513)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल भूमिगत पार पथ (बंडेल बाजार के निकट) के उचित रख-रखाव तथा वहां पानी इकट्ठा न होने देने की आवश्यकता। (514)

कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

उन सभी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता जो दस से बीस वर्ष की अवधि से बंडेल रेलवे लोको शैड में काम कर रहे हैं। (515)

कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल लोको शैड के उन कर्मचारियों को जो भाप इंजन के स्थान पर डीजल इंजन लगाए जाने के कारण फालतू हो जायेंगे, अन्य स्थायी नौकरी देने की आवश्यकता। (516)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल तथा हावड़ा के बीच अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (517)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल तथा नैहाती के बीच अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (518)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

नई दिल्ली तथा हावड़ा के बीच प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रैस चलाए जाने की आवश्यकता। (519)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

नैहाती तथा सियालदाह के बीच अधिक गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (520)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंडेल स्थित रेलवे अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके उसका दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (521)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

बंडेल रेलवे स्टेशन पर बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (522)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किये जायें।

रेलवे खान-पान सेवा का विस्तार किए जाने तथा उसे सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता। (523)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

विभागीय खान-पान सेवा जारी रखने की आवश्यकता। (524)

श्री अखिल वसु (आरामबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

सभी वस्तुओं की भाड़ा दरों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव। (294)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

दूसरे दर्जे की साधारण तथा दूसरे दर्जे की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में वृद्धि। (295)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

खान-पान सेवा का निजीकरण। (296)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किए जाए।

प्रबन्ध में परिवर्तन के नाम पर कर्मचारियों की छंटनी। (297)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में तारकेश्वर से आरामबाग टाउन तक रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (304)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किए जायें।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में शेहोराफुली और तारकेश्वर स्टेशन के बीच दोहरी लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (305)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किए जायें।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बन्देल और कटवा स्टेशन के बीच दोहरी लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (306)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

पूर्वी रेलवे के बंदेल-कटवा सेक्शन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (307)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में कमारकुन्ड पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (308)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

तारकेश्वर स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 3 को बस स्टैंड से जोड़ते हुए एक पैदल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (309)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाये।

हावड़ा-बंदेल उप नगरीय सेक्शन में अधिक लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (310)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाये।

हावड़ा-बर्दमान कोर्ड सेक्शन में अधिक लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (311)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

हावड़ा-आमटा-चम्पाडांगा बड़ी लाइन का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता। (312)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दिघा-तामलुक रेलवे लाइन का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता।

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (314)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

सुरक्षा उपायों में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (315)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

देहरादून में एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (298)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक नई रेल लाइन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (299)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

कोटद्वार से दिल्ली तक सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता। (300)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (301)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार और देहरादून से होते हुए सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ियों को नियमित किए जाने की आवश्यकता। (302)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

गढ़वाल में पौड़ी, गोपेश्वर, श्रीनगर तथा दुगड्डा देवल में रेलवे बुकिंग एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता। (303)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

पुरूलिया स्टेशन के समीप ऊपरी पैदल पुल में सुधार करने की आवश्यकता। (335)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के पुरूलिया स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन घोषित करने की आवश्यकता। (336)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा के समीप सड़क ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (337)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे में पुरूलिया कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (338)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्मा . और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा, मिदनापुर सैक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (339)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

बर्नपुर स्टेशन और आसनसोल स्टेशन को दोहरी लाइन वाला सैक्शन बनाने के लिए अतिरिक्त लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (340)

कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कुशटनार और बगालिया स्टेशन के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (341)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रु० कम किये जाए।

3 टियर दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करने में असफलता। (580)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रु० कम किये जायें।

यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित कराने में असफलता। (581)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपए कम किए जाए।

बर्खास्त रेलवे कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता। (582)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपए कम किए जाए।

अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ को मान्यता प्रदान करने में असफलता। (583)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपए कम किए जायें।

रेलवे सुरक्षा बल संघ को मान्यता प्रदान करने में असफलता। (584)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपए कम किए जायें।

अनुकंपा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने में असफलता। (585)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपये कम किये जायें।

पूर्व रेलवे के आसनसोल-बर्दमान क्षेत्र को उपनगरिय क्षेत्र घोषित करने में असफलता। (586)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपये कम किये जायें।

स्टेशनों को ठेकेदारों द्वारा संचालित कराने के प्रस्ताव को छोड़ने में असफलता। (589)

कि परिसम्पत्तियां —अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव 16 शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाये।

मियालदह—लालगोला सेक्शन पर स्थित नशीबपुर रोह फ्लैग स्टेशन को ठेकादारों को सौंपने के प्रस्ताव को छोडने में असफलता। (590)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपये कम किया जायें।

सियालदह दक्षिण सैक्शन में उपनगरीय स्टेशनों पर प्लेटफार्मों से अवैध झौंपड़ियों के हटाये जाने में असफलता। (342)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रु० कम किया जाये।

सभी बर्खास्त लोको कर्मचारियों को पुन: सेवा में लिये जाने में असफलता। (343)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।

कोयले पर फ्रेट इम्बिलाइजेशन को समाप्त किये जाने में असफलता। (344)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।

रेल के सम्बन्ध में निजीकरण करने के प्रस्ताव को रद्द किये जाने में असफलता। (345)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपये कम किये जाये।

रेलवे खान पान सेवा का निजीकरण करने के प्रस्ताव को रद्द किये जाने में असफलता। (346)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रु० कम किया जाये।

दूसरे दर्जे की यात्री गाड़ियों की टिकटों के किराये में की गयी वृद्धि को वापिस लिए जाने में असफलता। (347)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रु० कम किया जायें।

सीजन टिकटों के किराये में हुई वृद्धि को वापिस लिए जाने में असफलता। (348)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

सियालदह दक्षिण सैक्शन में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता। (357)

कि परिचालन व्यय-चल स्टाफ और उपस्कर शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण खंड के सियालदह गाड़ी में पुराने डिब्बों और फटी हुई सीटों को बदलने की आवश्यकता। (363)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाये।

सियालदह-दक्षिण सेक्शन की उपनगरीय रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने में असफलता। (362)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये।

मैट्रो रेल को टोलीगुंग से गरिया तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (366)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

प्रिंसेप घाट से माजेरहाट तक सबुंबर रेल को पूरा करने की आवश्यकता। (367)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये।

सोनारपुर-सियालदह के बीच व्यस्त समय में 2 शटल रेलगाड़ियों का प्रबन्ध करने की आवश्यकता। (368)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जावे।

सियालदह दक्षिण खंड में सोनारपुर स्टेशन पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (369)

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिचालन व्यय-चल स्टाफ और शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

ब्रह्मपुर के लिए भुवनेश्वर से कार्यकाल के दौरान खाली रेक को भुवनेश्वर वापिस आने के लिये दूसरी खाली एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (358)

कि परिचालय व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भुवनेश्वर और कटक शहरों के बीच 5 म० पू० से 11 म० प० तक एक स्थानीय शटल रेलगाड़ी को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता। (359)

कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

पुरी और मद्रास के बीच एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (360)

कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

भुवनेश्वर से मुम्बई और वापसी तक यात्रियों के लिए कोणार्क एक्सप्रेस में एक और वातानुकूलित शयन कक्ष जोड़ने की आवश्यकता। (361)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

बोलनगीर से खुंडा रोड तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (370)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

खुंडा रोड पर डी०आर०एम० कार्यालय से खुडियारी तक एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (371)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रूपसा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (372)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

नुआपाडा पानलाबेंडवाड़ी-गुरूरपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (373)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

संबलपुर सिटी स्टेशन को उचित डिब्बों सहित एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता। (374)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

देवी-बांसपानी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (375)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

राउरकेला में एक व्हील और एक्सेल फैक्टरी तथा डिब्बे बनाने की फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता। (376)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

भुवनेश्वर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सर्वेक्षण और निर्माण) का कार्यालय खोलने की आवश्यकता। (377)

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

सी० एल०डब्ल्यू० श्रमिक यूनियन को मान्यता देने में असफलता। (364)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन का निर्माण करने में असफलता। (365)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

रेलवे खान-पान सेवा के निजीकरण करने की नीति को रद्द किये जाने में असफलता। (503)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

बर्खास्त रेल कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने में असफलता। (504)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

पूर्व रेलवे के धनबाद तथा बर्दवान के बीच और अधिक रेलगाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता। (525)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

हावड़ा तथा नई दिल्ली के बीच ग्रैंड कोर्ड होकर एक तीव्र गति की रेलगाड़ी शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता। (526)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (527)

कि परिचालन व्यय -यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

2381 अप तथा 2382 डाऊन को प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता। (528)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये।

पूर्व रेलवे के बर्दवान तथा आसनसोल के बीच ई० एम० यू० कोच शुरू किये जाने की आवश्यकता। (529)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

नई दिल्ली से पुरी के बीच 2815/2816 को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (530)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिणी पूर्व रेलवे के आसनसोल तथा पुरी के बीच यात्री गाड़ी शुरू किये जाने की आवश्यकता। (531)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

शांति निकेतन (बोलपुर) को रेल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी से जोड़े जाने की आवश्यकता। (532)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी राज्यों की राजधानियों को राजधानी एक्सप्रेस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी से जोड़े जाने की आवश्यकता। (533)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

बी० डी० आर० क्षेत्र में और अधिक रेलगाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता। (534)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के आसनसोल तथा खड़कपुर के बीच आद्रा होकर और अधिक रेल गाड़ियां शुरू किये जाने की आवश्यकता। (535)

कि परिचालन व्यय-ईंधन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

2381 अप और 2382 डाउन को हावड़ा-कालका मेल के मार्ग पर चलाकर ईंधन बचाने जाने की आवश्यकता। (536)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्व रेलवे के झाझा से मुगलसराय (मुख्य मार्ग) पर विद्युतीकरण के कार्यक्रम को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (537)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बर्नपुर स्टेशन पर दोहरी रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (538)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

अप्कार गार्डन, आसनमोल के नजदीक जी० आर० रोड पर बने बी० एन० आर० पुल के नवीनीकरण की आवश्यकता। (539)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आसनसोल कोर्ट में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (540)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

पूर्व रेलवे के आसनसोल तक के क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता। (541)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

एक वैकल्पिक रेल सुविधा प्रदान करने के लिए बकुरा होकर रानीगंज-मजिया लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (542)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

कम्प्यूटर आरक्ष सुविधाओं का रानीगंज, दुर्गापुर, बर्दवान, बंकुरा, आद्रा तथा बोलपुर तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (543)

कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पश्चिम दिनाजपुर जिले को पश्चिम बंगाल के अन्य भागों से रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता। (544)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

पूर्व रेलवे के अंदल से सैंथिया तक दोहरी रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (545)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

बर्दवान-कटवा रेल मार्ग को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता। (546)

कि परिसम्पतियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्व रेलवे के बांदला-कटवा रेल मार्ग को दोहरा किये जाने की आवश्यकता। (547)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० कम किए जाए।

आसनसोल को एक मॉडल स्टेशन के रूप में घोषित किए जाने में असफलता (587)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

दुर्गापुर में एक रेल डिब्बा निर्माण कारखाना लगाए जाने में असफलता। (588)

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के भदरख रेलवे स्टेशन से आरक्षण कोटा बढ़ाने की आवश्यकता। (383)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासोड़ स्टेशन कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता। (384)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं।

भदरख रेलवे स्टेशन पर विवेकानन्द एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (385)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं।

भदरख रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नम्बर 1 और 2 की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता। (386)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के भदरख रेलवे स्टेशन के भवन के नवीनीकरण की आवश्यकता। (387)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के मंजूरी रोड मारकन रानीताल, केंदुआपाडा, कपाली रोड, बौधपुर रेलवे स्टेशनों पर कंटिदार तार लगाने की आवश्यकता। (388)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाये।

दक्षिणी-पूर्व रेलवे के भदरख-बारापड़ा पी० डब्ल्यू० डी० मार्ग पर रेंदिया रेलवे गेट पर ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (389)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के रामीताल रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (390)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

मंजूरी रोड रानीपड़ा मार्ग चौराहे के उत्तर में मंजूरी रोड स्टेशन पर रेलवे गेट का निर्माण करने की आवश्यकता। (391)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

केन्द्र आपाड़ा रेलवे स्टेशन के उत्तर और दक्षिण में सम्पर्क मार्ग का निर्माण करने की आवश्यकता। (392)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बांसपानी-दैतारी भाग पर रेल लाइन का निर्माण करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता। (398)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रूपसा-तालाबंधा रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (399)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

कटक-पारादीप और सम्बलपुर रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य शीघ्र करने की आवश्यकता । (400)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

वर्ष 1989-90 और 1990-91 में रेल सेवा आयोग भुवनेश्वर द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने में असफलता । (823)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

दक्षिणी पूर्व रेलवे के भद्रख रेलवे स्टेशन के स्टेशन भवन का निर्माण करने में असफलता । (824)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

उड़ीसा के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को भुवनेश्वर में स्थानान्तरित करने में असफलता । (825)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपए किया जाए ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बांसपानी-दैतारी, मलकानगिरि-जेपोर नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने में असफलता । (826)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

भुवनेश्वर में अतिरिक्त महाप्रबन्धक के रैंक पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सर्वेक्षण और निर्माण के पद का सृजन करने की आवश्यकता । (832)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

उड़ीसा में तलचर, गोपालपुर पत्तन के तत्काल निर्माण को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता । (833)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

उड़ीसा में रायागडा-गोपालपुर पत्तन रेल सम्पर्क के तुरन्त निर्माण की आवश्यकता । (834)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

राउरकेला में व्हील एण्ड एक्सल कारखाना तथा कोच निर्माण कारखाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता । (835)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए ।

मुम्बई जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त टूटाभर वातानुकूलित कोच प्रदान करने की आवश्यकता । (836)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

बाधा जतिनी एक्सप्रेस का विस्तार करके भद्रक रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (837)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के बदल-कटवा सैक्शन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (401)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किया जाये।

पूर्व रेलवे के बाबल-कटवा सैक्शन पर दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (402)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बर्दवान-कटवा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (403)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बहमदपुर-कटवा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (404)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बर्दवान-हावड़ा-मांदेचंद सबरबन सैक्शनों पर और अधिक संख्या में लोकल ट्रेन चलाने की आवश्यकता। (405)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्वी रेलवे में उपनगरीय सेवा को हावड़ा में बासनद्रोल तक चलाने की आवश्यकता। (406)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में रानाघाट से लालकोला तक दोहरी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (493)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में देवाग्राम स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (494)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में राणाघाट-चेंडे सैक्शन पर रेलगाड़ियों के पुराने डिब्बों को बदलने की आवश्यकता। (495)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में राणाघाट-चेंडे सैक्शन में रेल लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (496)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100रु० कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में पगला चांदनी नदी के पुल पर रेल लाइन के साथ-साथ पैदल पथ का निर्माण करने की आवश्यकता। (497)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

पश्चिम बंगाल में सभी चालू रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (498)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100रु० कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन के राणाघाट-गेडे सैक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता। (499)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दूसरी श्रेणी के रेल यात्री किराये में की गयी वृद्धि को वापिस लिये जाने की आवश्यकता। (509)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

सीजन टिकटों के किरायों में प्रस्तावित वृद्धि को वापिस लिए जाने की आवश्यकता। (510)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपए कम किए जायें।

माल भाड़े में वृद्धि करने के प्रस्ताव को वापिस लिये जाने की आवश्यकता। (511)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सभी गाड़ियों के डिब्बों का उचित रखरखाव और उनकी मरम्मत नियमित रूप से किए जाने की आवश्यकता। (564)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

रेलवे की खानपान सेवाओं के निजीकरण की योजना को छोड़ने की आवश्यकता। (566)

कि विविध संख्या में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग से 100 रुपए कम किए जायें।

रेलवे की खानपान सेवा में खानपान की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता। (567)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

दूसरे दर्जे के डिब्बों में पर्याप्त पेय जल सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता। (591)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

मासिक टिकटों के किराये में प्रस्तावित वृद्धि वापस लेने की आवश्यकता। (592)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

कलकत्ता में मेट्रो रेल का निर्माण शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (593)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सभी यात्री गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (594)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

हावड़ा से मुम्बई के लिए एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (595)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सियालदाह—लालगोला सेक्शन पर प्रथम श्रेणी के नये सवारी डिब्बे उपलब्ध करने की की आवश्यकता। (596)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

1981 में छटनी किए गए रेल कर्मचारियों को बहाल किये जाने की आवश्यकता। (597)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

विशेषत: राजधानी एक्सप्रेसी जैसी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के ए० सी० सवारी डिब्बों में अधिक सामान ले जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता। (598)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रेलवे प्लेटफार्मों पर सभी प्रकार के अवैध निर्माण और बाधाओं को हटाने की आवश्यकता। (599)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए कम किए जाएं।

प्रत्येक जिला मुख्यालय में रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे अस्पताल खोलने की आवश्यकता। (600)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वर्ष दर वर्ष के आधार पर अतिरिक्त रेलवे भूमि आवंटित करने की आवश्यकता। (601)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

फेरी वालों और यात्रियों को परेशानी से बचाने और राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से फेरी वालों को प्लेटफार्म पर और विशिष्ट रेल गाड़ियों के लिए लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता। (602)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

सियालदाह सेक्शन पर विशेषकर रात्री के दौरान आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० एफ० द्वारा प्रथम श्रेणी में अनधिकृत तौर पर यात्रा करने पर रोक लगाने की आवश्यकता। (603)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपए कम किए जाएं।

आवश्यक वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए बेरहमपुर कोर्ट स्टेशन से एफ० सी० आई० गोदाम (500 यार्ड) तक रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (604)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे भूमि को अनाधिकृत लोगों के कब्जा होने से बचाने की आवश्यकता। (605)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

हावड़ा—आजिमगंज सेक्शन पर जिबांती हाल्ट को फ्लेग स्टेशन में बदलने की आवश्यकता। (606)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किए जायें।

सियालदेह डिवीजन में करीमपुर, बरहामपुर होते हुए कृष्ण नगर से सैथिया तक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (607)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विद्युत जनरेटर लगाने की आवश्यकता। (608)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

हावड़ा डिवीजन में कटवा और आजिमगंज होते हुए हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक दिन के समय एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (609)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

हावड़ा डिवीजन में कटवा होते हुए हावड़ा से दानपुर तक एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (610)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सियालदाह सेक्शन में रानाघाट और लालगोला के बीच दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (611)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जावें।

सियालदाह—लालगोला सेक्शन पर विशेषकर 369 और 370 लालगोला यात्री गाड़ी में बिना टिकट यात्रा को रोकने की आवश्यकता। (612)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सियालदाह सेक्शन में लालगोला से कृष्णनगर तक रेल लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (613)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

सियालदाह सेक्शन में बरहामपुर कोर्ट स्टेशन और खरगाची के बीच बलरामपुर पर हाल्ट बनाने की आवश्यकता। 614

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

सियालदाह सैक्शन के लालगोला तथा रानीघाट के बीच गटल रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता । (935)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस में आर०ए०सी० तथा प्रतीक्षा-सूची यात्रियों की संख्या में कटौती करने की आवश्यकता । (936)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

गाड़ियों में दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार किए जाने की आवश्यकता । (937)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

मुशर्दाबाद के एक एतिहासिक स्थान होने के नाते सियालदा के मुशर्दाबाद स्टेशन पर पर्यटकों के लिए आवास सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता । (938)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

लालगोला सियालदा सैक्शन के बरहामपुर कोर्ट स्टेशन पर कम्प्यूटीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता । (939)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

हावड़ा-आजिमगंज सैक्शन के नियाल्लिजपारा हाल्ट स्टेशन के एक ओर एक रेलवे गेट बनाये जाने की आवश्यकता । (940)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

हावड़ा डिविजन में रद्द की गयी हावड़ा-बोंगाई गांव जनता एक्सप्रैस को पुनः चलाने की आवश्यकता । (941)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

सियालदा लालगोला सैक्शन के बरहामपुर रेलवे स्टेशन के निकट 34 राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता । (942)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

प्रत्येक सुपर फास्ट गाड़ी के लिए एक चिकित्सक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता । (943)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

बिलम्ब से चलने वाली गाड़ियों विशेष रूप से सुपर फास्ट गाडियों में यात्रियों को कम से कम 50 प्रतिशत किराया वापिस करने की आवश्यकता । (944)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

सीटों के आरक्षण और माल की बुकिंग में होने वाले कदाचार को रोकने की आवश्यकता । (1227)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

माल की चोरी, विशेषकर सार्वजनिक वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओं की चोरी को रोकने की आवश्यकता । (1228)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

सार्वजनिक वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता । (1229)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

पुराने रेल मार्गों को बदलने की आवश्यकता । (1230)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

कलकत्ता में सर्कुलर रेल को पूरा करने की आवश्यकता । (1231)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

यात्रियों के आरक्षण चार्ट को उन राज्यों जहां से गाड़ियां आरम्भ होती हैं की शासकीय भाषा में तैयार करने की आवश्यकता । (1232)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

आरक्षण की पर्ची को उस राज्य की शासकीय भाषा, जहां पर वह स्टेशन स्थित है में छापने की आवश्यकता । (1233)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

उन पर्यटकों के लिए भी, जो ऐतिहासिक स्थानों को जाना चाहते हैं, 'पैलेस आन व्हील' चलाने की आवश्यकता । (1234)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

हावड़ा डिवीजन में हावड़ा से नबो जलपाई गुड़ी बरास्ता कटवा और अजीमगंज एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता । (1235)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

हावड़ा से दिल्ली के बीच चलने वाली कम से कम एक रेलगाड़ी को बरास्ता कटवा अजीमगंज चलाने की आवश्यकता । (1236)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

भागीरथ एक्सप्रेस की या तो गति बढ़ाने या सियालदाह-लालगोला सैक्शन के बीच उसे मेल गाड़ी मानने की आवश्यकता । (1237)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच नई गाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता । (628)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

तालचर और बिमलागढ़ में बीच नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता । (629)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

पारादीप और देतारी के बीच नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता । (630)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

खुर्द रोड और बोलांगीर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता । (631)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में रेल विकास के लिए विशेष आवंटन करने की आवश्यकता । (632)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं---

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

जोधपुर बीरमगांव रेल लाइन को बदलने की परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता । (657)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

राजस्थान में बड़ी लाइन पर स्वचालित संकेत प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता । (658)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

डीजल की कमी को देखते हुए ट्रंक मार्गों के विद्युतीकरण की आवश्यकता । (659)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

राजस्थान में मीटर गेज लाइन पर चलने वाली पिंकसिटी एक्सप्रेस तथा अन्य रेल गाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान प्रदान करने की आवश्यकता । (660)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

मीटर गेज लाइनों पर चलने वाली रेल गाड़ियों के लिए अधिक सवारी डिब्बे प्रदान करने की आवश्यकता । (661)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

जयपुर में बाइसगोदाम रेलवे ऊपरी पुल पर चार लेनों का निर्माण करने की आवश्यकता। (662)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

गांधीनगर (जयपुर) स्टेशन पर सुपर फास्ट रेलगाड़ियों का कम से कम दो मिनट का हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (663)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बस्सी रेलवे स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (664)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

जयपुर रेलवे स्टेशन पर मुम्बई जाने वाली रेलगाड़ियों में सीटों और शयनिकाओं के अतिरिक्त कोटे की आवश्यकता। (665)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

टिकट एकत्र करने वाले कर्मचारियों को रनिंग कर्मचारी मानने और उन्हें सभी अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (666)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपया कम किया जाए।

उत्तर रेलवे के दिल्ली-सोनीपत-पानीपत सैक्शन के शीघ्र विद्युतीकरण की आवश्यकता। (667)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

दिल्ली-सोनीपत-पानीपत सैक्शन पर अधिक रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (668)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

दिल्ली-सोनीपत-पानीपत सैक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाने की आवश्यकता। (669)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

उत्तर रेलवे के बावली और नया आजादपुर स्टेशनों के बीच पुल को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (670)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

उत्तर रेलवे के दिल्ली-सोनीपत-पानीपत सैक्शन पर डी० एम० यू० रेलगाड़ी, शुरू करने की आवश्यकता। (671)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली-सोनीपत-पानीपत सैक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों में बिना भाड़ा दिए सामान ले जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता। (672)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली-शामली-सहारनपुर और दिल्ली मेरठ सैक्शन पर डी० एम० यू० रेलगाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता। (673)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

दिल्ली गाजियाबाद सैक्शन पर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पश्चिमी सिग्नल के समीप ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (674)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दिल्ली-शामली-सहारपुर सैक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाने की आवश्यकता। (675)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

सभी रेल गाड़ियों का गाजियाबाद से दिल्ली तक के मार्ग में परिवर्तन करके विवेक विहार में उनका हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (676)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

जयपुर में रिंग रेलवे सेवा शुरू करने की आवश्यकता। (677)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

उत्तर रेलवे के दिल्ली-सोनीपत-पानीपत सैक्शन पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (678)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच बनाई जा रही बड़ी रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (991)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

दिल्ली और जयपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बड़ी रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (992)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

हड़ताल के कारण बर्खास्त किये गये रेल कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की आवश्यकता। (993)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (994)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

जयपुर रेलवे स्टेशन पर अधिक यात्रियों को सुविधायें दिए जाने की आवश्यकता। (995)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग मे 100 रु० कम किए जाएं।

जयपुर आगरा रेल लाइन को दोहरा किये जाने की आवश्यकता। (996)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रेलवे में खिलाड़ियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए दस प्रतिशत कोटा दिए जाने की आवश्यकता। (997)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग मे 100 रु० कम किए जाएं।

जयपुर में गोदाउन और मालवीय नगर रेलवे क्रोसिंग होते हुए पूर्व रेलवे क्रासिंग झोटावार पर एक ऊपरी पुल बनाये जाने की आवश्यकता। (998)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

रेलवे सीजन टिकटों में अनुचित वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (999)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल कर्मचारियों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1000)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग मे 100 रु० कम किए जाएं।

रिवाड़ी जंक्शन से जयपुर रेलवे स्टेशन तक बड़ी लाइन बनाए जाने की आवश्यकता। (1001)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु०कम किए जाएं।

जयपुर रेलवे स्टेशन पर लगे कम्प्यूटर प्रणाली को मुम्बई से जोड़े जाने की आवश्यकता। (1002)

श्री राम कापसे (थाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

मध्य रेलवे के डोमबीविल्ली रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा प्रदान करने के लिए धन राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (685)

प्रो० प्रेम चन्द (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग मे 100 रु० कम किए जायें।

रेल डिब्बों में यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (719)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

शौचालय उच्च श्रेणी के डिब्बों में साफ-सफाई और साबुन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता । (720)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

यात्रियों के प्रति शिष्टाचार दर्शाने हेतु रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता । (721)

कि रेलवे गोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म पर स्वच्छता में सुधार करने की आवश्यकता । (722)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

हिमाचल प्रदेश में नंगल-तलवाड़ा पर आगे कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता । (730)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

कालका (हरियाणा) से परवानू (हिमाचल प्रदेश) तक बड़ी लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता । (731)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

गाड़ियों मे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता । (732)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

पठानकोट से बैजनाथ (हिमाचल प्रदेश) तक छोटी लाइन को मीटर गेज लाइन में बदले जाने की आवश्यकता । (733)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

माल गाड़ियों को उना तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता । (734)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

उना (हिमाचल प्रदेश) से चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस में अन्य स्थानों के लिए भी डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता । (735)

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

शटल गाड़ियों में पुराने चल स्टाक के स्थान पर नए चल स्टाक की आवश्यकता । (723)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (724)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

गाजियाबाद और पिलखुआ के बीच गालन्द ग्राम पर हाल्ट बनाये जाने की आवश्यकता। (725)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

दिल्ली से गाजियाबाद तक रेल किराये में वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (726)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली गाजियाबाद के बीच चल रही गाड़ियों के चलने के समय को कम करने की आवश्यकता। (727)

कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

कटिहार और ऊंचाहार एक्सप्रेस गाड़ियों को दोबारा चलाए जाने की आवश्यकता। (728)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

मुरी एक्सप्रेस को पूर्वोक्त समय पर चलाये जाने की आवश्यकता। (729)

डा० असीम बाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग को कम करके 100 रु० किया जाए।

कृष्णानगर से करीमपुर तक रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (736)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

रानाघाट गेडी और रानाघाट-बोनगांव रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (737)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।

सियालदह मंडल के अंतर्गत कन्नापाड़ा स्टेशन से बोनगांव तक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (738)

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग में 100 रु० किए जाएं।

पूर्वी रेलवे के रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने की आवश्यकता। (739)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

पूर्वी रेलवे को नई लाइने बिछाने के लिए उचित सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता। (740)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

स्थापना पर अपव्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता। (741)

कि निधियों में विनियोग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

सियालदह मंडल के रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दिये जाने की आवश्यकता। (742)

कि परिसम्पत्तिया-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

रानाघाट-गोडी लाइन में अतिरिक्त वेक प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (743)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

आरानघोटा स्टेशन पर सिगनल सिस्टम को उन्नत करने की आवश्यकता। (744)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

आरनघोटा और मेजचिया स्टेशन का विस्तार करने की आवश्यकता। (745)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

पूर्वी रेलवे में नयी विद्युतीकरण परियोजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता। (746)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

शांतिपुर-नबाद्वीप घाम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (747)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

रानाघाट-गेड लाइन के विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (748)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रानाघाट गेडी लाइन पर निम्नस्तर के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता । (749)

कि परिसंपत्तियां -खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

रानाघाट-लालगोला से दोहरी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता । (750)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रानाघाट-स्टेशन पर उचित जनसुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता । (751)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रानाघाट-बोलगांव रेल लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता । (752)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रानाघाट-बोनगांव लाइन पर और रेक प्रदान कराए जाने की आवश्यकता । (753)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रेल कम्प्यूटर का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता । (754)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रेल पटरियों के समयोचित नवीकरण की आवश्यकता । (755)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

यात्रियों को उचित सुविधाएं प्रदान कराने की आवश्यकता । (756)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये ।

रेलवे कोच के अनियमित निःसरण (प्रयोग) को रोकने की आवश्यकता । (757)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।

विखंडित रेल लाइनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता। (758)

डा० लाल बहादुर राखल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता। (782)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए रेल गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने की आवश्यकता। (783)

कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (784)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

यात्रियों की सुविधा हेतु ए जी एन यात्री गाड़ियों को अलीगढ़ जिले के हाथरस फोर्ट तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (785)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के धामपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (776)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

रेल किरायों में छूट की सीमा को 30 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए बढ़ावे जाने की आवश्यकता। (787)

रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों को अधिक वित्तीय सहायता तथा रेलवे में उपयुक्त रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (788)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

किरायों में हुए वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वातानुकूलित शयनयानों में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (789)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

छोटे रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (790)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

मथुरा से लखनऊ के बीच दिन के समय में छोटी लाइनों पर अतिरिक्त यात्री गाड़ियों (एक्सप्रैस/मेल) को चलाये जाने की आवश्यकता । (791)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

हाथरस फोर्ट रेलवे स्टेशन से मरुधर एक्सप्रैस में आरक्षण कोटे को बढ़ाये जाने की आवश्यकता तथा देहरादून-इलाहाबाद सिक एक्सप्रैस रेल गाड़ियों में धामपुर रेलवे स्टेशन से आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता । (792)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

रेलवे लाइनों के समीप पड़ी खाली भूमि का उचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता । (793)

श्री उद्धव बर्मन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

वर्ष 1981 में छटनी किए गए रेलवे कर्मकारों को बहाल करने में सफलता । (827)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपये कम किया जाए ।

गुवाहाटी से हावड़ा तक और अधिक रेल गाड़ियां चलाने में असफलता । (828)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने तथा गाड़ियों में अधिक संख्या में सीटें प्रदान करने में असफलता । (829)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

दूसरी श्रेणी के किरायों में वृद्धि को वापस लेने में असफलता । (831)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया कम किया जाये ।

गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता । (838)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

लालडग से सिल्चर तथा बदरपुर से धर्मानगर तक रेल लाइनों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता । (839)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

पूर्व सीमांत रेलवे में न्यू बोंगाइगांव-जोगीघोपा लाइन पर दिओहाती में पानी के जमाव को रोकने के लिए एक पुल के निर्माण की आवश्यकता । (840)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

पूर्व सीमांत रेलवे में न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक दोहरी लाइन (बड़ी लाइन) के निर्माण की आवश्यकता । (841)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

उत्तर सीमांत रेलवे में न्यू पगलस्थान (बोंगाइगांव) और पाठशाला में ऊपरी पुलों के निर्माण की आवश्यकता । (842)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये ।

उत्तर सीमांत रेलवे में अमीरगांव के निकट सिला पर एक ऊपरी पुल के निर्माण की आवश्यकता । (843)

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

सियालदह और लालगोहा के बीच चली रही रेलगाड़ियों के डिब्बों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता । (844)

सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।

जांगीपुर रोड स्टेशन से होकर हावड़ा जाने तथा हावड़ा से आने वाली रेलगाड़ियों के डिब्बों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता । (845)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।

हावड़ा फरक्का और सियालदह-लालगोला खंडों में रेल पटरियों के शीघ्र नवीनीकरण की आवश्यकता । (846)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।

सियालदह-लालगोला खंडों को हावड़ा आजमगंज खंडों से जोड़ने के लिए अजीमगंज जंक्शन के समीप भागीरथी नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (847)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

पूर्व रेलवे के सियालदह-लालगोला खंडों पर चलने वाली रेल गाड़ियों में यात्री सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (848)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए।

जांगीपुर रोड़ स्टेशन से होकर हावड़ा जाने तथा वहां से आने वाली रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता। (849)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।

पूर्व रेलवे में सागरदिघी होकर हावड़ा से नालहाटी तक एक सीधी रेल सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता। (850)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

जांगीपुर, अहिरान, सुजनीपाड़ा और धुलियान गंगा स्टेशनों के यात्रियों की सुविधा के लिए जांगीपुर रोड होते हुए हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ियों के समय पुन: निर्धारित किये जाने की आवश्यकता। (851)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।

पूर्व रेलवे के अन्तर्गत जांगीपुर रोड़ होते हुए कटुवा और न्यूफरक्का के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (852)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

जांगीपुर रोड़ होते हुए कटवा और न्यू फरक्का के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (853)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

जांगीपुर रोड़ स्टेशन से होकर हावड़ा-फरक्का मार्ग पर चलने वाली कामरूप एक्सप्रेस जैसी तथा अन्य रेल गाड़ियों की नियमितता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (854)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

जांगीपुर रोड़ स्टेशन से होकर हावड़ा जाने तथा वहां से आने वाली रेल गाड़ियों के डिब्बों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (855)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के अन्तर्गत सागरदिघी रेलवे स्टेशन पर आम यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (856)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

लालगोला तथा जियागंज स्टेशनों पर सामान्य यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (857)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

जांगीपुर रोड़ स्टेशन होते हुए हावड़ा और मालदा के बीच एक एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (858)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

जांगीपुर रोड़ स्टेशन होते हुए कटवा और न्यू फरक्का के बीच एक स्थानीय यात्री गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (859)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के अन्तर्गत हावड़ा-न्यू फरक्का खंड में महीपाल रोड़ स्टेशन पर एकतरफा प्लेटफार्म बनाये जाने की आवश्यकता। (860)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के अजीमगंज-नालहाटी खंड में सागरदिघी स्टेशन पर प्लेटफार्म के ऊपर एक शेड बनाए जाने की आवश्यकता। (861)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के अन्तर्गत सियालदह-लालगोला खंडों में कृष्णनगर और और लालगोला के बीच रेल पटरी को दोहरा किए जाने की आवश्यकता। (862)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में कृष्णनगर और लालगोला के बीच शटल रेलगाड़ी आरम्भ किए जाने की आवश्यकता। (863)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में सियालदह-लालगोला खंड के अन्तर्गत पिरताल हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदलने की आवश्यकता। (864)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बहरामपुर कोर्ट स्टेशन पर प्रतीक्षारत यात्रियों को बिजली चले जाने के कारण होने वाली असुविधा कम करने के लिए वहां एक जनरेटर लगाये जाने की आवश्यकता। (865)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में कृष्णनगर और लालगोला के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (866)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में बरहामपुर कोर्ट स्टेशन के निकट उस स्थान पर, जहां रेल लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को पार करती है, पर वर्तमान फाटक के स्थान पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (867)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे के सियालदह-लालगोला खंड में भगवानगोला स्टेशन पर एक पुल बनाये जाने की आवश्यकता।

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में लालगोला स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता। (869)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्व रेलवे में लालगोला स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड बनाए जाने की आवश्यकता। (870)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

पूर्व रेलवे में लालगोला स्टेशन पर यात्रियों तथा कर्मचारी आवासों के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (871)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

सियालदह और लालगोला के बीच चलने वाली गाड़ियों में पुराने डिब्बों को बदलने की आवश्यकता। (872)

कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

सियालदह-लालगोला लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (873)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

काठगोदाम से आगरा तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (874)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

बरेली-बदायूं मार्ग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (875)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

इज्जत नगर, बरेली में एक नई माडल रेलवे कालोनी विकसित करने की आवश्यकता। (876)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

बदायूं में उशात मार्ग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता । (877)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

बरेली में डीजल इंजिनों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (878)

कि रेल इंजनों की मरम्मत और संरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

इज्जत नगर, बरेली में रेल डिब्बे बनाने का एक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता । (879)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

बरेली स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता । (882)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

बीलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर एक लिन शैड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (883)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

बरेली और दिल्ली के बीच एक शटल रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता । (884)

कि परिचालन व्यय और यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

अलीगढ़ होते हुए बरेली से आगरा तक एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता । (885)

श्री सत्यागोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-मिदनापुर सैक्शन में अधिक ई० एम० यू० स्थानीय गाड़ियां चलाने की आवश्यकता । (917)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

निर्धारित समय में तामलुक-दिघा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (918)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100रु० कम किए जाए।

दक्षिण पूर्व रेलवे के संतराधी से पंसपुरा तक चौथी रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता। (919)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे मे पंसपुरा से गड़गपुर तकचौथीसरी रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता (920)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जावे।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंसपुरा मे हल्दिया तक दूसरी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (921)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंसपुरा-हल्दिया सैक्शन पर अधिक स्थानीय गाड़ियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (922)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा मे राऊरकेला तथा शताब्दी एक्सप्रैस चलाने की आवश्यकता। (923)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसपुर-हल्दिया सैक्शन पर रानीचक पर यात्री हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (924)

दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसपुरा-हल्दिया सैक्शन में महिसादल बाजार पर यात्री हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (925)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

मछेदा, पंसपुरा, रंगनान तथा हातड़ा स्टेशनों पर पान के पत्तों की बुकिंग के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (926)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

कलकत्ता उप-नगरीय क्षेत्रों में पुराने ई० एम० यू० डिब्बों को बदलने की आवश्यकता। (927)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के खिदनापुर से हावड़ा तक फास्ट यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता । (928)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।

हल्दिया तथा बिहार को देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए मझेरा रेलवे स्टेशन पर कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को (स्टील एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, पुरुलिया एक्सप्रेस, पुरी एक्सप्रेस आदि) रोकने की आवश्यकता । (929)

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।

मझेरा रेलवे स्टेशन पर खान-पान शौचालय तथा रोशनी जैसी पर्याप्त यात्री सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता । (930)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

सीमेंट उतारने की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के कल्याणकुंडा स्टेशन पर शैड तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (931)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100रुपए कम किए जाएं ।

खड़गपुर रेल कार्यशाला के दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता । (932)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के मझेरा रेलवे स्टेशन पर बस बोर्ड का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता । (933)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

खड़गपुर रेलवे डिवीजन पर रेल उपभोक्ता समिति को सक्रिय बनाने की आवश्यकता । (934)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

अजमेर से होते हुए दिल्ली और अहमदाबाद के बीच दिन के समय एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता । (961)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

अजमेर-मारवाड़ जंक्शन की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को पुन: चलाये जाने की आवश्यकता । (962)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

अजमेर-विजयनगर, अजमेर-ब्यावर, अजमेर-किशनगढ़ मार्गों पर समय से रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (963)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

अजमेर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण आरम्भ करने की आवश्यकता। (964)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दरगाह और पुष्कर मेले को ध्यान में रखते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर नये प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय गृह बनाये जाने की आवश्यकता। (965)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

दिल्ली-अहमदाबाद मेल में अजमेर ब्यावर और किशनगढ़ के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता। (966)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

अजमेर में लोको तथा कैरेज कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने तथा अधिक कर्मचारियों को लगाने के लिए विकास कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता। (967)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

सवाई माधोपुर-जयपुर-जोधपुर-बारमेड़ बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (968)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

राजस्थान में नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (969)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

अजमेर-किशनगढ़, मकराना और अजमेर-पुष्कर खण्डों में नई रेल लाइन बिछाने तथा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। (970)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

अजमेर में मीटर गेज लाइनों का नया जोन बनाने की आवश्यकता। (971)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

राजस्थान में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए धन दिए जाने की आवश्यकता। (972)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

निलम्बित रेल कर्मचारियों को जल्दी बहाल करने की आवश्यकता। (1136)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

रेल बुकिंग कार्यालय में व्याप्त कदाचार और लापरवाही को कारगर ढंग से रोकने की आवश्यकता। (1137)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेल सेवाओं में समय की पाबन्दी, संरक्षण और सुविधा सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (1138)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, विजयनगर और नसीराबाद रेलवे स्टेशनों पर सफाई और अन्य सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता। (1139)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

लाल फीताशाही को दूर करने और अफसरशाही के कार्य चालन में सुधार करने की आवश्यकता। (1140)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

अजमेर के जोनूजगंज के निकट और ब्यावर में मिलरोड के निकट रेल लाइन पर पुलों के जल्द निर्माण की आवश्यकता। (1141)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच बरास्ता जयपुर, अजमेर, आबू रोड और मेहसाना के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और उसे दोहरा बनाने की आवश्यकता। (1142)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

फुलेरा जंक्शन से अजमेर और चित्तौड़ से अजमेर के बीच मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता। (1143)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

अजमेर जिले में सभी रेलमार्गों पर रेलवे क्रासिंगों का निर्माण करने की आवश्यकता। (1144)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

पुष्कर जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को रेल लाइन से जोड़ने के उद्देश्य से अजमेर-पुष्कर-मेडता के बीच रेल लाइन का जल्द सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता। (1145)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाये।

दिल्ली-अहमदाबाद और अजमेर मण्डल के बीच रेल लाइन की दशा सुधारने की आवश्यकता (1146)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

ब्यावर में सुपर फास्ट एक्सप्रैस (असम एक्सप्रैस) का हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (1147)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

अजमेर मंडल के अन्तर्गत बंदनवाडा में 71अप-72 डाउन रेलगाड़ी का हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (1148)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

जयपुर-आमेर-आबू रोड होकर दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता। (1192)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

सुपर फास्ट रेलगाड़ी (आगरा फोर्ट) को जयपुर से अजमेर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (1193)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

अजमेर-पुष्कर-मराटा नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1194)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

ब्यावर-भीम-कोमलीघाट के नाम से नयी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1195)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

सुपर फास्ट असम एक्सप्रेस को ब्यावर पर तथा पिंकसिटी को किशनगढ़ तथा नजीराबाद पर रोके जाने की आवश्यकता। (1196)

कि परिचालन व्यय-ईंधन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

रेलों में कोयले तथा डीजल की चोरी रोकने की आवश्यकता । (1201)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

रेल कर्मचारियों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और कल्याण सेवाओं तथा आवास संबंधी सुविधाओं में सुधार तथा विस्तार किए जाने की आवश्यकता । (1202)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

अजमेर में रेलवे अस्पताल तथा रेलवे स्कूलों में उचित सुधार किए जाने की आवश्यकता । (1203)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

रेल कर्मचारियों की छंटनी रोकने की आवश्यकता । (1204)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

विकलांग कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (1205)

श्री धाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

रेलवे में व्याप्त कदाचार को रोकने की आवश्यकता । (1008)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

प्रस्तावित न्यू निजामुद्दीन-कोटा-इन्दौर रेलगाड़ी को नई दिल्ली से चलाये जाने की आवश्यकता । (1009)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।

कोटा तथा अनूप स्टेशनों के बीच चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने की आवश्यकता । (1010)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कोटा तथा मुम्बई के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों को परेशान करने को रोकने की आवश्यकता । (1011)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

नीमच-कोटा रेलगाड़ी को दिल्ली तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (1012)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

कोटा-बीना तथा कोटा-नीमच रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (1013)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कोटा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1014)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कोटा रेलवे स्टेशन को एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (1015)

कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

इन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर वर्षा तथा धूप से यात्रियों को बचाने के लिए शैड बनाए जाने की आवश्यकता। (1016)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

मुम्बई जाने वाली म्यू ए०सी० एक्सप्रेस को कोटा स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता। (1017)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

फिटियल मेल में कोटा से एक और डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता। (1018)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

देहरादून एक्सप्रेस में नियमित रूप से एक दूसरी श्रेणी का ए०सी० शिलीपर कोच उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1019)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए।

कोटा तथा नई दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (1020)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कोटा-बीना यात्री गाड़ी में दक्षिण के लिए जाने वाली गाड़ी में डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता। (1021)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

कोटा स्थित रेलवे वर्कशाप का विस्तार करने की प्रभावी योजना के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (1022)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

अवध एक्सप्रेस को केशोशयारन तथा दूरा में रोकने की आवश्यकता । (1023)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

देहरादून एक्सप्रेस को कौवरेज रेलवे स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता । (1024)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

दिल्ली तथा मुम्बई जाने वाली सभी गाड़ियों में बरान रेलवे स्टेशन से आरक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (1025)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

जी०आर०पी० रेलवे के अन्तर्गत कोटा-दमोह एक्सप्रेस को जबलपुर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता । (1026)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

कोटा तथा मुम्बई के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता । (1027)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

कमलेश्वर-महादेव के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा तथा माधोपुर के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को रामनगर स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता । (1028)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

कोटा रेलवे वर्कशाप पर हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता । (1029)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

रेलवे खान-पान सेवा में सुधार करने की आवश्यकता । (1030)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

रेल कर्मचारियों को अपनी कालोनी में आने जाने के लिए पश्चिम रेलवे के कोटा नगर स्टेशन पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (1031)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत कोटा के रंगपुर गांव पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता । (1032)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

कोटा नगर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता । (1033)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

पश्चिम रेलवे के कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए डकनिया तलाब रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता। (1034)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

कोटा नगर के यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे के डकनिया तलाब रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों को रोके जाने की आवश्यकता । (1035)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

कोटा से बीना होकर भोपाल को रेलगाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता । (1036)

श्री मोहन सिंह (देवरियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

रेल दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता । (1068)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

रेल गाड़ियों में चोरी डकैती आदि की घटनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने की आवश्यकता । (1069)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

रेलवे में खान-पान की दरें निर्धारित करते समय आम उपभोक्ताओं के सुझावों को महत्व देने की आवश्यकता । (1070)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

पूर्वोत्तर रेलवे में मोउ-शाहगंज रेल लाइन बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । (1071)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

लखनऊ से बरोनी तक दोहरी लाइन बिछाने और उसका विद्युतीकरण करने की आवश्यकता । (1072)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के उत्तरी सीमा पर एक नया प्लेटफार्म और बुकिंग आफिस खोलने तथा शहर को जोड़ने वाले एक कंक्रीट रेल सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता । (1073)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

बहराइच बाजार और वाराणसी तथा लखनऊ के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (1074)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बहराइच बाजार में माल ढुलाई शैड और प्लेटफार्म का निर्माण करने की आवश्यकता। (1075)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

आगरा से पूर्वी भारत के लिए एक सीधी सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (1112)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

आगरा तथा मुम्बई के बीए एक सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (1113)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

आगरा में नई राजाबंड़ी रेलवे स्टेशन का विकास किये जाने की आवश्यकता। (1114)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

आगरा से टूण्डला स्टेशन तक एक शटल यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता ताकि अलीगढ़ से आगरा टूण्डला मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिल सके। (1115)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

आगरा से ग्वालियर तथा मुम्बई के बीच लश्कर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (1116)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाये।

आगरा से प्रतिदिन दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सीजनल टिकट देने की आवश्यकता क्योंकि यह सुविधा मुम्बई के यात्रियों को उपलब्ध है। (1117)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाये।

आगरा जिले में पश्चिम रेलवे के खेडासदन रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने की आवश्यकता। (1118)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

ओलेन्डा रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता। (1119)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

ईदगाह रेलवे स्टेशन का विकास किये जाने की आवश्यकता। (1120)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

आगरा के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर माल चढ़ाने के लिए पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (1121)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।

आगरा रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1122)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।

आगरा को देश के अन्य पर्यटक स्थलों से जोड़ने के लिए एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (1123)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।

आगरा की विभिन्न रेलवे कालोनियों में सफाई तथा नागरिक सुविधाओं की कमी दूर करने की आवश्यकता। (1197)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे मैदान में एक स्टेडियम बनाने की आवश्यकता। (1198)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटीकृत आरक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1199)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

न्यू राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटीकृत आरक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1200)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

आगरा की विभिन्न रेलवे कालेनियो में आवास तथा आवासीय सुविधाओं की कमी दूर करने की आवश्यकता। (1206)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

आगरा में रेल कर्मचारियों के लिए शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता (1207)

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

हाटिया-रांची हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में हाटिया से तीन डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता । (1219)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

दक्षिणी पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत आद्रा होते हुए नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी को प्रति दिन चलाये जाने की आवश्यकता । (1220)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे में अमृतसर-टाटा नगर एक्सप्रेस गाड़ी को सूइसा तथा तारंग स्टेशनों पर रोके जाने की आवश्यकता । (1221)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

बोरकाखाना मुरी यात्री गाड़ी को टाटा नगर तक बढ़ाने की आवश्यकता । (1222)

कि परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से कोटशिला तक की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता । (1225)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के सुइसा और तारंग स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाये जाने की आवश्यकता । (1226)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

रेल कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए बरेली में एक रेलवे इंटर कालेज खोलने की आवश्यकता । (1238)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बरेली और आगरा के बीच एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1239)

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बरेली से दक्षिण भारत के लिए एक रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1240)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

बरेली को मुम्बई के साथ जोड़ने वाली एक रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1241)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत में 100 रुपए कम किए जायें।

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता। (1242)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता। (1243)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बरेली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (1244)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बरेली में एक रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित करने की आवश्यकता। (1245)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बरास्ता चन्दौसी-बरेली-मुरादाबाद लिंक एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता। (1246)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मुरादाबाद—दिल्ली रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता। (1247)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

लखनऊ और मुरादाबाद के बीच रेलमार्ग का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता (1248)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

बरेली-श्यामगंज रेलवे स्टेशन को हटाकर एक कार्मशियल काम्पलैक्स का निर्माण करने की आवश्यकता। (1249)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।

मलिक और नगरिया सादात रेलवे स्टेशन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (1250)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

मिरोरा रेलवे स्टेशन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (1251)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

उत्तर पूर्व रेलवे बदायूं रेल मार्ग पर बरेली-चौपुला के क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (1252)

श्री अीजलम धानिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही, मैं आपको कृपा चाहूंगा कि श्री फर्नान्डीज को जितना समय दिया गया, उससे कम से कम आधा समय मुझे भी दिया जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि उससे पहले घण्टी न बजायें।

महोदय, मैं मांगों सहित वर्ष 1992-93 के लिए रेलवे बजट और साथ ही साथ अनुपूरक बजट का तहे दिल से समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय श्री फर्नान्डीज जी के बाद बोलना खुशी की बात है अथवा एक दुखद अनुभव है। वे स्वयं रेलवे के कार्यों का संचालन कर रहे थे और वह भी कोई बहुत पहले नहीं। केवल दो वर्ष पहले ही उन्हें इस सम्मानित सदन में रेल बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। जैसाकि हम सभी जानते हैं, यह हमारे देश के सर्वाधिक विशाल सरकारी उपक्रमों का बजट है। रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और हम अपने देश के पूर्ण विकास के लिए इसकी प्रासंगिकता और अत्यधिक महत्व को जानते हैं

5.00 म०प०

इसीलिए, इसके महत्व के कारण, न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अपितु अंग्रेजों के समय से ही एक अनूठे कार्य के रूप में, रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाता है। यह आम बजट का भाग नहीं है। रेलवे के कार्यकरण को इस प्रकार की भिन्नता और महत्व के साथ देखा जाता है।

जैसाकि मैंने पहले कहा था, रेलवे सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा है और देश की जीवनरेखा है। तथापि कोई क्षेत्र औद्योगिक प्राकृतिक संसाधनों में कितना भी समृद्ध क्यों न हो, परन्तु यदि रेलवे उस क्षेत्र तक न पहुंच पाई हैं तो उद्योगपति भी वहां नहीं जाना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त, हमारे जैसे बड़े देश में, रेलवे हमारे देश के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।

अब, हमारे देश की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है जिसके ऊपर इस वर्ष का रेल बजट प्रस्तुत किया गया है ? हरेक व्यक्ति जानता है कि हम कठिन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आम बजट और रेलवे बजट के पेश होने से पहले, हमारे देश के जनसाधारण को यह आशंका थी कि पेश किया जाने वाला बजट काफी कठोर होगा और उसमें भारी और कड़े कर लगाए जायेंगे। संभवतया, हमारे विरोधी दलों के मित्र जो इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, बजट को देखकर काफी निराश हुए होंगे।

5.03 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए।]

कुल मिलाकर मैं श्री जाफर शरीफ द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट तक ही अपने को सीमित रखूंगा। रेल बजट का सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। रेल बजट की सभी ने प्रशंसा की है। भूतपूर्व रेलमन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई, उसे देखकर मैं हैरान नहीं हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने बजट का विरोध किया। यदि उन्होंने इसका समर्थन किया होता तो इस बजट की नेकनीयती के सम्बन्ध में देश की जनता को कुछ और अंदेशा हुआ होती। जी फर्नान्डीज जबमन्त्री थे, उस समय उन्होंने कुछ और किया और अब जब वे विरोधी दलों की बैंचों पर बैठे हैं तो कुछ और कह रहे हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं आंकड़े भी दे सकता हूं।

मुझे खुशी होती, यदि उन्होंने समय की पाबन्दी की अथवा सुरक्षा उपायों की, संचालन अनुपात की और इसी तरह की बात की होती। आप रेलवे प्रणाली की कुशलता का कैसे पता लगायेंगे? आप यात्रियों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जब माननीय श्री फर्नान्डीज वर्ष 1990-91 में रेल मन्त्री थे, तब समय निष्ठा का स्तर 87.5 प्रतिशत था। वर्ष 1991 अप्रैल-जून में, उसी वर्ष के एक भाग में यह एकदम कम होकर 84.4 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह आंकड़े हैं। क्या आप आंकड़ों को अस्वीकार कर सकते हैं? कांग्रेस सरकार बनने के बाद से समय निष्ठा के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। अब यह 86.9 प्रतिशत है। मेरे पास इस सम्बन्ध में दस्तावेजी सबूत है।

श्री श्रीकांत जेना : इसके लिए हम नोबल प्राइज की सिफारिश करते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : आप रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के लिए नोबल प्राइज का दावा कीजिए।

महोदय, आप विशेषरूप से हमारे भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री फर्नान्डीज की बात करते हुए, प्रस्तुत करने की कला के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख कर रहे थे। मैं इसे सदन को गुमराह करने की कला कहूंगा। मैं कहता हूं उन्होंने स्वयं रेलगाड़ियों को पटरी से उतारा है। वे जब रेल मन्त्री थे, उन्होंने अपने विभाग की बजाय अन्य विभाग को ज्यादा समय दिया। वे जब रेल मन्त्री थे, रेलवे को अत्यधिक हानि हुई थी।

श्री श्रीकांत जेना : मैं श्री पाणिग्राही जी को केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं और वह यह कि रेल मन्त्री के रूप में अपनी अवधि के दौरान, उनके निर्वाचन क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया था।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : आपकी उड़ीसा में अपनी सरकार है। आपको अपना मुख्यमन्त्री है। भूमि प्राप्त करने की रुचि की कमी के कारण, आप रेलवे के लिए थोड़ी जगह प्राप्त करने में असफल रहे हैं। क्या आप इस बात का खंडन कर सकते हैं? इसलिए मुझे उत्तेजित मत कीजिए।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं, केवल एक बात कह रहा हूं कि रेल मन्त्री के रूप में श्री जार्ज फर्नान्डीज के कार्यकाल के दौरान, श्री पाणिग्रही जी के निर्वाचन क्षेत्र को सर्वाधिक राशि मिली थी।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं सच्चाई और आंकड़ों की बात कर रहा हूं। इसकी पुष्टि के लिए मेरे पास दस्तावेज हैं। यह काफी ऊंचा चला गया है। मैं कहूंगा कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भूत हर समय उनके पीछे लगा हुआ है। मैं जानता हूं कि कुछ सदस्य जो दूसरी ओर बैठे हैं, उनकी नींद के समय में भी, भूत उनका पीछा करता रहता है। यहां तक कि एक दिन माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा दिए गए सुन्दर और प्रभावित करने वाले स्पष्टीकरण के बाद भी, भूत अब भी उनके पीछे लगा हुआ है। वे अब और क्या चाहते हैं ? उनके अपने नेता श्री मोरारजी देसाई, जो बम्बई में रहते हैं, ने हमारी आर्थिक नीति का स्वागत किया था। वे हमारे प्रधानमन्त्री थे। 94 वर्ष की आयु में वे हमारी नीति का स्वागत कर रहे हैं। क्या यह गलत है ? इसी प्रकार, एक अन्य अर्थशास्त्री श्री पालकीवाला, श्री फर्नाण्डीज से सम्बन्धित दूसरे सदन के एक अन्य सदस्य इस हद तक कह गये कि चाहे उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये, वे सरकार के सभी उपायों और आर्थिक नीति का स्वागत करते रहेंगे। इस प्रकार की परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही हैं।

श्री श्रीकांत जेना : श्री देव भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमारी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में आपके मुख्यमन्त्री श्री बीजू पटनायक का क्या रवैया है। वे हृदय से इसका समर्थन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना है। वे सभी चकराये हुए हैं।

अब मैं संचालन अनुपात की बात पर आ रहा हूं।

राजीव गांधी की सरकार के दौरान 1989-90 में संचालन अनुपात क्या था ? यह 91.5 था। 1990-91 में यह 92 था, इस वर्ष यह 90.3 प्रतिशत है। रेल मन्त्री महोदय का मुख्य दबाव यही था कि इसे 2 प्रतिशत किया जाए और ऐसा किया गया। उन्हें बधाई है। 1992-93 में, लक्ष्य 87.7 है। वे इस प्रकार से कार्य करने के खर्चों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं एक बात के लिए रेल मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं जैसाकि आप जानते हैं इस चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे का मूल कार्यनिष्पादन—सभी क्षेत्रों—माल ले जाने और यात्रियों की संख्या, में काफी प्रभावकारी है। यात्रियों की संख्या में 5% वृद्धि हुई है। माल ले जाने का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया जा चुका है अपितु उससे लगभग 3 मिलियन टन अधिक हुआ है।

पिछले वर्ष के बजट में 235 करोड़ रु० का आधिक्य प्रक्षिप्त था। चालू वर्ष के बजट में यह 235 करोड़ रु० था। लेकिन वास्तव में, आधिक्य और 200 करोड़ रु० का अधिक है, यह 435 करोड़ रु० है, सही अर्थों में यह 475 करोड़ रु० होना चाहिए।

लाभांश भुगतान आदि के अलावा पेंशन निधि के लिए 40 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि दी गई है।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

आदरणीय महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जब श्री जार्ज फर्नान्डीज इसके बारे में बात कर रहे थे तो तब वे रेल मन्त्रालय के कार्यकरण को पृथक करने के संदर्भ में कह रहे थे। लेकिन जैसाकि मैंने आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति से प्रारम्भ किया था और उसके बारे में उल्लेख किया था हम सभी जानते हैं कि देश के बहुमूल्य सोने को भी कैसे छोड़ना पड़ा। ऐसी कठिन परिस्थिति में, जबकि हमारा आर्थिक परिदृश्य लगभग निराशपूर्ण था, तब 200 करोड़ रुपये सामान्य कोष में अतिरिक्त अंशदान के रूप में दिए गए। इससे भी देश की आर्थिक स्थिति को सुधरने में सहायता मिली है। स्वाभाविक रूप से सरकार समग्र रूप से कार्य कर रही है तथा कोई भी यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने रेल मन्त्रालय में कुछ नहीं किया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि रेलवे सहित कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों में बजटीय सहायता में बहुत अधिक कमी की गई है। बजटीय सहायता हमेशा कैसे मिल सकती है? यह कहां से आयेगी? कोयला क्षेत्र की भी यही स्थिति है। अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इन एककों के कार्यकरण के लिए पहले जैसे बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकती उन्हें आत्म-निर्भर होना चाहिए। उन्हें स्वयं वित्तीय संसाधन आदि उत्पन्न कराने चाहिए।

इस प्रकार बड़ी ही विषम स्थिति में रेल मन्त्री ने यह बजट प्रस्तुत किया है। हालांकि और अधिक कर लगाकर राजस्व को 1363 करोड़ रु० तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है। परन्तु अधिक भुगतान कौन करेगा? दैनिक यात्रियों पर भार न्यूनतम हैं तथा सभी आवश्यक वस्तुओं को अधिक माल भाड़ा प्रयासों से अलग रखा गया है।

इसके अलावा, दूसरी श्रेणी की यात्रा के सम्बन्ध में, जैसाकि मन्त्री महोदय ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया है जम्मू से कन्याकुमारी तक यात्रा करने पर एक यात्री को 25 रुपए अधिक देने होंगे। इस वर्ष जैसे संकटपूर्ण वर्ष में गरीब लोगों पर अधिक भार नहीं लगाया गया हैं तथा अतिरिक्त भार का 50 प्रति उन्हीं यात्रियों से प्राप्त होगा। जो कि अधिक दे सकते हैं अर्थात उच्च श्रेणी वाले, प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित श्रेणी वाले, इत्यादि।

निसंदेह रूप से उपनगरीय यात्रियों के किराया में वृद्धि की गई हैं। इस बारे में उल्लेख भी किया गया हैं। क्या उनमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए? जो दे सकते हैं, उनको हम लोग सब तक रियायत देते रहेंगे? जब वस्तुएं महंगी तथा कीमती होती हैं तो मुद्रास्फीतियों की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती हैं तथा उसे सन्तुलित करने के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ता आदि दिया जाता है। हम महानगरों में जो बसों में यात्रा करते हैं उनसे दैनिक रेल यात्रा करने वालों की तुलना कर सकते हैं। इस बढ़ोतरों के बावजूद भी, इसी यात्रा के लिए एक बस यात्री को रेल यात्री से अधिक देना पड़ता है। उनके लिए क्यों आंसू बहाए जाएं जो सकते हैं तथा जिन्हें अतिरिक्त महंगाई भत्ता आदि भी मिल जाता है।

वस्तुतः स्थिति यह है। केवल बजट की आलोचना करने के लिए यदि वे आलोचना कर रहे हैं तो तो इसमें कौन मदद कर सकता है?

मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि हम पर मुद्रास्फीति की दबाव में हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अब तक आपने 20 मिनट का समय ले लिया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इस समय को हमारे दल के लिए नियत समय से समायोजित किया जा सकता है।

हम मुद्रास्फीति के दबाव में हैं। लेकिन मुद्रास्फीति का बाद का बजटीय प्रभाव क्या है। दोनों रेल मन्त्रियों द्वारा रेल मन्त्रालय के कार्यकरण की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के फलस्वरूप मुद्रास्फीति का प्रभाव काफी कम हो गया है। मुझे पता है कि उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है, तथा रेलवे अधिकारियों प्रबन्धकों आदि से बातचीत की है, व्यय में बड़ी सावधानी से कमी की गई है तथा मितव्ययता अपनाई गई है जिसके कारण मुद्रास्फीति का प्रभाव भी कम हुआ है। यह देखा गया है।

इसके अलावा, संचालन अनुपात, जिसका मैंने उल्लेख किया है, पूंजी की तुलना में कुल राजस्व में वृद्धि हुई है। जब श्री फर्नान्डीज रेल मन्त्री थे, तो तब यह वर्ष 1990-91 में 6.91% था यह वर्ष 1991-92 में बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 1992-93 में इसके 10.9% होने की सम्भावना है। क्या यह सराहनीय तथा स्वागत योग्य विशेषतायें नहीं हैं।

जैसाकि पहले बताया जा चुका है इस वर्ष नैरोगेज लाइन तथा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने पर बल दिया जा रहा है। इस निर्णय के लिए मैं रेल मन्त्रालय को पुनः बधाई देता हूं। जिस क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन नहीं है वहां के लोगों के मन में एक भावना है वह हीनता की भावना है क्या ऐसा नहीं है? इसके अलावा इस प्रकार के जो क्षेत्र उपेक्षित हैं वहां पर उद्योगपति भी अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने में हिचकिचाहट करते हैं। जिस क्षेत्र में कोई भी रेल लाइन नहीं होती है वह उपेक्षित क्षेत्र होता है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन नहीं होती है। और वहां पर केवल मीटर गेज लाइन ही होती है, वहां पर इस प्रकार की कठिनाई आती है।

अतः नैरोगेज तथा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का उनका निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। और इससे भी काफी लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इससे पहले श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने इस बारे में कहा है कि कितने श्रम दिवसों, आदि का सृजन होगा और इसकी तुलना में कितनी धनराशि आबंटित की गई।

महोदय रेलवे पर एक बहुत ही बड़ा सामाजिक दायित्व है। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, वर्ष 1980-81 में सामाजिक लागत केवल 421 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 1991-92 में बढ़कर 2221 करोड़ रुपए हो गयी है। परन्तु इसमें उत्पादन से जुड़े बोनस जिसका हम भुगतान करते हैं शामिल हैं, तथा मैं समझता हूं कि काफी बड़ी राशि इसके अन्तर्गत चली जाती है।

रेल यातायात सड़क यातायात की तुलना में छः गुना अधिक ऊर्जा मितव्ययी है। परन्तु मैं माननीय रेल मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इसे कम लागत वाली बनाएं तथा इसे तैयार रहने के

लिए उपलब्ध करायें। जब तक यह माल तथा अन्य की ढुलाई हेतु तत्काल उपलब्ध नहीं होगी, आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, तब तक स्वाभाविक रूप से सड़क यातायात, जोकि कम ऊर्जा की खपत वाला साधन नहीं है, उसका हाथ ऊपर रहेगा।

जहां तक विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास बड़े कार्यक्रम होने चाहिए। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थायित्व प्रदान करती है तथा यह हमारे देश की विकासीय गतिविधियों का आधारभूत ढांचा है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र में रेल लाइन चाहेगा। अतः कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे पास धन आदि नहीं हैं। योजना आयोग को इस बात को पहचानना चाहिए तथा केवल वार्षिक योजना के लिए अपितु पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त योजनागत आबंटन करना चाहिए। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण आदि लेकर विदेशी सहायता भी प्राप्त की जानी चाहिए ताकि और नई लाइनें बिछाई जा सकें। यह काफी चुनौतीपूर्ण है। हम भाप के इंजनों पर और अधिक समय तक निर्भर नहीं रह सकते। अतः, विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए कुछ और आबंटन होना चाहिए।

यात्रियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में मेरे विचार से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान बहुत ही कम है। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। यदि मेरे आंकड़े गलत है, तो मैं उन्हें ठीक करना चाहूंगा। इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तथा इसे उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि समय पाबंदी में सुधार हुआ है। किन्तु कुछ क्षेत्रों में कुछ गाड़ियां जैसे उत्कल एक्सप्रैस लम्बे समय से देरी से चल रही हैं। इस सम्बन्ध में और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक सुरक्षा के खतरे का सम्बन्ध है एक अजीब भय अन्दर छिपा हुआ है, एक आशंका उन लोगों के दिमाग में भी है जो सुरक्षा विभाग के प्रभारी हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें यह विश्वास होने लगता है कि कुछ जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं उनमें वे अपराधियों के साथ शामिल हैं। अतः हमें देखना है कि समयपाबंदी बनी रहे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए, स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

रेलवे को अधिक उत्पादक होना चाहिए। इसे और अधिक कुशल होना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह काफी चुनौतीपूर्ण हैं किन्तु सभी क्षेत्रों में नेटवर्क के कार्यक्रम के विस्तार तथा विद्युतीकरण कार्यक्रम, पटरी नवीकरण कार्यक्रम आदि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो दिया गया है उससे अधिक की आवश्यकता है पार्टी सम्बन्धों को छोड़कर हमें स्वयं इस समस्या का समाधान करना होगा।

चन्द्राकरजी ने स्थानीय भर्ती आदि के सम्बन्ध में बताया है। मैं उनसे भी सहमत हूं तथा मैं यह बात दोहराता हूं कि कम से कम श्रेणी —तीन तथा श्रेणी —चार के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में स्थानीय कर्मचारी प्रदान किए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में भी काफी अधिक भ्रष्टाचार है।

अब मैं अपने राज्य के सम्बन्ध में बोलूंगा. उड़ीसा रेलवे का एक उपेक्षित राज्य रहा है तथा इसके साथ निरन्तर सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है। उड़ीसा के सम्बन्ध में जैसाकि महोदय, आप जानते हैं, कि उड़ीसा की गरीबी पूरे देश, भारत सरकार तथा रेल मन्त्रालय के लिए भी एक चुनौती है ।

आज भी कालाहांडी में भुखमरी के समाचार छपे हैं। उड़ीसा के फूलबनी जिले में रेलवे की एक इंच भी पटरी नहीं है। बरगढ़ झारसुगुडा में भी एक छोटे से वर्ग के लिए रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। अतः स्वाभाविक है कि वहां कोई उद्योग नहीं है जैसाकि पहले बताया गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान, क्योंकि तीन महानगरों को जोड़ा जाना था—एक ओर कलकत्ता था तथा दूसरी ओर मद्रास तथा एक ओर कलकत्ता था तथा दूसरी ओर बम्बई—और चूंकि बीच में उड़ीसा पड़ता था इसलिए हमें भी कुछ रेलवे लाइनों का लाभ प्राप्त हुआ। अन्यथा, उड़ीसा जो हमारे देश का प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों संसाधनों का घर है, मूलभूत सुविधाओं तथा पर्याप्त रेलवे लाइनों के अभाव के कारण दरिद्रता उसकी मिट्टी में समा गई है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्रही : महोदय, जब आपने मेरी ओर देखा, मुझे कुछ संकोच हुआ। राष्ट्रीय समस्या के बाद, मैं पहले ही उड़ीसा पर आ चुका हूं। अतः, कृपया मुझे दो-तीन मिनट और दीजिए।

जैसाकि मैं कह रहा था, उड़ीसा दक्षिण-पूर्वी रेलवे का हृदयस्थल है। किन्तु पुनः विडंबना यह है कि दो रेलवे क्षेत्रीय मुख्यालय एक ही महानगर में स्थित हैं अर्थात् कलकत्ता में। गार्डन रीच में दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है जिसका हृदय स्थल उड़ीसा है। अतः, पूरे उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, बिहार तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग को मिलाकर एक नया रेलवे क्षेत्र बना देना चाहिए। उड़ीसा में उसका उचित स्थान पर एक मुख्यालय होना चाहिए।

उड़ीसा में निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में थोड़ी देर पहले जब श्री जेना ने मुझे बीच में रोका था, मैं भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में बोल रहा था। मैं माननीय रेल मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया उड़ीसा का दौरा करें न केवल वहां थोड़े समय के लिए जाएं अपितु वहां पर दो-तीन दिन बिताएं। वे एक दिन भुवनेश्वर में बिताएं, वे भुवनेश्वर से वापिस न आकर अनेक समस्याओं वाले नए रेलवे डिविजन के मुख्यालय संबलपुर जाएं। वहां से वे मध्य प्रदेश में बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में जा सकते हैं, जोकि सब पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। उन्हें समस्या का अध्ययन करना चाहिए तथा उसका कुछ समाधान ढूंढना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने केवल मुद्दों का उल्लेख किया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्रही : मैं केवल मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं। सम्बलपुर में एक नई डिविजन है। मैं स्वर्गीय नेता राजीव जी का स्मरण करते हुए नतमस्तक होता हूं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने सम्बलपुर डिविजन तथा तलचेर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी थी। उन्होंने इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। किन्तु मुझे खेद है कि पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के बिना इनका बहुतही धीमी गति से विकास हो रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : डिविजन की स्वीकृति किसने दी थी ? क्या श्री जार्ज फर्नांडीज ने दी थी। (व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्राही : नहीं, उन्होंने नहीं दिया था। सम्बलपुर डिविजन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी ने रेल मंत्री के रूप में इसको स्वीकृति प्रदान की थी।

श्री जार्ज फर्नांडीज इसे स्वीकृति प्रदान करने का श्रेय नहीं ले सकते हैं। यदि वे स्वीकृति देते तो शायद एक अथवा दो करोड़ रु० अधिक दे देते। यह बहुत पहले किया जा चुका होता। आधार-शिला.....

श्री जार्ज फर्नांण्डीज : आधार शिलाएं तो आपने पूरे देश में रखी हुई हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्राही : आपको दूसरों का श्रेय लेने की आदत है। आपके पास वह दक्षता है। यदि आप वर्तमान मामले में श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे विचार से आपको निराशा होगी। नए सम्बलपुर डिविजन का काम शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिए।

नए सम्बलपुर डिविजन के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी तथा गंभीर गलती की गई है। यहां तक कि सम्बलपुर से लगा इलाका पुराने चक्रधरपुर डिविजन के अन्तर्गत आ रहा है, जो कि 300 कि०मी० की दूरी पर बसा है। यह ठीक स्थिति नहीं है तथा इसे ठीक किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए झारसगुडा पुराने चक्रधर डिविजन के अन्तर्गत आता है।

फिर नई रेलवे लाइनों की भी मांग है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि खुर्दा-बोलनगीर लाइन तथा रायगडा-कोरापुट रेलवे लाइन शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिए। फूलवती जिले में बिल्कुल भी रेलवे लाइन नहीं है। पालसा पारलाकीमिडी क्षेत्र में छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने की आवश्यकता है। रुपसा-भद्रीपोसी लाइन हटाई जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्राही : नई तेज गति वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी की मांग है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने पश्चिम उड़ीसा से दिल्ली के लिए नई रेलगाड़ी चलाए जाने का वचन दिया है। मैं माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इसे 1 जुलाई से आरम्भ होने वाली 15 नई गाड़ियों की सूची में शामिल कर लें। नीलाचल एक्सप्रेस को भी सुपर फास्ट गाड़ी के रूप में इसके पुराने मार्ग पर पुनः आरम्भ करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का पूरे खुले दिल से समर्थन करता हूं जोकि बिल्कुल समय पर दिया गया तथा संतुलित बजट है। केवल निन्दकों को ही अपने दृष्टिकोण से इनकी निन्दा करनी चाहिए। वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से अधिक अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मेरा विचार है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट

न केवल किराए और भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण बल्कि यह अन्य कारणों से भी बेहतर है। यह अभूतपूर्व है यदि आप पिछले दस वर्षों के किराए भाड़ों की दरों और इस बजट की दरों की तुलना करें तो आपको मालूम होगा कि यह अभूतपूर्व है। मैं कह सकता हूं कि वर्तमान बजट अभूतपूर्व है।

रेल मंत्री के भाषण के प्रत्येक पैरा से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विश्वविदशों का प्रतिबिम्ब नजर आता है। मुझे आश्चर्य है कि रेल मन्त्री ने किस प्रकार इतनी जल्दी यह खोज निकाला कि ऊपर से नीचे तक फालतू कर्मचारी हैं जो निष्प्रयोजन हैं और वह उनकी संख्या 16 लाख से कम करके 9 लाख करना चाहते है। जब विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे में जनशक्ति की आवश्यकता पर दस वर्ष पहले यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तब हमने इसके बारे में बताया था। यह प्रतिवेदन क्रमिक रूप से कार्यान्वित की जा रही है। अब वर्तमान रेल मन्त्री ने भी विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुदेशों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक निदेशालय स्थापित किया है उस निदेशालय का नाम "कार्यकुशलता और अनुसन्धान निदेशालय" हैं। इसका उद्देश्य रेलवे की कार्यकुशलता को निर्धारित करना नहीं है बल्कि इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि फालतू कर्मचारी कहां-कहां हैं। हाल ही में उन्होंने एक गुप्त परिपत्र जारी किया था। उस परिपत्र का सन्दर्भ संख्या ई० 310-21-आई०पी०सी०-7 मीटिंग-II है जिसने यह स्पष्ट किया है कि इस बात का पता लगाया जाए कि विभिन्न रेलों में कहां-कहां फालतू कर्मचारी हैं और इसे प्रतिबन्धी रूप से क्रियान्वित करने के लिए वे अब इसमें धीरे-धीरे कटौती कर रहे हैं और रेलवे में सर्वप्रथम यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के एक भूतपूर्व सदस्य ने जितना नाम मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन केवल यह बता रहा हूं कि रेलवे बोर्ड के एक भूतपूर्व सदस्य ने सदस्य (यातायात) ने एक लेख लिखा है। उन्होंने केवल यह कहा है कि रेलवे में कर्मचारियों को सेवा से हटाने की नीति सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है क्योंकि रेल कर्मचारी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। पिछले 29 नवम्बर को जबकि सार्वजनिक क्षेत्र, गैर सार्वजनिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 1,50,00,000 श्रमिकों ने भारत सरकार की सेवा से हटाने की नीति का विरोध किया था तो रेलवे कर्मचारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी उन्होंने केवल अपनी एकता ही प्रदर्शित की थी इसलिए यह सेवा निवृत्ति नीति रेलवे में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकती है। रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य (यातायात) ने एक बहुत ही विस्तृत लेख लिखा है। इसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है और अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

महोदय, हम प्रतिवर्ष चर्चा करते हैं कि रेलवे में किस प्रकार धीरे-धीरे आबंटन में कटौती की जा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए 15 प्रतिशत आबंटित किया गया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 7.06 प्रतिशत राशि ही आबंटित की गई थी। वर्तमान योजना में आठवीं योजना अब आरम्भ होगी। इसमें और कटौती होगी क्योंकि इस वर्ष बजटीय प्रावधान 1600 करोड़ रुपये से घटाकर 1200 करोड़ रु० कर दिया गया है और उस आबंटन में भी सभी मामलों में पिछले वर्ष कटौती कर दी गई थी, मेरा तात्पर्य यह है कि वर्तमान वर्ष में यह 5400 करोड़ रुपये है और अगले वर्ष के लिए यह 5700 करोड़ रुपए है और यदि आप अवमूल्यन को भी इसमें जोड़ें तो यह पिछले वर्ष की आवंटित राशि से भी कम है और कम आबंटन के पश्चात् रेल मन्त्री कैसे अचानक जग गए और उन्होंने कहा कि क्या भारतीय रेलवे में एक ही गेज होना चाहिए। हमें कुछ सामरिक महत्व के क्षेत्रों

[श्री बसुदेव आचार्य]

में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जहां पर बड़ी रेलवे लाइन हैं इन दोनों बड़ी रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए, बड़ी लाइन के यातायात को दूसरी तरफ ले जाने के लिए छोटी लाइन अथवा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना होगा। लेकिन 6,000 कि०मी० लम्बी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय अचानक किस प्रकार ले लिया जबकि हम मीटर गेज प्रणाली को अधिक सक्षम बना सकते हैं। हालांकि कई राज्यों की राजधानियां रेलवे लाइन से जुड़ी हुई नहीं हैं। हमने मांग की है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य है और वहां पर इसके लिए काफी रोष पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक राजधानियां रेलवे लाइन से जुड़ी हुई नहीं हैं और उन्हें रेलवे लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। हमारे एक जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी जहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं है और वह पश्चिमी दीमापुर जिले में बालूरघाट परियोजना है। लेकिन इस वर्ष आपने केवल एक लाख रुपए की मंजूरी दी है जबकि परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपए है। इसके अलावा तामलुक दीघा परियोजना पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष आपने 45 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए केवल एक करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हमने बिहार के दो महत्वपूर्ण शहरों-धनबाद और बरा नगर को रेलवे माध्यम से जोड़ने की मांग की है। इस राशि को घटाकर 1.60 करोड़ रुपए कर दिया गया। पिछले वर्ष आपने 75 लाख रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन इस वर्ष आपने केवल 31 लाख रुपए ही दिए हैं। आप पयराड़ी में एक स्टेशन को नया रूप देने और दक्षिण पूर्वी रेलवे में सुदाम्बी में एक प्लेटफार्म का निर्माण करने के लिए पूरी राशि की मंजूरी देने में समर्थ नहीं हो पाए हैं।

इस समय धनबाद से टाटानगर के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है और यदि कोई रेलगाड़ी चालू की जाती है तो वह रेलगाड़ी हमारे जिले पुरुलिया से होकर गुजरेगी जोकि हमारे देश का एक पिछड़ा हुआ जिला है। 1986 में रेलवे बोर्ड द्वारा योजना आयोग को एक परियोजना की सिफारिश की थी और योजना आयोग ने उस समय उस परियोजना को अस्वीकृत कर दिया था। अब पुनः नवीन सर्वेक्षण किया गया था और पिछले छः महीनों से रेलवे बोर्ड इस बात का पता लगाने के लिए जांच कर रहा है कि क्या 31 कि०मी० लम्बी छोटी लाइन में से 11 कि०मी० की मार्ग सेवा में कुछ परिवर्तन किया जाए और बाकी 20 कि०मी० छोटी लाइन को बदल कर बड़ी लाइन बिछाई जाए। लेकिन आप इस छोटी सी परियोजना के लिए धन जुटाने में असमर्थ है जोकि देश के पिछड़े जिलों में से एक है जहां पर आदिवासी और अनुसूचित जातियों की लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। लेकिन आपके पास पूर्ण मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए धन उपलब्ध है। इसी प्रकार आपके पास आमता को हावड़ा से जोड़ने के लिए धन उपलब्ध नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा स्वीकृत किया गया था और उन्होंने वर्ष 1972 में इसका शिलान्यास किया था। यह मेरे सहयोगी श्री हन्नान मोल्लाह के निर्वाचन क्षेत्र में है और अब आप इस परियोजना को छोड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार अनेक परियोजनाएं आपने पास लम्बित पड़ी हुई हैं।

वर्ष 1986 की रेलवे अभिसमय समिति ने सिफारिश की थी कि सभी लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। जब एक परियोजना को स्वीकृति दी जाती है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। अतः उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसाकि मेरे मित्र श्री जार्ज बता रहे थे आप वर्ष प्रतिवर्ष कम धनराशि आवंटित कर रहे हैं। आपको छः अथवा सात करोड़ के स्थान पर केवल दो करोड़ रुपए दिए गए हैं केवल प्रतीक राशि स्वीकृत की गई है। उसके पश्चात् महोदय विद्युतीकरण की बात है ऐसा बताया गया है कि विद्युत कर्षण यातायात का सबसे सस्ता साधन है। वर्ष 1973 में यह नीति अपनाई गई थी कि भाप के इंजन नहीं चलाए जायेंगे और 1973 के बाद से चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में एक भी भाप का इंजन बनकर तैयार नहीं हुआ। लेकिन विद्युतीकरण के लिए आपने कितनी राशि मंजूरी की है। ऐसा कहा गया है कि हमें भाप के इंजनों को चरणबद्ध ढंग से हटाना होगा मेरा विश्वास है कि हमारे देश में अभी भी आपके इंजनों का उपयोग किया जा सकता है। चीन में ईंधन की कम खपत वाले आप इंजन का उपयोग किया जाता है भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भारतीय रेल पर स्टेटस पेपर व्हाइट पेपर निकले थे उसमें विकल्प यह था कि क्या हम अभी भी भाप इंजन का उपयोग जारी रखें अथवा नहीं। हम कम से कम उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों को कोयला क्षेत्रों में भाप इन्जनों का उपयोग जारी रख सकते हैं। यदि चीन ईंधन की कम खपत वाले भाप इंजनों का उपयोग जारी रख सकता है तो हमने 1973 से भाप इंजनों का उत्पादन करना बन्द क्यों कर दिया है ? अब हमें विद्युतीकरण की आवश्यकता है। हमें इंजनों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के अभाव पर निर्भर रहना पड़ेगा।

आपने विद्युतीकरण के लिए केवल 235 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लाइन परिवर्तन के लिए आपने 554 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। विद्युतीकरण के लिए यह राशि केवल 235 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष आपने केवल 232 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे। वर्ष 1991 में आपने केवल 234 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। हमें विद्युतीकरण की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय रेल मन्त्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनेक बार भेंट की है।

मन्त्री महोदय, ने आश्वासन दिया है कि बैंगल-कटक रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा। परन्तु आपका उत्तर है कि विद्युतीकरण के बाद यह व्यवहार्य नहीं रह सकेगा। मैं नहीं जानता कि व्यवहार्यता कैसे जांची जाती है। रेलवे सुधार समिति के प्रतिवेदन के 16 खंड हैं। प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र है कि लाभकारी लाइन जिसमें 10 से 12 प्रतिशत लाभ हो रहा है के मानदण्डों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विद्युतीकरण तथा नई रेल लाइनों के लिए अधिक धन के आवंटन की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए प्रधानमन्त्री ने यह बताया है कि यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति किलोमीटर रेल लाइन बदलने से 18,000 से 22,000 श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध होगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : चूंकि सभापति श्री पी० एम० सईद को जाना हैं, अतः क्या मैं सभा की अनुमति से श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को पीठासीन होने का सुझाव दे सकता हूं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

5.50 म० प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

श्री वसुदेव आचार्य : मैं यह नहीं जानता कि यह अनुमान कैसे लगाया गया है, और क्या निर्माण करने वाले ये श्रमिक-स्थायी है ।

दूसरा पहलू निजीकरण का है पिछले वर्ष जब सभी सदस्यों ने सफाई कार्य, संरक्षण कार्य के निजीकरण का विरोध किया था, तो उन्होंने उसे रोक दिया था । इस वर्ष खान-पान व्यवस्था के निजीकरण का कार्य वे पहले ही शुरू कर चुके हैं । 1955-56 से पहले खान-पान व्यवस्था निजी प्रबन्ध के अधीन थी । इसको राष्ट्रीकृत किसने किया ? इसको विभागीय किसने बनाया ? भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह निर्णय लिया था । उन्होंने इस खान-पान व्यवस्था को विभागीय बनाया । विभागीय खान-पान की प्रतिशतता केवल 50 से 55% है । जब भोज्य पदार्थ खराब थे तो सेवा उससे भी बदतर थी, और जब इनकी बहुत ज्यादा शिकायतें मिलीं तब इस खान-पान सेवा को विभागीय किया गया था । अब रेल मन्त्री इसका उल्टा करना चाहते है, वे खान-पान सेवा का निजीकरण करना चाहते हैं ।

अब रेलवे वेगन के निजीकरण की बात करते हैं । हमारे पास वेगन बनाने के कारखाने हैं क्या वेगन बनाने वाले कारखानों की क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाता है ? मेरा ऐसा विचार नहीं है । क्योंकि तीन वर्ष पहले वेगन बनाने वाले कारखानों की संकटपूर्ण स्थिति थी । जब तक क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जायेगा तब तक एक और कारखाने की जरूरत होगी । दुर्गापुर में एक कोच कारखाना बनाने का प्रस्ताव हैं । मेरे पास भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज का एक पत्र है ।

डिब्बों के कारखाने का प्रस्ताव अभी भी है, क्योंकि पेरम्बूर तथा कपूरथला के कारखाने मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ष 1950-51 से यात्रियों की संख्या में 175% की वृद्धि हो रही है जब की यात्री डिब्बों में वृद्धि 125% के दर पर हो रही है तथा पुराने डिब्बों को काम में लाया जा रहा है तथा उनमें अधिक भीड़-भाड भी हो रही है, फिर भी आप दूसरी श्रेणी का किराया बढ़ा रहे है । दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए 10 किलोमीटर तक के यात्रा किराये में छूट देना कोई मजाक नहीं हैं ।

दूसरी श्रेणी के किराये बढ़ाने से आप को कितनी आय हो रही है ? आपको दूसरी श्रेणी से 470 करोड़ रुपये की आय है तथा उच्च श्रेणी से केवल 70 करोड़ रुपये की आय है । उप नगरीय लोगों से आपको 170 करोड़ रुपये की आय है तथा पुनः वर्गीकरण के द्वारा माल में मात्र $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं । परन्तु आप मात्र वर्गीकरण में परिवर्तन ला रहे हैं । मात्र वस्तुओं के वर्गीकरण में परिवर्तन से आपको 230 करोड़ रुपयों की आय हो रही है । यदि आप किराये तथा माला भाड़ा में वृद्धि की तुलना

करते हैं तो ऐसा पिछले दस वर्षों में कभी नहीं किया गया। बजट के पूर्व आपने खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ा दी है। आपने आरक्षण की दर बढ़ा दी है। आपने "बेड रोल्स" (बिस्तरा) की दर 6 रुपये से 10 रुपये कर दी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : "बेड रोल्स" की क्या दर है ?

श्री वसुदेव आचार्य : मुझे पता नहीं है। हमें इसकी गणना करनी पड़ेगी।

सरकार ने 6000 हार्स पावर क्षमता के इंजन आयात करने का निर्णय लिया है। चितरंजन में इंजन बनाने का कारखाना है। चितरंजन लोकोमोटिव्ज वर्क्स ने अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। इस वर्ष उन्होंने 120 इंजन बनाए और किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की। उन्होंने मात्र अपने मजदूर संघ को मान्यता दिये जाने की मांग रखी। संघ 90 प्रतिशत कर्मिकों का प्रतिनिधित्व करता है तथा आप उस पर विचार नहीं कर रहे है।

श्रमिक आपके लक्ष्य से भी अधिक रेल इंजनों का उत्पादन अत्यधिक निष्ठा से कर रहे हैं। वे उन रेल इंजनों का निर्माण कर सकते हैं जिनका आप आयात कर रहे हैं। लेकिन आप एक फर्म के साथ बंध गए हैं। आप एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। आपने पहले ही एक विदेशी फर्म को निविदा प्रदान की है। आप इसके लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को क्यादेश नहीं दे रहे हैं। यही चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इस प्रकार के 6000 हार्सपावर के रेल इंजनों का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को हासिल कर लिया है, केवल थोड़ी सी पूंजी के निवेश की आवश्यकता है थोड़े से पूंजी निवेश पर, थोड़ा सा विस्तार करने से ही हमारी रेलवे का अपना स्वदेशी उद्योग इस प्रकार के रेल इंजनों का उत्पादन कर सकता है। आप अब इसका उत्पादन कर रहे है। परन्तु इस निर्णय में विलंब किया गया था जिस मन्त्रालय आयात करने का इच्छुक नहीं है। आप विद्युतीय रेल इंजनों का आयात ऐसी स्थिति में कर रहे हैं जब हमारे यहां विदेशी मुद्रा की भारी कमी है।

महोदय मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे केवल चार अथवा पांच मिनट का समय मिला है। इसलिए इन 4-5 मिनटों में ही मुझे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बर्खास्त किए गए रेल कर्मियों की बहाली करने के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से मन्त्रीमंडल ने बर्खास्त किए गए रेल कर्मियों को बहाल न किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है हालांकि कई बार आश्वासन दिए गए थे, इस सम्बन्ध में पूर्व रेल मन्त्री द्वारा निर्णय लिया गया था और इसे मंत्रीमंडल ने अनुमोदित किया था। सदन में अत्यधिक हल्लागुल्ला हुआ था। तब सभा के अन्दर भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री अनेश्वर मिश्रा ने एक घोषणा की थी और वर्तमान रेल मन्त्री श्री सी० के० जाफर शरीफ ने भी इस सभा को एक बार नहीं बल्कि बार-बार यह आश्वासन दिलाया था क्योंकि पूरे सदन की यह मांग है कि हड़ताल में भाग लेने पर वर्ष 1981 में बर्खास्त किए गए श्रमिकों को बहाल किया जाए। वे हड़ताल में इसलिए भाग ले रहे थे क्योंकि लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते को हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह 10 घंटे की ड्यूटी के बारे में था। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गये परिपत्र को इलाकुलम केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था। हाल ही में, लोको रनिंग स्टाफ के काम

[श्री वसुदेव आचार्य]

के घंटों में परिवर्तन के परिपत्र को रद्द किया गया था, इन श्रमिकों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। हमारे प्रश्न के उत्तर में रेल मन्त्री ने क्या कहा था, वह यह कि बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारी जिनके पक्ष में न्यायालय ने निर्णय दिया है, उन्हें वापस काम पर ले लिया गया है। लेकिन में 50-55 ऐसे रेल कर्मचारियों के नाम बता सकता हूं जिनके पक्ष में उच्चतम न्यायालय में एस० एल० पी० की अनुमति भी नहीं दी गई थी और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना गया था। इन कर्मचारियों को अभी तक वापिस काम पर नहीं लिया गया है। मैं ऐसे 50-55 कर्मचारियों के नाम बता सकता हूं। इन कर्मचारियों को क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है? रेलवे की मान्यता नीति में परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए कि हमारे पास दो संघ है। वहां दो संघ क्यों होने चाहिए। वहां एक संघ क्यों नहीं होना चाहिए? यदि दो संघ होने चाहिए तो तीन क्यों नहीं होने चाहिएं? आप ऐसे संघ को मान्यता क्यों प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो एक छत्र किस्म का, कर्मचारियों के सभी वर्गों का संगठन है? रेल अधिकारियों ने भी गैर-मान्यताप्राप्त संघों से मिलने से मना कर दिया है। भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इन संघों को मान्यता प्रदान की जाए और एक ही संघ होना चाहिए एवम् इसका चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय रेलों में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए मान्यता प्रदान करने की नीति में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

महोदय, माल भाड़े और यात्री किराए में हुई वृद्धि ने सभी वस्तुओं की मूल्यवृद्धि पर गहरा प्रभाव दर्शाया है। निस्संदेह, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कहेंगे कि यह प्रभाव न्यूनतम होगा। लेकिन बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए मेरी मांग है कि द्वितीय श्रेणी और उप-नगरीय यात्री किराए में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाए। सभी वस्तुओं के माल भाड़े में कमी की जाए। रेलवे को सामान्य राजस्व में लाभांश क्यों देना चाहिए? स्वतन्त्रता पूर्व के दिनों से यह प्रणाली अभी तक क्यों जारी है? सामान्य राजस्व में लाभांश देने से, बजटीय आबंटनों में कमी आ जाएगी। सामाजिक बोझ को रेलवे क्यों उठाए? (व्यवधान) जब रेलवे वित्त की पुनर्संरचना की गई है तो यह सब क्यों जारी रहना चाहिए?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं रेल बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): क्या मैं सभा की बैठक का समय पन्द्रह मिनट अथवा थोड़े समय के लिए बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं? एक अथवा दो ऐसे सदस्य हैं जो रेल मन्त्री के समक्ष अपनी मांगें अभी रखना चाहते हैं और उन्हें आज शाम को ही बाहर जाना है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आपको बाद में परस्पर आदान-प्रदान करना चाहिए हैं।

श्री रंगाराजन कुमारमंगलम: हां, हम हमेशा ही परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या दो सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए समय बढ़ाये जाने पर सभा सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभापति महोदय : श्री विजय राघवन ।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हाराव की सरकार ने राजनैतिक और आर्थिक अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाई है । सदन में एक दिन हुआ मतदान इस तथ्य का सबूत है कि जनता स्वीकृत की गई नई आर्थिक नीतियों को स्वीकार करें जिन्हें इस सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । इस वर्ष का आम बजट और रेल बजट इस सच्चाई के स्पष्ट उदाहरण हैं कि माननीय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है । इस सम्पूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया में रेल बजट एक महत्वपूर्ण घटक है । मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं । मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहूंगा कि लोगों के बीच आशंका के विपरीत इस वर्ष के बजट में किराये और भाड़े में अधिक वृद्धि नहीं की गई है । रेल मंत्री ने सामान्य भाड़े में बिना कोई वृद्धि किये 1366 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की मांग की है । इसी प्रकार, उन्होंने आवश्यक पण्यों यथा चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, सब्जियों इत्यादि के भाड़े में वृद्धि नहीं की है । हमें आशा है कि इस प्रकार का कदम आवश्यक पण्यों के मूल्यों को स्थिर करेगा । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

महोदय, इस समय भारतीय रेल जो सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रही है वह है—संसाधनों का अभाव । बहुत ही पुरानी पटरियों को नया करने के लिए कितने हजार करोड़ रु० की आवश्यकता है ? इसका कोई अनुमान नहीं है कि यह धन हमें कहां से प्राप्त होगा । यदि पटरियों का नवीकरण नहीं किया जाता है तो और अधिक दुर्घटनाएं होंगी । ऐसी हजारों कि०मी० लम्बी पटरियां हैं जिन्हें काफी पहले ही नया किया जाना चाहिए था । इन सबके लिए धन कहां से जुटायें ?

यदि आप चौथी योजना से ही रेलवे को किये गए कुल आबंटन को देखें, तो आप पायेंगे कि कुल योजना आबंटन के संबंध में रेलवे के लिए आबंटन का प्रतिशत कम होता रहा है । पहली योजना के दौरान कुल योजना की अपेक्षा रेलवे का व्यय 11.07 प्रतिशत था । दूसरी योजना में यह 15.48 प्रतिशत तक पहुंच गया था । तीसरी योजना में यह 15.46 प्रतिशत ही रहा । किन्तु चौथी योजना में यह कम होकर 5.92 प्रतिशत आ गया । सातवीं योजना में यह थोड़ा बढ़कर 7.46 प्रतिशत हुआ । किन्तु हमें याद रखना चाहिए कि दूसरी योजना में यह 15.48 प्रतिशत था । यदि इसमें इसी गति से वृद्धि होगी तो रेलवे के विकास कार्यों के लिए हमें धन कहां से प्राप्त होगा ? रेलवे की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 563 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि भी काफी अपर्याप्त है । इसलिए, आपको राजस्व के नये साधनों को खोजना होगा ।

* मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर ।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

दूसरी समस्या, रेलवे विकास कार्यों में असंतुलन का होना है। देश की विकास प्रक्रिया में रेलवे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किन्तु रेलवे का विकास देश के सभी भागों में समान रूप से नहीं हो रहा है। भारतीय रेल की 62367 रुट किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में 1500 रुट किलोमीटर की रेलवे लाइन है जबकि केरल में केवल 984 कि०मी० है। राष्ट्रीय औसत 2398 कि० मी० है। इसका तात्पर्य यह है कि केरल में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई राष्ट्रीय औसत से काफी (नीचे) कम है। अपने पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक को लीजिए। वहां पर क्रमश: 4012 और 3065 कि० मी० लम्बी लाइनें हैं। अत: पूरी व्यवस्था में कुछ खराबी है। रेलवे के असमान्य विकास से केरल के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह केरल जैसे अविकसित राज्यों में अधिक पूंजी निवेश करके इस असंतुलन को दूर करे।

सदैव से यही शिकायत रही है कि रेलवे विकास के सम्बन्ध में केरल की हमेशा उपेक्षा की गई है। यह शिकायत काफी हद तक सही है। जब हमने इस वर्ष के रेल बजट की जांच की, तो हमने देखा कि रेल मंत्री ने इस शिकायत को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की है। केरल को हर नई 15 रेलगाड़ियों में से एक गाड़ी दी जा रही है। इसी प्रकार इरोड-कोचीन क्षेत्र का भी विद्युतीकरण किया जा रहा है। इस बात का संकेत मिलता है कि राजधानी की तरह एक रेलगाड़ी केरल को दी जायेगी। यह भी कहा गया है कि एलेपी-कायम-कुलम लाइन और त्रिचूर-गुरुवयोर लाइन को इस वर्ष तक पूरा कर दिया जायेगा। यह सभी कदम केरल के पक्ष में हैं। किन्तु यदि हम इन सबके लिए किए गए आबंटन पर ध्यान दें, तो इससे अधिक आशान्वित नहीं हो सकते। पिछले वर्ष केरल को रेलवे विकास के लिए 28 करोड़ रु० दिये गए थे। इस वर्ष यह कम होकर 15.72 करोड़ रु० हो गये हैं। इरोड-कोचीन क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए कुल लागत 161.30 करोड़ रु० है और इस वर्ष के लिए निर्धारित राशि केवल 3.10 करोड़ रु० है। इस दर पर यह परियोजना पूरी करने में कम से कम पचास वर्ष लग जायेंगे। इसी प्रकार एलेपी-कायम-कुलम लाइन और त्रिचूर गुरुवयोर लाइन को पूरा करने में प्रत्येक के लिए 1 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। किन्तु इन दो लाइनों को पूरा करने के लिए अभी भी 5.26 करोड़ रु० की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या वे धनराशि प्राप्य करने में सफल हो पायेंगे।

अब मैं केरल की कुछ विशेष समस्याओं पर आता हूं। प्रथमत: इरोड-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। केरल सरकार इसकी काफी लम्बे अर्से से मांग करती रही है। इस रुट पर भारी आवागमन है और इसलिए इस क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। दूसरे, शोरनूर-मंगलौर लाइन को दोहरा किया जाना चाहिए। एक सर्वेक्षण किया गया था, किन्तु अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। कोंकण रेलवे के आने से इस लाइन का महत्व बढ़ जायेगा क्योंकि उस पर कई गुणा यातायात बढ़ जायेगा। इसलिए इस लाइन को दोहरा किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। अगर आप बात अभी समाप्त नहीं करते, तो आप अपने ही दल के एक अन्य सदस्य को बोलने से वंचित रखेंगे जो आप ही जा रहे हैं।

श्री वी० एस० विजयराघवन : महोदय, मैं केवल दो मिनट ही लूंगा। केरल का उत्तरी भाग जिसे मालाबार कहते हैं, की सदैव उपेक्षा की जाती रही है। कोई भी बड़ी रेलगाड़ी जो उत्तर में जाती है, वहां से शुरू नहीं होती। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। इसलिए, मैं एक सुझाव दे रहा हूं। हावड़ा अथवा राजकोट जाने वाली कोई भी रेलगाड़ी मालाबार से शुरू की जा सकती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मुझे अगले व्यक्ति को बुलाने की अनुमति दें।

श्री वी० एस० विजयराघवन : महोदय, सिर्फ एक मिनट। दूसरी बात यह है कि हमें दिल्ली से तिरुवनंथपुरम के लिए एक और रेलगाड़ी की आवश्यकता है। व्यावहारिक रूप से प्रतिदिन केरल एक्सप्रेस में बर्थ के लिए एक लम्बी प्रतीक्षा सूची होती है। इससे पहले भी छुट्टियों के दौरान काफी भीड़ होती थी। किंतु अब यह रोज का काम हो गया है। अतः तिरुवन्नथपुरम के लिए एक अन्य गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

महोदय, इस समय केरल एक्सप्रेस तिरुवनन्तपुरम पहुंचने में करीब 56 घन्टे लेती है। जब इसे शुरू किया गया था तो तब यह यात्रा 48 घन्टों में ही पूरी कर लेती थी। 'सुपरफास्ट एक्सप्रेस' से यह 'सुपर स्लो एक्सप्रेस' बन गई है। ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि दिल्ली से भोपाल के बीच यह काफी अधिक स्टेशनों पर रुकती हैं। इससे लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। अतः केरल एक्सप्रेस को सुपरफास्ट एक्सप्रेस ही रहना चाहिए।

इसी प्रकार जो रेलगाड़ियां राजकोट और तिरुवन्तपुरम और अहमदाबाद और कोचीन के बीच चलती है वे साप्ताहिक रेलगाड़ियां हैं। इनका आवागमन बढ़ाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त करें। मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं। मैंने आपको शत-प्रतिशता अधिक समय दे दिया है।

श्री वी० एस० विजयराघवन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अन्त में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पालघाट के बारे में दो शब्द कहूंगा। वहां रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने की एक फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में पंजाब में कपूरथला में स्थापित किया गया। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह पालघाट में डिब्बे बनाने की एक फैक्टरी स्थापित करें। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि मासिक पास के किराये को कम करें। पेन्शन राशि को बढ़ाने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अंत में, पालघाट जंक्शन के निकट ऊपरी पुल बनाने की एक मांग है। इसका निर्माण किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इसके अतिरिक्त आपको जो कुछ भी कहना है उसके लिए कृपया मन्त्री जी को एक लिखित ज्ञापन भेजें। मैं श्री राममूर्ति को बुला रहा हूं। उन्होंने भी पांच मिनट का समय मांगा है। यदि आप बोलते रहे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा और आप उन्हें वंचित करेंगे और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कृपया श्री राममूर्ति बोलें।

श्री के० राममूर्ति डिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : सभापति महोदय, मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपना भाषण पढ़ने की अनुमति दी जाये।

मैं रेलवे बजट का स्वागत करता हूं और इस बजट को एक भिन्न दिशा प्रदान करने के लिए रेल मंत्री को बधाई देता हूं। उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है जो कि गरीबों के हित में है और एक अच्छा बजट है। इनका बजट लघु औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देता है। जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। यह एक प्रभावशाली बजट है जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देता है।

सही मामले में यही कहना चाहिए कि वर्तमान रेलवे बजट कठिन परिस्थिति से निपटने का एक साहसिक प्रयास है। इसे मुख्यतः यात्रियों के किरायों में वृद्धि करके प्राप्त किया गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रत्येक रेल मन्त्री छूने से कटराता है, परन्तु हमारे रेल मन्त्री ने समझदारी से कार्य किया है, उन्होंने उच्च यात्री किराये और सम्बन्धित यात्रियों को कम से कम परेशानी होने देना का प्रयास किया है।

जब मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं तो मुझे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि जैसे महानगरों में उप नगरीय रेलगाड़ी यात्रियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बड़े यातायात का समर्थन करते हुए ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को दस किलोमीटर तक की दी गई छूट से मध्यम आय समूह निर्धारित आय समूह, वेतन पाने वाले वर्ग और समाज के गरीब वर्ग के लिए लाभदायक नहीं होगा, जोकि उपनगरीय रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें मात्र यही यातायात का साधन उपलब्ध होता है। वे अपने कार्य करने के स्थान और व्यापारिक केन्द्रों में काम करने के लिए यात्रा करते हैं। उनके मासिक पास किसी ऐशो-आराम अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं हैं वरन् अपनी जीविका अर्जित करने के लिए हैं। मैं उपनगरीय रेलगाड़ियो के किरायों में वृद्धि की समीक्षा करने के लिए माननीय रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं। कम से कम मासिक पास वालों के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

यद्यपि यात्री किरायों की दरों में अधिक वृद्धि की गई है तो भी यह मान लिया जाना चाहिए अथवा इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि यात्री को कम भार महसूस हो। इसके अतिरिक्त, दरों में वृद्धि भी श्रेणी के अनुसार की गई है।

प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए दरों में 20% वृद्धि के लिए, मुझे विश्वास है कि सभा माननीय मन्त्री महोदय के प्रस्ताव से सहमत होगी, क्योंकि जिन्हें अधिक आराम की आवश्यकता है वह थोड़ा अधिक दे सकते हैं।

रेल बजट द्वारा भाड़े में वृद्धि की जाती है। परन्तु मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र में जो प्रयास किया है उसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के प्रभारो को नहीं बढ़ाया है। इस प्रकार, उन्होंने अपनी ओर से यह देखा है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से आम-आदमी को परेशानी न हो। यहां तक कि भाड़े में घोषित वृद्धि भी केवल 7.5% तक है। जहां तक रेलवे बजट का सम्बन्ध है मुद्रास्फीति दबाव पर निगरानी रखी जाती है।

जैसाकि मन्त्री जी द्वारा घोषणा की गई है भविष्य के लिए घोषणाएं छोटी लाइन को बड़ी लाइन

में बदलने के लिए आबंटित राशि में अत्यधिक वृद्धि का संकेत मिलता है। इस योजना पर व्यय की गई राशि जो वर्ष 1991-92 में 133 करोड़ रुपए थी उसे वर्ष 1992-93 में 555 करोड़ रुपए कर दिया गया यह प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

आठवीं योजना में लाइन बदलने का कार्य कुल 10,000 कि० मी० की तुलना में 6000 कि० मी० तक होगा। इस मामले में दिखाई गई समझदारी के लिए माननीय प्रधानमन्त्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को बधाई दी जानी चाहिए। निःसंदेह, रेल मन्त्री द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

निःसन्देह इसके साथ ही साथ इस प्रकार रेल मन्त्री महोदय को भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज की असफलता को झेलना पड़ा है। मैं उनके तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के प्रति पूर्वग्रह को भली-भांति समझ सकता हूं जिन्हें छोटी लाइनों के कारण कठिनाईयों को सहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल यातायात में ही कमी को भुगतान पड़ रहा है परन्तु इससे आर्थिक पक्ष भी बुरी तरह प्रभावित है, क्योंकि जहां उद्योग नहीं लग पाते हैं।

मैं भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज के इस राज्य ने प्रति पूर्वग्रह को समझ सकता हूं क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में कलूर दीन्डीगुल परियोजना प्रगति नहीं कर सकी थी और इन्हीं के नेतृत्व में मद्रास महानागरीय रेल परियोजना प्रगति नहीं कर सकी निसन्देह तमिलनाडु में उनकी विमुखता उनके छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने पर की गई टिप्पणी से भली-भांति देखी जा सकती है।

छोटी लाइन को बड़ी में बदलना राष्ट्रीय अखण्डता की तरफ मजबूत और ठोस कदम है। दक्षिण भारत के अधिकतर भागों को रेल के सन्दर्भ में मुख्य धारा में मिलाया गया। केवल उसके बाद ही आप देखेंगे कि उन राज्यों में जिनमें अब तक छोटी रेलवे लाइनें होने के कारण माल लाने ले जाने की सुविधा नहीं थी उनमें व्यापार और उद्योगों का विकास होगा। इस सन्दर्भ में मैं रेल मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कलूर दीन्डीगुल तूती कोरियन परियोजना की दीण्डीगुल-मदुरई बड़ी लाइन पर जो काम चल रहा है उसे पूरा करने के लिए कुछ और धन की आवश्यकता है जो लगभग 10 करोड़ है। 10 करोड़ रु० से कुछ कम से भी काम में तेजी आयेगी और काम पूरा किया जा सकेगा। यह राशि 5 से 6 करोड़ रु० हो सकती हैं। मैं रेल मन्त्री महोदयसे खुले दिल से 5-6 करोड़ रुपये देने का निवेदन करता हूं ताकि इस परियोजना को बड़ी सफलता से पूरा किया जा सके।

जहां तक मद्रास ट्रन परिवहन प्रणाली का सम्बन्ध है जिस पर कार्य प्रगति पर है, मैं समझता हूं मंत्री महोदय इससे सहमत होंगे कि यह बहुत धीमी गति से चल रहा है. यह घोषणा की गई थी कि इस क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और मद्रास और पार्क टाऊन के मध्य रेलगाड़ियां चल रही है यह मार्ग पर पहले ही कार्य पूरा किया जा चुका है। इसे श्रीपलीकेन और मइलापोर तकबढ़ाया जाना चाहिए। पार्कटाउन और चेपाउक के मध्य रेल सेवा की घोषणा से ही काम नहीं चलेगा। इसे सतथोम या माइकोर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

राजधानी एक्सप्रेस के बारे में भी यही बात है। मुझे प्रसन्नता है कि बंगलौर में यह चालू हो गई है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को उनसे आश्वासन की याद दिलाना चाहता हूं कि मद्रास में भी अगला मांग दिया जाना चाहिए जिसका वह अधिकारी है। दिल्ली-बम्बई, दिल्ली कलकत्ता में राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं लेकिन मद्रास के देखे को जो न्यायोचित है गम्भीरता से लेने की जरूरत है। मैं उसके लिए मांग करता हूं।

आज जब कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चेंगलपेट और वीलूपुरम के बीच की लाइन को दोहरी करने के बारे में सोचा जाए, जिसका अर्थ 160 कि० मी० की लाइन दोहरा करना होगा जो यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करेगा।

जहां तक रेलों के निजीकरण का सम्बन्ध है इस कार्यक्रम पर भली-भांति विचार किया गया है और इसे अपना वेगन अपना कन्टेनर योजना के अंतर्गत लागू किया गया है यह औद्योगिक समृद्धि और प्रगति की तरफ आश्वासन है। इस प्रकार खान-पान सेवा के निजीकरण की बात है इसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में मूल्य नियन्त्रण को सुनिश्चित करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर, मीटर गेज के कुछ जंक्शनों को छोड़कर, असली पेय उपलब्ध नहीं है और असली बोतलों में नकली पेय बनाकर कुछ भी बेचा जा रहा है मेरा निवेदन है कि इस मामले में छानबीन की जाए।

महोदय, किसी भी सांसद की रेल बजट पर भाषण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वह उनके चुनाव क्षेत्र के लिए मांगों का उल्लेख न करे। इसलिए मुझे भी इसकी दी जाए। वीलूपुरम रेलवे जंक्शन मेरे तिन्डीवनम् लोक सभा चुनाव क्षेत्र में आता है जिसपर अधिकतम यात्रियों का आवा-गमन और रेलगाड़ियों का संचालन होता है. वहां भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पीने के लिए पानी जलमल निकासी और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है क्योंकि एक पम्पिंग स्टेशन के लिए कुछ लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसलिए अधिकारीगण यात्रा करने वालों को इस सुविधा से वंचित कर रहे हैं।

रेलवे प्लेटफार्म नं० 1 और 2 बम्बई में छोटे हैं और रेल की लम्बाई को पूरा नहीं ढकते है जिससे लोगों को गर्मियों और बरसात में परेशानी उठानी पड़ती है इतने बड़े रेलवे जंक्शन में साइकिल स्टैंड तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेलवे अस्पताल की स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता है।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से खासकर तिरूचिरापल्ली शाखा और आमतौर से स्टेशन मास्टरों की शिकायतें दूर करने के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। उनकी मांगें हैं: (1) रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों पर फ्लस वाली लेबोटरी सुविधाएं, (2) रेलवे बोर्ड के निदेशानुसार द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के मकानों में दूसरे पंखे लगाने का प्रावधान इसको स्वीकार किया जा चुका है लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। (3) रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा और (4) रेलवे स्टेशनों में स्टेशन मास्टरों के लिए विश्राम के कमरे। कुछ ऐसे स्टेशनों पर विश्राम के कमरे उपलब्ध कराए गए है।

सभापति महोदय : आप अपने बाकी दस्तावेज मन्त्री जी को दे दें।

श्री के० राम मूर्ति डिंडिवनाम : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। महोदय कुछ स्टेशनों पर विश्राम के कमरों को किसी अन्य उद्देश्य से वापिस ले लिया गया था। कृपया इसकी जांच करायें।

ये छोटी-छोटी मांगें हैं जिनके सम्बन्धित लोगों को सन्तुष्ट करने में दीर्घकालिक प्रभाव होंगे।

मैं एक बार पुन: माननीय मन्त्री जी को उनके एक जैसी लाइनों में परिवर्तित करने, विद्युतीकरण तकनीकी उन्नयन मानव संसाधन विकास, इन्टर मोडल ट्रांसपोर्ट और टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा कल शुक्रवार 13 मार्च को 11 मध्याह्न पूर्व पर पुन: सम्मेलन होने के लिए स्थगित होती है।

6.23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 मार्च, 1992/23 फाल्गुन, 1913 (शक) को ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटिंग प्रैस, डा०सेन मार्ग, दिल्ली-6